माला, खंड 13, अंक 5

गुरुवार, 27 फरवरी, 1986
8 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)



(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/2/86

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, अंक 13, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 5, गुरुवार, 27 फरवरी, 1986/8 फाल्गुन, 1907 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61, से 63, और 66 से 70	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—179
तारांकित प्रश्न संख्या : 64, 65, 71, से 74 और 76 से 81	22—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 584 से 642, 644 से 687, 689 से 781 और 783 से 793	29—178
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	186
प्राक्कलन समिति	193
26वां और 27वां प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति	194
19वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	194
(एक) राजस्थान में सिद्धमुख और नहर परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता — श्री बीरबल	194
(दो) बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रचार करने, अपराधियों के नाम और उनको दिया गया दंड प्रकाशित करने की आवश्यकता — श्री डी॰ एन॰ रेड्डी	195
(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता — श्री कमोदी लाल जाटव	195

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था :

विषय		पृष्ठ
(चार)	बकरी पालन पर अनुसंधान करने के लिए केरल में कासरगोड में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	195
	श्री आई० रामा राय	
(पांच)	देश के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माणधीन उठाऊ नहर सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	191
	श्री मोहन लाल झिकराम	
(छः)	देश में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क रेल पास और अन्य सुविधाए देने की आवश्यकता	196
	श्री के० एन० प्रधान	
(सात)	जम्मू और कश्मीर राज्य में भारी हिमपात के शिकार हुए लोगों को राहत देने की आवश्यकता	197
	प्रो० सैफुद्दीन सोज	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव [—जारी]		197
	श्री दिनेश गोस्वामी	197
	श्री संतोष मोहन देव	203
	श्री जगन्नाथ राव	205
	श्री नारायण चौबे	207
	श्री मूलचन्द डागा	213
	श्री जे० चोक्का राव	217
	श्रीमती डी०के० भण्डारी	220
	श्री राम स्वरुप राम	223
	प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	226
	प्रो० सैफुद्दीन सोज	230
	श्री विपिन पाल दास	235
	श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	238
	श्री जी०एम० बनातवाला	242
	श्री टो० बशोर	246

विषय	पृष्ठ
श्री के०पी० उन्नीकृष्णन्	248
श्री बनवारी लाल पुरोहित	252
श्री डो० एन० रेड्डी	254
कुमारी ममता बनर्जी	258
श्री राजकुमार राय	260
श्री सलीम आई० शेरवानी	263
श्री मौहम्मद महफूज अली खाँ	264
डा० गौरी शंकर राजहंस	265
श्री जगन्नाथ कौशल	266
श्री राजीव गाँधी	264
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के बारे में वक्तव्य	293

लोक सभा

गुरुवार, 27 फरवरी, 1986/8 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय एक मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया है···

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ ?

श्री बसुदेव आचार्य : आप उनसे सदन में वक्तव्य देने के लिए कहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें कह सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह सदन की परम्परा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। उनका स्वागत है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। सदन को पता चलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उनसे कहिए।

प्रो० मधु दंडवते : यदि अधिक मंत्री त्यागपत्र देते हैं तो अधिक मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री डी० पी० यादव जी प्रश्न संख्या 61

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पूर्वी बिहार में गंगा नदी पर ऊंची सतह वाला पुल

*61. **श्री डी० पी० यादव** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पूर्वी बिहार में गंगा नदी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की एक परियोजना के रूप में ऊंची सतह वाला पुल का निर्माण किये जाने की मांग की है;

(ख) क्या उसने अपनी मांग के समर्थन में पूना जलीय अनुसंधान संस्थान का एक तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो पूना संस्थान के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल, भू-तल, परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स रेल इण्डिया टेकनीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड के मार्फत सर्वेक्षण और जांच

कार्य विस्तारपूर्वक कराए गए थे । मैसर्स रेल इण्डिया टेकनीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड ने इस कार्य में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर की भी सहायता ली थी ।

(ग) विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, परामर्शदाताओं ने निर्णय लिया कि हाइड्रोलिक महत्त्व की दृष्टि से भागलपुर स्थल इसके लिए संतोषप्रद है । रेल इण्डिया टेकनीकल एंड इकोनामिक सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दी गई हैं जिसमें पूना हाइड्रोलिक रिसर्च इंस्टिट्यूट के सुझावों का भी उल्लेख है ।

(घ) चूंकि प्रश्नाधीन पुल, राज्य मार्ग पर पड़ता है, इसलिए इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है । इसके अतिरिक्त, परियोजना की लागत बहुत अधिक होने के कारण भारत सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत इसको वित्तीय सहायता दे सके ।

विवरण

1. पुल की कुल लम्बाई	2161.3 मीटर
2. सड़क की चौड़ाई	7.5 मीटर (सड़क के दोनों तरफ 1.5 मीटर फुटपाथ सहित)
3. बाएं एप्रोच पर गाइड बांध	2443 मीटर लम्बा
4. एप्रोच रोड साउथ साइड	1835 मीटर
एप्रोच रोड नार्थ साइड	उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को जोड़ते हुए 11300 मीटर धनबाद से सहरसा तक 225 कि० मीटर दूरी कम करता है ।
5. सितम्बर, 1983 की कीमत दर पर परियोजना की अनुमानित लागत	48·80 करोड़ रु०

श्री डी० पी० यादव : मुझे खुशी है कि मंत्री ने एक तरह से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है । सुलतानगंज, भागलपुर और मुंगेर के समीप गंगा पर पुल का निर्माण करने पर विचार करने से पूर्व हमें नदी के आकार, रचना पर ध्यान देना होगा । गंगा नदी में उत्तर और दक्षिण की सभी महत्त्वपूर्ण नदियां जैसे सोन, गंडक, किपूंल आदि नदियां मिलती हैं । भारी बाढ़ आने के समय में लगभग 24 लाख क्यूसेक पानी निकलता है जिससे उस क्षेत्र को भारी क्षति होती है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि गंगा एक पवित्र नदी है लेकिन वर्षा के मौसम के बाद के दौरान यह मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र के लिए एक अभिशाप है । इससे अधिकतम हानि होती है । देश के इस क्षेत्र में गंगा नदी द्वारा होने वाली क्षति और राष्ट्रीय पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस पुल के निर्माण पर विचार करेंगे और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली पर लायेंगे जोकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमालय की पार्श्व सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली संख्या 31 की मुख्य सड़कों को जोड़ेगा । जैसी कि आयोग ने सिफारिश की है आर्थिक दृष्टि से इससे इस क्षेत्र में रहने वाले गरीबों की रहन-सहन की दशा में सुधार होगा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस पर भाषणबाजी मत करिए ।

श्री डी० पी० यादव : क्या वह इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में लायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : लम्बा पुल या ऊँचा पुल बनने से पहले लम्बा भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : महोदय, वह बटमाट हैं।

श्री राजेश पाइलट : लम्बा भाषण देने के लिए मैं माननीय सदस्य को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यह सच है कि यह उस क्षेत्र की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : जरूरत हो सकती है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने इसे बाढ़ नियन्त्रण के साथ कैसे मिला दिया है। इससे क्या सहायता मिलती है ?

श्री राजेश पाइलट : उन्होंने अपनी भावनाएं इसलिए व्यक्त की हैं क्योंकि वे पिछले 15-16 सालों से इस पुल के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने मामले को अच्छी तरह पढ़ा है। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण पुल है और मैं इसकी जरूरत से इंकार नहीं कर सकता। लेकिन यह कुछ नियमों और मानदंडों के अन्तर्गत नहीं आता जिनका पालन हम ऐसी परियोजनाओं के मामले में करते हैं। हमने बिहार सरकार से अनुरोध किया है....

श्री नारायण चौबे : यदि नियम अनुमति नहीं देते तो उन्हें बदल दीजिए।

श्री राजेश पाइलट : जब हम नियमों में परिवर्तन करते हैं तो आप मजाक करते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। मैंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपनी योजना के अन्तर्गत इस परियोजना को शुरू करें और विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत कुछ धनराशि उपलब्ध है। हम इस योजना के माध्यम से उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

श्री डी० पी० यादव : मोकामा और फरक्का के बीच लगभग 275 किलोमीटर का फासला है। शक्तिशाली गंगा नदी पर इतनी लम्बी दूरी के लिए निचले पुल की व्यवस्था से हमें बहुत चिन्ता हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़क प्रणाली के अन्तर्गत इसे लेने की बजाय इसे राष्ट्रीय महत्त्व की सड़क के रूप में लिया जाए और इसे गोविंदपुर, बुमका, बीरपुर, राजमार्ग प्रणाली जैसी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए।

श्री राजेश पाइलट : मैं सदस्य की और सहायता करता हूँ। यह दूरी 280 किलोमीटर है न कि 275 कि० मी०। यह एक आम अनुरोध है। लेकिन बात यह है कि ई० एंड आई० के अन्तर्गत हम 50 करोड़ रुपये की परियोजना अपने हाथ में नहीं ले सकते। आज इस परियोजना की कीमत 50 करोड़ रुपये है। जब तक यह शुरू होगी तब तक इसकी लागत 60 करोड़ या उससे अधिक हो जाएगी। अपने संसाधनों से इसे पूरा करना हमारे लिए कठिन है।

प्रो० मधु दंडवते : आपने कीमतों में और वृद्धि की भविष्यवाणी कर दी।

श्री राजेश पाइलट : अगर आप कीमत वृद्धि और अन्य बातों को देखें तो इसमें आगे वृद्धि होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा है मेरे विचार हैं कि अगर आप इसके लिए राज्य सरकार को कहें तो आपको मदद मिलेगी। विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत इस बार हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। उस योजना के अन्तर्गत हम इस पर अवश्य विचार करेंगे और राज्य को सहायता देने की कोशिश करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : सरकार ने स्वयं लोगों को प्राकृतिक विपदाओं से बचाने की जिम्मेदारी ली है। प्राकृतिक विपदाओं का एक कारण यह भी है। क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस मामले को प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के मामले के तौर पर ले शायद तब इस आधार पर योजना आयोग और विश्व बैंक धनराशि के लिए आपकी सहायता करें।

श्री राजेश पाइलट : यह एक पुल है।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, मुझे नहीं मालूम कि इससे प्राकृतिक विपदाओं को नियंत्रित करने में कैसे सहायता मिलेगी ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

डा० गौरी शंकर राजहंश : एक स्पष्टीकरण है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम होना चाहिए कि इससे और क्या मिल सकता है ? क्या इससे कोई और परिणाम निकल सकता है ? मुझे इसका फैसला करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ और इसका क्षेत्र सीमित है। यह मेरा निर्णय है। यह सही है।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : बिहार एक पिछड़ा हुआ स्टेट है।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मनखुर्द–बेलापुर रेल परियोजना

+

*62 **श्री शरद दिघे :**
श्री महेन्द्र सिंह : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के महानगरीय क्षेत्र की परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए मनखुर्द-बेलापुर रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भिन्न-भिन्न महानगरों में विभिन्न महानगर परिवहन परियोजना की प्रगति के लिए संसाधनों की काफी कमी थी। सातवीं योजना में इन परियोजनाओं के लिए कुल 400 करोड़

रुपये की राशि का आबंटन किया गया है जिसकी वजह से मनखुर्द-बेलापुर रेल सम्पर्क के लिए पर्याप्त रकम का आबंटन करना संभव नहीं था। वित्तीय संसाधनों की तंगी पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने नगर और औद्योगिक विकास निगम एजेंसी की मार्फत ऋण पत्र जारी करके मनखुर्द-बेलापुर रेल संपर्क के निर्माण के लिए तल्प, रेलपथ के पुल और विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की लागत को वहन करने के लिए सहमत हो गयी है। परियोजना के शेष कार्य की लागत की पूर्ति रेलों को अपने योजना आबंटन से करनी होगी।

श्री शरद दिघे : सर्वप्रथम, मैं परिवहन मन्त्री का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग अर्थात् "क्या सरकार ने बम्बई के महानगरीय क्षेत्र की परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए मनखुर्द-बेलापुर रेल परियोजना को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया है" का उत्तर "जी हां" में दिया। मैं परिवहन मंत्री का इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों में सीजन टिकटों के किराए नहीं बढ़ाए।

श्री पी० कुलनदेईवेलू : मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का किराया बढ़ाने के लिए भी।

श्री शरद दिघे : लेकिन, प्रश्न के दूसरे भाग में उत्तर दिया गया है कि "वित्तीय संसाधनों की तंगी पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने नगर और औद्योगिक विकास निगम एजेंसी की मार्फत ऋण पत्र जारी करके मनखुर्द-बेलापुर रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए तल्प, रेलपथ के पुल और विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की लागत को वहन करने के लिए सहमत हो गई है।" इसका मतलब है कि शेष काम केन्द्र सरकार पूरा करेगी। इस परियोजना के लिए आपने कल बजट में केवल 10 लाख रुपए की व्यवस्था की है। जैसा कि रेल बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ संख्या 29 पर मैंने देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मालूम नहीं आप क्या कर रहे हैं ?

श्री शरद दिघे : परियोजना के इस अंश को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार कितनी धनराशि देगी तथा परियोजना के शेष भाग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार कितनी धनराशि लगायेगी।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं केवल अनुमानित आँकड़े दे सकता हूँ। आरम्भ में इस परियोजना की लागत 120 करोड़ रुपये आँकी गई थी। इसके पूरे होने तक संभवतः इसकी लागत 150 करोड़ रुपये हो जाएगी। इसलिए नगर और औद्योगिक विकास निगम एजेंसी द्वारा जारी किए जाने वाले ऋणपत्रों से एकत्र राशी, जोकि लगभग 110 करोड़ रुपये होगी, हमें मिलेगी और शेष लगभग 40 करोड़ रुपए की धनराशि हम देंगे। उत्तरदायित्वों के संभावित क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है। इसलिए यह निर्भर इस बात पर करता है कि उत्तरदायित्वों के इन क्षेत्रों पर उक्त राशि में से कितना व्यय किया जाएगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी रेलमार्ग पुलों का निर्माण तथा विद्युतीकरण की है और कार शेड तथा चल स्टाक और अन्य कामों की जिम्मेदारी हमारी है। अंततः यह इन मदों की अन्तिम लागत और उत्तरदायित्व के क्षेत्रों पर निर्भर करेगा।

श्री शरद दिघे : इस तथ्य को देखते हुए कि आपने इस बजट में केवल 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, इस परियोजना को पूरा करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

प्रो० मधु दंडवते : 22वीं शताब्दी ।

श्री सुरेश कुरुप : जब तक समुचित राशि प्रदान नहीं की जाती ।

श्री माधव राव सिन्धिया : मेरे विचार में रेलवे इस समय प्रो० मधु दंडवते के शासनकाल की अपेक्षा अधिक तेजी से काम कर रहा है । अतः मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को एक बार पैसा मिल जाने के बाद हमें इस परियोजना को पूरा करने में 4½-5 वर्ष का समय लगेगा । अधिकांश धनराशि ठाणे क्रीक पर पुल बनाने पर खर्च होगी । इसकी लागत पहले 20 करोड़ रुपये थी और पूरा होने तक 40 करोड़ रुपये तक पहुँचने की संभावना है । जहां तक अन्य मदों पर खर्च होने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता कि उन्हें उसकी चिन्ता करनी चाहिए । किन्तु पहले इसके लिए पैसा महाराष्ट्र सरकार देगी और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि इस मामले में रेलवे अपनी जिम्मेदारी के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरतेगा ।

श्री महेन्द्र सिंह : सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस योजना के लिए धन मंजूर किया और परिवहन मन्त्री और राज्य मन्त्री को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस काम को तेजी से पूरा करने का प्रयत्न किया ।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि नई लाइन पर पुरानी डी० सी० प्रणाली के स्थान पर ए० सी० प्रणाली लगाई जाएगी और यदि हाँ तो डी० सी० प्रणाली की जगह ए० सी० प्रणाली लगाने से यात्रियों को भीड़भाड़ आदि जैसी बहुत असुविधा होगी, क्योंकि उन्हें मनखुर्द में गाड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

दूसरे मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देते हुए कि उन्होंने मध्यम वर्ग, और निम्न मध्यम वर्ग यात्रियों तथा विशेष रूप से उपनगरीय सेवाओं पर और बोझ नहीं डाला है, मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य रेलवे में उपनगरीय यात्रियों की सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्य किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री महेन्द्र सिंह : यह वास्तव में इस प्रश्न से संबंधित है ।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देने की स्थिति में हूं ।

माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह तकनीकी मामला है और यह बहुत ही संगत और महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । यह विचार किया गया है कि भविष्य में रेलवे को उपनगरीय रेल सेवा में ए० सी० प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ए० सी० प्रणाली में कम पूंजी खर्च होती है । इसमें एक पतली तांबे की तार का प्रयोग किया जाता है और उस पतली तांबे की तार के कारण, उपकेन्द्रों की संख्या कम होती है । और वे ज्यादा दूरी पर होते हैं तथा उप-केन्द्रों में आग लगने का भी कम खतरा होता है । इसमें ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं है । और इसे चलाने में लागत भी कम आएगी । यह समझा गया है कि हमें ए० सी० प्रणाली का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए । जहां तक मनखुर्द-बेलापुर लाइन को जोड़ने का संबंध है, यद्यपि इस मामले

पर अभी पुनर्विचार हो रहा है, हमारा विचार है कि हमें भविष्य में हर जगह विस्तार करने के लिए ए० सी० प्रणाली को प्रयोग में लाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि यदि यात्रियों को ए० सी० चालित गाड़ियों की बजाय डी० सी० चालित गाड़ियों में जाना पड़े तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हम यह देखने का प्रयत्न करके उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें और चल स्टाक तथा इ० एम० यू० डिब्बे मिलें जो ए० सी०/डी० सी० प्रणाली पर चलेंगे, ताकि परिवर्तन करने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन पूरे मामले की जांच हो रही है। बम्बई उपनगरीय यात्रियों की सुविधा हमारे लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। और इस कारण जो छोटी-छोटी असुविधाएं हो सकती हैं, हम ए० सी०/डी० सी० प्रणाली लाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, जुलाई और दिसम्बर से मध्य रेलवे में उनकी दैनिक उपनगरीय सेवा 830 से बढ़ाकर 913 कर दी है, जो पहले से 10% अधिक है। नए कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 में हमारा उद्देश्य मध्य रेलवे सेवा में 13 और रेक लाने का है और हमें आशा है कि इस सेवा में और सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान राजू, क्या आप बम्बई के बारे में कह रहे हैं?

श्री आनन्द गजपति राजू : बम्बई नहीं अपितु बम्बई के क्षेत्र के भीतर।

श्री माधव राव सिन्धिया : इसका विस्तार 2000 मील पूर्व की ओर नहीं है।

श्री आनन्द गजपति राजू : भारत एक बड़ा देश है। अतः यह 2000 मील हो सकता है।

कल रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया और एक भी लाइन या कोई सुविधा नहीं दी गई...

अध्यक्ष महोदय : आप रेलवे बजट संबंधी चर्चा के समय ऐसा पूछ सकते हैं। इस समय नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आनन्द गजपति राजू : जहां तक रेलवे का संबंध है, विजयवाड़ा उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में और सुविधाएं देने के लिए क्या किया गया है? यह उत्तर और दक्षिण के बीच का वास्तविक विस्तार है।

श्री माधव राव सिन्धिया : जहां तक मनखुर्द-बेलापुर लाइन को विजयवाड़ा तक बढ़ाने का संबंध है, ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : सर्वप्रथम मैं श्री दिघे द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न, कि परियोजना की कुल लागत 120 करोड़ रुपए होगी, के संबंध में दिए गए उत्तर के बारे में जानना चाहता हूँ वह अच्छी तरह यह जानते हैं कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति का दबाव है फिर भी उनका कहना है कि इसकी लागत 150 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि सी० आई० डी० सी० ओ० के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार 110 करोड़ रुपये दे पाएगी और रेलवे केवल 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा। मैं योजना आयोग के अध्यक्ष और भारत के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी द्वारा इस सभा में की गई घोषणा के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यदि बम्बई, दिल्ली आदि जैसे बड़े महानगरों से भीड़-भाड़ को कम करना है तो उन

नगरों से बाहर छोटे-छोटे नगर बसाए जाने चाहिएं और वहां संचार तथा यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा सरकार बम्बई जैसे नगरों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए उसे प्राथमिकता देगी। चूंकि प्रधानमन्त्री द्वारा बताए गए मानदण्ड के अनुसार बम्बई का मामला ठीक बैठता है और चूंकि बम्बई से बाहर पहले ही नई बम्बई का निर्माण किया जा चुका है और यह मनखुर्द-बेलापुर मार्ग पुरानी बम्बई और नई बम्बई को जोड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करेंगे तथा भीड़-भाड़ को दूर करने की दृष्टि से इस विशेष क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे और इसलिए इस बात पर जोर देने की बजाय कि 150 करोड़ रुपयों में से 110 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार को देने चाहिए, क्या वह इसमें परिवर्तन लाएंगे तथा इसे विशेष मामला मानकर रेलवे से और अधिक धनराशि का आबंटन कराने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह महसूस नहीं करते कि दो ऋणात्मक (—) से एक धनात्मक (+) बन जाता है।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपको इस पर सोचने के लिए समय चाहिए तो आप इसका उत्तर बाद में दे सकते हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : नहीं, मुझे समय नहीं चाहिए···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि आपको प्रधानमंत्री जी के साथ भी परामर्श करना है। उन्होंने एक घोषणा की है।

श्री माधव राव सिन्धिया : मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि मैंने जो 110 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपये का प्राक्कलन बताया है वह अनुमानित धनराशि है। हमारे बीच काम का बंटवारा कर दिया गया है और यह वास्तव में उन कार्य क्षेत्रों की लागत पर ही निर्भर करेगा। मैं इस बात पर पुनः बल देना चाहता हूं क्योंकि आप पुनः सही राशि बताए जाने पर बल दे रहे हैं। जहां तक इस विशेष रेलवे पर इस विशेष निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पर पुनर्विचार किए जाने का संबंध है, हम और जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। प्रो० दंडवते का कहना है कि हमारा दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस सरकार का दृष्टिकोण व्यापक है किन्तु जहां तक रेलवे मंत्रालय का संबंध है। 1977-1978 के बीच आयोजना अच्छी न होने के कारण हमारा व्यापक दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया है। आज हम मूल ह्रास आरक्षित निधि में 1,250 करोड़ रुपये दे रहे हैं और दुर्भाग्य से 1977-79 की भी बकाया राशि है जबकि मूल ह्रास आरक्षित निधि में केवल 140 करोड़ रुपये दिये गए थे उसके कारण आज हमारी जो स्थिति है, उसमें हमें अपने लक्ष्यों के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करनी हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, पुराने कार्य हैं, जिनके बारे में प्रो० मधु दंडवते जी अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं। हमें अब यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम उन पुराने कामों को पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न श्री कृष्ण अय्यर।

प्रो० मधु दंडवते : एक मिनट महोदय । हर बार जनता सरकार का जिक्र किया जाता है । एक बार आप तुरन्त जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति दीजिए ताकि हम उसका उत्तर दे पाएं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहिब को यह पता होना चाहिए कि कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा ।

एक माननीय सदस्य : वह पहले ही पारित किया जा चुका है ।

बंगलौर और हावड़ा के बीच सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

*63. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में बंगलौर के यात्रियों को कलकत्ता जाने वाली रेल-गाड़ियों में स्थान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलौर और हावड़ा के बीच तथा पूर्वी भारत के अन्य शहरों के लिए एक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का सरकार का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) एक छोटी प्रतीक्षा सूची है और इसे पूरा करने के लिए रेलें बैंगलूर से हावड़ा तक के ग्रू यात्रियों के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने के बारे में विचार कर रही हैं ।

(ख) जी नहीं ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मुझे सचमुच हैरानी हुई है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा कि प्रतीक्षा सूची बहुत छोटी है । मैं नहीं जानता कि किस आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की वास्तविक हालत जानता हूं । संभवत: उन्होंने अपने कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसा कहा है । लेकिन तथ्य यह है कि कलकत्ता जाने वाले कई यात्री यह बताए जाने की प्रतीक्षा सूची में उनकी स्थिति ऐसी है, बिना आरक्षण के यात्रा करते हैं । अत: कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं । उनके पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि प्रतीक्षा सूची बहुत छोटी है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि उनके पास इस समय फाइल में जो आंकड़े हैं, वे क्या हैं ?

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बंगलौर और हावड़ा के बीच द्वितीय श्रेणी स्लीपर कोच में आरक्षण के लिए 20 यात्रियों का नाम प्रतीक्षा में रहता है । और बंगलौर से मद्रास-हावड़ा मेल में द्वितीय श्रेणी में प्रतिदिन 5 लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में होता है ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : चूंकि बहुत से लोग मेरे पास आए हैं इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है और मुझे कहना चाहिए कि मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह बंगलौर स्टेशन तथा मद्रास स्टेशन पर वास्तविक रूप से निरीक्षण करवाएं । मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं । वह जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर क्या होता है । अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब तक एक सीधी गाड़ी

चलाई जाए, क्या वह बंगलौर से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में कम से कम वहीं जाने वाले डिब्बों की संख्या में वृद्धि करेंगे ।

श्री माधव राव सिन्धिया : हमारी डिब्बों की क्षमता 72 है और चूंकि सूचि में रखे जाने वाले यात्रियों की संख्या करीब 20 होती है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन आंकड़ों की जांच कराई जाए, हम पुनः जांच करेंगे, वास्तव में और डिब्बे लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी है कि 1 मई, 1986 से मद्रास-हावड़ा मेल में बंगलौर के यात्रियों के लिए मद्रास से प्रथम श्रेणी में दो शायिकाएं तथा द्वितीय श्रेणी में 4 शायिकाएं बढ़ाने का हमारा विचार है ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : उत्तर रेलवे तथा अन्य रेलवे के मुकाबले रेलवे बोर्ड को दक्षिण रेलवे से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है । दक्षिण रेलवे रेल बोर्ड को काफी अच्छा राजस्व दे रहा है । मद्रास से चाहे कोई भी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हों–चाहे मद्रास से कोयम्बूर, मद्रास से मदुरै, मद्रास से तिरुनेलवेली हों– ये सभी गाड़ियां खचाखच भरी होती हैं । इनमें पहले ही इतनी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़-भड़क्का होता है, अतः इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास से कोयम्बतूर तथा मद्रास से मदुरै तक भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी ।

श्री माधव राव सिन्धिया : इसके लिए एक पृथक् नोटिस देना होगा ।

श्री सी० पी० ठाकुर : संसद के पिछले सत्र में हमने इस बात को उठाया था कि मद्रास से पटना आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । अतः इस समस्या को दूर करने के लिए हमने निवेदन किया था कि गंगा कावेरी एक्सप्रेस को, जोकि बनारस तक आती है, पटना तक बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । अगला प्रश्न ।

[हिन्दी]

दिल्ली हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के सामान की सुरक्षा की व्यवस्था

*66. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों, विशेषकर विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत और छुट्टियों में दिल्ली आने वाले लोगों का सामान दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इस सेवा के लिए क्या प्रभार लिये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारी सरकारी पारपत्रधारकों को भी, उनके दिल्ली लौटने पर अपने व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं लाने के कारण परेशान करते हैं और इस संबंध में की गई शिकायतें अनसुनी कर दी जाती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही हैं ?

[अनुवाद]

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर विदेशी दूतावासों में कार्यरत कर्मचारियों सहित सभी यात्रियों को थोड़े समय के लिए अपने सामान को सुरक्षित रूप से रखने की सुविधा उपलब्ध होती है। यह सुविधा एक लाइसेंसधारी ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाती है जो प्रत्येक 24 घंटे अथवा उसके एक भाग के लिए सामान की सुरक्षा के लिए छोटे सामान के 2 रुपये और बड़े सामान के 4 रुपये वसूल करता है। तथापि, सुरक्षा कारणों की वजह से इस सुविधा को अस्थाई आधार पर रोक दिया गया है।

(ख) और (ग) जहां तक सीमा-शुल्क से निकासी का संबंध है, सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए कोई अलग नियम नहीं है। यात्रियों की निकासी उनके द्वारा अपने सामान और उसकी कीमत की घोषणा के आधार पर की जाती है। जिन यात्रियों के पास निःशुल्क रियायत से अधिक सामान नहीं होता, उन्हें ग्रीन चैनल से गुजरने की अनुमति दी जाती है। यात्री निकासी की इस कार्यवाही की देखभाल एक सहायक सीमा-शुल्क समाहर्ता द्वारा की जाती है। यात्री किसी भी परेशानी के समय उनसे संपर्क कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि पहले लाइसेंसधारी ठेकेदारों के जिम्मे अस्थायी रूप से यह काम था, लेकिन आजकल उसको बंद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को जो असुविधा हो रही है, उसको दूर करने के लिए क्या कोई नई व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : सुरक्षा कारणों की वजह से, जैसा कि मैंने बताया है, मार्च, 1986 तक, इस निर्णय को हमने गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अध्यधीन लिया है और हम इस पर विचार कर सकते हैं अगर हम इसे पुनः चालू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, इन दिनों विदेश में जाने वालों में से मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की संख्या बहुत अधिक हो गई है। हमने देखा है कि इनको सीमा-शुल्क अधिकारी परेशान करते हैं। जैसाकि बताया गया है कि जो उनके सामान की सामान्य कीमत है उसके अनुसार सीमा-शुल्क का निर्धारण किया जाता है, लेकिन स्थिति यह नहीं है। वहां यह स्थिति बना रखी है कि सीमा-शुल्क अधिकारी अपने मन के मुताबिक और धांधली के हिसाब से जो चाहते हैं उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं और जो सीमा-शुल्क से मुक्त सामान लाने की अनुमति है वह सामान भी नहीं लाने देते। उनको वहां तरह-तरह से परेशान किया जाता है। क्या इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी है या कोई शिकायत मिली है? यदि मिली है तो इसके ऊपर क्या कार्यवाही की है?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, चूंकि सीमा-शुल्क विभाग हमारी ही इमारत में है,

इसलिए अगर इस तरह की कोई भी शिकायत, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है और वह मेरे ध्यान में लाई जाती है तो मैं उसे वित्त मंत्रालय को भेज दूंगा।

श्री रणजीतसिंह गायकवाड़ : विदेशों में रह रहे भारतीय जब भारत आते हैं तो हवाई-अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाते हैं तथा रेलवे-स्टेशनों पर भी ऐसा ही होता है। इस तरह से उन्हें दुगुना भुगतान करना पड़ता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई भी शिकायत माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाई गई है और क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है तथा उसमें सुधार लाने के लिए विचार किया गया है।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, यह बात भी सीमा-शुल्क से संबंधित है। मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, विदेशी यात्रियों द्वारा सामान वापस लिए जाने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को एक दिन की सूचना मिलनी चाहिए। विदेशी यात्रियों के लिए एक दिन पूर्व सूचना देना बहुत ही कठिन है। क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अन्तर्गत विदेशी यात्रियों को अपना सामान वापस लेने के लिए एक दिन का पूर्व नोटिस देनी होती है! अगर उन्होंने आभूषण आदि जमा करवाये हैं तो उन्हें वापस लेने के लिए एक दिन की नोटिस देनी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : वापस न लेने के लिए इसकी जरूरत नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत सीमा-शुल्क अधिकारी एक दिन का नोटिस देने के लिए दबाव डालते हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : जहां तक मुझे मालूम है, ऐसा कोई नियम नहीं है। वे उनसे····पूछते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी छानबीन कीजिए।

श्री जगदीश टाइटलर : अच्छा।

इतिहास का अध्यापन सुधारने के उपाय

+

*67. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :
श्री सरफराज अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के स्कूलों और कालेजों में इतिहास के अध्यापन का स्तर बहुत घटिया है, जिसके परिणामस्वरूप युवा छात्र हमारी प्राचीन विरासत से अनभिज्ञ रहते हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि देश में भारत विद्या संबंधी अनुसंधान और अध्यापन स्तर में सामान्य रूप से गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री बी० पी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इतिहास शिक्षण के स्तर को बढ़ाने और भारत की विरासत और संस्कृत के ज्ञान और सूझ-बूझ को प्रोन्नत करने के लिए उपाय किए हैं। प्रख्यात इतिहासकारों के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यचर्या और उच्च कोटि की पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं। इतिहास के अध्ययन में दक्षता को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान को प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास में उच्च अध्ययन केन्द्र और इलाहाबाद, कलकत्ता, एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय पटना और मैसूर विश्वविद्यालयों में इतिहास में विशेष सहायता के विभाग स्थापित किए हैं। औपचारिक विश्वविद्यालय और स्कूल प्रणाली के बाहर, भारत-विद्या में अनुसंधान और शिक्षण की प्रोन्नति के लिए अनेक संगठनों को सहायता दी जा रही है और सुदृढ़ किया जा रहा है।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय स्तर एवं अन्य प्रवेश तथा प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए इतिहास को अनिवार्य विषय बनाने का सरकार का विचार है, ताकि विद्यार्थियों को इस विषय की ओर आकृष्ट किया जा सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी नहीं।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अध्यापकों के लिए बनाये गये दो राष्ट्रीय आयोगों के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन करना चाहती है ? यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू की जायेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, इस प्रश्न का जवाब जिस तरह से माननीय मंत्री ने दिया है वह मेरे विचार से संविधान की मूल भावना से परे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है वह है इतिहास के पढ़ाये जाने में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। जैसाकि आप जानते हैं शिक्षा को समवर्ती सूची में होने की वजह से प्रत्येक राज्य इसका पाठ्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय एवं कालेज स्तरों पर बनाने का अधिकारी है। मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि स्नातकोत्तर अध्ययन में इतिहास तीन पृथक भागों में बंटा हुआ है। इस्लामी इतिहास, प्राचीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। इतिहास, जोकि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पढ़ाया जाता है, बहुत ही अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है।

क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि पश्चिम बंगाल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार किया है उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आन्दोलन की संकल्पना को मिटाने के लिए राजनीति से प्रेरित था। यदि हां, तो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता को दृष्टिगत रखते हुए क्या मंत्री जी इतिहास के सम्बन्ध में जो कि माध्यमिक तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे। राष्ट्रीय

संग्राम के इतिहास को बिगड़ने न दिया जाये इसके लिए स्पष्ट अनुदेश दिए जाने चाहिए। हमारे राज्य में ऐसा जान-बूझकर किया गया है महात्मा गांधी से नेताजी तक को बदनाम किया गया है। उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक बुलायेंगे जिसका उद्देश्य होगा इस देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की भावना तथा गरिमा को बनाये रखने के लिए यथार्थ रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना।

श्री बसुदेव आचार्य : यद्यपि पाठ्यक्रम उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रभारी मंत्री हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं न कि आप। आपने कब शपथ ली थी ?

श्री पी० वी० नर्रासिह राव : महोदय, इस पर इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि इस बात के लिए प्रयास भी किये गये हैं कि इतिहास की पढ़ाई भारत की संस्कृति को विकसित करने में मदद करे न कि संकीर्ण साम्प्रदायिक पक्षपातों को बढ़ावा देने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाये। इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन सम्पूर्ण देश में किया गया है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इन पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कोई भी बात न हो ऐसे प्रयास लगातार किये जा रहे हैं कि इतिहास के पाठ्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हो और इतिहास के अध्ययन के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया जाये। अत: सम्पूर्ण मामले की लगातार समीक्षा की जा रही है। यदि ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में लाई जाती है कि कोई राज्य इन सिद्धान्तों या मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है तो हम उसकी अवश्य छानबीन करेंगे। परन्तु इस बात पर कुछ विवाद है कि उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कोई भी राजनैतिक विवाद नहीं उठा रहा हूं। मैं इतिहास के पाठ्यक्रम के संबंध में एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगा··· **(व्यवधान)** इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में मैं एक सीधा प्रश्न करूंगा। माननीय मंत्री ने कहा है कि एन० सी० ई० आर० टी० इस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहा है। यह सच है कि एन०सी०ई०आर०टी० कुछ कार्य कर रहा है। परन्तु मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को यह बात मालूम होगी कि इतिहास के पाठ्यक्रम में पुरातिया पुनरीक्षण किए जाने तथा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूं तथा उनका उत्तर जानना चाहता हूं। इतिहास में, सम्पूर्ण भारत में कोर पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारत में स्वतन्त्रता संग्राम साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध, आदि जैसे अध्याय हों। इन्हें भारत के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शूरवीरों की गाथाएं भी पढ़ायी जानी चाहिएं। जहां तक स्थानीय संस्कृति का संबंध है स्थानीय इतिहास का संबंध है इन सभी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लोग शिवाजी के

बारे में पढ़ना चाहेंगे, जम्मू तथा कश्मीर के लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में पढ़ना पसंद करेंगे।

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : यह तो राष्ट्रीय इतिहास है। शिवाजी किसी स्थानीय इतिहास में नहीं आते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने मेरी बात पूरी तरह से नहीं सुनी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। कोर पाठ्यक्रम के अलावा जोकि सम्पूर्ण भारत के लिए आवश्यक होना चाहिए, पाठ्यक्रम में स्थानीय इतिहास के कुछ अंश भी शामिल होने चाहिए। अब क्या माननीय मंत्री जी पूरे देश में इतिहास के पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिए कदम उठायेंगे तथा कोर पाठ्यकम को सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य बनायेंगे? मेरा मुद्दा यह है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रो० सोज भली-भांति जानते हैं कि न सिर्फ इतिहास के संबंध में अपितु सभी विषयों में एक कोर पाठ्यक्रम एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा तैयार किया गया है। इतिहास कोई अपवाद नहीं है। उन्होंने इतिहास की ओर विशेष ध्यान दिया है। मैं सदन को बता दूं कि एन० सी० ई० आर० टी० की योजना में भारत की स्वतन्त्रता के संग्राम, भारत के इतिहास का एक शानदार भाग है। व्यापक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय उद्देश्य और नीतियाँ जिनका भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से पालन किया है और जिन मूल्यों ने हमें प्रेरित किया है वे ही इस विरासत के परिणाम हैं।

पाठ्यक्रम में इन सभी बातों को स्थान दिया जा रहा है। मुख्य (कोर) पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अनेक राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। मेरा मुद्दा यही है।

सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*68. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन प्राथमिक केन्द्रों को चलाने के लिए देश में डाक्टरों की कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो देश में डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार का राज्य सरकारों के परामर्श से क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुल 12.377 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय देश में हर वर्ष लगभग 12000 डाक्टर पढ़कर निकल रहे हैं। इसलिए डाक्टरों की कमी की कोई संभावना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कई देहातों के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में आज भी डाक्टर नहीं हैं । हमें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि डाक्टर काफी हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में डाक्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगा, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने डाक्टर्स देंगे ? बारह हजार डाक्टर्स आप हर साल पैदा कर रहे हैं, तो कितने डाक्टर्स प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में नौकरी में आते हैं ? डाक्टर्स की सुविधा न होते हुए अच्छी सुविधा देहात के लोगों को देने के लिए सरकार क्या वालन्ट्री आर्गेनिजेशन्स को प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स देने के बारे में सोचेगी, ताकि देहात के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके ।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह एक मिश्रित प्रश्न है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्वीकृत 21889 चिकित्सकों के पदों में से मात्र 2249 पद रिक्त पड़े हैं । यह मात्र 10.3% है और इसे अधिक नहीं समझा जाता है क्योंकि कतिपय पद स्थानान्तरण, तैनाती पदोन्नति, सेवा-निवृत्ति के कारण सदैव रिक्त रहते हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमें 33968 चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ेगी तथा अब से सातवीं योजना के अन्त तक मात्र 14328, अतिरिक्त चिकित्सकों की प्रति वर्ष आवश्यकता है, हम 12000 चिकित्सक प्रति वर्ष तैयार कर रहे हैं । इसी संदर्भ में हमने कहा है कि हमें अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की कोई कमी की संभावना नहीं लगती ।

प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा न करने वाले चिकित्सकों की कठिनाइयों से अवगत है । आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि देश के 2.7 लाख एलोपैथिक चिकित्सकों में से मात्र 20% ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं जहां पर देश की 80% जनसंख्या रहती है तथा बाकी के 80% चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त आयोग के पास यह मामला उठाया है और वित्त आयोग ने विशेष तौर पर राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सकों के लिए आवास, अतिरिक्त भत्ता आदि उपलब्ध कराने हेतु 89 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं । प्रधानमंत्री के निर्देश के अन्तर्गत भी हमने देश के प्रत्येक राज्य के लिए कार्यवाही योजनाएं बनायी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में कहीं भी कोई पद रिक्त न रहे । हम इस कार्यवाही योजना पर नजर रख रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कार्यक्रम तो अच्छा बताया है कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स के डाक्टरों को रहने के लिए जगह देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामीण और शहरों की आबादी व डाक्टर का क्या रेशो है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में वह रेशो आप कितना कम करने जा रहे हैं और इसके लिए आप कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

छठी एवम् सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक और जनसंख्या के अनुपात के बारे में, इसे किस प्रकार से कम किया जायेगा तथा सरकार इसके लिए क्या कार्यक्रम बनायेगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अनुपात 1.16 का है। 80 प्रतिशत जनसंख्या की सेवा 20 प्रतिशत चिकित्सक करते हैं और 20 प्रतिशत लोगों की सेवा 80 प्रतिशत चिकित्सक करते हैं। जिस सामान्य दिशा में हम जा रहे हैं उनका इशारा मैंने पहले ही प्रथम भाग के जवाब में दे दिया है।

[हिन्दी]

सैयद शाहबुद्दीन : जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स पर डाक्टरों के साथ-साथ दवाइयों की भी जरूरत होती है। जब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अगले 5 सालों में करीब 13 हजार मेडिकल सैन्टर्स कायम किए जायेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सेन्टरों के लिए सरकार ने साल में कितना पैसा रखा है जोकि दवाइयों पर खर्च किया जाएगा। मुझे जहां तक पता है यह रकम 2 हजार रुपया है और एक सेन्टर की आबादी, जिसको वह मेडिकल सर्विस देता है, कम से कम एक लाख होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि 2 हजार रुपए में एक मेडिकल सेन्टर में एक साल में किस तरह एक लाख लोगों का इलाज हो सकेगा।

श्री बाल कवि बैरागी : क्या एक लाख आदमी बीमार हो जाएंगे ?

सैयद शाहबुद्दीन : एक सेन्टर में कम से कम 40-50 आदमी तो रोज आते होंगे, उनका इलाज 2 हजार रुपये में कैसे होगा !

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 12000 रुपये की दवाइयां प्रति वर्ष देती है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रति वर्ष 6000 रुपये ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत देता है। इसमें मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, नसबन्दी, आई० यू० डी०, एम० टी० पी० इत्यादि के लिए दी गयी औषधियाँ सम्मिलित नहीं हैं। इसके अलावा हम 2000 रुपये प्रति उप-केन्द्र के लिए देते हैं और प्रत्येक पी० एच० सी० क्षेत्र में 16 उप-केन्द्र होते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य गाइड को 600 रुपये की औषधियाँ देते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं.....(व्यवधान)

मैं पश्चिम बंगाल से हूं और वहां क्या हो रहा है मुझे जानने का हर हक है। स्वास्थ्य एक समवर्ती विषय है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि वहां इमारतें तो बहुत सारी हैं परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई कार्य नहीं होता है तथा उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे बन्द हो रहे हैं बल्कि बन्द हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि

वे ठीक प्रकार से कार्य करें तथा उनमें सभी औषधियां उपलब्ध हों ताकि वे पश्चिम बंगाल के ग्रामीण लोगों की सेवा कर सके ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत कतिपय आदान प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दिये जाते हैं जिसमें स्टाफ, औषधियां तथा अन्य संसाधन सम्मिलित हैं परन्तु मूल रूप से इसका निरीक्षण राज्य सरकारों को करना है ।

कुमारी ममता बनर्जी : परन्तु उनके कार्य पर नजर रखना केन्द्र सरकार का काम है ।

श्री मानिक सान्याल : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के एस० एच० सी० में जाने में चिकित्सक कुछ अरुचि दिखाते हैं क्योंकि इसमें उनकी कमाई खत्म हो जाती है और उनके उपयुक्त कोई संस्था वहां नहीं है। यदि हां, तो सरकार कौन से कदम उठायेगी ताकि पी० एच० सी० तथा एस० एच० सी० में चिकित्सकों का जाना सुनिश्चित किया जा सके ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के इच्छुक क्यों नहीं हैं उसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं । उनमें से कुछ आवास का न मिलना; शिक्षण सुविधाओं का उपलब्ध न होना, कुछ राज्यों में कुल वेतन में कमी होना, व्यावसायिक निष्क्रियता, सुविधाओं की कमी के कारण संतोष की कमी, इत्यादि हैं ।

परिवार नियोजन कर्मचारियों को प्रोत्साहन

*69. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु परिवार नियोजन के कार्य में लगे सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ग) विभिन्न तरीकों से परिवार नियोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुस्पष्ट नीति बनाई है । इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—उन्नत संचार नीति के माध्यम से गर्भ-निरोधन की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सेवाओं को बढ़ाना, तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए बढ़ावा देना, जनसंख्या शिक्षा मे तेजी लाना, बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ाना और कार्यक्रम के ढांचे को पुनर्गठित करना तथा इसके प्रबन्ध में सुधार लाना । इस कार्यक्रम में कार्यरत व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना भी इस नीति का एक अंग है और इस संबंध मे विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग पद्धतियां अपनाई हैं ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मेरे द्वारा उठाये गये इस विशिष्ट प्रश्न का, कि परिवार नियोजन के कार्य में लगे कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन दिये जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने केवल यह उत्तर दिया है कि भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा परिवार नियोजन में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं। परिवार नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों को विशेषकर ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों के परिवार नियोजन कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने में केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैंने उत्तर दिया है कि कतिपय प्रोत्साहन परिवार नियोजन कर्मचारियों को दिये जाते हैं···

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : वे प्रोत्साहन क्या हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं उनको विस्तार से बताता हूं। भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक तरीके के लिए निश्चित धनराशि स्वीकृत करके उसे उपलब्ध कराती है। इसके अन्तर्गत कुछ निश्चित धनराशि प्रकीर्ण निधि के रूप में अलग से रखी जाती है।

एक माननीय सदस्य : कितनी धनराशि।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। 22 राज्य हैं इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। प्रकीर्ण निधि में से राज्य कुछ प्रोत्साहन कर्मचारियों को देते हैं। इसके अतिरिक्त, अगर कोई परिवार नियोजन कर्मचारी स्वयं किसी पात्र दंपत्ति को परिवार नियोजन के तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसके लिए व्यवस्था है तो वह उस प्रोत्साहन धनराशि का भी हकदार होता है। किसी भी परिवार नियोजन कर्मचारी को कोई अन्य प्रोत्साहन नहीं मिलता। परन्तु हम प्रोत्साहन तथा अन्य प्रकार के परिवार नियोजन कार्यों में आम वृद्धि करने के लिए नकद व दूसरे प्रोत्साहनों पर विचार कर रहे हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : केन्द्रीय सरकार, राज्यों को परिवार नियोजन कर्मचारियों को विशेषकर ग्रामीण और स्मल क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता देती है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। राज्यों को प्रकीर्ण निधि में से धन उपलब्ध कराना होता है। हमने सम्पूर्ण देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत दस लाख कर्मचारियों की भर्ती की है। इन कर्मचारियों से एक निश्चित न्यूनतम कार्य करने की आशा की जाती है, और कर्मचारियों का इस्तेमाल पूरे तौर पर नहीं किया जाता है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ? क्या वह राज्यों को वित्तीय सहायता देती है अथवा नहीं ? यह एक सरल सा प्रश्न है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रत्येक राज्य द्वारा अपनाये गये तरीकों के लिए वित्तीय सहायता सामूहिक अनुदान के रूप में दी जाती है। प्रकीर्ण निधि में प्रत्येक राज्य भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं। मेरे पास एक लम्बी सूची है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं····

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के० एस० राव : क्या माननीय मन्त्री ग्राम स्वास्थ्य गाइडों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कार्यवाही करेंगे जो परिवार नियोजन का प्रचार करने की विशिष्ट जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें दिये जाने वाले इनाम में वृद्धि की जाये अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन दिया जाए।

श्री एस० कृष्ण कुमार : ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रशिक्षण तथा इस्तेमाल के लिए कुछ औषधियों के अतिरिक्त 50 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। इन ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक अंश-कालीन कर्मचारियों के तौर पर रखा गया था। मैं पहले ही इस सभा में बता चुका हूं कि वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए इस ग्राम स्वयंसेवक योजना को सरकारी सेवा का दर्जा देना ठीक नहीं समझा गया है। सरकार पहले ही इस योजना पर 60 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पचास रुपए का आनरेरीयम और कुछ दवाएं विलेज हैल्थ गाइड को दी जाती हैं। देश में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है और उसको वार्ड आफ करने हेतु सरकार उनको पच्चीस रुपए आनरेरीयम देती है। मेरी यह निश्चित जानकारी है कि पचास रुपए के उस आनरेरीयम पर गाँव में कोई कुछ काम नहीं करना चाहता बल्कि वह दवा ही रख लेता है। मेरी इस सूचना को सही मानते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का निरीक्षण करा लेंगे कि कोई काम नहीं करता और वह रुपया बेकार जाता है तथा उससे गांव वालों को भी कोई लाभ नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैंने पहले ही कहा है कि सरकारी खाते में परिवार नियोजन कार्यक्रम के काफी संख्या में कर्मचारी हैं और सरकार सरकारी खाते में और चार लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को नहीं रखना चाहती। यह योजना मूल रूप में एक स्वैच्छिक योजना के तौर पर शुरू की गई थी तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस वर्ग के इन कर्मचारियों को और अधिक मानदेय अथवा जेब से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने स्टाफ संसाधनों का अधिक से अधिक कैसे प्रयोग करें?

[हिन्दी]

झुनझुनू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलाने का प्रस्ताव

*70. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में झुनझुनू को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कब तक मिलाये जाने की संभावना है;

(ख) क्या सीकर को दिल्ली से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली-सीकर झुनझुनू को जोड़ने के लिए इस योजना का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक होने की सम्भावना है ?

[अनुवाद]

जल, भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (घ) किसी राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रश्न पर अनेक तथ्यों के आधार पर विचार किया जाता है, जैसे कि (क) क्या राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मानदण्डों को पूरा करता है, (ख) पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और (ग) अलग-अलग कार्यों की प्राथमिकता। चालू योजना में वित्तीय कठिनाई होने के कारण, मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में इस समय, प्रश्नाधीन सीकर से दिल्ली वाया झुनझुनू मार्ग सहित किसी नए राज्य मार्ग को शामिल करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम अपवाद के रूप में ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे सदर मोहतरम, जैसा आप जानते हैं कि माननीय मंत्री जी भी एक्स-सर्विस मैन हैं और झुनझुनू की मैक्सीमम आबादी एक्स-सर्विसमैन और फौजियों की आबादी है और साथ-साथ जो हिन्दुस्तान को आजाद कराने वाले फौजी थे उनमें से पहला आदमी आई० एन० एफ० ए० में भर्ती होने वाला इसी इलाके से था। पहले पचास आदमियों में से इसी इलाके में थे। झुनझुनू और सीकर को राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ने के लिए दो बार सर्वे भी हो चुका है। क्या इसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा जबकि इसका दो बार सर्वे हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : एक बात और क्यों नहीं कहते कि सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज भी हम ही कमाकर देते हैं। ···(**व्यवधान**)

श्री राजेश पाइलट : जब सवाल के साथ सीकर जुड़ जाता है तो दो बार सोचते हैं क्योंकि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक बार तो नहीं सोचा लेकिन इस बार दोबारा सोचिए।

श्री राजेश पाइलट : माननीय सदस्य ने बड़ी होशियारी के साथ सीकर जोड़ दिया है जबकि वह दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जज्बात माननीय सदस्य ने दिए हैं और वहां एक्स-सर्विस मैन बहुत हैं···(**व्यवधान**)

रेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : सीकर या स्पीकर।

श्री राजेश पाइलट : स्पीकर। वहां एक्स-सर्विसमैन बहुत हैं और वहां सर्वे भी हो चुका है। इस समय गवर्नमैंट के पास फाइनेंस की बहुत ज्यादा प्राबलम है। इनके जज्बात को ध्यान में रखेंगे और सरकार से कोशिश करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष जी,···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी, व्यास जी।···(**व्यवधान**)

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना

चाहता हूं और जैसा अयूब साहब ने भी सवाल किया और आपने उन सारे क्राइटेरिया को बताया कि उस क्राइटेरिया के आधार पर नेशनल हाई-वे क्रिएट की जा सकती है। उन्होंने झुनझुनू की मांग की है और क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र भी वहीं पड़ता है तो उसको तो आप स्वीकार करेंगे ही, लेकिन इसके साथ-साथ अजमेर से लेकर इन्दौर और बम्बई तक की सड़क बहुत ही इम्पार्टेन्ट है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक उस पर चलता है। वह स्टेट हाइ-वे नम्बर 4 है। झुनझुनू की सड़क के साथ-साथ क्या इस सड़क को भी नेशनल हाइ-वे बनायेंगे।

श्री राजेश पाइलट : मैं दिखवा लूंगा। हमने पहले भी सर्वे किया है और जो क्राइटेरिया में आते हैं उनको हम डिक्लेअर कर चुके हैं। फाइनेंस कम होने की वजह से ज्यादा काम अपनी सरकार पर नहीं ले सकते। (व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली के अस्पतालों में शोचनीय स्थिति

*64. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी मास में दूरदर्शन पर प्रसारित "सच की परछाइयां" कार्यक्रम में राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों के अस्पतालों में विद्यमान शोचनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सुधार लाने के सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हालत और उनमें उपलब्ध सेवाओं में सुधार लाने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के ध्यान में है। स्टाफिंग पैटर्न को युक्तिसंगत बनाने और प्रशासन तथा प्रबन्ध में सुधार लाने के उपाय पहले से ही शुरू कर दिये गये हैं। फिर भी, ऐसे अस्पतालों में अधिक भीड़-भाड़ के कारण समस्याएं और अधिक गम्भीर हो जाती हैं। भीड़-भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली की सीमा में अस्पतालों को खोलने और दिल्ली प्रशासन के अधीन चल रहे मौजूदा अस्पतालों तथा औषधालयों को सुदृढ़ करने जैसे दीर्घ कालीन उपाय भी किये जा रहे हैं ताकि यह उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा हो सके।

स्तन-पान के फायदे के बारे में प्रचार और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

*65. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मां का दूध शिशु के सामान्य तथा स्वस्थ विकास के लिए

पोष्टिक तत्व तथा पोलियो सहित अनेक बैक्टीरिया तथा वाइरस कीटाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति देने के अतिरिक्त नवजात शिशु को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या सरकार बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव करती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है और उनके स्वस्थ रहने तथा बढ़ने के लिए आवश्यक पोष्टिक तत्व प्रदान करता है ।

(ख) मां के दूध के महत्व के बारे में लोगों को रेडियो, दूरदर्शन, मुद्रित सामग्री जैसे विभिन्न माध्यमों और चिकित्सा, अर्ध-चिकित्सा एवं फील्ड में काम कर रहे अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा आपसी सम्पर्क के जरिये जानकारी दी जा रही है ।

(ग) सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता से अवगत है और इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में 100 लाख रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

बाल मृत्यु-दर

*71. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैदा होने वाले कम भार वाले बच्चों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) देश में बाल मृत्यु-दर की उच्च प्रतिशतता के क्या कारण हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इसे कम करने के लिये गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों और प्रतिरक्षण कार्यक्रमों सहित क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1982 के नमूना पंजीकृत पद्धति के अनुमानों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या उसी आयु वर्ष में प्रति हजार 39·1 है । जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के बारे में सही आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, कुछ सीमित सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत में पैदा होने वाले लगभग 30 प्रतिशत बच्चों का वजन 2500 ग्राम से कम होता है । शिशु और बच्चों की मृत्यु दर के प्रमुख कारण हैं :— समयपूर्व जन्म होना, श्वसन प्रणाली के विकार, अतिसार, टेटनस, जन्म के समय क्षति, कुपोषण और बुखार । सातवीं योजना के दौरान जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम में सुधार करने तथा उसे मजबूत बनाने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें

स्वास्थ्य के मौजूदा आधारभूत ढांचे का विस्तार करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य शिक्षा, रिस्क अप्रोच अंगीकार करना, बच्चों का व्यापक रोग प्रतिरक्षण, अतिसार रोगों पर नियंत्रण, पोषण की कमी से होने वाली खून की कमी की रोकथाम और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण की व्यवस्था करना शामिल है।

श्रीनगर आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिये एयर इंडिया की अतिरिक्त उड़ानें

*72. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में पर्यटक "स्कीइंग" और अन्य खेलों के लिए काश्मीर और अन्य स्थानों पर जाना चाहते हैं; और

(ख) क्या एयर इण्डिया ने उन देशों को जहां के पर्यटक भारत आना चाहते हैं अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध करा कर स्थिति को समझा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) कश्मीर में पर्यटक यातायात के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। तथापि, इस यातायात का कुछ अंश केवल मौसमी होता है।

इण्डियन एयरलाइन्स दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली के लिए पर्यटक यातायात के आवागमन के लिए पर्याप्त विमान-क्षमता की व्यवस्था कराती है, जहां से विभिन्न दिशाओं के लिए उड़ानें उपलब्ध होती हैं। एयर इण्डिया के पास विदेशों से पर्यटकों को लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

नेत्र-संक्रमण के लिए मूत्र-चिकित्सा

*73. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी चिकित्सा पद्धति संस्थान ने नेत्र संक्रमण रोग के लिए नवीन "मूत्र-चिकित्सा" की खोज की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में इस उपचार के सम्बन्ध में नियंत्रित व्यापक क्षेत्रीय परीक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के मूत्र उपचार के दावे सार्वजनिक रूप से भी किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं उपचार संस्थान नामक एक एजेंसी द्वारा नेत्र संक्रमण के लिए मूत्र-चिकित्सा के सम्बन्ध में दिनांक 19 जनवरी, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित एक दावे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सरकार ने अभी तक ऐसे कोई परीक्षण नहीं किये हैं। [हिन्दी]

फैजाबाद और अयोध्या के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

*74. **श्री निर्मल खत्री** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लिए फैजाबाद और अयोध्या स्टेशनों के आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें इस कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है तथा उसमें कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) फैजाबाद के कोटे में 10 डाउन देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस, 52 डाउन जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस और 83 अप वाराणसी-दिल्ली गंगा-जमुना एक्सप्रेस प्रत्येक में दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पहले दर्जे का कोटा पर्याप्त है।

अयोध्या स्टेशन को आबंटित कोटा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, अतः इनमें वृद्धि नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

पंजाब में सिंचाई प्रणालियों के लिए विश्व बैंक सहायता

*76. श्री वी० तुलसी राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक बनाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने हेतु विश्व बैंक के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब को आवश्यक धनराशि का आबंटन किया जायेगा; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई योजनाओं के बारे में भी इस प्रकार की कोई वार्ता हुई थी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

जल संसाधन मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : पंजाब सिंचाई, परियोजना के चरण-एक के लिए विश्व बैंक क्रेडिट शीघ्र ही समाप्त हो रहा है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब सिंचाई (चरण-दो) परियोजना को तैयार करने के वास्ते हाल ही में विश्व बैंक पर्यवेक्षण मिशन ने राज्य का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

(ख) पंजाब सिंचाई परियोजना—चरण-दो के वित्त-पोषण प्रबन्धों को पंजाब सरकार द्वारा राज्य योजना में सुनिश्चित किया जाना होगा।

(ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश संयुक्त सिंचाई परियोजना को सम्भावित सहायता देने के लिए जनवरी, 1986 में विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई थी। तथापि, बैंक द्वारा स्वीकृति तथा क्रेडिट करार पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् ही परियोजना के ब्यौरों का पता लगेगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

*77. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और कड़ा बनाने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रस्ताव का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करना है ।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे विश्लेषकों/निरीक्षकों/वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । उपभोक्ताओं में जागृति पैदा करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं । राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे कार्यान्वियन तंत्र को सुदृढ़ बनाएं । इस कार्य की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है ।

महिलाओं की सुरक्षा में महिला संगठनों का योगदान

*78. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं की सुरक्षा तथा कानूनों को और सार्थक बनाने और उनके कार्यान्वियन को आसान करने के लिए महिला संगठनों को शामिल करने से सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना स्वयं सेवी संगठनों की सहायता अनुदान देने के सम्बन्ध में कानून में कुछ संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) महिला संगठनों के परामर्श से ही महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा की जाती है ।

(ख) और (ग) जी, हां । केन्द्रीय योजनाओं में संशोधन करने के लिए यह फैसला किया गया है कि

(एक) विभाग को स्वयंसेवी संगठनों द्वारा एक अग्रिम प्रतिलिपि भेजी जायेगी, तथा

(दो) यदि राज्य सरकार की राय तीन महीने के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है और विभाग अपनी एजेंसियों के माध्यम से जांच करवा सकता है और निर्णय ले

सकता है। नियमों में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं और शीघ्र ही इन नियमों के साथ अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे।

नई शिक्षा नीति

*79. श्री शान्ता राम नायक :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीन शिक्षा नीति की घोषणा कब की जाएगी; और

(ख) यह किस तारीख से लागू की जायेगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) नई शिक्षा नीति का प्रारूप चालू सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जायेगा। नई नीति के कुछ पहलुओं को वर्ष 1986-87 से कार्यान्वित किया जायेगा।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया द्वारा पुराने विमानों की खरीद

*80. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री तारिक अनवर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयरइण्डिया ने कुछ पुराने विमानों की खरीद के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी लागत कितनी है और यदि नए विमान खरीदे जाते, तो उन पर कितनी लागत आती;

(ग) पुराने विमान खरीदने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पुराने विमानों का उपयोग कितनी अवधि तक किया जा सकता है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया के जम्बो जैट विमान "कनिष्क" की दुर्घटना की जांच

*81. श्री डी० एन० रेड्डी :

श्री आर० एम० भोये : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के जम्बो जैट विमान "कनिष्क" की दुर्घटना की जांच का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है और यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा होगा;

(ख) एयर इण्डिया, भारत सरकार तथा हमारे अन्य मित्र देशों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अब तक कितना धन व्यय किया गया है, जिसमें फोटोग्राफ और खोज कार्य समेत शवों और कनिष्क का मलबा निकाले जाने पर हुआ खर्च और कनिष्क विमान के स्थान पर नया विमान खरीदने की लागत शामिल है; और

(ग) बीमा कम्पनियों और सरकार आदि द्वारा अब तक एयर इण्डिया के कर्मचारियों सहित दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। वास्तव में जांच न्यायालय ने 26 फरवरी, 1986 को पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) (1) एयर इण्डिया द्वारा किया गया व्यय — 2,73,78,068/-रुपए

(2) भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय — शून्य

(3) अन्य राष्ट्रों द्वारा किया गया व्यय — इस सम्बन्ध में न तो एयर इण्डिया को और न ही भारत सरकार को कोई बिल प्राप्त हुआ है।

कनिष्क के बदले में किसी और विमान के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) (1) भारत में अदा की गई राशि — 2,24,09,560/-रुपए

(2) कनाडा में अदा की गई राशि — 9,37,500/-रुपए

(1) अमरीकी डालर = 12.50 रुपए)।

(3) एयर इण्डिया कर्मीदल को अदा की गई राशि कर्मीदल के सदस्यों को अदा किया गया मुआवजा एयर इण्डिया वहन करेगा जबकि यात्रियों को अदा किए गए मुआवजे की वसूली भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम से की जानी है। — 76,26,000/-रुपए

कुल : 3,09,73,060/-रुपए

दूसरे हुगली पुल के इस्पात निर्माण के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग

584. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**
श्री गदाधार साहा :
श्री मतिलाल हंसदा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसोफ कंस्ट्रक्शन कम्पनी दूसरे हुगली पुल के इस्पात निर्माण के मूल्यों में और वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ बातचीत न करके, इसकी राज्य सरकार से मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त उपक्रम को इस संदर्भ में कोई ऐसे निदेश दिये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपक्रम के प्रबन्धक अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं ताकि परियोजना के कार्य में और विलम्ब किया जा सके ?

जल, भूतल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी नहीं । केन्द्रीय सरकार से बात करने का प्रश्न नहीं होता क्योंकि यह राज्य की परियोजना है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हुगली नदी पर जिस दूसरे पुल का निर्माण चल रहा है, वह राज्य की सड़क पर है और इसलिए इस परियोजना से सम्बन्धित सभी बातों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदार है । भारत सरकार विशेष मामले के रूप में सिर्फ 150 करोड़ रुपए का ऋण दे रही है । इस परियोजना का काम राज्य सरकार की ऐजेंसी अर्थात् हुगली नदी पुल आयुक्त, कलकत्ता द्वारा कराया जा रहा है । विभिन्न कारणों से ब्रेथवेट, बर्न और जेसप कंस्ट्रशन कंपनी ने पुल के बने बनाए घटकों के लिए हुगली नदी पुल आयुक्त को अधिक दर पर भुगतान करने के लिए कहा है ।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में चिकित्सा पेशे को शामिल करने का प्रस्ताव

585. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में चिकित्सा पेशे को शामिल किए जाने के बारे में दिल्ली चिकित्सा संघ के प्रस्ताव को सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) दिल्ली चिकित्सा संघ ने प्रस्ताव किया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनके सदस्यों की सेवाओं का उपयोग किया जाए और डाक्टरों तथा स्वीकारकर्ताओं को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार सभी प्रोत्साहन दिए जाएं ।

इस कार्यक्रम में प्राइवेट डाक्टरों को शामिल करने की एक योजना पहले से ही चल रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्राइवेट डाक्टर को प्रत्येक महिला/पुरुष नसबन्दी आपरेशन के

लिए 50 रुपये और प्रत्येक आई० यू० डी० निवेशन के लिए 5 रुपये दिये जाते हैं। परिवार कल्याण सम्बन्धी काम के लिए इन प्राइवेट डाक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले स्वीकार कर्ता भी निर्धारित दरों के अनुसार मुआवजे के पात्र हैं बशर्ते कि वे सम्बन्धित सरकारी आदेशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

"ए किलर होम नैक्सट डोर" शीर्षक से समाचार

586. श्री एन० डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए किलर होम नैक्सट डोर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि आवासीय कालोनियों में चल रहे "नर्सिंग होमों से कोई संक्रामक रोग फैल सकते हैं जो धीरे-धीरे मृत्यु के कारण बन सकते हैं; और

(ख) क्या इनके प्रतिकूल प्रभाव पर नियंत्रण पाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु नर्सिंग होम के बारे में कोई सर्वेक्षण करने का विचार है जो आवासीय कालोनियों में छूत के रोग फैला रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। वैसे, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि आवासीय क्षेत्रों में स्थित नर्सिंग होमों से संक्रामक रोग फैलने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन सम्बन्धी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

587. श्री अमर सिंह राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में हुए राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों के सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 23-24 दिसम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझाए गये उपाय जिन विषयों से संबंधित हैं वे इस प्रकार हैं :-कार्यक्रम को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इसके ग्रामीण और शहरी ढांचे को मजबूत करना, सेवाओं की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना, कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार लाना, कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों को उदारतापूर्वक सहायता देना, प्राइवेट चिकित्सकों और स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक शामिल करना, उन्नत संचार साधनों का प्रयोग और व्यापक रोग प्रतिरक्षण योजना को अधिकाधिक क्षेत्र में लागू करना।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

588. श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उक्त नहर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1985-86 में कुल कितना परिव्यय मंजूर किया गया है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त परियोजना के लिए धनराशि के आबंटन के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना कब तक पूरी होने की आशा है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 1,139.24 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए, अनुमोदित परिव्यय 50 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के लिए राज्य सरकार ने 262.5 करोड़ रुपये (12.5 करोड़ रुपये चरण-I के लिए और 250 करोड़ रुपये चरण-II के लिए) के परिव्यय का प्रावधान किया है।

(ङ) परियोजना का चरण-I अधिकांशतः पूरा हो गया है और वर्ष 1984 की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार चरण-II को वर्ष 1994-95 में पूरा किये जाने का प्रस्ताव है।

कोचीन शिपयार्ड में काम प्राप्त करने की समस्या

589. श्रीमती लाल हंसदा : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड में काम प्राप्त करने की समस्या है;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम विदेशी फर्मों के नये पोतों तथा पुराने पोतों की मरम्मत के लिए भी तैयार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने कोचीन शिपयार्ड से 2.6 करोड़ का बकाया बिक्री कर वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) शिपयार्ड की हल शॉप में इस समय पर्याप्त काम नहीं है।

(ख) और (ग) जहाजों को खरीदने या उनकी मरम्मत करने के लिए विदेशी शिपयार्डों को आर्डर देने से पहले भारतीय सुविधाओं का उपयोग करने के सभी प्रयास किये जाते हैं। कभी-कभी भारतीय नौवहन निगम को अपने जहाजों की विदेशी यार्डों में मरम्मत करानी पड़ जाती है जब ये जहाज विदेश व्यापार पर होते हैं और भारत में उनके वापस आने की संभावना नहीं होती है और उनकी तत्काल मरम्मत/ड्राई डाकिंग आवश्यक हो जाती है।

(घ) और (ङ) केरल सरकार ने कोचीन शिपयार्ड को, निर्मित और डिलीवरी किये गए जहाजों पर बिक्री कर का भुगतान करने के लिए समय-समय पर डिमांड नोटिसें जारी की हैं। केरल सरकार को बिक्री कर के रूप में जो राशि दी जानी है, वह बिक्री कर की घटी हुई संशोधित दर पर 2.79 करोड़ रु० है। राज्य के राजस्व प्राधिकारियों ने उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर शिपयार्ड के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है और दण्ड के आधार पर ब्याज के रूप में 15 लाख रु० की मांग की है। तथापि उनकी ओर से अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो संभवतः राज्य सरकार को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किये गये अभिवेदन के साथ-साथ कोचीन शिपयार्ड की कठिन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा इस मामले में किये गये हस्तक्षेप के कारण है।

एयर इण्डिया द्वारा अपने विमानों के निर्धारित मार्ग से भटकने के मामले

590. **श्री अनिल बसु :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसी कई घटनायें हुई हैं जिनमें एयर इण्डिया के विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक गये हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के ऊपर से भी उड़े हैं;

(ख) क्या एयर इण्डिया द्वारा इन घटनाओं की सूचना महानिदेशक, नागर विमानन को दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की गंभीर घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एयर इण्डिया ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जी, हां। एयर इण्डिया ने सूचित किया है कि 1985 में उन्होंने नागर विमानन महानिदेशक को 2 घटनाओं की सूचना दी थी जिनमें उड़ाने अपने निश्चित मार्ग से भटक कर निषिद्ध वायु क्षेत्र में प्रवेश कर गई थीं। इनमें से एक यात्री विमान से सम्बन्धित थी और दूसरी कार्गो विमान से सम्बन्धित थी।

(घ) एयर इण्डिया ने अपने सभी विमान चालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं कि उनकी उड़ाने सुस्थापित ए० टी० एस० मार्गों पर हों।

तेलुगु-गंगा परियोजना पर खर्च की गई धनराशि

591. **डा० सुधीर राय :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तेलुगु-गंगा परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करा रही है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण एवम् कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है, अतः केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

मानसी और फारबिस गंज के बीच चलने वाली रेल गाड़ियां

592. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मानसी और फारबिस गंज लाइन पर यात्रियों की वर्तमान भीड़ को देखते हुए इनके बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या अपर्याप्त है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ियों में लगाये जाने वाले यात्री डिब्बे पुराने हैं जिनमें बिजली, खिड़कियां, पेयजल आदि की व्यवस्था नहीं है;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इन रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे न लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) सवारी डिब्बों की हालत सुधारने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाते हैं। सवारी डिब्बों की हालत सुधारने के लिए समस्तीपुर मंडल में एक अभियान चलाया गया था। अब तक 224 सवारी डिब्बों को अद्यतन बनाया गया और प्रयत्न अभी जारी हैं। तथापि, कभी-कभी सवारी डिब्बे शरारती तत्वों की गतिविधियों/गुंडागर्दी/चोरी और सुविधा फिटिंगों की उठाई-गीरी का शिकार हो जाते हैं और कभी-कभी कमी की मात्रा उपलब्ध सप्लाई की मात्रा से अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में जब तक बदलाव के लिए अपेक्षित पुर्जे उपलब्ध होते और फिट किये जाते हैं तब तक सवारी डिब्बों को उसी हालत में चलाना आवश्यक हो जाता है।

सामान्यतः, शाखा लाइन की पैसेंजर गाड़ियों में पहले दर्जे के सवारी डिब्बे नहीं चलाये जाते। तथापि, 407/402 सहरसा-फारबिसगंज पैसेंजर और 17/18 कोसी एक्सप्रेस गाड़ियों में पहले एवं दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे चलाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

यकृत-शोथ (हेपाटाईटिस) निरोधक टीके का विकास

593. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रभावकारी और प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाले यकृत-शोथ निरोधक टीके की खोज करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यकृत-शोथ निरोधक टीके को पूरे देश में लगाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मोटे-तौर पर रूप-रेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है, ने रीकाम्बीनेंट वैक्सीन तैयार करने की योजनाएं तैयार की हैं, और साथ ही वैक्सीनिया वायरस पर आधारित वैक्सीन का भावी स्वरूप भी तैयार कर लिया है।

राष्ट्रीय वायरोलाजी संस्थान ने अहमदाबाद में 112 चिकित्सा तथा अर्धचिकित्सा कर्मचारियों को आयात किए गए हेपाटाईटिस "बी" वैक्सीन (हेपाटावक्स—"बी") की एक या दो खुराकें देकर एक सीरो प्रतिक्रिया अध्ययन किया था। वेक्सीन को अत्यधिक प्रभावकारी पाया गया था भारत में हेपाटाईटिस बी वैक्सीन के बड़े पैमाने पर दिए गए प्रयोग की यह पहली रिपोर्ट है।

(ख) से (घ) जहां तक सरकार को जानकारी है, हेप "ए" और "नान-ए" तथा "नान-बी" हेपाटाईटिस के लिए विश्व में कोई भी ज्ञात वैक्सीन नहीं है। लेकिन हेपाटाईटिस "बी" के लिए वैक्सीन उपलब्ध है जो इस समय केवल थोड़े से विकसित देशों में तैयार की जा रही है। देश में ऐसा कोई एंटी हेप-बी वैक्सीन, जो प्रभावकारी हो और जिसके कोई विपरीत गौण प्रभाव न हों, तैयार करने की दिशा में कोई सफल परीक्षण नहीं किया गया है। वायरल हेपाटाईटिस निगरानी कार्यक्रम के अधीन सभी 10 क्षेत्रीय केन्द्रों की प्रयोगशालाओं में कार्य कर रहे व्यक्तियों को जिन्हें इस रोग के होने का अधिक खतरा बना रहता है "हेप-बी" वैक्सीन दिया जाता है और इसके कोई गौण प्रभाव नहीं देखे गए हैं। फिलहाल देश में एन्टी हेपाटाईटिस टीका लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

फालतू जल के अन्तरण के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की योजना

594. **डा० बी० एल० शेलेत्र :**
श्री के० प्रधानी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भावी योजना में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अन्तरण सम्पर्कों में से 12 के संबंध में प्राथमिक संभाव्यता प्रतिवेदन की व्यवस्था की गई है जिसे राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी द्वारा सातवीं योजना के दौरान अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस फालतू जल अन्तरण योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के अन्तर्गत परिकल्पित 12 अन्तरण सम्पर्कों के प्रारम्भिक व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ कर दिए गए हैं और इनके सातवीं योजनावधि में पूरा किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) अधिशेष जल अन्तरण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के चार भाग हैं नामश: (1) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नेर-कावेरी को अन्त:-सम्बन्ध करना, (2) बम्बई के उत्तर और तापी के दक्षिण, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को अन्त:-सम्बद्ध करना, (3) केन को चम्बल से अन्त:-सम्बद्ध करना और (4) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का पूर्व की ओर व्यपवर्तन ।

(ग) 69 उप-बेसिनों के आंकड़े एकत्र करने, 5 उप-बेसिनों का जल विज्ञान सम्बन्धी और अधिशेष जल अध्ययन कार्य और 8 जलाशयों के अध्ययन/अन्वेषण पूरे किए जा चुके हैं ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत पदोन्नति योजना शुरू करना

595. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छठी तथा उससे पहले की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागों में व्यक्तिगत पदोन्नति योजना के शुरू किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन विश्वविद्यालयों में यह योजना शुरू की गई है तथा क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति के अनुसार विश्वविद्यालय और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में समानता लाने के लिये इस योजना को विभिन्न विश्वविद्यालयों के संघटक/सम्बद्ध कालेजों में भी शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब से शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 जनवरी, 1983 से आयोग द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसरण में राज्य विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध कालेजों में कार्यान्वित की जाने वाली "निजी योग्यता प्रोन्नति" की एक योजना शुरू की थी । उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना कार्यान्वित की है । तथापि, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है । आयोग को यह मालूम हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने-अपने दिशा-निर्देशों के अनुसरण में "निजी प्रोन्नति योजना" को शुरू किया है ।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे की भूमि पर कब्जा किये हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

596. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग उन लोगों के जो इस समय कलकत्ता सर्कुलर रेलवे परियोजना के समीप रेलवे की जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, पुनर्वास के लिए अपेक्षित खर्च का एक भाग वहन करने पर सहमत हो गया है और यदि हां, तो कितना; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) : जी नहीं।

(ख) अनधिकृत रूप से रेल भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों को बेदखल करने के बाद उनके पुनर्वास का उत्तर दायित्व रेलवे का नहीं है।

कुष्ठ रोग से मुक्त हुए रोगियों को प्रतिष्ठा दिलवाना

597. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोग से मुक्त हुए रोगियों के साथ रोग मुक्त होने के पश्चात् अन्य व्यक्तियों के समान व्यवहार नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) कुष्ठ अधिनियम, 1898 को निरस्त कर दिये जाने से कुष्ठ रोगियों को रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं और उन्हें समाज द्वारा स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में आम लोगों के समान समझा जाता है। कुष्ठ रोगी फिर से समाज में सम्मान पा सकें और जीविकोपार्जन के लिए धन कमा सकें, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुष्ठ पुनर्वास सम्वर्धन यूनिट मंजूर किये हैं। सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चुनिन्दा संस्थानों में विकलांग रोगियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

भारत पाकिस्तान सांस्कृतिक समझौता

598. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में भारत पाकिस्तान सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ अभी तक किसी सांस्कृतिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।

[हिन्दी]

कार्गो उतारने-चढ़ाने वाले उपकरणों का आधुनिकीकरण और उनके स्थान पर नए उपकरण लगाना

599. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पत्तनों में कार्गो उतारने-चढ़ाने के उपकरण पुराने पड़ गए हैं और समीचीन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश के निर्यात को प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से उक्त पुराने उपकरणों के स्थान पर आधुनिक मशीनों और उपकरणों को लगाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुराने उपकरणों को कब तक बदलने का प्रस्ताव है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी कार्गो उपकरण पुराने नहीं हैं। कुछ पत्तनों को छोड़ कर बाकी सभी पत्तनों पर कुल मिलाकर वे अच्छी और संतोषजनक स्थिति में हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तन सुविधाओं का योजनाबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण और अद्यतन प्रौद्योगिकी के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। कुछ महापत्तनों में कार्गो हैंडलिंग उपकरणों के रिप्लेसमेंट के लिए प्रावधान किया गया है। कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की जब मियाद पूरी हो जाती है तब उनका रिप्लेसमेंट करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन

600. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन का कार्य कब शुरू किया गया था;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि इसकी प्रगति बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त लाइन को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री मधवराव सिन्धिया) : (क) सितम्बर, 1984।

(ख) 3 प्रतिशत।

(ग) और (घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ही, जिसकी बहुत तंगी रही है, इस

लाइन के निर्माण का काम हो रहा है। आगे की प्रगति नई लाइनों के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

पेयजल में "फ्लुओराइड की अधिकता के कारण फ्लुओरोसिस"

601. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी :
डा० चिन्ता मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1985 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पेयजल में "फ्लुओराइड" की अधिकता के कारण "फ्लुओरोसिस" हो जाता है जो कि रोगियों को शारीरिक रूप से अपंग बना देता है तथा विश्व में हुए ऐसे कुल 211 मामलों में से 209 मामले भारत में हुए हैं;

(ख) क्या नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने "फ्लुओराइड" को कम करने की प्रौद्योगिकी विकसित की है जो कि ग्राम सामुदायिक स्तर पर आसानी से अपनाई जा सकती है; और

(ग) कौन-कौन से क्षेत्र "फ्लुओरोसिस" से ग्रस्त हैं और इन क्षेत्रों में नागपुर प्रौद्योगिकी को अपना कर कौन-कौन सी परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं और उनके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है तथा वास्तव में कितना धन व्यय किया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। सरकार को प्रश्नाधीन रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) जी हां।

(ग) राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में फ्लुओरोसिस प्राय: हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश में कादीरी नामक स्थान में एक डीफ्लूओराइडेशन प्लांट स्थापित किया है। राजस्थान में जन-स्वास्थ्य विभाग ने पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने का दायित्व लिया है और 1982 तक सात जिलों, नामत: जयपुर, बाड़मेर, नागौर, झुनझुनू, सिरोही, अलवर और भीलवाड़ा में फ्लूओराइड से प्रभावित 864 गांवों में इसकी व्यवस्था कर दी है।

एयर इंडिया की उड़ान संख्या 109 को मांट्रियल ले जाया जाना

602. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप्रैल, 1985 को एयर इण्डिया की उड़ान सं० 109 का मार्ग बदल कर इसे न्यूयार्क के स्थान पर मांट्रियल भेजा गया और उसके पश्चात् मांट्रियल के स्थानों पर टोरोन्टो भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप विमान में उतरते समय बहुत कम अथवा बिल्कुल भी ईन्धन नहीं था ; यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या एयर इण्डिया द्वारा इस घटना की गहराई से कोई तकनीकी जांच की गई ;

(ग) यदि हां, तो कब और क्या जांच दल ने महानिदेशक, नागर विमानन को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; यदि हां, तो जांच समिति के क्या निष्कर्ष हैं ;

(घ) क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये नियंत्रक पायलट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) महानिदेशक नागर विमानन द्वारा इस घटना के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। न्यूयार्क पर अंतिम उपगमन के दौरान तेजी से खराब होते मौसम के कारण विमान ने उपगमन चूक की जिसके बाद न्यूयार्क हवाई अड्डा बन्द कर दिया गया। ए आई-109 के कमाण्डर ने तब नामोदिष्ट वैकल्पिक विमान क्षेत्र मांट्रियल की ओर विमान मोड़ने का निर्णय किया। जब विमान मांट्रियल के रास्ते पर 20 मिनट तक उड़ चुका तब एयर इंडिया के फ्लाइट डिस्पैच ने कैप्टन को सलाह दी कि वह मांट्रियल के बजाए टोरन्टो चला जाए। अवतरण के समय विमान में निर्धारित आवश्यक मात्रा से कम ईंधन था। टोरन्टो में अवतरण के समय विमान में कम ईंधन होने की स्थिति इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि विमान को विमान यातायात नियंत्रण की हिदायतों के अनुसार कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ा था जिसके कारण ईंधन की अधिक खपत हो गई थी।

(ख) जी, हां। एयर इण्डिया ने 27 जुलाई, 1985 की जांच रिपोर्ट भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय को भेज दी थी। रिपोर्ट 29 जुलाई, 1985 को प्राप्त हुई। इसकी एक प्रति नागर विमानन महानिदेशक को भेजी गई थी।

(ग) मार्ग परिवर्तन के दौरान न्यूयार्क विमान यातायात नियन्त्रण द्वारा कम ऊँचाई पर बार-बार रेडार वक्टर के कारण ईंधन की मात्रा कम हुई थी। विमान यातायात की भीड़-भाड़ के कारण विमान कम ऊँचाई पर ले जाना पड़ा था।

(घ) सम्बन्धित विमान के कमाण्डर को लन्दन-न्यूयार्क क्षेत्र पर पुनश्चर्या सहित प्रशिक्षण तथा मार्ग निरीक्षण दिया गया था। उसे भविष्य में सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गई थी।

(ङ) इस बात पर जोर दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर मार्गस्थ एयर फील्ड पर अवतरण करने पर भी विचार किया जाए।

एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करने के लिए हड़ताल

603. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा 3 फरवरी, 1986 से चलायी गई नियमानुसार कार्य करने की हड़ताल के कारण क्या हैं ;

(ख) इस हड़ताल में कितनी यूनियनें और कितने प्रतिशत कर्मचारी भाग ले रहे हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या रवैया अपनाया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड ने जिसने 3 फरवरी, 1986 को नियमानुसार कार्य करो आन्दोलन किया था निम्नलिखित मांगें रखी थीं :—

(i) ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाए ;

(ii) आन्तरिक उम्मीदवारों को सहायक उड़ान पर्सर और यातायाय सहायकों के पद पर नियुक्ति के मामले में अर्हताओं और आयु की अपेक्षाओं को समाप्त किया जाए।

(iii) एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड के प्रतिनिधित्व के स्तर का निर्धारण गुप्त मतदान द्वारा किया जाये।

(ख) एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों ने, जिनकी निष्ठा केवल एयर इंडिया कर्मचारी गिल्ड में थी आन्दोलन में भाग लिया था। यह आन्दोलन 5 फरवरी, 1986 को समाप्त कर दिया गया था।

(ग) श्रम मंत्रालय से गिल्ड तथा अन्य यूनियनों के प्रतिनिधित्व के स्तर का निर्धारण करने के लिए गुप्त मतदान करवाने का अनुरोध किया गया है। अन्य मांगों पर एयर इंडिया का प्रबन्धक-वर्ग आगे कार्रवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापक

604. **श्री अब्दुल हन्नान अंसारी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में उर्दू अध्यापक नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों, बिहार के विधायकों और उर्दू समाचार पत्र संघ के प्रेजीडेंट ने इस संबंध में ज्ञापन दिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उर्दू अध्यापक नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक संसद-सदस्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) में उर्दू के शिक्षण की मांग की गई है। केन्द्रीय विद्यालय, रिफाइनरी टाउनशिप, जिला-बेगुसराय (बिहार) में एक विषय के रूप में उर्दू को प्रारंभ करने के लिए बजम-ए-फैज (बिहार) के अध्यक्ष से भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) यदि किसी स्कूल में 20 अथवा इससे अधिक छात्र उस भाषा का अध्ययन करने के इच्छुक हों तो उर्दू पढ़ाने के लिए प्रबन्ध विद्यमान हैं।

[अनुवाद]

कोचीन-मदुरै रेलवे लाइन

605. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-मदुरै रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या इसकी आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस वर्ष ही निर्माण कार्य शुरू करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू करने की सम्भावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन पर निवेश करना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगा ।

(ग) और (घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताओं के कारण, फिलहाल इस लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली-पलवल मार्ग पर गाड़ियों में यात्री क्षमता में वृद्धि

606. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलवल दिल्ली मार्ग पर गाड़ियों में और यात्री डिब्बे लगाने की मांग की गई है ;

(ख) उपर्युक्त मार्ग की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ग) क्या यात्रियों ने अपनी मांग के समर्थन में 8 जनवरी, 1986 को इस मार्ग पर गाड़ियों को रोका, और

(घ) क्या सरकार का इस मार्ग पर यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) 3 ए. एम. यू. गाड़ियां और 5 अन्य परम्परागत गाड़ियां प्रतिदिन लगभग 15000 यात्रियों का परिवहन करती हैं । इसके अलावा, पलवल में लम्बी दूरी की अन्य गाड़ियां भी ठहरती हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है ।

(ग) जी हां । वे अधिक सीट वाली परम्परागत गाड़ियां पुनः चलवाना चाहते थे जिसकी व्यवस्था कर दी गयी है ।

(घ) फिलहाल नहीं ।

कार्गो को बेपुर-कालीकट पत्तनों पर भेजना

607. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष से माल वाहक जहाजों को बेपुर-कालीकट पत्तनों में न भेजने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से उस समय जबकि उन्हें कोचीन पत्तन में स्थान उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बेपुर-कालीकट पत्तनों की ओर माल वाहक जहाजों का नियमित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का है जिससे अन्यथा निष्क्रिय मजदूरों को रोजगार मिलेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जब यहां बर्थ उपलब्ध नहीं होते अथवा अन्य कारणों जैसे स्टीमर लाइनों/एजेंटों/चार्टरों आदि द्वारा विकल्प दिये जाने पर ही कारगो जहाजों को अन्य पत्तनों की ओर भेजा जाता है। ऐसी स्थिति पर पत्तनों का कोई नियन्त्रण नहीं है। कोचीन पत्तन पर पर्याप्त रूप से इतनी क्षमता उपलब्ध है जो यहां के लिए प्रस्तावित मौजूदा यातायात को हैंडल कर सके और यदि यहां से यातायात सोद्देश्य रूप से दूसरे पत्तनों की ओर भेजा जाता है तब उसका प्रभाव इस पत्तन पर निर्मित सुविधाओं पर पड़ेगा और नौवहन का व्यय बढ़ जायेगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में प्रोफेसरों, रीडरों तथा लैक्चरारों की संख्या

608. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा उसकी शाखाओं में प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चरारों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) इसके सदस्यों तथा शिक्षण कार्य में लगे अध्यापकों को कुल कितना वार्षिक वेतन दिया गया ; और

(ग) विभिन्न शिविरों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद और इसकी शाखाओं में 44 प्रोफेसरों, 188 रीडरों तथा 335 लेक्चरारों के पद हैं।

(ख) शिक्षण संकाय के सदस्यों को प्रतिवर्ष 197.51 लाख रु० (लगभग) का कुल वेतन दिया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने अभी तक सामूहिक गायन कार्यक्रम के अन्तर्गत 62 शिविरों में समूचे देश के 3,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।

ग्रेट गंडक नदी पर रेल-सड़क पुल

609. **श्री मदन पाण्डेय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर गंडक नदी पर रेल-सड़क पुल के निर्माण के लिए अपने-अपने हिस्से का अंशदान देने पर सहमति व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब आरम्भ की जायेगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने लागत के अपने हिस्से का क्रमशः 3 करोड़ और 2 करोड़ रुपये का भुगतान पहले किया था। अब उन्हें 1983 में यथा प्राकलित बढ़ी हुई लागत सहित होने वाली वृद्धि को वहन करने की सहमति के बारे में सूचित करने को कहा गया है। इस बारे में अभी तक उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं भेजी है ।

(ख) यह उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार द्वारा बढ़ी हुई धनराशि की व्यवस्था करने और रेलवे क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता, जिसकी वर्तमान में काफी तंगी है, पर निर्भर करता है।

बच्चों की स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का प्रतिवेदन

910. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रील बाल आपात निधि के प्रतिवेदन में भारत में बच्चों की स्थिति का अत्यन्त ध्यनीय परिस्थिति प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर कुपोषण, अंधेपन, भीखमंगे, बाल श्रम और शारीरिक रूप से विकलांगता को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि) ने "भारत में बच्चों की स्थिति का एक विश्लेषण" निकाला है। इस विश्लेषण से पता चला है कि भारत के आधे से कम बच्चों को ही आवश्यक न्यूनतम पोषाहार, स्वास्थ्य, देखभाल और अध्यापन के अवसर प्राप्त होते हैं ।

(ख) कुपोषण, अंधापन, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और विकलांगता पर नियंत्रण करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । मुख्य कार्यक्रम ये हैं :

(एक) कुपोषण पर नियंत्रण करना ; विशेष पोषाहार कार्यक्रम ; समेकित बाल विकास सेवा ; रक्तक्षीणता के विरुद्ध रोग निरोधन; राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम; बाल-वाड़ी पोषाहार कार्यक्रम ; युवा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं पर आधारित पूरक पोषाहार ।

(दो) अंधेपन की रोकथाम करना; विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन के विरुद्ध रोग निरोधन ।

(तीन) भिक्षावृति की रोकथाम करना ; भिक्षा विरोधी कानून ; भिक्षावृति से बचाए गए बच्चों की देखभाल, संरक्षण तथा पुनर्वास ।

(चार) बाल श्रम, विधान, काम करने वाले बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना ।

(पांच) विकलांगता की रोकथाम करना; प्रतिरक्षण का विस्तृत कार्यक्रम ; पोषाहार कार्यक्रम,विकलांगता का शीघ्र पता लगाना और उसकी रोकथाम के लिए कार्यकलाप ।

कुट्टिपुरम-गुरूवायूर रेलवे लाइन

611. **श्री के० मोहन दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुट्टिपुरम गुरूवायूर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कुछ वर्ष पहले शुरू करने का प्रस्ताव था ;

(ख) क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया था ;

(ग) निर्माण कार्य अभी तक शुरू न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सातवीं योजना के दौरान इस रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस लाइन का केवल सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) संसाधनों की तंगी ।

(घ) नयी लाइनों के लिए धनराशि कम आबंटित करने और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं के कारण, सातवीं योजना में उसका निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करना फिलहाल संभव नहीं पाया गया है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अनुसंधान संबंधी योजनाएं

612. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की अनुसंधान संबंधी योजनाओं सहित विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी धनराशि दी गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत रा० शै० अ० प्र० प० में प्रावधान तथा व्यय

(योजनागत परिव्यय केवल) (लाखों में)

लेखा शीर्ष	1983-84		1984-85		1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक)	
	आ० व्यय	वास्तविक व्यय	आ० व्यय	वास्तविक व्यय	आ० व्यय	वास्तविक व्यय
अधिकारियों का वेतन	5.55	4.88	8.75	5.46	1.00	0.29
स्थापना का वेतन	5.40	3.87	7.00	4.97	1.00	0.34
भत्ते तथा मानदेय	15.40	11.83	22.00	17.63	3.00	1.21
यात्रा भत्ता	0.65	0.55	1.70	0.46	0.40	—
अन्य प्रभार	6.00	6.38	9.00	7.81	4.00	0.63
छात्रवृत्ति/शिक्षा वृत्ति	4.45	4.39	5.55	4.81	5.50	1.96
कार्यक्रम	123.00	82.63	113.00	76.45	95.00	68.71
विविध भुगतान	0.10	0.40	1.00	0.54	0.10	0.01
उपस्कर तथा फर्नीचर	33.00	20.29	40.00	41.84	40.00	2.79
भूमि तथा भवन	116.00	172.34	122.00	101.65	100.00	2.24
कुल :	309.55	307.56	330.00	261.62	250.00	78.18

(ii) योजनेतर

(लाख रु० में)

लेखा शीर्ष	1983-84		1984-85		1985-86 (दिसम्बर, 1985 तक)	
	आ० व्यय	वास्तविक व्यय	आ० व्यय	वास्तविक व्यय	आ० व्यय	वास्तविक व्यय
अधिकारियों का वेतन	108.20	105.34	120.00	119.95	130.00	99.49
स्थापना का वेतन	105.08	92.55	100.00	92.74	105.00	79.56
भत्ते तथा मानदेय	256.22	236.85	310.00	304.98	380.00	298.68
यात्रा भत्ता	11.19	10.56	12.00	7.04	10.00	6.21
अन्य प्रभार	125.25	127.64	140.00	129.52	165.00	104.79
छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति	8.00	7.24	10.00	7.16	10.00	3.43
कार्यक्रम	528.50	534.29	459.00	482.31	450.00	214.07
विविध	41.00	52.49	65.00	57.61	65.00	29.86
उपस्कर तथा फर्नीचर	5.56	5.83	10.00	10.95	25.00	4.28
भूमि तथा भवन	28.00	31.92	65.50	64.49	60.00	19.69
कुल :	1,217.00	1,204.71	1,291.50	1,276.75	1,400.00	860.06
(iii) अनुसंधान परियोजना योजनाएँ	12.60	6.17	11.50	6.30	12.72	7.98 (19-2-86 तक योजनागत तथा योजनेतर दोनों)

आयुर्वेद और होम्योपैथी का विकास

613. **श्री सी० सम्बु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद और होम्योपैथी के विकास की कमी के कारण लोग एलोपैथी की तुलना में कम खर्चीले चिकित्सा उपचार से वंचित रह जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) सरकार स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च के अन्दर लोगों को रोग रोधी, स्वास्थ्यवर्धक और इलाज संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी का विकास करने के लिए वचनबद्ध है।

छठी योजना के दौरान आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए 18 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। सातवीं योजना में इस रकम को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का पूरा-पूरा तथा उसकी विशिष्टता के अनुरूप विकास हो, अन्यों के साथ-साथ आयुर्वेद और होम्योपैथी की अलग-अलग अनुसंधान परिषदों की स्थापना क 1978 में की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् क्रमशः आयुर्वेद और होम्योपैथी की शिक्षा के स्तर तथा व्यवसाय को विनियमित करती है।

जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तथा कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान आयुर्वेद और होम्योपैथी में उन्नत शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्र हैं।

औषधियों पर गुणवत्ता नियंत्रण लागू करने की दृष्टि से आयुर्वेद की दो फार्मुलरी छापी गई हैं और होम्योपैथिक फार्माकोपिया के चार खण्ड छापे जा चुके हैं। आयुर्वेद की एकल औषधियों के फार्माकोपिया को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसमें 80 औषधियां शामिल हैं।

होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधियों के मानक निर्धारित करने के लिए गाजियाबाद में दो फार्माकोपियल प्रयोगशालाएं खोली गई हैं।

छठी योजना के दौरान आयुर्वेद के 9 स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना की गई है।

देश भर में इस समय आयुर्वेद के 95 कालेज, 1,452 अस्पताल और 11,100 औषधालय तथा होम्योपैथी के 112 कालेज, 2163 औषधालय और 121 अस्पताल कार्य कर रहे हैं।

यात्री सामान के भाड़े में वृद्धि

614. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों द्वारा ले जाये जाने वाले सामान के भाड़े में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) साथ जाने वाले सामान की मूल दर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। लेकिन, बिना बुक किये गये और आंशिक रूप से बुक किये गये सामान पर जुर्माना प्रभारों में 1-2-86 से निम्नलिखित वृद्धि की गयी है :—

(एक) यदि कोई यात्री निःशुल्क अनुमत भार से अधिक, किन्तु मामूली छूट के भीतर, बिना बुक किया गया सामान ले जाते ए पकड़ा जायेगा तो उससे निःशुल्क अनुमत से अधिक सामान का प्रभार लिया जायेगा जो कम से कम 50/-रुपये होगा।

(दो) यदि कोई यात्री निःशुल्क अनुमत भार और मामूली छूट से अधिक सामान बिना बुक किये अथवा आंशिक रूप से बुक किये ले जाते हुए पकड़ा जायेगा तो उससे सामान्य भाड़ा दरों से छः गुना जुर्माना प्रभार लिया जायेगा जो कम से कम 50/-रुपए होगा।

(तीन) यदि कोई यात्री किसी सवारी डिब्बे के भीतर ले जाए जाने वाली अधिकतम मात्रा से अधिक बिना बुक किया गया अथवा आंशिक रूप से बुक किया गया सामान ले जाते हुए पकड़ा जायेगा तो उससे सामान्य भाड़ा दरों से छः गुना जुर्माना प्रभार लिया जाएगा जो कम से कम 50/-रुपए होगा।

सूरत-भुसावल रेल लाइन का दोहरा किया जाना

615. **श्री मानिक राव होडल्या गावीत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूरत-भुसावल रेल लाइन को दोहरा करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस लाइन पर भीड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी नहीं। हालांकि इस लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी जलगांव-उधना खंड पर लाइन क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य 1985-86 के बजट में अनुमोदित किया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अप्रशिक्षित परिवार कल्याण कर्मचारी और अन्य अधिकारी

616. **श्री गुरुदास कामत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार कल्याण कर्मचारी और अन्य अधिकारी पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं और ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तथा सेवायें उपलब्ध कराने के लिए धन भी वसूल करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच कराई है और इन स्वास्थ्य केन्द्रों के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के टास्क फोर्स अध्ययन के अन्तर्गत आपरेशनल रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के प्रारूप की एक प्रति प्राप्त हो गई है। सरकार अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, जिस पर राज्य सरकार के साथ उचित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

खेतड़ी रेलवे स्टेशन (जिला फैजाबाद) के प्लेटफार्म का तल बढ़ाया जाना

617. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेतड़ी रेलवे स्टेशन (जिला फैजाबाद) में प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करने और इस रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थानीय जनता से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जनता के कल्याण से सम्बन्धित मांगों पर मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) उत्तर रेलवे पर फैजाबाद जिले में खेत्री नाम का कोई स्टेशन नहीं है। संभवतः माननीय सदस्य का संदर्भ फैजाबाद में अयोध्या-अकबरपुर खंड पर कटहरी स्टेशन से है। कटहरी स्टेशन पर प्लेटफार्म को ऊंचा करने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में स्थानीय जनता से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस स्टेशन पर निम्न तल के दो प्लेटफार्मों, एक हैंड पम्प और छः बैंचों की व्यवस्था है। दो और हैंड पम्पों की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल ये सुविधाएं पर्याप्त समझी गयी हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के बस किरायों में वृद्धि

618. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बस यात्रियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किरायों में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार करेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की जानकारी है कि 50

पैसे के पहले स्लैब यात्रा दूरी को 10 किलोमीटर तक बढ़ाकर किराए में कटौती करने की काफी गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (घ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । मौजूदा भाड़ा संशोधन विभिन्न कच्चे मालों की लागत पर आधारित है और निगम को इस बढ़ोतरी से भी प्रति वर्ष 45 करोड़ रुपए का कार्य घाटा होने की संभावना है । सरकार को इस सम्बन्ध में अखबारों की रिपोर्ट की जानकारी है किन्तु सुझाव व्यावहारिक नहीं पाए गए जिससे उन सुझावों को स्वीकार किया जा सके।

सतलुज-यमुना नहर लिंक नहर को पूरा करना

619. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना का निर्माण कार्य 15 अगस्त, 1986 तक पूरा होने की संभावना है जैसाकि सरकार ने घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने इस परियोजना के कार्य की गति में तेजी लाने के लिए पहले आबंटित चार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करा दी है ;

(ग) इस कार्य में आने वाली मुख्य कठिनाइयां क्या हैं और सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस नहर के लिए पहले आबंटित की गई राशि पर्याप्त नहीं है और क्या इस कार्य के लिए अन्य राज्य सरकारों द्वारा और राशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ग) पंजाब व्यवस्थापन के ज्ञापन के अनुसार, सतलुज यमुना लिंक नहर 15 अगस्त, 1986 तक पूरी की जानी है । नहर का रास्ता बदलवाने के लिए किसानों के आंदोलन के कारण इसकी प्रगति धीमी हो गई है । राज्य सरकार से इस मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) और (घ) वर्ष 1985-86 के दौरान 84 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में परियोजना के लिए 78 करोड़ रुपये (30 करोड़ रुपये की अग्रिम केन्द्रीय सहायता सहित हरियाणा से 65 करोड़ रुपये और पंजाब से 13 करोड़ रुपये) पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं और इस समय धन की कोई कमी नहीं है ।

[अनुवाद]

भारत और अन्य देशों के बीच विमान सेवायें

620. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और ब्रिटेन, अफ्रीका, सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी, तथा जापान के बीच साप्ताहिक विमान सेवाओं के बारे में क्या प्रावधान है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक देश और भारत के बीच प्रत्येक देश की विमान सेवाओं तथा भारत को कितनी-कितनी उड़ानें चलाने की अनुमति है ;

(ग) समझौते के अन्तर्गत अनुज्ञेय उड़ानों में से कितनी उड़ानें चलाई जा रही हैं और वे भारत में किन-किन शहरों से होकर जाती हैं ; और

(घ) क्या किसी देश के साथ समझौते में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अन्तर्गत भारत को उस देश के किन्हीं दो शहरों में यात्रियों को चढ़ाने अथवा उतारने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) यू० के०, यू० एस० ए०, यू० एस० एस० आर०, फ्रांस, जर्मनी और जापान के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार के अनुसार हकदारी का विवरण ।

(i) **भारत और यू० के० के बीच विमान सेवा करार**

इस करार के अन्तर्गत भारत और यू० के० के बीच मार्ग i से सम्बन्धित सेवाओं का परिचालन करने की व्यवस्था है जबकि भारत और हांगकांग के बीच विमान सेवाएं मार्ग ii के उपबंधों के अन्तर्गत आती हैं ।

(क) **मार्ग i-भारत/यू० के०/भारत**

मार्ग i पर भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयर इंडिया और यू० के० की नामित वाहक कम्पनी अर्थात ब्रिटिश एयरवेज, प्रत्येक, किसी भी क्षमता वाले विमान के साथ कुछ मिलाकर प्रति सप्ताह 14 सेवाएं परिचालित करने का हकदार है जिनमें से 7 से अधिक टर्मिनेटर सेवाएं नहीं होंगी, 7 से अधिक ट्रांजिट सेवाएं नहीं होंगी और 2 से अधिक कार्गो सेवाएं नहीं होंगी ।

(ख) **मार्ग ii-भारत/हांगकांग/भारत**

मार्ग ii पर भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयर इंडिया और यू० के० की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् कैथे पैसिफिक, किसी भी क्षमता वाले विमान के साथ प्रति सप्ताह 4 सेवाओं का परिचालन कर सकता है जिसमें से केवल एक सेवा कार्गो सेवा हो सकती है ।

इसके अलावा एयर इंडिया किसी भी क्षमता वाले विमान या 2 बी 707 सेवा के साथ हांगकांग तक एक टर्मिनेटर सेवा का परिचालन कर सकती है जिसका समापन हांग कांग में होगा ।

कैथे पैसिफिक इसके साथ-साथ किसी भी क्षमता वाले विमान के साथ दिल्ली होकर प्रति सप्ताह 2 अतिरिक्त सेवाओं का परिचालन कर सकेगा बशर्ते कि इन सेवाओं का पारगमन भारत में हो, कि पांचवीं स्वतंत्र यातायात अधिकारों का उपयोग न हो और ये दोनों एयरलाइनों के बीच 3/4 स्वतंत्र वाणिज्यिक करार की शर्तों के अधीन हो ।

(अ) मार्ग i और मार्ग ii

यू० के० की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् ब्रिटिश एयरवेज और कैथे पैसिफिक दोनों भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यातायात अधिकारों के अधीन प्रति सप्ताह 8 से अधिक सेवाओं का परिचालन नहीं कर सकेगी ।

(ii) भारत और यू० एस० ए० के बीच विमान सेवा करार

विद्यमान विमान सेवा करार के अधीन भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयर इंडिया और यू० एस० ए० की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् पनामा और टी० डब्ल्यू० ए० की क्षमता/आवृत्ति हकदारी बरमूडा सिद्धान्तों के अन्तर्गत शामिल होती हैं ।

तदनुसार एयरलाइनों को अलग-अलग आवृत्ति आवश्यकताओं का निर्धारण करने और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति होती है जिसकी बाद में, किसी भी सरकार के अनुरोध पर समीक्षा की जा सकती है ।

(iii) भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच विमान सेवा करार

करार के अधीन भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयर इंडिया और यू० एस० एस० आर० की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयरोफ्लोट प्रत्येक बी 707/आइ एल 62 क्षमता वाले किसी भी विमान के साथ प्रति सप्ताह 5 सेवाओं तक परिचालन कर सकती हैं ।

तथापि, दोनों एयरलाइनों द्वारा अभी हाल में सम्पन्न किए गए करार के अधीन (जिसे दोनों सरकारों ने अनुमोदित कर दिया है), एयरोफ्लोट को अपने विशालकाय आइ० एल० 86 विमान के साथ दो आवृत्तियों तक परिचालन करने की अनुमति दी गई है और इसके बदले में एयर इंडिया को ए 310/बी 747 आदि के विशाल-काय विमान के साथ परिचालन करने की अनुमति दी गई है ।

(iv) भारत और फ्रांस के बीच विमान सेवा करार

भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् एयर इंडिया को बी 747 क्षमता के विमान के साथ प्रति सप्ताह 7 आवृत्तियों तक परिचालन करने का हक है, जिनमें से 3 से अधिक टर्मिनेटर सेवाएं नहीं होगी ।

फ्रांस की नामित वाहक कम्पनी अर्थात एयर फ्रांस बी 747 क्षमता वाले विमान के साथ प्रति सप्ताह 6 सेवाओं का परिचालन कर सकेगी चाहे इनमें से एक सेवा का टर्मिनेटर भारत में हो अथवा प्रति सप्ताह 7 सेवाओं का परिचालन करेगी, यदि सभी सेवाओं का पारगमन भारत में हो । एयर फ्रांस दिल्ली को/से होकर प्रति सप्ताह 4 आवृत्तियों से अधिक और बम्बई को/से होकर प्रति सप्ताह तो आवर्तियों से अधिक परिचालन नहीं कर सकेगी ।

उपर्युक्त हकदारी के अलावा, दोनों नामित वाहक कम्पनियों में से प्रत्येक को प्रति

सप्ताह कार्गो विमान (बी 747 एफ सहित) एक आवृत्ति का परिचालन करने का हक होगा ।

(v) **भारत और जर्मनी के बीच विमान सेवा करार**

करार के अधीन भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात एयर इंडिया और जर्मनी गण राज्य की नामित वाहक कम्पनी, अर्थात लुफ्थांसा को, बी 747 क्षमता वाले विमान के साथ प्रति सप्ताह 8 सेवाओं का प्रचालन करने का हक है।

(vi) **भारत और जापान के बीच विमान सेवा करार**

भारत की नामित वाहक कम्पनी अर्थात एयर इंडिया और जापान की नामित वाहक कम्पनी अर्थात् जापान एयरलाइन को प्रति सप्ताह किसी भी विमान के साथ 8 आवृत्तियों तक परिचालित करने का हक है, तथापि, यदि डी० सी० 8 या बी 707 के अलावा किसी और विमान का उपयोग किया जाता है, तो आवृत्ति की हकदारी की गणना करने के लिए समुचित अनुपालन का उपयोग करना होगा। यह सहमति हुई है कि एक बी 747 सेवा की गणना 2 डी० सी० 8/बी 707 आवृत्तियों के बराबर मानी जाएगी ।

इसके अलावा एयर इंडिया ओसाका होकर प्रति सप्ताह दो से अधिक सेवाओं का परिचालन नहीं कर सकेगी और जापान एयरलाइन बम्बई को/से होकर प्रति सप्ताह 4 से अधिक सेवाओं का परिचालन नहीं कर सकेगी ।

(ग) **वास्तविक परिचालनों का विवरण**

(1) **भारत/इंग्लैंड/भारत**

मार्ग 1

एयर इंडिया वर्तमान में निम्न अनुसार लन्दन को/से परिचालन कर रही है :—

2 बी 747 समापक

7 बी 747 मार्गस्थ

1 डी सी 8-63 एफ समापक ।

ब्रिटिश एयरवेज निम्न अनुसार दिल्ली और बम्बई होकर प्रचालन कर रही है :—

दिल्ली	बम्बई
2 बी. 747 समपक	6 बी 747 मार्गस्थ
3 एल 1011 समापक	1 बी 747 केवल पूर्व दिशा में मार्गस्थ
2 बी 747 मार्गस्थ	
1 बी 747 केवल पश्चिमी दिशा में मार्गस्थ	

तथापि, ब्रिटिश एयरवेज द्वारा प्रति सप्ताह प्रचालन की जा रही 9 मार्गस्थ सेवाओं की तुलना में, वे सेवाओं में से केवल 7 पर पंचम विशेषाधिकार का निर्वाह करने के अधिकारी हैं।

मार्ग 2

एयर इंडिया प्रत्येक दिशा में हांगकांग के लिए 3 बी 747 मार्गस्थ पर तथा पश्चिमी दिशा में केवल 1 डी सी 8-63 एफ पर प्रचालन कर रही है। कैथे पैसिफक बम्बई पर 1 एल 1011 समापक और बम्बई होकर 3 एल 1011 मार्गस्थ का प्रचालन कर रही है।

(2) भारत/अमरीका/भारत

एयर इंडिया — न्यूयार्क पर समाप्त होने वाली प्रति सप्ताह 7 बी 747 सेवाएं।

पनाम — बम्बई पर समापक प्रति सप्ताह 3 बी 747 सेवाएं और दिल्ली पर 4 बी 747 सेवाओं का प्रचालन।

ट्रांसवर्ड एयरलाइंस-बम्बई पर समाप्त होने वाली 3 बी 747

(3) भारत/सोवियत गणराज्य संघ/भारत

एयर इंडिया — मास्को पर समापक 2 बी 707

एयरो फ्लोट — दिल्ली पर समापक 1 आई एल 86
दिल्ली होकर मार्गस्थ 3 आई एल 62 और कलकत्ता होकर 1 आई एल 62 समापक।

(4) भारत/फ्रांस/भारत

एयर इंडिया — पैरिस पर समापक 3 बी 747 और पूर्व दिशा में केवल पैरिस होकर 1 डी सी 8-63 एफ।

एयर फ्रांस — दिल्ली होकर 3 बी 747 मार्गस्थ।
बम्बई होकर 3 बी 747 मार्गस्थ।
दिल्ली पर समाप्त होने वाली 1 बी 747 मालवाहक।

(5) भारत/जर्मनी/भारत

एयर इंडिया — फैंक फर्ट समापक 1 बी 747।
3 बी 747 मार्गस्थ।
1 डी सी 8-63 एफ समापक।
2 डी सी 8-73 एफ मार्गस्थ।

लुफथांसा — दिल्ली होकर 4 बी 747 मार्गस्थ।
बम्बई होकर 4 डी सी 10 मार्गस्थ।

(6) भारत/जापान/भारत

एयर इंडिया — टोकियो पर समापक 3 बी 747 (जिसमें से एक ओसाका से टोकियो पर मार्गस्थ होगी) टोकियो पर 1 डी सी 8—63 एफ समापक।

जापान एयरलाइंस — दिल्ली पर समापक 1 डी सी 10
दिल्ली होकर 2 डी सी 10 मार्गस्थ।

(घ) एयर इण्डिया को निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार, किसी भी राष्ट्र के एक शहर से अधिक शहर पर यातायात के लेने/उतारने का अधिकार होगा :—

राष्ट्र	स्थान
1. इंग्लैण्ड	लन्दन बिरमिंघम हांगकांग
2. सोवियत संघ	मास्को ताशकंद
3. फ्रांस	पैरिस नीश
4. जर्मन जनवादी गणराज्य	फ्रैंकफर्ट और एयर इंडिया की इच्छा के अन्य।
5. जापान	टोकियो ओसाका
6. कनाडा	मांट्रियाल टोरन्टो
7. आस्ट्रेलिया	पर्थ सिडनी

2. 5, 6 और 7 को छोड़कर, एयर इंडिया को बिना यातायात अधिकारों के उसी सेवा पर अन्य राष्ट्र में सभी केन्द्रों पर परिचालन करने का अधिकार नहीं होगा।

3. जापान के मामले में, टोकियो और ओसाका को वही सेवा प्रदान की जा सकती है परन्तु ऐसा बिना स्थानीय अथवा स्टापओवर यातायात अधिकारों के किया जा सकेगा।

4. कनाडा के मामले में, एयर इंडिया को उसी सेवा पर दोनों स्थानों पर प्रचालन करने का अधिकार होगा परन्तु मांट्रियाल और टोरंटो के बीच तथा इसके विपरीत यातायात अधिकारों का निर्वाह न कर सकेगी।

5. ऑस्ट्रेलिया के मामले में एयर इंडिया को पर्थ/सिडनी क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय स्टाप ओवर यातायात के वहन का अधिकार है।

[हिन्दी]

नागर विमानन का विकास

621. **श्री राजकुमार राय :**
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में नागर विमानन के विकास के लिए एक पांच वर्षीय कार्यक्रम तैयार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार धार्मिक तथा पर्यटक स्थलों को विमान सेवा द्वारा जोड़ने का है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों को इससे जोड़े जाने की संभावना है ; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर विमान सेवा आरम्भ की जाएगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) देश में नागर विमानन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है । नागर विमानन की गतिविधियों में गुणात्मक और परिमाणात्मक सुधार करने के लिए सरकार निरंतर और समन्वित प्रयास करती रहती है।

(ख) नये स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने का निर्णय केवल धार्मिक और पर्यटन के महत्व के आधार पर नहीं लिया जाता बल्कि विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिचालनों का वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम होना और विमान-क्षेत्र तथा अन्य आधार-भूत सुविधाओं का उपलब्ध होना शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम् अस्पताल में भर्ती किया गया "एड्स" का एक संदिग्ध मामला

622. **श्री वक्कम पुरुषोतमन :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री सुरेश कुरुप :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी तक किसी "एड्स" के किसी मामले का पता चला है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज अस्पताल में "एड्स" का एक संदिग्ध मामला भरती किया गया था ;

(ग) क्या रोगी की वास्तविक बीमारी का पता लगाने के लिए पर्याप्त परीक्षण किए गए हैं ; और

(घ) क्या "एड्स" के निदान के लिए देश में पर्याप्त सुविधाएं हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) भारत में अब तक एड्स रोग से पीड़ित किसी रोगी का पता नहीं चला है। त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज अस्पताल में एक रोगी को दाखिल किया गया था जिसे एड्स रोग होने का सन्देह था और वास्तविक रोग का पता लगाने के लिए रोगी पर किये गये कई परीक्षणों के बाद पता चला कि रोगी एड्स रोग से पीड़ित नहीं था। एड्स का निदान करने के लिए देश में आमतौर पर सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने एड्स रोग से पीड़ित रोगियों के निदान के लिए राष्ट्रीय वायरोलाजी संस्थान, पुणे तथा क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेलौर में दो रेफरेंस प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली में भी एक निगरानी सैल खोला गया है।

चेंगेल स्टेशन का विकास

623. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे के चेंगेल स्टेशन पर प्लेटफार्म और सम्पर्क सड़क आदि के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। चेंगेल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म और पहुंच मार्ग के सुधार के लिए जनता और अध्यक्ष, उलूबेरिया नगर पालिका से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) सड़क की छोटी-मोटी मरम्मत पहले ही कर दी गयी है। सड़क की व्यापक मरम्मत और प्लेटफार्म सतह की मरम्मत का कार्य 1986-87 के दौरान पूरा कर लिया जायेगा।

नई दिल्ली-पलवल इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट सेवाएं

624. **श्री एस० एम० मुरुडी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने पलवल और नई दिल्ली के बीच इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ई० एम० यू०) की सेवाओं को बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

625. **श्री आनन्द पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया है जिसमें उनके संघ को विधितः मान्यता देने, वेतनमानों में संशोधन करने, सभी श्रेणी के अध्यापकों को समयबद्ध चयन वेतनमान देने, आन्तरिक पदोन्नति कोटे में 5 प्रतिशत तक वृद्धि करने, आदि के बारे में मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) इस संघ को कानूनी मान्यता देने का प्रश्न इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। तथापि, कर्मचारियों की मांगों पर विचार करना प्रत्येक संगठन में एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी अपने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करके उन्हें यथासंभव सीमा तक स्वीकार करता रहा है।

एयर इंडिया के यातायात की विकास दर

626. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान एयर इण्डिया यातायात के लिए विकास दर का निर्धारित लक्ष्य क्या था ;

(ख) क्या उक्त विकास दर को प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) सातवीं योजना के लिए एयर इण्डिया के विकास दर के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) एयर इण्डिया में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) मई, 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के मध्य में किए गए मूल्यांकन में एयर इण्डिया में 9.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत यातायात वृद्धि का अनुमान था परन्तु मुख्यतः ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इस स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(घ) एयर इण्डिया ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत औसत यायायात वृद्धि का अनुमान लगाया था। यातायात के संशोधित अनुमान 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक हैं।

(ङ) भारत में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए एयर इण्डिया ने, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के यातायात के लिए विशेष भ्रमण किराए लागू करना।

(ii) दूसरी एयरलाइनों और होटलों से कम "आफ पीक" किराए और शुल्क लेने के लिए आग्रह करना।

(iii) यात्रा एजेंटों और भ्रमण प्रचालकों के लिए परिचालक दौरे आयोजित करना।

(iv) भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय के सहयोग से यात्रा लेखकों, पत्रकारों और मीडिया कार्मिकों के लिए भारत के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर वार्षिक दौरे आयोजित करना।

(v) होटल सुविधाओं, पर्यटन आधार-भूत सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न तत्वों को दर्शाने की दृष्टि से चुने हुए पर्यटन केन्द्रों को फिल्माने के लिए विभिन्न देशों के टी० वी० दलों और फिल्म कंपनियों को प्रायोजित करना।

(vi) प्रमुख होटलों के सहयोग से विदेशों में पर्यटन सेमिनारों और खाद्य मेलों के आयोजनों में भाग लेना।

(vii) भारत में पर्यटन सेमिनार आयोजित करना और भ्रमण प्रचालनों को गोवा, काश्मीर, लद्दाख और दक्षिणी भारत के गंतव्य स्थानों पर इस दृष्टि से ले जाना कि इन क्षेत्रों में यातायात की वृद्धि हो सके।

(viii) भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय होटल निगम के सहयोग से भ्रमण के दौरान पर्यटकों के ठहरने की कम लागत पर व्यवस्था करना जिससे वे भारत को बिना देखे-ही न चले जाएं ; और

(ix) हिमालय पर्वतारोहण कार रैली, हैंग ग्लाइडिंग और नदी अभियान जैसे विशिष्ट आयोजन करना।

सिल्चर-जिरीबाम रेल लाइन का निर्माण

627. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिल्चर-जिरीबाम रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने पहले कहा था कि उक्त लाइन 1986 में चालू हो जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जनवरी 1986 तक निर्माण कार्य की प्रगति 33 प्रतिशत है।

(ख) इस परियोजना को पूरा करने का अनन्तिम लक्ष्य 1986 रखा गया था बशर्ते कि दिसम्बर, 83 तक पूरी जमीन मिल जाये और समुचित धनराशि उपलब्ध हो जाये।

(ग) रेलवे को जमीन मिलने में देरी होने और संसाधनों की तंगी के कारण, निर्माण कार्य

की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। मार्च 1984 तक केवल 50 प्रतिशत और शेष जमीन 1984-85 में उपलब्ध करायी गयी है।

अन्धापन दूर करने के लिए धनराशि का आबंटन

628. **श्री श्रीराम मूर्ति मट्टम** : क्या स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंधापन दूर करने के हेतु विटामिन "ए" की उपलब्धता और आहार सम्बन्धी अन्य कमियों में सुधार करने के लिए कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : बच्चों में विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीनता हो सकती है। विटामिन "ए" की कमी के कारण हो जाने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए एक रोगनिरोधन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों के पूरक आहार कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के आहार के स्तर में सुधार लाना है। विटामिन 'ए' की कमी के कारण हो जाने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए 1986-87 के दौरान रोगनिरोधन कार्यक्रम पर 140 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

629. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए "साफ्टवेयर" तैयार करने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यद्यपि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संगणक साक्षरता परियोजना के अन्तर्गत काफी संख्या में माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल करना चाहेगा चूंकि सातवीं योजना आबंटनों में इस परियोजना के लिए कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है, अतः यही संख्या निधियों की उपलब्धता के आधार पर तथा प्रायोगिक परियोजना के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप वर्षानुवर्ष आधार पर निश्चित की जाएगी।

(ग) साफ्ट-वेअर कार्यक्रम तथा प्रलेखन के लिए विनिर्देशन सहित स्कूलों में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन परियोजना (स्कू०सं०सा०त०अ०प०) के लिए साफ्ट वेअर के विकास के लिए एक कार्य दांचा रा०शै०अनु०प्र०परि० द्वारा विकसित किया गया है। स्कूलों में भाग लेने में प्रयोग हेतु अभी तक दस साफ्ट-वेअर पैकेज देश में ही तैयार किए गए हैं।

किरायों में की गई हाल की वृद्धि के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं में सुधार

630. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरायों में की गई हाल की वृद्धि के अनुरूप बस सेवाओं में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के विचाराधीन है ;

(ख) क्या नियमित रूप से कार्यालय जाने वालों के लिए रेलवे की भांति रियायती दरों पर पास प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां, निगम अपनी नगर बस सेवाओं में सकल सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है । तथापि दिल्ली परिवहन निगम की विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को रियायती पास जारी करने की अपनी पद्धति है और यह निम्नलिखित किस्म के पास जारी करता है :—

(1) पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को गंतव्य स्थान का मासिक पास	15 रु० 25 रु०	20 कि०मी० तक 20 कि०मी० तक
(2) आम जनता के लिये गंतव्य स्थान का मासिक पास	40 एकलकिराया	प्रतिदिन दो स्थानों के बीच एक बार यात्रा
(3) सभी रूट मासिक पास	100 रु०	बगैर प्रतिबन्ध के यात्रा की अनुमति
(4) पुलिस के लिए सभी रूट मासिक पास	50 रु०	,,
(5) प्रेस के लिए सभी रूट मासिक पास	70 रु०	,,
(6) छात्रों के लिए गंतव्य स्थान का मासिक पास	30 एकल किराया सीमा 12.50 रु०	किन्तु अधिकतम
(7) छात्रों के लिए सभी रूट मासिक पास	12.50 रु०	असीमित संख्या यात्रा की अनुमति

इसके अलावा दिल्ली परिवहन निगम निम्नलिखित श्रेणियों के यात्रियों को नगर बसों में प्रयोग के लिए निःशुल्क सभी रूट यात्रा पास भी जारी करता है—

(एक) अन्धे
(दो) गूंगे
(तीन) विकलांग व्यक्ति } जिन श्रेणियों के लिये सरकार द्वारा रोजगार में आरक्षण किया जाता है ।

(चार) महानगर परिषद, दिल्ली नगर निगम और नयी दिल्ली नगर पालिका के सदस्य ।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली परिवहन निगम जनता को काफी संख्या में रियायती पास देता है। इससे अधिक किसी प्रकार की रियायत देने से राजस्व आय पर असर पड़ने की संभावना है।

कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा हेतु नए कदम

631. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नए कदमों से कुष्ठ रोगियों का कितना उपचार हो सकेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। अधिक से अधिक क्षेत्रों में कार्यक्रम की गतिविधियां बढ़ाने के फलस्वरूप, नये रोगियों का पता लगाया जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि पता लगाये गये सभी रोगियों की बीमारी पर सन 2000 इस्वी तक काबू पा लिया जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्यनीति अपनाई गई है वह है रोगियों का शुरू में ही पता लगाना और उनका नियमित उपचार करना, चरणबद्ध ढंग से बहु-औषध उपचार शुरू करना, रोगियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना और उपचार किये गये रोगियों का पुनर्वास।

(ग) इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 403 कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें, 661 शहरी कुष्ठ केन्द्र, 6985 सर्वेक्षण शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र तथा 7 कुष्ठ पुनर्वास संवर्धन यूनिटें कार्य कर रही हैं।

स्वैच्छिक संगठन सर्वेक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण यूनिटों के माध्यम से ये सेवायें प्रदान कर रहे हैं। जिसके लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

कलकत्ता पत्तन में माल की उतराई-चढ़ाई में कमी

632. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में अब बड़े पोत नहीं आ सकते क्योंकि हुगली नदी की पोत वहन क्षमता तेजी से गिरती जा रही है ;

(ख) किसी भी पत्तन में पोतों के लिए 15/20 हजार डुबाव क्षमता की आवश्यकता होती है और इस समय कलकत्ता पत्तन की डुबाव क्षमता कितनी है ;

(ग) वर्ष 1947-48 में कलकत्ता पत्तन पर कितनी राशि का माल चढ़ाया-उतारा गया तथा कुल विदेशी व्यापार का यह कितने प्रतिशत था ;

(घ) वर्ष 1984-85 में कलकत्ता पत्तन पर कितना माल चढ़ाया-उतारा गया तथा इस वर्ष में सभी पत्तनों पर कुल कितनी राशि का माल चढ़ाया-उतारा गया तथा कलकत्ता पत्तन (हल्दिया पत्तन को छोड़कर) की प्रतिशतता क्या रही ; और

(ङ) कलकत्ता पत्तन में गिरावट आने के मुख्य कारण क्या हैं तथा सरकार का विचार एक महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

जल भू-तल विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) हुगली नदी में कम डुबाव होने, हुगली नदी के ऊपरी खण्डों में घुमावदार मोड़ों और लाक सिस्टम के निर्धारित आयाम के कारण कलकत्ता पोर्ट पर आने वाले जहाजों का आकार, उनकी लम्बाई और बीम को प्रतिबन्धित किया गया है।

(ख) 15,000 एम० टी० और 20,000 एम० टी० कार्गो वाले जहाजों के लिए क्रमशः लगभग 9 मीटर और 10 मीटर डुबाव अपेक्षित है। चूंकि यह टाइडल पोर्ट है, फरवरी 1986 में कलकत्ता में अधिकतम और न्यूनतम डुबाव क्रमशः 6.8 मीटर और 4.8 मीटर था।

(ग) 1947-48 में कलकत्ता पोर्ट ने 70.59 लाख टन कार्गो हैंडल किया था जो सभी महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कुल विदेशी व्यापार का 43.2% था।

(घ) 1984-85 में कलकत्ता पोर्ट ने, हल्दिया डाक सिस्टम को छोड़कर 39.88 लाख टन कार्गो हैंडल किया जबकि देश के सभी महापत्तनों ने 1067.36 लाख टन कार्गो हैंडल किया। हल्दिया को छोड़कर कलकत्ता पोर्ट द्वारा हैडल किए गए ट्राफिक की प्रतिशतता सभी महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कुल ट्राफिक का 3.7% है।

(ङ) हुगली नदी में सीमित डुबाव का होना जो मुख्यतः भारी सिल्टेशन की वजह से है और अपर्याप्त अपलैण्ड डिस्चार्ज का होना कलकत्ता पोर्ट में आई गिरावट के मुख्य कारण हैं। हुगली मुहाने में डुबाव में सुधार करने के लिए अगस्त, 1982 में 40.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक व्यापक योजना को संस्वीकृति दी गई थी और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना के पूरा हो जाने पर हल्दिया में वर्ष में 300 दिन 10.67 मीटर डुबाव और कलकत्ता में वर्ष में 200 दिन 7.9 मीटर डुबाव प्राप्त कर लेने का लक्ष्य है। यदि चैनल अनुकूल हो जाए तो ड्रेजिंग द्वारा डुबाव में और सुधार करना संभव हो जाएगा।

गांधी ग्राम इन्स्टीट्यूट आफ रूरल हैल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर अम्बाथुरै का प्रबन्धग्रहण

633. **श्री अजय विश्वास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के अन्ना जिले में गांधी ग्राम इन्स्टीटयूट आफ रूरल हैल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर अम्बाथुरै के प्रबन्धग्रहण के सम्बन्ध में ससद सदस्योंसे दिनांक 22नवम्बर, 1985 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) से (ग) सरकार को श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य तथा अन्यों से 22 नवम्बर, 1985 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के कुप्रबन्ध को देखते हुए और वहां के कर्मचारियों को काम की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उक्त संस्थान का अधिग्रहण करने को कहा गया है । संस्थान का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

शिक्षकों से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्टें

634. डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे शिक्षकों से सम्बन्धित दो राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्टें सरकार को किस-किस तारीख को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उनमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन आयोगों की नियुक्ति के क्या कारण हैं तथा उनके निदेश पद क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों – एक आयोग स्कूली स्तर के अध्यापकों के लिए है—की रिपोर्टें सरकार को 26-3-1985 को प्राप्त हो गई थी ।

(ख) दोनों शिक्षक आयोगों की मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ग) इन आयोगों का गठन संलग्न विवरण-II में यथानिर्दिष्ट विचारार्थ विषयों पर शिक्षण समुदाय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था ।

विवरण-1

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग-1 की मुख्य सिफारिशें

(1) अध्यापक की भूमिका राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की होनी चाहिए, विशेषकर :—

(i) संगठित भारत ;
(ii) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ;
(iii) उत्पादकता ;
(iV) सहृदय और सावधान सोसायटी ।

तथापि, यह समझा जाता है कि अध्यापक का प्राथमिक कार्य मनुष्य निर्माण से सम्बन्धित है, अर्थात आने वाले कल के लिए भारतीय का निर्माण ।

(2) निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय शुरू किए जाने चाहिए :—

(क) गृह-निर्माण हेतु ऋणों को आसान तथा नर्म बनाने के लिए अध्यापकों हेतु एक गृह राशि का सृजन करना ;

(ख) अध्यापकों के लिए गृह निर्माण सोसायटियों को प्रोन्नत करना ;

(ग) प्रमुख शहरों में अध्यापकों के लिए विश्राम गृहों की व्यवस्था ;

(घ) मूल वेतन के 75% की दर पर चिकित्सा भत्ता और प्रसूति तथा गम्भीर बीमारी में इलाज और चिकित्सा-खर्चों की कुल लागत की प्रतिपूर्ति करना ;

(ङ) स्कूल में प्रथम उपचार सुविधाओं की व्यवस्था ।

(3) सेवा-निवृत्ति के बाद अध्यापकों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा चिकित्सा जाँच उपलब्ध कराते रहना चाहिये ।

(4) आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-अध्यापकों के लिए एक लाख मकानों के निर्माण की व्यवस्था की जानी चाहिए । हमारी राय में 25,000/-रुपए की लागत पर एक साधारण आवासीय एकक का निर्माण करना सम्भव होना चाहिए ।

(5) अध्यापकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के कार्यकलापों को, गृह, चिकित्सा सहायता, पुस्तक-प्रकाशन, शिक्षा ऋण, अध्यापक विश्राम-गृहों आदि की योजनाओं को शामिल करने के लिए विविध बनाना चाहिए ।

(6) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में अध्यापकों और शैक्षिक प्रशासकों के वेतनमानों के अधिव्यय को एक सिंगल रनिंग स्केल से, बदलने की संभावना का गम्भीरता से पता लगाना चाहिए । देश मे अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासकों की सभी श्रेणियों के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय वेतनमान की दिशा में इसे पहले कदम के रूप में लिया जाना चाहिए ।

(7) आयोग द्वारा सुझाई गई नई वेतन निर्धारण नीति के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि औसतन राज्य में प्रत्येक माध्यमिक अध्यापक को कम से कम 100/-रुपये प्रति मास का लाभ होगा जबकि प्राथमिक अध्यापक के मामले में यह लाभ कम से कम 150/-रुपये प्रति मास का होगा ।

(8) आयोग यह सिफारिश करता है कि प्रस्तावित एक संयुक्त रनिंग स्केल में प्रवेश बिन्दु से पांच साल बाद और तत्पश्चात हर दस वर्ष के बाद दक्षता रो० की व्यवस्था होनी चाहिए । यह वेतन को निष्पादन के साथ जोड़ने के लिए किया गया है । आयोग का सुझाव है कि जिस प्रत्येक बिन्दु पर दक्षता रो० पड़ता है उसके पूर्व के वर्षों में सम्बन्धित शिक्षक के निष्पादन की समीक्षा करते वक्त संस्था के प्रमुख द्वारा इसे देखा

जाना चाहिए । यदि ऐसा मूल्यांकन उद्देश्यपूर्वक किया जाता है तो यह सिफारिश की जाती है कि आवश्यकता होने पर अन्य संस्था के प्रमुख अथवा ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए सुप्रसिद्ध किसी भी निरीक्षक को ऐसी समीक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है ।

(9) आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रनिंग स्कूल के कार्यान्वियन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार के घाटे को पूरा करना चाहिए ।

(10) प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों में वरिष्ठ पदों की संख्या को साथ-साथ लगातार बढ़ाने के वास्ते उप प्रधानाचार्य/प्रथम अध्यापक के पदों का सृजन किया जाना चाहिए । विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या का मोटे तौर पर समनुरूप वितरण इस प्रकार होना चाहिए :

सहायक अध्यापक (60 प्रतिशत), वरिष्ठ अध्यापक (25 प्रतिशत), उप-प्रधानाचार्य (10 प्रतिशत) और प्रिंसिपल/मुख्याध्यापक (5 प्रतिशत)

(11) शारीरिक शिक्षा, भारतीय भाषाओं, संगीत, चित्रकला आदि के अध्यापकों के वेतन तथा अन्य कार्य परिस्थितियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ।

(12) आयोग सिफारिश करता है कि सातवीं योजना काल के दौरान प्रत्येक राज्य को कम से कम एक चार वर्षीय समेकित शिक्षा कालेज शुरू करना चाहिए ।

(13) प्रारम्भिक अध्यापकों के लिए कक्षा-XII के पश्चात दो वर्ष का प्रशिक्षण वांछनीय है । इस विषय में प्रयत्न किये जाने चाहिए कि यथाशीघ्र प्रारम्भिक अध्यापकों के प्रशिक्षण तरीके को सामान्य प्रशिक्षण तरीके में स्थापित किया जाये ।

(14) यह सिफारिश जोर देकर की गई है कि भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण केवल उन्हीं अध्यापकों तक सीमित होना चाहिये जो कि पहले से ही भर्ती किए जा चुके हैं या जिनका भर्ती के लिये चयन हुआ है ।

(15) प्रत्येक सेवारात प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्य रूप से एक कार्यशाला के रूप में होना चाहिए जिसमें अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के साथ-साथ वास्तविक व्यावहारिक कार्य के लिये अवसर प्रदान किये जाएं और शामिल होने वाले शिक्षक उक्त सामग्री को अपने स्कूलों में प्रयोग के लिये अपने साथ वापिस ले जा सके ।

(16) राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षक आचार संहिता शिक्षक संगठनों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिये ।

(17) काम न करने वाले और अकुशल व्यक्तियों में से योग्य और अनुशासन बद्ध व्यक्तियों का सरल और स्वाभाविक रूप से पता लगाने के लिये यह एक अन्य महत्वपूर्ण कदम होगा । अनुशासनात्मक कार्रवाई के संचालन को अधिक तेज और अधिक कुशल बनाया जाना है ।

(18) स्कूल के कार्य में मुख्याध्यापक की भूमिका के आलोचनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका चयन हमेशा योग्यता-व-वरिष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए और न कि वरिष्ठता-व-औचित्यता के आधार पर ।

(19) स्कूल शिक्षा में स्तरों के सुधार के लिए एक राष्ट्रीय संगठन फौरन स्थापित किया जाना चाहिये ।

(20) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में कानूनी शक्तियां निहित होनी चाहिए ।

(21) देश में शिक्षक व्यवसाय के स्तर को बढ़ाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और शैक्षणिक विकास की गति को तेज करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा को पुन: शुरू करने की जोरदार सिफारिश की जाती है ।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II की मुख्य सिफारिशें

(1) मानव निर्माण तथा समाज निर्माण के कार्यकलाप के रूप में शिक्षा पर अवश्य ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए । शिक्षकों की भूमिका परिवर्तनकर्ता के रूप में, ज्ञान संग्रहकर्ता के रूप में और समुदाय के साथ सहयोगकर्ता के रूप में समझा जाना चाहिए । ज्ञान के प्रसार के संदर्भ में शिक्षक को अद्यतन रहना होगा निरन्तर अध्ययन करने की आवश्यकता होगी । व्याख्यान प्रणाली ही पर्याप्त नहीं होगी और क्षेत्र कार्य, परियोजनाओं, सेमिनारों, अनुकरणीय अभ्यासों, समस्या-निराकरण, विषयों ट्यूटोरियल्स और अध्यापन-अध्ययन की प्रगतिशील तरीकों जैसे अनेक उपायों को करने होंगे। यह खासकर इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रवृत्तियों, आचरण मूल्यों, और सामाजिक तथा विकासात्मक विषयों के विकास को प्रोत्साहित करने की विशेष जरूरत है ।

(2) पूरे देश में अध्यापकों के रहने और कार्य करने की स्थितियों मे सुधार होना चाहिए । देर से नौकरी शुरू करने को पूरा करने के लिए, अग्रिम वेतनवृद्धि संस्वीकृत की जानी चाहिए । कम से कम 25% शिक्षकों को कार्यात्मक स्वरूप की आवासीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । संस्थाओं को ब्याज की कम दरो पर ऋण देने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का एक आवर्ती कोष बनाया जाना चाहिए । शिक्षकों को गृह निर्माण अग्रिम भी संस्वीकृत किया जाना चाहिये ।

(3) शिक्षकों को वाहन खरीदने के लिये ऋण संस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(4) कालेजों में कम से कम 25%अध्यापकों के क्यूबीकल लाकर्स होने चाहिए ; इस उद्देश्य के लिए 150 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए ।

(5) सभी अध्यापकों को 50 रु० प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाना चाहिए और जहां अस्पताल में रहकर इलाज हुआ हो, वहां पूरा खर्च वहन करने का प्रावधान होना चाहिए ।

(6) भविष्य निधि ग्रेच्युटी, पेंशन और सामूहिक बीमा जैसे सेवा-निवृत्त के लाभ सभी अध्यापकों को अवकाश और यात्रा सुविधाओं के अलावा उपलब्ध होने चाहिए ।

(7) प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षक के बच्चों को दाखिला को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(8) 25% अध्यापकों की नियुक्ति राज्य के बाहर से होनी चाहिए ।

(9) शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश स्तर पर बिल्कुल योग्यता के आधार पर चयन करना बहुत ही आवश्यक है । एक अखिल भारतीय परीक्षा होनी चाहिये और वे ही विचारार्थ पात्र होने चाहिए जो प्राप्त किया हो । वि० अ० आ० द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं जारी रहनी चहिए ।

रीडरों और प्रोफेसरों के उच्च स्तरों पर सभी नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर खुले चयन द्वारा होनी चाहिए । प्रोफेसर के उच्च ग्रेड के लिए एक राष्ट्रीय चयन होना चाहिए ।

(10) अध्यापकों को प्रशिक्षण तथा अपने ज्ञान को बनाए रखने का व्यवस्थित किन्तु लघु पाठ्यक्रम हर पाँच वर्ष के बाद प्राप्त करना चाहिए । अध्यापकों को पूर्व-प्रवेश स्तर पर कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अपनी एम० फिल०/पी० एच० डी० प्राप्त करते हुए प्रगतिशील अध्यापक शिक्षणोन्मुख विशिष्ट पाठ्यक्रमों को भी अपना सकते हैं । फिर शिक्षण व्यवसाय में शामिल होने के फौरन बाद अध्यापक को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिये ताकि वह व्यावसायोन्मुख तथा इसके मूल्यों, अध्यापन में कुशलता, पाठ्यचर्या निर्माण, श्रव्य-दृश्य सहायता के उपयोग, सम्प्रेषण कुशलता, शैक्षिक मनोविज्ञान और मूल्यांकन पद्धतियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर सके । अध्यापकों को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में आवधिक पुनः प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं दी जानी चाहिए । ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये राज्य/क्षेत्रीय स्तरों पर उच्च केन्द्र और/या विभागों की स्थापना की जानी चाहिए, प्रत्येक अध्यापक को ऐसे किसी एक केन्द्र/विभाग के साथ जुड़ा होना चाहिए तथा इसके कार्यक्रमों में समय-समय पर अर्थात हर पांच वर्ष में एक बार भाग लेना चाहिए । ऐसे कार्यक्रमों में अध्यापक के निष्पादन का गहराई से मूल्यांकन किया जाना चाहिये और शैक्षिक जीवन के विकास के संदर्भ में इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

(11) प्रत्येक श्रेणी के लेक्चरारों, रीडरों और प्राध्यापकों के लिये स्पष्ट ग्रेड होने चाहिये । 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले व्यक्ति के औसत निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और ठीक पाये जाने पर वह अगले ग्रेड में जा सकता है । इसे औसत स्तर कहा गया है । इस प्रक्रिया को यदि अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाए, अध्यापक की उसकी सेवा में अनेक पदोन्नतियां होंगी और किसी भी एक अध्यापक को जो अधिकतम वेतनमान मिल सकता है उसके 75% तक पहुंच सकता है । योग्य अध्यापक को, जब उसने किसी खास स्तर पर 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विशेष मूल्यांकन के लिए अपना जीवनवृत्त और उपलब्धि प्रस्तुत करने का पात्र होना चाहिए और यदि वह सांविधिक चयन समिति द्वारा योग्य पाया जाता है तो वह, उसी वर्ग या पदवी के अगले उच्चतर ग्रेड में जा सकता है ।

(12) उत्तर स्नातक कालेजों में प्रोफेसर के ग्रेड लागू करने की सम्भावना के साथ कालेजों में रीडरों के ग्रेड आरम्भ किये जाने चाहिये ; अध्यापकों को अपने सेवा लाभों की एक विश्वविद्यालय/कालेज से दूसरे तक ले जाने के योग्य होना चाहिए। महिला अध्यापकों को अंशकालिक कार्य, जैसी विशेष सुविधाएं, यदि उनकी पारिवारिक स्थितियों के कारण यह अपेक्षित हो, दी जानी चाहिए और संस्थानों द्वारा शिशु-पालन गृह स्थापित किए जाने चाहिए।

(13) अध्यापकों को कार्यकलापों के संचालन और प्रबन्ध में बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, संस्थानों के शासी निकायों को जिम्मेदार होना चाहिए। अध्यापक संघों को अपने सदस्य अध्यापकों के व्यावसायिक निष्पादनों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्ट परिभाषा को स्वीकार करना चाहिए। उनकी शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए एक तन्त्र होना चाहिए।

(14) कोई भी व्यवसाय और सेवा करो या न करो के बिना टिक नहीं सकती। अध्यापकों के लिए शैक्षणिक कर्तव्यों जैसे-भाषणों, प्रदर्शन, मूल्यांकन मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण आदि से बचना अवांछनीय है। छात्रों के मूल्यांकन में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसे अन्य छात्रों और अध्यापकों के विरुद्ध छात्रों को उकसाना नहीं चाहिये। उसे उपयुक्त प्रशासनिक और शैक्षणिक निकायों के निर्णयों को पालन करने से मना नहीं करना चाहिए। आचार संहिताओं में ऐसे और इस प्रकार के तत्व नवीन नहीं हैं। शिक्षण समुदाय को निष्पादन का उपयुक्त मानदण्ड अपनाना चाहिए ताकि इसे हमारे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सके।

विवरण-2

इन आयोगों के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) देश की विरासत और लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप उत्कृष्टता की खोज, उदार दृष्टिकोण और मान्यताओं का शिक्षण व्यवसाय के लिये स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना ;

(2) इस व्यवसाय के सदस्यों को समुचित स्तर प्रदान करने के लिए उपायों का पता लगाना ;

(3) इस व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ाने और विश्व में अन्यत्र घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजगता पैदा करने के लिए उपाय सुझाना ;

(4) शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें इस व्यवसाय में बनाए रखने तथा भर्ती, विशेषकर महिलाओं की भर्ती, के आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ;

(5) शिक्षकों के लिये सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनुस्थापन के मौजूदा प्रबन्धों की समीक्षा करना और सुधार के लिये सिफारिशें करना ;

(6) अध्यापन के लिए बेहतर पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग की समीक्षा तथा सिफारिफ करना ;

(7) ज्ञान, निपुणता तथा मान्यताएं अर्जित करने में छात्रों को सहायता प्रेरणा और प्रोत्साहन तथा उनके जरिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, पर्यावरणात्मक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने में अध्यापकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ;

(8) समुदाय में और घर पर विकास कार्य के साथ शिक्षा को जोड़ने में शिक्षकों की भूमिका का पता लगाना ;

(9) अनौपचारिक और सतत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिनके द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ;

(10) व्यावसायिक विकास और व्यावसायिक जागरूकता में शिक्षक संगठनों की भूमिका का पता लगाना ;

(11) शिक्षकों के लिए एक स्वीकार्य और कार्यान्वित की जा सकने वाली आचरण संहिता तैयार करने की संभावना की जांच करना ;

(12) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के विशेष संदर्भ में शिक्षकों के कल्याण को प्रोन्नति के प्रबंधों का मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो वहां सुधार का सुझाव देना।

[अनुवाद]

देश में नकली औषधियों का परिचालन

635. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूरे देश में अनेक नकली औषधियों के विक्रय के बारे में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों को पकड़ने और इन जाली औषधियों के उत्पादन और बिक्री में शामिल लोगों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये नियमों के अन्तर्गत राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण किया जाता है। इसलिए नकली और मिलावटी औषधियों के उत्पादन और बिक्री का पता लगाने की कार्रवाई मुख्यतया उनके द्वारा ही की जानी होती है। नकली दवाइयों के निर्माण अथवा बिक्री के किसी मामले का पता चलने पर राज्य औषध अधिकारी नकली दवाइयों के जब्त करने की कार्यवाही करते हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाते हैं।

(ख) मिलावटी दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स की स्थापना की थी जिसकी निम्नलिखित सिफारिशें थी कि :

(1) प्रत्येक औषधि निर्माता एकक के पास कम से कम परीक्षण की सुविधाएं होनी चाहिएं।

(2) ड्रग फार्मूलेशनस की लाइसेंसिंग पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए।

(3) राज्यों निरीक्षणालय के स्टाफ को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(4) नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री की समस्या से निपटने के लिए एक अलग आसूचना तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

(5) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन अपराधों से निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए।

इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों को सूचित की गयी थीं और राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया था कि वे इन सिफारिशों को लागू करें। राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा मासिक रिपोर्टें भेजी जाने के लिए एक प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे लिए नमूनों और उनके बिश्लेषण के संबंध में मासिक रिपोर्टें भेजें। इन रिपोर्टों को समेकित किया जाता है और उन पर टिप्पियां की जाती हैं। राज्य यूनिट को औषध परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की एक सूची भी भेज दी गयी है और राज्य-सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तदनुसार अपनी प्रयोगशालाओं को उपकरणों से लैस करें। विशेष रूप से औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 22 फरवरी, 1986 को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे घटिया और नकली औषधियों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को समाप्त करने के उद्देश्य से औषध नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाएं।

व्यर्थ चले जाने वाले जल का उपयोग

636. **श्री पी० कुलनदई वेलू** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कि कितना जल प्रति वर्ष समुद्र में व्यर्थ चला जाता है एक राष्ट्रीय जल आयोग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) कितना जल व्यर्थ जा रहा है ; और

(ग) देश में सिंचाई कार्यों के लिए जल की कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : समुद्र में कितना जल बह कर चला जाता है, इसका कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) जल वैज्ञानिक, स्थलाकृति, पर्यावरण और अन्य सीमाओं तथा अनुचितनों के कारण, कुल उपलब्ध जल संसाधनों का केवल एक हिस्सा उपयोग में लाया जा सकता है। सिंचाई के लिए उपयोज्य जल संसाधनों में से लगभग आधे का उपयोग किया जा रहा है।

सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

637. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इन्हें स्थापित किया जायेगा ;

(ग) ऐसे अन्य स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे और वे कब तक खोले जायेंगे ;

(घ) सातवीं योजना के दौरान सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ; और

(ङ.) उक्त केन्द्रों की क्या गतिविधियां होंगी ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सात सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । ये पटियाला (उत्तर क्षेत्र), शान्तिनिकेतन (पूर्व क्षेत्र) थंजावूर (दक्षिण क्षेत्र), उदयपुर (पश्चिम क्षेत्र), इलाहाबाद (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), दीमापुर (उत्तर-पूर्व क्षेत्र) और नागपुर (दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र) में स्थापित किए जाएंगे ।

(घ) केन्द्रीय सरकार सातवीं योजना में 5 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र प्रदान करेगी।

(ङ.) केन्द्रों से यह परिकल्पना की गई है कि वे सृजनात्मक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे और विभिन्न कला स्वरूपों को, विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्पर्कों पर इनके कार्यकलापों पर विशेष बल देते हुए पुनरूज्जीवित करेंगे तथा लोगों की चेतना को उनके सांस्कृतिक दाय के बारे में समृद्ध करेंगे । संस्थागत रूप से, एक ऐसे परिसर की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रदर्शनियों के लिए वीथियां, मूर्तिकलात्मक-उद्यान, संगीत के अभिलेखागार/पुस्तकालय के लिए सुविधाएं, दृश्य-श्रव्य तथा वीडियो-टेप कार्यक्रमों का निर्माण आदि शामिल होंगे ।

भारत द्वारा फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भाग लिया जाना

638. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में होने वाले पुस्तक मेले में भाग लेने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक अफ्रीकी प्रकाशक फर्म आदि इस पुस्तक मेले में भाग ले रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दक्षिण अफ्रीकी फर्मों के साथ भारत का भाग लेना दक्षिण अफ्रीका के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के विपरीत है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला एक वार्षिक उत्सव है, जिसमें अफ्रीकी देशों सहित 100 से अधिक देश भाग लेते हैं ।

(ग) जी नहीं। दक्षिणी अफ्रीका से भाग लेने वालों के साथ भारत का कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा।

बकिंघम और कृष्णा नहर परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि

639. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बकिंघम नहर और कृष्णा नहर परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कार्य में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में तमिलनाडु में ऐन्नोर से आन्ध्र प्रदेश बार्डर के बीच नार्थ बकिंघम नहर प्रखण्ड के विकास के लिए 2.00 करोड़ रु० और आंध्र प्रदेश में बकिंघम नहर के विकास के लिए, जिसमें कृष्णा और गोदावरी कैनाल सिस्टम यानी कोम्मामूर, इलूरु कनाल और ककिनाडा नहर का विकास भी शामिल है, 3.00 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। ककिनाडा और मद्रास पत्तनों के बीच नौचालन के लिए केनाल सिस्टम (बकिंघम केनाल-कोम्मामूर केनाल-इलूरु कनाल-ककिनाडा केनाल) को जोड़ने के लिए एक व्यावहारिक सम्भाव्यता का अध्ययन जर्मन गणराज्य संघ के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। जर्मन गणराज्य संघ के एक एक्सपर्ट उक्त अध्ययन के संबंध में शर्तें तैयार करने की दृष्टि से इस केनाल का निरीक्षण पहले ही कर चुके हैं। इसके अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल का प्रस्ताव रखा गया है।

(ग) संभाव्यता अध्ययन के परिणामों और विश्लेषण के बाद ही विकास कार्यों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

[हिन्दी]

आगरा और झांसी के बीच एक शटल गाड़ी चलाना

640. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगरा और झांसी के बीच एक शटल गाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ग्वालियर और सवाई माधोपुर के बीच बरास्ता संबलगढ़, शिवपुर कलां तक एक बड़ी अथवा मीटर लाइन बिछाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस लाइन के लिये 1986-87 के दौरान सर्वेक्षण आरम्भ करने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री भाषवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इन लाइनों के लिए विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की शासी परिषद

641. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास की शासी परिषद के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) न्यास के गठन के बाद सरकार द्वारा इसे कितनी अनुदान सहायता मन्जूर की गई/दी गई तथा किन शर्तों पर दी गई ;

(ग) न्यास के गठन के बाद सरकार द्वारा इसे कितना ऋण मन्जूर किया गया/दिया गया तथा किन शर्तों पर ;

(घ) क्या सरकारी विभाग या एजेन्सी द्वारा न्यास को कोई ठेका दिया गया उसका संक्षिप्त विवरण और मूल्य क्या है ; और

(ङ) न्यास के गठन के बाद इसकी क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2080/86]

हैदराबाद में खुला विश्वविद्यालय

642. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1986 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में खुले विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त करने संबंधी अपनी मांग पर जोर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद वि० अ० आ० अधिनियम की धारा 12 ख के अन्तर्गत बनाए गए नियमानुसार

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है बशर्ते कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किया जाये एवं विश्वविद्यालय से इस आशय का आश्वासन प्राप्त हो जाये कि वह 87.84 लाख रु० की बकाया राशि स्टूडियो, पुस्तकालय एवं शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्य में उपयोग करेगा ताकि विश्वविद्यालय के पास 2 करोड़ रु० के मूल्य की कुल स्थायी परिसम्पत्तियां हो जाये ।

आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नये उपरिपुल पर एक मालगाड़ी का पटरी से उतरना

644. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**
श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जनवरी, 1986 को आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नए उपरिपुल पर एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना से कृष्णा नदी पर रेलवे लाइन और पुल को भारी क्षति पहुंची यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां । 14 जनवरी, 1986 को 1.30 बजे विजयवाड़ा के निकट कृष्णा नदी के नये पुल पर गाड़ी पटरी से उतर गयी थी ।

(ख) जी हां । गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण रेल पथ और पुल को भारी क्षति हुई थी । रेल पथ और पुल को हुई क्षति की अनुमानित लागत क्रमशः 18,600/रु० तथा 2.45 लाख रुपये हैं ।

(ग) दुर्घटना की अन्तः विभागीय जांच की गयी है । जांच समिति द्वारा दुर्घटना का कारण माल डिब्बे तथा रेल पथ की खराबियां बताया गया है ।

(घ) (1) गाड़ी जांच को गहन करना ।

(2) रेल पटरी की टूट-फूट का पता लगाने के लिए पराध्वनिक परीक्षण युक्तियों के उपयोग सहित रेल पथ के अनुरक्षण में सुधार ।

(3) महत्वपूर्ण पुलों के पहुंच मार्गों पर स्वतः पुनः पटरी बिछाने की युक्तियों की व्यवस्था ।

(4) महत्वपूर्ण पुलों के पहुंच मार्गों पर गार्डों तथा ड्राइवरों के बीच "आल राईट" सिगनलों की अदला-बदली के सहायक नियमों में अपेक्षित आशोधन ; और

(5) अनियमितताओं तथा कमियों का पता लगाने के लिए निरीक्षकों और अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षण ।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों का अपहरण

645. **श्री टी० बशीर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के अपहरण के कितने मामले हुए और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन घटनाओं में अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ग) उन मामलों में अपहरणकर्त्ताओं को क्या दण्ड दिया गया और कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1983, 1984 और 1985 के दौरान, इंयिडन एयरलाइन्स के विमानों की दो घटनाएं हुई। पहले मामले में, 5 जुलाई, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी—405 (एयरबस 300) का जो दिल्ली होकर श्री नगर से बम्बई के लिए अपनी अनुसूचित उड़ान पर थी, श्रीनगर से उड़ने के तुरन्त बाद अपहरण कर लिया गया था। दूसरे मामले में, 24 अगस्त, 1984 को, इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ान संख्या आई० सी०—421 (बोइंग-737) का जो चंडीगढ़ और जम्मू होकर दिल्ली से श्रीनगर की अपनी अनुसूचित उड़ान पर थी, चंडीगढ़ से उड़ान भरने के तुरन्त बाद अपहरण कर लिया गया था ।

(ख) और (ग) अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार पहली घटना में पाकिस्तान में लौहार में एक विशेष न्यायालय द्वारा नौ अपहरणकर्ताओं के विरूद्ध मुकदमा चलाया गया था । न्यायालय ने तीन अपहरणकर्ताओं को मृत्यु-दंड और दो अप-हरणकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा दी । इसके अतिरिक्त, इनमें से प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया जिसके अदा न करने पर उन्हें छः मास की सजा और भुगतनी होगी । शेष चार अपहरणकर्ताओं को बरी कर दिया गया। दूसरी घटना में, अजमेर में अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत में मुकदमे की कार्रवाई होनी है ।

खसरे के टीके

646. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खसरे के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी मौतें हुईं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने प्रतिशत लोगों को इसके टीके लगे ; और

(ग) क्या पूरे देश में टीके लगाने की व्यवस्था के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) केवल चालू वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान ही खसरे की रोकथाम के लिए टीके लगाने शुरू किये गये हैं ।

आधारभूत ढांचे से संबंधित संसाधनों और वैक्सीन की सप्लाई की स्थिति को देखते हुए सातवीं पंच-वर्षीय योजनावधि में खसरे का टीका लगाने के कार्यक्रम का चरणवद्ध रूप से विस्तार किया जाएगा और खसरे का टीका लगाये जाने वाले शिशुओं की संख्या 1985-86 में 23 लाख (10 प्रतिशत) से बढ़कर 1989-90 में 183 लाख (85 प्रतिशत) हो जाएगी ।

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान खसरे से हुई कुल मौतों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मौतें
1983	290
1984	472
1985	483 (अनंतिम)

यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति

647. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यौन रोगों से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं ;

(ख) क्या यौन रोगों की संख्या में कमी हो रही है ; और

(ग) यौन रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए क्या प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अनुमान है कि देश में लगभग 9,19,085 लोग यौन प्रसारित रोगों से ग्रस्त हैं । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस रोग की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है ।

सरकार ने निम्नलिखित निवारक उपाय किए हैं :—

(i) देश में 250 से भी अधिक एस० टी० डी० क्लिनिक कार्य कर रहे हैं । ये क्लिनिक अधिकांशतः जिला अस्पतालों में स्थित हैं लेकिन कुछेक राज्यों में ये क्लिनिक उप जिला स्तर पर भी उपलब्ध हैं ।

(ii) केन्द्रीय सरकार सेवारत चिकित्सा अधिकारियों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, जन स्वास्थ्य नर्सों और स्वास्थ्य शिक्षकों को यौन संचारित रोग अध्ययन संस्थान मद्रास, मेडिकल कालेज, मद्रास और एस० टी० डी० प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्र सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में शिक्षण और प्रशिक्षण दे रही है ।

(iii) एक सर्वेक्षण एवं मोबाइल एकक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली भी कार्य कर रहा है ।

(iv) केन्द्रीय सरकार यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को शेकर, वाटर-बाथ

और "हाट एयर ओवन" जैसे उपकरणों की सप्लाई कर रही है ताकि गर्भवती महिलाओं की वी० डी० आर० एल० जांच की जा सके।

(v) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित सेवाओं की स्थापना की :—

(1) मौजूदा केन्द्रों के अलावा नागपुर, कलकत्ता और हैदराबाद में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

(2) मद्रास में स्थित मौजूदा क्षेत्रीय यौन प्रसारित रोग रेफरेंस प्रयोगशाला के अलावा नागपुर, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद में ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(3) इस रोग के महामारी सम्बन्धी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं मोबाइल एस० टी० डी० एकक की स्थापना।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

648. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के महीने में देश के सभी पांचों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सभी हवाई अड्डों पर मुलाकातियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या थे ; और

(ग) हवाई अड्डों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कब तक जारी रहेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी हां। नागर विमानन में उग्रवादियों द्वारा नए सिरे से गैर-कानूनी हस्तक्षेप करने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर जनवरी, 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। और सभी हवाई अड्डों पर मुलाकातियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

(ग) हवाई अड्डों पर मुलाकातियों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश 31 जनवरी, 1986 की मध्यरात्रि से रद्द कर दिया गया था।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में परीक्षा प्रणाली में सुधार पर विचार-विमर्श

649. **डा० टी० कल्पना देवी** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परीक्षा प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में जनवरी, 1986 में हुये राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया ;

(ख) वर्तमान परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के प्रश्न पर क्या विचार व्यक्त किये गये हैं ; और

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित किसी अन्य मामले पर चर्चा की गई, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 23-24 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता तथा प्रशंसनीयता के प्रश्न पर चर्चा की तथा परीक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की :—

(एक) शिक्षण के लिए जिम्मेदार संकाय द्वारा नियमित आधार, पर, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक दोनों, आन्तरिक मूल्यांकन ।

(दो) शिक्षण-अध्ययन प्रक्रियाओं के साथ छात्र निष्पादन के मूल्यांकन का समेकन ।

(तीन) उपलब्धियों में मानकों की तुलनीयता के बारे में एक राष्ट्रीय जांच सेवा की स्थापना । ये जांच वैकल्पिक हो सकती हैं तथा इसमें व्यक्तित्व परीक्षण का तत्व भी शामिल होना चाहिए ।

(चार) विश्वविद्यालय डिग्री को नौकरी से अलग करना जिसमें किसी विशेष विषय पर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

अन्य विषय, जिसकी सम्मेलन में चर्चा की गई थी, उस में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का सृजन ।
2. गैर-औपचारिक शिक्षा सहित प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण ।
3. माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिकरण ।
4. प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा ।
5. उच्च शिक्षा के लिए पहुंच, पाठ्यक्रमों का डिजाइन तथा स्वरूप अनुसंधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार आदि की भूमिका ।
6. शिक्षक निष्पादन में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण ।
7. भाषानीति ।
8. लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा ।
9. खेल तथा शारीरिक शिक्षा ।
10. शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध ।
11. तकनीकी शिक्षा की बदलती भूमिका ।
12. शिक्षा के लिए संसाधनों को जुटाना ।
13. शिक्षा में संस्कृति तथा सांस्कृतिक विषय ।

भारत द्वारा 1992 में ओलम्पिक खेलों की मेजबानी

650. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**
श्री प्रिय रंजन दासमुंशी :
श्री के० प्रधानी :
डा० वी० एल० शैलेश :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992 में नई दिल्ली में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) वर्ष 1992 में नई दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन संबंधी विभिन्न मदों पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) इन खेलों संबंधी विभिन्न स्रोतों से कितनी अनुमानित आय होने की संभावना है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) से (घ) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

651. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुयीं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ठोस कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दिसम्बर, 1985 और जनवरी 1986 के दौरान, भारतीय रेलों पर 102 परिणामी दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं में, 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 85 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) टक्करें-9, गाड़ियों का पटरी से उतरना 82, समपारों पर दुर्घटनाएं 8 और गाड़ियों में आग लगना 3।

(घ) और (ङ) गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

(1) पटरियों तथा चल स्टाक के धुरों की पराश्रव्य जांच, रेलपथ परिपथन की व्यवस्था, धुरा काउण्टरों, पैनल तथा रूट रिले अन्तर्पाशन, सहायक चेतावनी प्रणाली आदि जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकीय उपकरणों का उपयोग करना ।

(2) चल स्टाक, रेलपथ, सिगनल गियरों, पुलों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रमबद्ध आधार पर पुनःस्थापन ।

(3) समपारों पर अन्तर्पाशन तथा संचार सुविधाओं के अलावा कार्यक्रमबद्ध आधार पर ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था करना ।

(4) सवारी डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की जोखिमों तथा समपारों को पार करते समय सतर्कता बरतने की जानकारी कराने के लिये इश्तिहारों तथा अन्य माध्यमों से शिक्षाप्रद प्रचार ।

(5) पटरियों की टूट-फूट का पता लगाने के लिए रेलपथ पर गश्त लगाना तथा तोड़-फोड़ रोधी उपाय अपनाना ।

(6) पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षणों पर जोर ।

(7) असुरक्षित कार्य-पद्धतियों तथा प्रणाली में खामियों का पता लगाने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विस्तृत निरीक्षण करने के लिये जून, 1985 में 4 उच्चस्तरीय बहु-उद्देशीय संरक्षा कृतिक बल टीमों का गठन किया गया था। उनकी रिपोर्टों के आधार पर, क्षेत्रीय रेलों को संरक्षा से संबंधित कई निर्देश तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं ।

[अनुवाद]

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खतरनाक दवाईयों का सप्लाई किया जाना रोकने के उपाय

652. **श्री के० राममूर्ति** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि भारत सहित अल्पविकसित देशों में औषधों का निर्माण और व्यापार बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों के नियंत्रण में है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सख्त विरोध के कारण सरकार को बाध्य होकर आवश्यक औषधियों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विचारधारा पर आधारित राष्ट्रीय औषध नीति में परिवर्तन करना पड़ा ; और

(ग) सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मनमानी मूल्य-निर्धारण नीति अपनाये जाने सहित

निष्प्रभावी अनुपयुक्त खतरनाक दवाइयों की सप्लाई और बिक्री रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कनाडा स्थित अंतर राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययन के बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) औषध नीति, 1978 के आधार पर ही मूल्य निर्धारण नीति बनाई गई है ।

राष्ट्रीय परिवहन परमिट कोटा समाप्त करना

653. **श्री अख्तर हसन :**
श्री सत्येन्द्र नारायन सिंह :
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई भावणि :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राज्य-वार राष्ट्रीय परिवहन परमिट कोटा समाप्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक यह कार्यान्वित किया जायेगा ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 63(11) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या पर लगा प्रतिबन्ध 28 जनवरी, 1986 को मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (1986 का सं० 4) द्वारा हटा लिया गया है ।

भारत में पीड़ित लूप प्रयोक्ताओं को मुआवजा

654. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि परिवार सीमित रखने के तरीके के रूप में लूप के प्रयोग से संयुक्त राज्य अमरीका में उसके प्रयोक्ताओं को गंभीर हानि होने का पता चला है और लूप बनाने वाली कंपनी को मुआवजा के रूप में बहुत बड़ी राशि देने के आदेश दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में पीड़ित लूप प्रयोक्ताओं को मुआवजा दिलाने पर विचार करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अंतरगर्भाशय युक्ति जिसे डालकोम शील्ड कहा जाता है, अमेरिका तथा अन्य देशों में 1970-80 के दशक के मध्य तक उपयोग में लाई जा रही थी। मैसर्स

ए० एच० रौबिन्स कम्पनी इस साधन का वितरण कर रही थी। इस कम्पनी ने 1980 में सिफारिश की कि जो महिलाएं इस युक्ति को अभी भी उपयोग में ला रहीं हैं उनके गर्भाशय से यह युक्ति निकाल दी जाए क्योंकि डाक्टरों की राय के अनुसार इसके लगातार उपयोग से महिला के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो सकता है। 1983 में अमेरिका खाद्य और औषध प्रशासन ने भी यही सिफारिश की। हालांकि, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत यह युक्ति प्रयोग नहीं की गई है, फिर भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि किसी महिला द्वारा उक्त युक्ति प्रयोग किये जाने का कोई मामला उनके ध्यान में आये तो उस महिला को सलाह दी जाए कि वह उसे निकलवा ले। ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-लखनऊ क्षेत्र में एयर बस चलाने का प्रस्ताव

655. **श्री हरीश रावत : क्या परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-दिल्ली क्षेत्र में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-लखनऊ-दिल्ली एयर बस चलाने और लखनऊ हवाई अड्डे का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जुलाई से दिसम्बर, 1985 के दौरान लखनऊ और दिल्ली के बीच चार बोइंग-737 दैनिक उड़ानों पर प्रति दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कभी भी 220 से अधिक नहीं हुई। इस लिये वर्तमान यातायात फिलहाल लखनऊ के लिये एयरबस सेवा आरंभ करनेका औचित्य सिद्ध नहीं करता। तथापि, यातायात मांग में वृद्धि हो जाने पर, इण्डियन एयरलाइन्स वर्ष 1990 के दौरान लखनऊ के लिए एयरबस सेवाओं का प्रचालन कर सकेगी, उस समय तक एयरबस प्रचालन के लिए विमान क्षेत्र को विकसित कर लेने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

न्यू गोहाटी रेलवे गुड्स स्टेशन का स्थानान्तरण

656. **श्री अताउर्रहमान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का विचार वर्तमान न्यू गोहाटी रेलवे गुड्स स्टेशन को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के वर्तमान मुख्यालय मालीगाँव के पास स्थानांतरित करके तथा बड़ी और मीटर गेज लाइनों को उपर्युक्त स्थान पर स्थानांतरित करके गोहाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली विद्यमान एकमात्र तंग सड़क पर सड़क यातायात की भारी भीड़ को कम करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : फिलहाल, ऐसी कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

657. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले जा रहे हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी तथा साहित्य, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है और यदि हां, तो क्षेत्रीय केन्द्र पर होने वाले व्यय को केन्द्र और राज्य किस अनुपात में वहन करेंगे ; और

(ग) क्या इस केन्द्र द्वारा सांस्कृतिक विकास के संरक्षण के लिए कुछ उपकेन्द्र भी खोले जायेंगे और यदि हां, तो क्या ऐसा एक उप-केन्द्र चित्तौड़गढ़ किले में स्थापित किया जाएगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। इनमें उदयपुर का पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र भी शामिल है। सातवीं योजना में केन्द्रीय सरकार 5 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र देगी जबकि भाग ले रहे राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सम्भवतः 1 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र देगी इसके अतिरिक्त, जिस राज्य में केन्द्र स्थापित है वह राज्य जमीन मुफ्त देगा।

यह कल्पना की गई है कि केन्द्र निष्पादन कलाओं, चित्र कलाओं तथा साहित्यिक कार्यों और अन्य कलाओं के सृजनात्मक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा और विशेषकर लोक तथा आदिवासी कलाओं की परम्पराओं तथा दुलर्भ कला स्वरूपों को पुनः सक्रिय बनाने के संदर्भ में प्राचीन काल से आज तक की सृजानात्मकता के सम्पूर्ण क्षेत्र के संबंध में कार्रवाई करेंगे। संस्थागत रूप से केन्द्र में एक परिसर होगा जिसमें प्रदर्शनी दीर्घाएं, ओपन एयर थियेटर, मूर्तिकला संबंधी पार्क, संगीत-अभिलेखागार/पुस्तकालय श्रव्यों-दृश्य और वीडियो टेप कार्यक्रम तैयार करने, छात्रवास आदि की सुविधाएं होगी।

(ग) पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र संघ के ज्ञापन में अन्य केन्द्रों की तरह से क्षेत्र के अन्दर उप-केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है। चित्तौड़ गढ़ किले में एक उप केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की कमी

658. श्री पी० एम० सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अस्पतालों में आपात मामलों में जब जीवन रक्षक औषधियों की तत्काल आवश्यकता होती है, तो वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं ; और

(ख) क्या अपने उपचार के लिए इन औषधियों का प्रबंध रोगियों को स्वयं करना पड़ता है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए श्रव्य/दृश्य माध्यमों का उपयोग

659. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्वच्छता, पीने के स्वच्छ पानी, समय पर टीके लगवाने तथा जन्म से पूर्व और जन्म के बाद बच्चों की उचित देखभाल की आवश्यकता के प्रति लोगों को अधिक जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में श्रव्य/दृश्य माध्यमों के उपयोग का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रकार की जानकारी देनी पड़ेगी जबकि अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र) को परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर शैक्षणिक किट, पोस्टर, फिलप बुक के अलावा टेप प्लेयर आदि चरणबद्ध ढंग से दिए जाते हैं। यह सामग्री लोगों को परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग में लाई जाती है । अन्य शैक्षिक सामग्री के उपयोग की सम्भावना पर निरंतर ध्यान दिया जाता है ।

(ग) यद्यपि प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है फिर भी परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के बारे मे जागरुकता को महत्वपूर्ण समझा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि

660. **प्रो० चन्द्र मानुदेवो** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को छठी योजना में सिंचाई के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या सातवीं योजना में बिहार के लिए कोई बड़ी सिंचाई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) छठी योजनावधि बृहद, मध्यम और लघु

सिंचाई स्कीमों के लिये 1018.70 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था जिसके प्रति 913.14 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सातवीं योजना में पाँच नई स्कीमों का प्रस्ताव रखा है। इनमें से एक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है, दो की जांच की जा रही है और दो की परियोजना रिपोर्टें अभी प्राप्त होनी हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता की मेट्रो रेल सेवा को गड़ियां तक बढ़ाने का प्रस्ताव

661. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता में मेट्रो रेल को गड़िया तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार मेट्रो रेल के वर्तमान किराया ढांचे में परिवर्तन करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता ने 1975-76 में परियोजना के चरण-II के रूप में टालीगंज से गरिया (उत्तर-दक्षिण गलियारा) तक लाइन के विस्तार के लिए एक सर्वेक्षण किया था। परियोजना के चरण-1 में दमदम से टालीगंज तक द्रुत पारगमन प्रणाली का निर्माण शामिल है जो कि इस समय प्रगति पर है।

(ख) 1974-75 के मूल्य स्तर पर परियोजना की लागत 63.9 करोड़ रुपये आंकी गयी थी।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों के किरायों में वृद्धि

662. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :**
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने हाल ही में बस किरायों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किरायों में हाल ही में की गई वृद्धि से दिल्ली परिवहन निगम को हुए घाटे में किस सीमा तक कमी आने की संभावना है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) 7.2.1986 तक और 8.2.1986 से भाड़े का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दूरी (कि० मी० में)	भाड़ा (पैसे में)	दूरी (कि० मी० में)	भाड़ा (पैसे में)
	7.2.86 तक		8.2.86 से
0—4	30	0—6	50
4—16	40	0—10	100
16—20	50	16+	150
20+	75		

(ग) दिल्ली परिवहन निगम को इसकी स्थापना की तारीख से ही घाटा हो रहा है और यह स्थिर, गैर किफायती और कम भाड़ा ढांचे पर बस सेवाएँ चला रहा था । दिल्ली परिवहन निगम ने फरवरी, 1979 में दशमलव, सिक्का में थोड़ा समंजन करने और युक्तिसंगत बनाने को छोड़कर पिछले 35 वर्षों से लगभग एक समान किराया वसूल रहा है।

दूसरी ओर खासकर सामग्री और श्रमिक जैसे निवेशों की लागत में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। सामग्री और श्रमिक खर्च के दो प्रमुख घटक हैं। 1971 में प्रति किलोमीटर कार्य-लागत 1.58 रुपए थी जबकि 1984-85 के अन्त में यह प्रतिकिलोमीटर 5.21 रुपए हो गई जो 1970-71 की लागत से 230 प्रतिशत से भी अधिक है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने और कार्य घाटे को कम करने के क्रम में सरकार ने संशोधित भाड़ा ढांचे को 8.2.1986 से क्रियान्वित करने के लिए अनुमोदित किया।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ढोए जा रहे ट्रैफिक के मौजूदा स्तर से यह आशा है कि प्रति-वर्ष 44/45 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

लेह में सिविल एयर टर्मिनल की बिल्डिंग

663. **श्री पी० नामग्याल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेह सिविल एयर टर्मिनल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य कब तक पूरा हुआ था और उक्त बिल्डिंग के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : अंतस्थ भवन 49.46 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अक्तूबर, 1985 में पूरा किया गया था। भवन में 8.42 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अभी विद्युत और जल आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है।

नदियों की बहु-प्रयोजनीय विकास योजना

664. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत निगम ने लम्बे रास्तों को एक तट से दूसरे तट तक जोड़कर नौगम्य बनाने के लिए नदियों की एक बहु-प्रयोजनीय विकास योजना पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब तक तैयार की गई थी और क्या इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है या लागू न करने का विचार किया जा रहा है ;

(ग) जैसी की मूल रूप में यह योजना थी, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि इसे लागू करने की संभावना है तो, कब से ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) देश की प्रमुख नदियों को अन्तः सम्बद्ध करने तथा अन्तर्देशीय तटीय जल मार्ग बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 1950-59 के बीच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययन किये गये थे। जल मार्गों को अन्तः सम्बद्ध करने के प्रश्न की बाद में परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा जांच की गई थी जिसने यह निर्णय लिया था कि इस प्रस्ताव पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाना चाहिये जब सतत जल मार्गों की आवश्यकता बहुत अधिक महसूस हो और परियोजना तैयार करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों।

सातवीं योजना में सिंचाई के लिए वित्तीय आबंटन

665. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ;

(ख) सिंचाई परियोजना के लिए राज्य वार कितना आबंटन किया गया है ;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा कौन सी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(घ) प्रत्येक राज्य में इन स्वीकृत मंजूरशुदा परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता का क्रम क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि राज्यों को अपनी प्राथमिकता क्रम स्वयं निर्धारित करने की छूट दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं योजना में बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय लगभग 14,360 करोड़ रुपये है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सातवीं योजना में आगे लाई गई निर्माणाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य

सरकारों द्वारा 21 बृहद तथा 82 मध्यम नई परियोजनाओं को सातवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनका क्रियान्वयन सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले आबंटनों पर निर्भर करता है। जहां तक लघु सिंचाई स्कीमों का संबंध है, ये राज्य सरकारों द्वारा स्वयं संस्वीकृत तथा क्रियान्वित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) *राज्य सरकारों को निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के* लिए प्राथमिकता देने के वास्ते अनुरोध किया गया है तथा योजना आयोग राज्य सरकारों से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करेगा।

विवरण

सातवीं योजना में सिंचाई के लिए राज्य वार अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	बृहद मध्यम	लघु	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	1182.30	147.40	1329.70
2.	असम	137.00	160.00	297.00
3.	बिहार	1285.00	260.00	1545.00
4.	गुजरात	1469.09	134.55	1603.64
5.	हरियाणा	418.50	14.17	432.67
6.	हिमाचल प्रदेश	13.50	54.00	67.50
7.	जम्मू और कश्मीर	52.86	42.00	94.86
8.	कर्नाटक	523.00	151.00	674.00
9.	केरल	280.00	50.00	330.00
10.	मध्य प्रदेश	1375.92	433.60	1809.52
11.	महाराष्ट्र	1320.00	250.00	1570.00
12.	मणिपुर	60.00	10.00	70.00
13.	मेघालय	0.55	9.70	10.25
14.	नागालैण्ड	.....	15.00	15.00
15.	उड़ीसा	550.00	110.00	660.00
16.	पंजाब	270.78	46.22	317.00

क्रम सं०	राज्य का नाम	बृहद मध्यम	लघु	जोड़
17.	राजस्थान	635.46	47.88	683.34
18.	सिक्किम	6.00	10.00	16.00
19.	तमिलनाडु	212.00	85.00	297.00
20.	त्रिपुरा	27.00	15.00	42.00
21.	उत्तर प्रदेश	1420.00	512.00	1932.00
22.	पश्चिम बंगाल	208.00	68.00	276.00
	योग राज्य	1145.96	2615.52	14061.48
	उप योग संघ राज्य क्षेत्र	59.60	54.47	114.07
	केन्द्रीय सेक्टर	50.00	135.00	185.00
	कुल योग	11555.56	2804.99	14360.55

दिल्ली में निजी स्वामित्व में चलाये जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम और इन्टेन्सिव केयर यूनिट

666. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निजी स्वामित्व में चलाए जा रहे अस्पताल, नर्सिंग होम और इन्टेन्सिव केयर यूनिटों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इनके संबंध में न्यूनतम सक्षमता संबंधी मानक निर्धारित किये है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों को कहां तक कार्यान्वित किया जाता है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिल्ली प्रशासन ने उपचर्या गृह पंजीपन अधिनियम/नियम, 1953 के अन्तर्गत प्राइवेट उपचर्या गृहों/अस्पतालों को 110 लाइसेंस दिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजीकरण से पहले और लाइसेंसों के नवीकरण के दौरान उपचर्या गृह का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा किया जा रहा है।

सिक्किम को विमान सेवा से जोड़ना

667. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) गंगतोक में हवाई अड्डे और अन्य आधार-भूत सुविधाओं का विकास होने पर ही विमान सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने पैथांग में एक स्थल का निरीक्षण कर लिया है जिसे प्रथमतः 'स्टोल' प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए विमान क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उपयुक्त पाया गया है। विमान क्षेत्र तैयार हो जाने और प्रचालनों के आर्थिक रूप से साध्य होने तथा विमानक्षमता उपलब्ध होने पर, वायुदूत का इरादा गंगतोक के लिए विमान सेवा शुरू करने का है।

मंजूरी हेतु लम्बित महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

668. **श्री डी० बी० पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की कितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु लम्बित हैं ;

(ख) कितने मामलों में महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण और/अथवा अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी और कब ;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण और/अथवा अतिरिक्त जानकारी देने के बावजूद भी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई 3 बृहद तथा 20 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से, जो केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी परीक्षणाधीन हैं, एक बृहद तथा 9 मध्यम परियोजनाओं पर योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्रवाई की गई है।

नवम्बर, 1982 से फरवरी, 1986 की अवधि के दौरान 18 बृहद तथा 16 मध्यम परियोजनाएं राज्य सरकार को तकनीकी टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण देने हेतु वापिस भेजी गई हैं।

बड़ौदा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली "ओटोमान एक्सप्रेसवे" परियोजना

669. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली भारत की प्रथम "ओटोमान एक्सप्रेसवे" परियोजना को, जिसका विश्व बैंक की सहायता से निर्माण किया जाएगा, स्वीकृति और अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य के कब आरम्भ होने की संभावना है और यह कब तक पूरा हो जाएगा ;

(घ) विश्व बैंक ऋण से क्रियान्वित की जाने वाली किन अन्य परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ङ) स्वीकृत किए गए ऋण की राशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी हां।

(ख) अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रेसवे की लम्बाई 92.85 कि० मी० है और इसकी अनुमानित लागत 128 40 करोड़ रु० है।

(ग) इस निर्माण कार्य के 1986-87 की अवधि के दौरान प्रारम्भ होने और 1991-92 तक पूरा होने की आशा है।

(घ) और (ङ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विश्व बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण का अनुमोदन किया है। विश्व बैंक ऋण के तहत अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	निर्माण कार्य का नाम	लागत (रुपए करोड़ों में)
1.	हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के मुर्थल—करनाल खण्ड को चौहरी लेन में बदलना (80 कि० मी०)	42.5
2.	पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के सरहिन्द—जलन्धर खण्ड को चौहरी लेन में बदलना (92.2 कि० मी०)	66.0
3.	तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 के मद्रास—बिल्लीपुरम खण्ड को चौहरी-लेन में बदलना/दोहरी लेन को पुष्ट बनाना (132.2 कि० मी०)	45.6
4.	उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर वाराणसी बाईपास और गंगा नदी पर पुल (28.2 कि० मी० सड़क और 1.2 कि० मी० पुल)	41.6
5.	पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के कलकत्ता—पलसिट खण्ड (ग्रेड सड़क पर दोहरी लेन) (64.4 कि० मी०)	48.6

सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र समिति की सिफारिशें

670. **श्रीमती मासुरी सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन, परिवहन और संचार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति ने दिसम्बर, 1985 के अन्तिम सप्ताह में बैंकाक में हुए अपने नवें अधिवेषन में सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त सिफारिशों के अनुसरण में सड़कों पर सुविधाएं बेहतर बनाने और लोगों के जीवन और वाहनों की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) 16 दिसम्बर 1985 को बैंकाक में जहाज परिवहन और दूर संचार पर एशिया और प्रशान्त देशों की समिति के आर्थिक और सामाजिक आयोग के नवें अधिवेशन में सड़कों को भीड़भाड़ से मुक्त करने के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई ।

(ख) और (ग) प्रश्न हो नहीं उठते ।

[हिन्दी]

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से चिकित्सा सुविधाएं

671. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल जनसंख्या में से केवल 30 प्रतिशत लोग ही सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और इस मामले में बिहार का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नीचे है ; और

(ख) यदि हाँ, तो शेष जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत लाने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकें ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों और ग्रामीण औषधालयों के एक विशाल तंत्र के जरिये प्रदान की जाती हैं ।

आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि बिहार में केवल 30 प्रतिशत लोग सरकारी साधनों से चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यह अध्ययन केरल, गुजरात, और बिहार राज्यों में किया गया था, इसलिए इसके निष्कर्षों को सारे देश पर लागू नहीं किया जा सकता ।

(ख) सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल न किए जाने का एक प्रमुख कारण है स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी क्योंकि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक सामुदायिक विकास खण्ड की सारी आबादी कवर करनी होती थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि साधारणतया प्रत्येक 30,000 आबादी (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 आबादी) के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और साधारणतया 5000 आबादी (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3000 आबादी) के लिए एक उप केन्द्र खोला जाए ताकि लोगों को उनके घरों के निकट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

[अनुवाद]

गाजियाबाद और मुगलसराय के बीच दो गुणा भार ले जाने वाली मालगाड़ियां

672. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद और मुगलसराय के बीच दो गुणा भार ले जाने वाली माल गाड़ियां चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक परीक्षण पूरे होने के पश्चात गाजियाबाद और मुगलसराय के बीच 1-2-1986 से दो इंजनों द्वारा खींची जाने वाली बेतार ध्वनि संचार उपस्कर लगी 9000-टन भार वाली गाड़ियों के और परीक्षण के आदेश दिए गए हैं।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए गुजरात को भुगतान

673. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण पर हो रहे व्यय के अपने गत वर्षों के हिस्से के 10 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) राजस्थान के हिस्से की उक्त राशि का गुजरात सरकार को शीघ्र भुगतान किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) राजस्थान के हिस्से की राशि का गुजरात सरकार को भुगतान करने में हुये विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना की लागत के अपने हिस्से के प्रति गुजरात को अब तक कोई भुगतान नहीं किया है। गुजरात सरकार ने पहले ही इस मामले को राजस्थान के साथ उठाया है। केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार को भुगतान करने का अनुरोध किया है। राज्य योजना में परिव्यय निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है।

रांची और कोरबा के बीच रेल लाइन

674. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची और कोरबा के बीच रेल लाइन का निर्माण करने का है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रस्ताव को सातवीं योजना में शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित लाइन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रमुख रेल परियोजनायें

675. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये स्वीकृत की गई प्रमुख रेल परियोजनायें अभी शुरू हैं। पूरी नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) ब्रहमपुत्र नदी पर रेल-एवं सड़क पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) गोहाटी-डिबरूगढ़ छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा जोगीघोपा से गोहाटी तक नई बड़ी लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए अनुमोदित महत्वपूर्ण परियोजना जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी रेल लाइन के साथ-साथ जोगीघोपा में ब्रहमपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल का निर्माण करना है। रेल एवं सड़क पुल के लिये प्रारम्भिक जांच-पड़ताल कर दी गयी है। बहरहाल ब्यौरे बार अभिकल्प तैयार किये जा रहे हैं। जोगीघोपा से गुवाहाटी तक रेल लाइन के लिये अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। संसाधनों की सीमित उपलब्धता के अन्तर्गत गुवाहाटी छोर से रेल लाइन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। उपयुक्त पुल का निर्माण कार्य ब्यौरेवार अभिकल्प आदि पूरे होने के बाद शुरू किया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

गुवाहाटी डिब्रूगढ़ मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिये, अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस बीच असम के नौगांव, जोरहाट, सिवसागर जैसे महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ते हुए गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक बड़े आमान के एक वैकल्पिक मार्ग के लिए हाल ही में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूरा किया गया है। जिसे उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया है। गुवाहाटी से आगे बड़ी आमान की लाइन के विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक मीटर आमान की मौजूदा लाइन के बदलाव से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी छानबीन करने के बाद लिया जायेगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

कटिहार से सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन तक मीटर लाइन को बदलना

676. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटिहार से सिलीगुड़ी तक और सिलीगुड़ी से अलीपुर द्वार जंक्शन तक मीटर लाइन को बदलने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलीपुरद्वार जंक्शन पर डीजल लोको वर्कशाप

677. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलीपुरद्वार जंक्शन पर लोको वर्कशाप स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर चलाये जा रहे डीजल रेल इन्जनों के दिन-प्रति-दिन के अनुरक्षण और आवधिक ओवरहाल के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के कारण अलीपुर द्वार जंक्शन में डीजल लोको कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । इस समय पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में ये सुविधाएं सिलीगुड़ी, मालदा और न्यू गुवाहाटी में उपलब्ध हैं ।

रजा लाइब्रेरी, रामपुर की खस्ता हालत

678. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर में भारती समृद्ध परम्परा और संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने वाली दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद हैं ;

(ख) क्या यह पांडुलिपियां और अनुसंधान लाइब्रेरी अनुसंधान कर्ताओं के लिये बन्द है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण खेल केन्द्र खोलना

679. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक कितने ग्रामीण खेल केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान कुल 1698 ग्रामीण खेल केन्द्रों ने कार्य किया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 1 अप्रैल, 1985 से नये केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता की राशि प्रति केन्द्र 600/-रुपये से 1350/-रुपये तक और पुराने केन्द्रों के रख-रखाव के लिये प्रति केन्द्र 450/-रुपए से 900/-रुपए तक बढ़ाई गई है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रों की संख्या			दिए गए अनुदान की राशि		
		1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	290	—	—	65,250	—
2.	हरियाणा	300	300	300	67,500	1,35,000	67,500
3.	हिमाचल प्रदेश	98*	152	152	—	63,390	30,400
4.	कर्नाटक	200	—	200	45,000	—	90,000
5.	केरल	—	—	68	—	—	16,200
6.	उड़ीसा	197	261	261	44,325	53,000	51,525
7.	राजस्थान	119*	165	178	—	58,960	40,050
8.	तमिलनाडु	181	450	—	88,425	1,11,450	—
9.	त्रिपुरा	—	—	150	—	—	45,000
10.	उत्तर प्रदेश	—	325	346	—	67,000	72,800
11.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10	—	—	3,000
12.	गोवा दमन और दीव	24*	38	33	—	26,630	7,425
		1119	1981	1698	2,45,250	5,72,680	4,23,900

*इन केन्द्रों के लिए अनुदान अनुवर्ती वर्ष में दिया गया था।

[हिन्दी]

पोषण कार्यक्रम के बारे में विश्व बैंक द्वारा किया गया सर्वेक्षण

680. **श्री आर० एम० भोए** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने घोषणा कार्यक्रमों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार, विश्व बैंक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा पृथक-पृथक प्रति वर्ष पोषण कार्यक्रमों पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ; और

(ग) उसमें से महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने भारत में पोषाहार कार्यक्रमों पर कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया है। परन्तु राज्य सरकार के मूल्यांकन और व्यावहारिक अनुसंधान विभाग ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया था।

इस मूल्यांकन से पता चला कि बच्चों की पोषाहार स्थिति में कन्ट्रोल ब्लाक की तुलना में परियोजना के पायल्ट ब्लाक में सुधार हुआ है। 1984-85 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 4.4 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1984-85 में 5 राष्ट्रीय संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रमों पर 246 लाख रुपए की धनराशि खर्च की। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, महाराष्ट्र में 698 बालवाड़ियां थी और इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या 43,669 थी।

खाद्य विभाग ने 1984-85 में अपने पोषाहार कार्यक्रमों पर 73.98 लाख रुपये की कुल धनराशि खर्च की थी। विशेष पोषाहार कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) कार्यक्रम के पोषाहार कम्पोनेन्ट, राज्य की योजना/गैर योजना क्षेत्र में आता है।

विदेशी खाद्य सहायता मुख्यत: विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यु.एफ. पी.) केयर (कोपरेटिव फार अमरिकन रिलीफ एवरीवियर) और सी. आर. एस. (कैथोलिक रिलीफ सर्विसस) से प्राप्त होती है। 1984-85 के लिए डब्ल्यु० एफ० पी०, केयर और सी० आर० एस० खाद्य सहायता नीचे तालिकाओं में दर्शाई गई है :—

1984-85 के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य सहायता (डब्ल्यू० एफ० पी०) का मूल्य

राज्य	धनराशि (रुपयों में)
भारत (सम्पूर्ण)	85,670,576
महाराष्ट्र	2,440,094

वर्ष 1984-85 के लिए केयर खाद्य सहायता के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ता

राज्य	स्कूली बच्चे	स्कूल पूर्व बच्चे और माताएं
भारत (सम्पूर्ण)	58,58,000	51,84,450
महाराष्ट्र	——	5,00,000

1984-85 के दौरान केयर ने भारत में लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए 121229 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री सप्लाई की जिसका मूल्य 620 मिलियन रुपए है।

पोषाहार कार्यक्रम के लिए सी० आर० एस० खाद्य सहायता (एफ० वाई-1984)

राज्य	प्राप्तकर्त्ता	एफ वाई 1984 मात्रा (कि० ग्राम)	मूल्य डालर में
भारत (सम्पूर्ण)	691,000	35,230,212	14,860,848
महाराष्ट्र	20,700	976,692	415.404

[अनुवाद]

रेल-भाड़े की वापसी के बारे में नियम

681. श्री आर० एम० भोए : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेल भाड़े की वापसी सम्बन्धी नियमों को सरल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हाँ।

(ख) यात्री जनता की सुविधा के लिए रेलवे टिकटों के किराये की वापसी के नियमों को हाल ही में सरल बनाया गया था। टिकटों को रद्द करने तथा किरायों की वापसी से सम्बन्धित नये नियम 1-1-1986 से लागू हो जाने से अब अधिकतम मामले स्टेशनों पर ही तत्काल निपटाने होते हैं। नये नियमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी हैं :—

अनारक्षित टिकटें :

यदि गाड़ी की रवानगी के बाद तीन घण्टे के भीतर कोई टिकट रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो सभी दर्जों की यात्रा के टिकटों पर एक रुपया प्रति टिकट की दर से कटौती करने

के बाद किराया वापस कर दिया जायेगा । यह कटौती लिपिकीय प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए है ।

आरक्षित टिकटें :

किराये की वापसी के लिए प्रस्तुत किए गए आरक्षित टिकटों पर निम्नलिखित रद्दकरण प्रभार लिए जाते हैं :—

(1) यात्रा की तारीख को छोड़कर दो दिन से अधिक पहले	वातानुकूल दर्जा-15.00 रु० पहला दर्जा/2-टियरवातानुकूल/ वातानुकूल कुर्सीयान-10.00 रु० दूसरा दर्जा 5.00 रु०
(2) यात्रा की तारीख को छोड़कर दो दिन पहले	50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार, लेकिन न्यूनतम प्रभार निम्नलिखित होगा :
(i) गाड़ी की रवानगी के बाद 3 घण्टे के भीतर प्रस्तुत किए गए 500 कि० मी० तक की दूरी के टिकटों पर	वातानुकूल दर्जा 60.00 रु० पहला दर्जा/2-टियर वातानुकूल/वातानुकूल कुर्सीयान-30.00 रु० दूसरा दर्जा 15.00 रु०
(ii) गाड़ी रवानगी के बाद 20 घण्टे के भीतर प्रस्तुत किए गए 500 कि० मी० से अधिक की दूरी के टिकटों पर आरक्षण प्रभार वापस नहीं किए जाते हैं ।	

टिकट के रद्दकरण के समय तक यदि पक्के आरक्षण की पुष्टि नहीं की गयी तो आर. ए. सी. (स्थान रद्द होने पर आरक्षण) टिकटों पर लिपिकीय प्रभार वसूल किए जाएंगे । यदि रद्दकरण के समय टिकट पर पक्का आरक्षण हो तो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार वसूल किए जायेंगे ।

आरक्षण में परिवर्तन :

जिस गाड़ी के लिए पहले आरक्षण किया गया है, उसकी निर्धारित रवानगी से कम से कम 24 घण्टे पहले आरक्षण में परिवर्तन करने का अनुरोध किया जाता है तो किसी रद्दकरण प्रभार की वसूली किए बिना निश्चित तिथि से पहले तथा बाद में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि उस दिन के लिए तथा उस दर्जे में आरक्षित स्थान उपलब्ध हो जिसके लिए आरक्षण में परिवर्तन मांगागया है ।

अंशत: प्रयुक्त टिकटें :

आंशिक रूप से प्रयुक्त किए गए ऐसे टिकटों पर जो 300 कि०मी० से अधिक दूरी के होते हैं और जो गाड़ी पहुंचने के 24 घण्टे के भीतर अभ्यर्पित किए जाते हैं, स्टेशन मास्टरों द्वारा किराये

की वापसी की जाती है बशर्ते कि उन पर किसी रेल कर्मचारी द्वारा यात्रा विराम का पृष्ठांकन कर दिया गया हो। अनारक्षित टिकटों के मामले में 200 रु० तक की वापसी की जायेगी और आरक्षित टिकटों के मामले में शेष रकम में से 10 प्रतिशत की कटौती करने के बाद किसी भी रकम तक वापसी की जायेगी।

गाड़ी के विलम्ब से चलने के कारण जंक्शन स्टेशनों पर सम्बद्ध गाड़ी न मिलने के कारण यात्री द्वारा अपनी यात्रा रद्द करने पर उस गाड़ी के जिससे उसने यात्रा की है, पहुंचने के तीन घण्टे के भीतर लौटाये गये आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकटों पर बिना किसी रद्दकरण प्रभार के वापसी की जायेगी।

गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त होना :

दुर्घटनाओं, टूट-फूट, बाढ़ आदि के कारण गाड़ी-यात्री की अस्त-व्यस्तता के मामले में यात्रा किए गए भाग के लिये कोई कटौती किए बिना तथा कोई रद्दकरण प्रभार लिये बिना बुक की गयी सम्पूर्ण यात्रा का पूरा किराया वापस किया जायेगा बशर्ते कि—

(I) यदि रेलवे, वैकल्पिक व्यवस्था करके उचित समय के भीतर यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक ले जाने में असमर्थ हो और यात्रा, मार्ग में ही समाप्त करनी पड़े।

(II) यदि यात्री घायल हो गया हो और यात्रा जारी रखने की स्थिति में न हो ; अथवा

(III) मृतक यात्री के मामले में उसके निकट सम्बन्धी को भुगतान किया जायेगा।

(Iv) यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रारम्भिक स्टेशन पर गाड़ी रद्द कर दी जाये और गाड़ी रवानगी की निर्धारित तारीख के बाद तीन दिन के भीतर टिकट अभ्यर्पित किया जाये तो आरक्षण प्रभारों के साथ पूरा किराया वापस किया जायेगा।

दुर्घटनाओं आदि के मामले में यदि कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं का उपयोग करने का इच्छुक न हो तो उसे स्टेशन पर जहां यात्रा समाप्त की गयी है, रद्दकरण प्रभार लिये बिना यात्रा के शेष भाग का किराया वापस किया जायेगा।

खोए गए टिकट :

खोए गए अथवा गुम हुए टिकट के लिए कोई किराया वापस नहीं किया जायेगा। तथापि खोए गए, फटे हुए अथवा विकृत आरक्षित टिकट के बदले में 25 प्रतिशत किराये के बराबर राशि लेकर मूल टिकट तथा आरक्षण टिकट का नम्बर देते हुए रेल प्रशासन दूसरा पेपर टिकट जारी कर सकता है। पार्टी कोच टिकट अथवा विशेष गाड़ी टिकट के मामले में ली जाने वाली राशि, अधिप्रभार सहित कुल किराये का 10 प्रतिशत होगी।

निचले दर्जे में यात्रा :

यदि ऊंचे दर्जे का टिकट धारी ऊंचे दर्जे में स्थान उपलब्ध न होने के कारण निचले दर्जे में यात्रा करें तो किराये का अन्तर गंतव्य अथवा प्रारम्भिक स्टेशन पर वापस कर दिया जायेगा, बशर्ते

कि इस आशय का प्रमाण पत्र, ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारी से प्राप्त कर लिया गया हो और गाड़ी पहुंचने के चौबीस घण्टे के भीतर टिकट प्रस्तुत किया गया हो।

वातानुकूलन उपस्कर का काम न करना :

वातानुकूलन उपस्कर के काम न करने पर किराये की वापसी, जिस दर्जे का टिकट लिया गया है, उस दर्जे के और उससे निचले दर्जे के किराए के अंतर के आधार पर विनिबमित की जायेगी। वातानुकूल पहले दर्जे के टिकटों के मामले में वातानुकूल दर्जे के किराये तथा पहले दर्जे के किराये के बीच के अंतर का भुगतान किया जायेगा। वातानुकूल 2-टियर के मामले में अधिप्रभार सहित दूसरे दर्जे के मेल/एक्सप्रेस शायिका के किराये तथा बाता नुकूल 2 टियर के किराये के अन्तर का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार, वातानुकूल कुर्सीयान के टिकट के लिए वातानुकूल कुर्सीयान के किराये तथा मेल/एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के किराये के बीच के किराये के अन्तर का भुगतान किया जायेगा। डिब्बा संख्या, टिकट संख्या तथा स्टेशनों के नाम जिनके बीच वातानुकूलन उपस्कर ने काम नहीं किया था, के बारे में पूरा-पूरा ब्यौरा देते हुए कण्डक्टर, गार्ड अथवा चल टिकट परीक्षक के प्रमाण-पत्र के साथ गाड़ी पहुंचने के बीस घंटे के भीतर टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा के उस भाग के लिए किराए की वापसी की जाएगी जिसके दौरान वातानुकूल उपस्कर ने काम नहीं किया था।

वापसी यात्रा टिकट :

रियायती वापसी टिकटों के अप्रयुक्त भाग के लिए कोई किराया वापस नहीं किया जायेगा। जब कोई वापसी टिकट बिना रियायत के जारी किया गया हो तो उसे दो इकहरी यात्रा टिकटों के रूप में माना जायेगा और तदनुसार किराए की वापसी भी की जाएगी। अन्य स्टेशनों से जारी किए गए आरक्षित टिकटों पर उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर भी किराए की वापसी कर सकते हैं जिससे यात्रा शुरू की जानी है। उन्हें वापसी यात्रा के आरक्षित टिकटों को पुनः वैकल्पिक गाड़ियों द्वारा पुनः वैध करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

अन्य परिस्थितियों में किराए की वापसी :

जहां टिकटों के सम्बन्ध में किराए की वापसी स्वीकार्य न हो, वहां यात्री उस रेलवे के मुख्य वाणिज्य अधीक्षक (वापसी) को आवेदन कर सकते हैं जहां से टिकट खरीदा गया था। उन्हें इस प्रयोजन के लिए किसी प्राधिकृत रेलवे अधिकारी से टिकट जमा करने की रसीद प्राप्त करनी होगी और उसे किराये की वापसी के लिए अपने आवेदन के साथ भेजना होगा।

[हिन्दी]

मानसी-सहरसा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

682. **श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार मानसी-सहरसा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से ही शुरू की गयी आमान परिवर्तन संबंधी परियोजनाओं के बारे में की गयी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, इस खंड के आमान का परिवर्तन कार्य प्रारम्भ करने का विचार करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन में कार्य चालन गड़बड़ होना तथा औद्योगिक विवाद

683. **श्री के० प्रधानी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 वर्ष पुराने पारारीप पत्तन पर काम में बार-बार गड़बड़ और औद्योगिक विवाद उठते रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप दिन प्रति दिन के कुशल कार्य-चालन पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस पत्तन पर कोई ऐसा सांविधिक गोदी श्रमिक बोर्ड नहीं है जिसे इस पत्तन के क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों की भर्ती और कार्य की शर्तों को विनियमित करने की शक्ति हो;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस पत्तन के कार्य चालन, विशेष कर माल यातायात के कुशल संचालन को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) पारादीप पोर्ट पर गैर सरकारी पूल में वेतन का भुगतान न होने, पोर्ट ट्रस्ट के सूचीबद्ध श्रमिकों के साथ समानता की मांग, कार्यालय और रिहायशी आवास की मांग आदि विभिन्न कारणों से आठ अवसरों पर क्लियरिंग और फारवर्डिंग कार्मिकों द्वारा काम रोका गया। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के सूचीबद्ध श्रमिक भी 2-1-86 से 6-2-86 तक हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल पोर्ट प्रबन्धकों के इस निर्णय के विरोध में थी जो ऐसे कार्यों के लिए श्रमिकों को बुक करने की प्रथा को समाप्त करने के बारे में लिया गया जिनके लिए श्रमिकों की वास्तविक रूप में कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन यह कार्य गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा किए जाते हैं।

(ग) और (घ) परादीप पोर्ट में कोई डाक लेबर बोर्ड नहीं है। जहाज से तट और तट से जहाज तक परिचालन कार्य महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 42 के तहत बनाई गई योजना के अन्तर्गत पोर्ट के प्रमुख सूचीबद्ध श्रमिकों द्वारा किया जाता है। क्लियरिंग और फारवर्डिंग कार्य योजना के क्षेत्र के बाहर हैं और क्लियरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों के गैर सरकारी पूल द्वारा किए जाते हैं।

(ङ) परादीप पोर्ट ट्रस्ट और यूनियनों के बीच 5-2-1986 को हुए समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि मौजूदा क्लियरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक परादीप पोर्ट में क्लियरिंग और फारवर्डिंग कार्यों के संचालन के लिए एक लेबर कंट्रेक्ट कोआपटिव सोसायटी बनाएंगे।

एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा

684. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या आधार है ; और

(ग) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा के बाद क्या प्रयोजन पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, जिसे देश में चिकित्सा शिक्षा का समान न्यूनतम स्तर बनाये रखने का कार्य सांविधिक रूप से सौंपा गया है, स्नातकपूर्व पाठ्यचर्या की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करती रही है ताकि देश की आवश्यकताओं को, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताएं भी शमिल हैं, पूरा किया जा सके । देश के सभी लोगों को 2000 ईसवी तक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदान करने सम्बन्धी राष्ट्रीय वचनबद्धता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए । इसके लिए भारत सरकार ने वर्तमान चिकित्सा पद्धति की समीक्षा करने के प्रयोजन से सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति की भी स्थापना की थी । पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद एक शक्तिप्राप्त समिति की नियुक्ति की गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है । इस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

रेलवे कार्य शाला, जमालपुर की पुरानी पाइपलाइन और निकासी प्रणाली को बदला जाना

685. **श्री डी० पी० यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कार्यशाला, जमालपुर के मल निकासी और अपशिन्य पदार्थ निकासी प्रणाली निर्माण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ख) क्या सौ वर्ष पुरानी पाइपलाइन और सिकासी प्रणाली खराब हो गई है और उसे पूरी तरह से बदले जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां तो वर्तमान प्रणाली किस स्तर की है और उसकीक्या स्थिति है तथा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं ।
(ख) जी नहीं ।

(ग) रेलवे क्षेत्र में पाईपलाइन तथा जल निकासी प्रणाली संतोषजनक है । बाहरी नालों का रख-रखाव जमालपुर नगरपालिका करती है ।

बेहरामपुर (नागलबांध) बिलासपुर-मन्डी/रामपुर बड़ी रेल लाइन परियोजना

686. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहरामपुर (नागलबान्ध) बिलासपुर मंडी/रामपुर बड़ी रेल लाइन के लिए उत्तरी रेलवे द्वारा हिमाचल प्रदेश की ओर से निक्षिप्त कार्य के रूप में किए गए यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसकी जांच कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण (एक) कौन सी तारीख को शुरू किया गया था (दो) कौन सी तारीख को सर्वेक्षण पूरा किया गया था और रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी ; और

(घ) उक्त रिपोर्ट की जांच कौन सी तारीख तक पूरी होने की संभावना है और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) हिमाचल में भनुपलि (सरहिन्द-नंगल डैम लाइन पर) से रामपुर रबुशहर तक बड़ी आमान की नयी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात व्यावहारिकता अध्ययन हाल ही में किया गया है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। इस लाइन की अनुमानित कुल लम्बाई 182 कि० मी० है और इसकी प्रत्याशित लागत 510 करोड़ रुपये है। इस रिपोर्ट के अनुसार निवेश पर प्रतिफल नकारात्मक है।

संसाधनों की अत्यधिक तंगी और पहले से की गयी भारी वचनबद्धताओं को देखते हुए, ऐसी बड़ी परियोजना का निर्माण प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हेन सांग स्मारक भवन को नव नालन्दा महाविहार में मिलाया जाना

687. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री नालन्दा में हेन सांग स्मारक के प्रबन्ध के बारे में 24 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न 310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेन सांग स्मारक भवन की नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के साथ मिलाये जाने और एक स्वायत्तशासी संगठन स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है, जो केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्वायत्त संगठन को नव-नालन्दा महाविहार के स्थानान्तरण की पद्धतियां तथा शर्तों को तैयार कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को गंगा के अनिश्चित प्रवाह से खतरा

689. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री अमर रायप्रधान : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी 24 परगना, विशेषकर डायमंड हार्बर को तटीय शहर और सागर द्वीप के बीच लम्बी पट्टी के साथ-साथ गंगा नदी के अनियतबहाव से कलकत्ता पत्तन तथा "फालटा" में हाल ही में स्थापित मुक्त व्यापार केन्द्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया है, और कलकत्ता और हल्दिया, दोनों पत्तनों को जाने वाली नौचालय चैनलों में डुबात को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या गंगा के अनिश्चित प्रवाह के खतरे को बचाने के लिए कोई योजना तैयार की गई है और उसका पूंजीगत परिव्यय कितना है ?

जल भ-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) डायमंड हार्बर और सागोर द्वीप के बीच कुछ खण्डों में गंगा के किनारों पर भारी कटाव हुआ है जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच नौचालन चैनल में सामान्यत: नदी की कोई डबाव की समस्या नहीं है। फालटा में नव गठित मुक्त व्यापार क्षेत्र डायमंड हार्बर के 20 कि. मी. अप स्ट्रीम पर है और किसी भी तरह से डायमंड हार्बर और सागोर द्वीप के बीच नदी खण्ड से प्रभावित नहीं है। तथापि, फालटा मुक्त व्यापार क्षेत्र में नदी के बाएं किनारे का कटाव हो रहा है।

(ख) और (ग) समस्या का अध्ययन पूरा हो गया है और राज्य सरकार को किनारे की सुरक्षा के लिए उपचारी उपाय सुझाए जा रहे हैं। डायमंड हार्बर और सागोर द्वीप के बीच के खण्ड को सुधारने के लिए 1978 से गहन प्रोटोटाइप, हाइड्रालिक और मैथेमेटिकल मॉडल अध्ययन भी किए गए थे। इस अध्ययन के निष्कर्षों का विदेशी विशेषज्ञों द्वारा भी जांच की गई थी। कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को जाने वाली नौचालन चैनलों में डुबाव को सुधारने के लिए अगस्त, 1982 में 40.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक व्यापक योजना को स्वीकृति दी गई थी, यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की कार्यकुशलता और क्षमता में सुधार के लिए की गई कार्यवाही

690. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में अपनी उपलब्धियों के बारे में किए गए विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त विज्ञापन, दिल्ली परिवहन निगम में परिवर्तन करने से भारत में शहरी परिवहन क्षेत्र में सुधार तथा नए मानक स्थापित होने में किए गए दावे, कहां तक उसकी वास्तविक सेवाओं के अनुरूप हैं;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम को अनियमित तथा अविश्वसनीय सेवाओं

विशेष रूप से भीड़ वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में फेरे न करने के मामले, बस स्टापों पर चालकों द्वारा बस न रोकने, यात्रियों के साथ कर्मीदल द्वारा दुर्व्यवहार, पूरे यात्रियों के चढ़ने और उतरने से पहले ही बसों को चला देना और प्रतिदिन दुर्घटना दर में वृद्धि होने की जानकारी है; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की कार्यकुशलता और क्षमता में, विशेष रूप से दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) लगभग 1·11 लाख रुपए ।

(ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप निगम के सकल परिचालन में सुधार हुआ है, जो नीचे दिए गए तुलनात्मक आंकड़ों से देखा जा सकता है—

अवधि	प्रतिदिन सड़कों पर बसों की संख्या	प्रतिदिन चलाए जानी वाली ट्रिप	प्रतिदिन लाख कि.मी. परिचालन	प्रतिदिन ले जाए जाने वाले यात्री लाख में	दैनिक आय लाख रुपए में	प्रति एक लाख कि.मी. पर दुर्घटना दर
1982-83	3502	41832	7.74	34.37	15.37	2.08
1983-84	4101	47312	9.01	37.62	17.59	1.61
1984-85	4410	48960	9.47	39.15	18.50	1.47
दिसम्बर, 1985	4920	53467	10.57	46.46	21.39	1.37

इसके अतिरिक्त, परिचालन अनुपात (ट्रिपों की समय सारणी की तुलना में चलाई गई ट्रिपों की प्रतिशतता) दिसम्बर, 1980 के 87.75 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 1985 में 89.64 प्रतिशत हो गयी । बेड़ा उपयोग (चालू हालत वाली बसों की प्रतिशतता) और यान उपयोग (प्रतिदिन प्रति बस किलो मीटर) जो दिसम्बर, 1983 के क्रमशः ७7 प्रतिशत और 217 से घट कर 1984 में क्रमशः 78.18 प्रतिशत और 215 रह गया उस पर नियंत्रण कर लिया गया है और यह दिसम्बर, 1985 में बढ़कर 86.59 प्रतिशत और 226 हो गया है ।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम की परिचालन कुशलता में और सुधार लाने के मुद्दे को दृष्टिगत रखते हुए, 1986-87 के लिए एक ब्यौरेवार कार्रवाई योजना बनाई गई है, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं—

(i) पुरानी बसों को बदलना ।

(ii) डिपुओं और टर्मिनलों जैसी सम्बद्ध आधारभूत सुविधाएं विकसित करना ।

(iii) विभिन्न कार्य—निष्पादन मानदण्डों के बारे में मानक और लक्ष्य निर्धारित करना

(iv) उप महा प्रबन्धक के प्रभार में चार क्षेत्र बनाकर कार्य का विकेंद्रीयकरण करना ।

(v) कम्प्यूटर आधारित प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित करना ।

(vi) रूटों को युक्तिसंगत बनाना ।

(vii) बसों के कर्मीदल के आचरण की जांच करने के लिए, अधिकारियों को बसों में अचानक यात्रा करने के अनुदेश देना ।

(viii) यातायात के अबाधित आवागमन के लिए विभिन्न स्थानों पर यातायात निरीक्षकों को तैनात करना ।

(ix) कर्मीदल के आचरण की जांच करने के लिए मोबाइल दस्ते बनाना ।

(x) अनेक कल्याण उपाय लागू करना जैसे कि बेहतर कैंटीन सुविधाएं प्रदान करना, शैया वाले मकानों का निर्माण, औद्योगिक सम्बन्ध बेहतर बनाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली लागू करना, रात-दिन यहां तक कि टेलीफोन पर भी लोक शिकायत प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय शिकायत कक्ष तथा मुख्यालय में केन्द्रीय शिकायत कक्ष स्थापित करना ।

(xi) जितना जल्द सम्भव हो सके मरम्मत और रख रखाव गतिविधियों और वस्तु सूची के नियंत्रण में शीघ्रता करने के लिए आवश्यक पुर्जे उपलब्ध कराने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रणाली का पुनर्गठन करना ।

देश में कैंसर यूनिट

691. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भयानक कैंसर रोग विशेषकर निर्धनों में फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग का पता लगाने तथा उसका निदान करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश में कितने कैंसर यूनिट कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने कैंसर यूनिट खोले जाने की सम्भावना है और उनको कहां-कहां खोला जाएगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कैंसर एक विश्व-व्यापी रोग है । ऐसी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे इस बात का पता चले कि यह रोग विशेष रूप से निर्धन लोगों में ही फैल रहा है । औद्योगिकरण और रहन-सहन के बदलते हुए तौर-तरीकों (स्टाइल) से इस रोग की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है ।

(ख) भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1975 में कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम शुरू किया और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता,

कटक, दिल्ली, गोहाटी, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक अन्य क्षेत्रीय केन्द्र बम्बई में कार्य कर रहा है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को एक कोबाल्ट थेरापी एकक स्थापित करने/ कैंसर का शुरू में पता लगाने वाला एक केन्द्र खोलने के लिए 12.00 लाख रुपए/50.00 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

(ग) देश में 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, रेडियोथेरापी की सुविधाओं से लैस 43 मैडिकल कालेज, 44 नॉन मैडिकल कालेज, रेडियोथेरापी की सुविधाओं से लैस अस्पताल, कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले 28 केन्द्र और 25 पी० ए० पी० स्मियर केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र कहां कहां स्थित हैं इसकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में किसी नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को मान्यता देने का इस समय कोई विचार नहीं है।

विवरण

(1) क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान एवं उपचार केन्द्र

1. गुजरात कैंसर एण्ड रीसर्च इन्स्टीट्यूट (एम० पी० साह कैंसर अस्पताल) अहमदाबाद।
2. किदवाई मेमोरिल इन्स्टीट्यूट ऑफ ऑनक्लोजी, बंगलौर।
3. टाटा मेमोरियल, कैंसर, बम्बई।
4. चित्तरंजन नेशनल कैंसर रीसर्च सेंटर, कलकत्ता।
5. रिजनल कैंसर सेंटर, एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक।
6. डा० बी० बी० कैंसर इन्स्टीट्यूट, गोहाटी।
7. कैंसर अस्पताल एण्ड रीसर्च इन्टीट्यूट (जन विकास न्यास), ग्वालियर।
8. कैंसर इन्सटीट्यूट (डब्ल्यु० आई० ए०), अद्यार, मद्रास।
9. इन्सटीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
10. रिजनल कैंसर सेंटर, मेडिकल कालेज, केम्पस, त्रिवेन्द्रम।

(2) उन संस्थाओं की सूची जहां रेडियोथेरापी की सुविधाएं उपलब्ध हैं

(मेडिकल कालेजों को छोड़कर अन्य)

आन्ध्र प्रदेश

1. बी बी जनरल अस्पताल और कैंसर इन्सटीट्यूट, हैदराबाद।
2. सरकारी अस्पताल, काकीनाडा।

असम

3. बी० बी० कैंसर इन्सटीट्यूट, गोहाटी ।

बिहार

4. मेहरबाई टाटा अस्पताल, जमशेदपुर ।

चण्डीगढ़

5. पोस्ट ग्रेजुवेट इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रीसर्च, चन्डीगढ़ ।

गोवा

6. गोवा कैंसर सोसाइटी, पणजी ।

गुजरात

7. गुजरात कैंसर एण्ड रीसर्च इन्सटीट्यूट, अहमदाबाद ।

8. एस० वी० एस० जनरल अस्पताल, अहमदाबाद ।

9. एन० पी० कैंसर अस्पताल, राजकोट ।

10. लीयनस कैंसर डिटेशन सेंटर, सूरत ।

जम्मू व कश्मीर

11. शेरे कश्मीर इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सिज श्रीनगर ।

कर्नाटक

12. किदवाई मेमोरियल इन्सटीट्यूट आफ आनक्लोजी, बंगलौर ।

13. कर्नाटक कैंसर एन्ड रीसर्च इन्सटीट्यूट, हुबली ।

केरल

14. जिला अस्पाल, इरनाकुलम ।

15, अमला कैंसर सेंटर, त्रिचूर ।

मध्य प्रदेश

16. कैंसर अस्पताल (जन विकास न्यास), ग्वालियर ।

17. कैंसर अस्पताल, इन्दौर ।

18. पाधर अस्पताल, पाधर (बिटूल) ।

महाराष्ट्र

19. नानावती अस्पताल, बम्बई ।

20. बम्बई अस्पताल, बम्बई ।

21. जसलोक अस्पताल, बम्बई ।

22. टाटा मेमोरियल सेन्टर, बम्बई ।

23. वेनलेस होस्पिटल, मिराज ।

54. आर० एस० टी० कैंसर होस्पिटल, नागपुर ।

25. रूबी होल क्लीनिक, पुणे ।

26. सिद्धेश्वर कैंसर होस्पिटल, सोलापुर ।

पंजाब

27. मोहन ओसवाल कैंसर हास्पिटल, लुधियाना ।

28. थाई ओसवाल कैंसर हास्पिटल, लुधियाना ।

तमिलनाडु

29. क्रिश्चियन कैंसर सेन्टर, अम्बलीकराई ।

30. अरिगनार अन्ना सेन्टर कैंसर सेन्टर, कांजीपुरम ।

31. जी० के० नायडू, मेमोरियल हास्पिटल, कोयम्बतूर ।

32. गवर्नमेंट हास्पिटल, रागपेट्टाह, मद्रास ।

33. गवर्नमेंट हास्पिटल फोर वोमेन एण्ड चिल्डर्न, मद्रास ।

34. प्रीमीयर रेडियोलोजीकल इन्ट्रीट्यूट, मद्रास ।

35. रायस कैंसर संस्थान, मद्रास ।

36. कैंसर इन्सट्रीट्यूट (डब्ल्यू० आई० ए०) अदयार, मद्रास ।

37. इन्टरनेशनल कैंसर सेन्टर, नैयोर ।

उत्तर प्रदेश

38. के० एन० एम० हास्पिटल, इलाहाबाद ।

39: पोद्दार कैंसर हास्पिटल, गोरखपुर ।

40. जे० के० इन्सट्रीट्यूट आफ रेडियोलोजी, कानपुर ।

त्रिपुरा

41. कैंसर हास्पिटल, अगरतला ।

पश्चिम बंगाल

42. कैंसर सेन्टर एण्ड वेलफेयर होम, कलकत्ता ।

43. चितरंजन नेशनल कैंसर सेन्टर, कलकत्ता ।

44. इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, (एस० एस० के० एम० हास्पिटल) कलकत्ता ।

(3) उन कालेजों की सूची जहां पर रेडियोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं

आन्ध्र प्रदेश

1. एम० एन० जे० कैंसर हास्पिटल, उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।

2. के० जी० मेडिकल कालेज, विशाखापटनम ।

असम

3. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़ ।

बिहार

4. मेडिकल कालेज हास्पिटल, पटना ।

गुजरात

5. मेडिकल कालेज हास्पिटल, वादोदरा ।

हरियाणा

6. मेडिकल कालेज हास्पिटल, रोहतक ।

जम्मू और कश्मीर

7. मेडिकल कालेज हास्पिटल, श्रीनगर ।

कर्नाटक

8. विक्टोरिया हास्पिटल, बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर ।

9. कस्तूरबा मेडिकल कालेज हास्पिटल, मनीपाल ।

केरल

10. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कोट्टायम ।

11. मेडिकल कालेज हास्पिटल, कालीकट ।

12. मेडिकल कालेज हास्पिटल, त्रिवेद्रम ।

मध्य प्रदेश

13. गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल ।

14. मेडिकल कालेज हास्पिटल, जबलपुर ।

15. मेडिकल कालेज हास्पिटल, रायपुर ।

महाराष्ट्र

16. मेडिकल कालेज हास्पिटल, औरंगाबाद ।
17. मेडिकल कालेज हास्पिटल, नागपुर ।
18. आर्मड फोर्स कामन्ड हास्पिटल, पुणे ।

दिल्ली

19. आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली ।
20. लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली ।
21. सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली ।

उड़ीसा

22. मेडिकल कालेज हास्पिटल, बरहामपुर ।
23. एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक ।

पांडिचेरी

24. जवाहर लाल इन्स्टीट्यूट आफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन और रिसर्च (जीपमेर), पांडिचेरी ।

पंजाब

25. बी० जे० मेडिकल कालेज, अमृतसर ।
26. क्रिस्चियन मेडिकल कालेज, लुधियाना ।
27. मेडिकल कालेज हास्पिटल, पटियाला ।
28. एस० पी० मेडिकल कालेज, बीकानेर ।
29. एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर ।
30. मेडिकल कालेज हास्पिटल, जोधपुर ।
31. आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर ।

तमिलनाडु

32. बरनार्ड इंस्टिट्यूट आफ रेडियोलाजी, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।
33. स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास ।
34. गवर्नमेंट राजाजी हास्पिटल, मदुरई मेडिकल कालेज, मदुरई ।
35. क्रिस्टियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर ।

उत्तर प्रदेश

36. एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा ।

37. मेडिकल कालेज हास्पिटल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ।

38. के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

39. इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी ।

पश्चिम बंगाल

40. मेडिकल कालेज, बमकुरा ।

41. मेडिकल कालेज, हास्पिटल, कलकत्ता ।

42. नील रतन सरकार मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

43. आर० जी० कार० मेडिकल कालेज, कलकत्ता ।

(4) कैंसर अनुसंधान एवं उपचारी कार्यक्रम

कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुदान :

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्था	धनराशि	टिप्पणियां
1980-81	उड़ीसा (8 सेन्टर)	एस०सी०नी० मेडिकल कालेज हास्पिटल, कटक	0·5 लाख	
		2. बी०एस०एस० मेडिकल कालेज, बीरला	—तदैव—	
		3. एम०के०जी०जी० मेडिकल कालेज, बरम्हापुर	—तदैव—	
	त्रिपुरा	1. जी०एस० हास्पिटल, अगरतला	—तदैव—	
	सिक्किम	1. एस०टी०के०एच० हास्पिटल, गंगटोक	—तदैव—	
	आन्ध्र प्रदेश	1. एम० एन० जे० कैंसर हास्पिटल और रेडियम इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद	—तदैव—	

1	2	3	4	5
	कर्नाटक	1. के०एच० हास्पिटल, मैसूर	—तदैव—	
		2. के०जी० हास्पिटल, हुबली	—तदैव—	
1981-82	केरल	1. डिस्टिक होस्पिटल, पलघट	—तदैव—	
	(6 सेन्टर)	2. जनरल हास्पिटल, एर्नाकुलम	—तदैव—	
	गुजरात	1. एम०पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर	—तदैव—	
		2. मेडिकल कालेज हास्पिटल, बड़ौदा	0.5 लाख	
		3. लायन्स कैंसर डेटेक्शन सेंटर ट्रस्ट सूरत	—तदैव—	
	महाराष्ट्र	1. इण्डियन कैंसर सोसायटी, सोलापुर	—तदैव—	
1982-83	महाराष्ट्र	1. मेडिकल कालेज हास्पिटल, नागपुर	—तदैव—	सरकार से अनुदान
	(सरकारी अनुदान से 2 केन्द्र विश्वस्वास्थ्य संगठन अनुदान से 7 केन्द्र)	2. मेडिकल कालेज हास्पिटल, औरंगाबाद	—तदैव—	सरकार से अनुदान
	उत्तर प्रदेश	1. एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के उपकरण	विश्वस्वास्थ्य संगठन से अनुदान
		2. बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर	—तदैव—	—तदैव—
	पश्चिम बंगाल	1. बी०एस० मेडिकल, कालेज	—तदैव—	—तदैव—
	पंजाब	1. सरकारी मेडिकल कालेज, पटियाला	—तदैव—	—तदैव—
	राजस्थान	1. एस०एम०एस० मेडिकल कालेज, जयपुर	—तदैव—	—तदैव—

1	2	3	4	5
	असम	1. असम मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़	—तदैव—	—तदैव—
	मणीपुर	1. रिजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल	—तदैव—	—तदैव—
1983-84		गोआ मेडिकल कालेज, बम्बोलिन, पणजी	0.5 लाख	गवर्नमेंट ग्रांट
1984-85	असम	मेडिकल कालेज, गोहाटी	0.5 लाख	गवर्नमेंट ग्रांट
	उत्तर प्रदेश	महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी	0.5 लाख	गवर्नमेंट ग्रांट
	तमिलनाडु	ग्राम बनियाचावड़ी, चिंगलपेटू जिला को पंजाब एसोसिएशन	0.5 लाख	गवर्नमेंट ग्रांट
1985-86		द्वारा सैंट स्टीफन हास्पिटल, तीस हजारी, दिल्ली	0.5 लाख	गवर्नमेंट ग्रांट

(5) प्रसवोत्तर कार्यक्रम को चला रहे विभिन्न मेडिकल कालेजों में मंजूर किए गए प्रसवोत्तर पी० ए० पी० स्मियर परीक्षण एकक

1. आंध्र प्रदेश —1. गवर्नमैंट मैटरनिटी हासपिटल हैदराबाद।
2. असम —2. मेडिकल कालेज, सिलचर।
3. बिहार —3. मेडिकल कालेज, मुजफ्फरपुर।
—4. मेडिकल कालेज, लहरिया सराय।
4. गुजरात —5. मेडिकल कालेज, सूरत।
5. हरियाणा —6. मेडिकल कालेज, रोहतक।
6. हिमाचल प्रदेश —7. मेडिकल कालेज, शिमला।
7. जम्मू और कश्मीर —8. मेडिकल कालेज, जम्मू।
8. केरल —9. मेडिकल कालेज, एलाप्पी।
9. कर्नाटक —10. मेडिकल कालेज, बेलरी।
—11. मेडिकल कालेज, मैसूर।
10. मध्य प्रदेश —12. मेडिकल कालेज ग्वालियर।

11. महाराष्ट्र	*13. मेडिकल कालेज, नागपुर ।
	*14. मेडिकल कालेज, औरंगाबाद ।
12. मणीपुर	*15. रिजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल ।
13. उड़ीसा	*16. मेडिकल कालेज, ब्रहमपुर ।
14. राजस्थान	17. मेडिकल कालेज, जोधपुर ।
15. पंजाब	*18. मेडिकल कालेज, पटियाला ।
16. तमिलनाडु	19. मेडिकल कालेज, चिंगलपट्ट ।
	20. मेडिकल कालेज, मुदरई ।
17. उत्तर प्रदेश	*21. मेडिकल कालेज, आगरा ।
	*22. मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
18. वेस्ट बंगाल	*23. मेडिकल कालेज, बैंकुरा ।
	24. मेडिकल कालेज, वर्धवान ।
19. दिल्ली	25. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, नई दिल्ली ।

*ये 8 केन्द्र सरकार अथवा डब्ल्यू० एच० ओ० अनुदानों से स्थापित किए गए "कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों के साथ मिले-जुले एकक हैं ।"

कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता

692. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार के कुष्ठ रोग को समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता न देने का निर्णय लेने से इस कार्यक्रम को भारी धक्का लगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने इस कार्यक्रम के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो सहायता न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है, ताकि कुष्ठ रोग को समाप्त करने सम्बन्धी कार्यक्रम में बाधा न आए और यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ

उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसे शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, उड़ीसा सरकार सहित राज्यों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है। योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा किए गए सम्पूर्ण खर्च को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वहन किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तिमाही आधार पर रिलीज की जाती है। 1985-86 के दौरान 46 लाख रुपए के आबंटनों में से 34.50 लाख रुपए की नकद सहायता 3 तिमाही किस्तों में पहले ही रिलीज की जा चुकी है। उड़ीसा राज्य को उनके व्यय (वास्तविक और प्रत्याशित दोनों) के आधार पर अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 1985-86 के अंत से पहले रिलीज कर दी जाएगी।

टर्मिनलों पर लम्बे समय तक रेल डिब्बों के रोके जाने के कारण उनका उपयोग न हो पाना

693. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे टर्मिनलों पर यात्री डिब्बे बहुत लम्बे समय तक खड़े रहते हैं,

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दशक की नई गाड़ियों के टर्मिनलों पर रुकने की अवधि सामान्यतः कम है और पूर्व यात्री गाड़ियों में वह अवधि अधिक थी;

(ग) क्या लखनऊ से चलने वाली नई, गोमती एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन पर केवल 3 घण्टे से भी कम समय के लिए ठहरती है जबकि पुरानी लखनऊ मेल गाड़ी दिल्ली में 14 घण्टे ठहरती है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत समय तक उसके डिब्बों का उपयोग नहीं हो पाता है; और

(घ) क्या सवारी डिब्बों के अनुपयोग को रोकने के लिए "रैक लिंक" संशोधन का आदेश 1984 में दिया गया था और यदि हां, तो पिछले दो वर्ष में इन आदेशों को लागू न करने के क्या कारण हैं?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां, कुछ रेक खड़े रहते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जिस स्टेशन पर रेकों को प्राथमिक अनुरक्षण प्रदान किया जाता है उस स्टेशन पर अधिक टर्मिनल समय दिया जाता है। चूंकि गोमती एक्सप्रेस के रेकों का अनुरक्षण लखनऊ में किया जाता है, इसलिए नयी दिल्ली में उसे 2 घण्टे से भी कम समय के लिए रोका जाता है जबकि लखनऊ मेल को 13 घण्टे 25 मिनट रोका जाता है क्योंकि इसके रेकों का अनुरक्षण नयी दिल्ली में किया जाता है और गाड़ी यात्रियों के लिए सुविधाजनक समय पर चलायी जाती है।

(घ) रेकों का एकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इनकी संख्या प्रत्येक समय सारणी के परिवर्तन के समय घटती बढ़ती रही है।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता

694. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 में वित्तीय सहायता दी गई है और प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

[पंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2081/86]

[अनुवाद]

बधुआ प्रमुख सिंचाई परियोजना

695. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में बधुआ प्रमुख सिंचाई परियोजना के पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और यह परियोजना कब पूरी होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी और वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या विश्व बैंक इस परियोजना के लिए धन प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बंधुआ परियोजना का चरण-एक वर्ष 1977-78 के दौरान पूरा हो चुका है । बंधुआ चरण-दो के प्रारंभिक कार्य पांचवी योजना के दौरान शुरू किए गये थे परन्तु संसाधनों की कमी के कारण, 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना के आठवीं योजना में पूरा होने की आशा है ।

(ग) केन्द्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं करती है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बच्चों के जीवन और विकास के सम्बन्ध में कार्यशाला

696. **श्री आनन्द सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी से पहले दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट के तत्वाधान में बच्चों के जीवन और विकास के सम्बन्ध में एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें बच्चों के लिए एक पृथक मंत्रालय हेतु सुझाव दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कार्यशाला में अन्य क्या सुझाव दिए गए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा): (क) जी, हां। भारत में बाल उत्तरजीविता और विकास के लिए एक प्रबोधन पद्धति स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वर्कशाप में बाल प्रबोधन पद्धति, भूगोलिक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक उप समूहों के लिए आंकड़ों को अलग-अलग करने की आवश्यकता, अभ्यान्तर संकेतकों के एक न्यूनतम सैट का पता लगाने के लिए आगे कार्य करने की आवश्यकता, वर्तमान आंकड़े पद्धति में सुधार, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, देशान्तरीय आंकड़े एकत्र करने के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर एक मत व्यक्त किया गया।

वर्कशाप ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान तथा यूनिसेफ के समूचे समन्वय के अन्तर्गत एक कार्य दल स्थापित करने की भी सिफारिश की थी।

(i) बाल उत्तरजीविता और विकास के उन सूक्ष्म संकेतकों की सूची को अन्तिम रूप देना जिसका चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके।

(ii) एक कार्य योजना तैयार की जाये जिसमें निश्चित उत्पादन के विभिन्न स्तरों के कार्यकलापों के कार्य क्षेत्र और विस्तृत वर्णन का उल्लेख हो तथा भाग लेने वाले एजेन्टों (संस्थाएं और जिम्मेदार व्यक्ति), कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय, प्रत्येक स्तर की मध्यावधि समीक्षा एवं निष्कर्ष तथा बजट आवश्यकताओं का उल्लेख हो।

सरकार ने सिफारिश को मान लिया है।

[हिन्दी]

कयूल-भागलपुर रेल लाइन को दोहरा बनाना

697. **श्री डी० पी० यादव :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में कयूल-भागलपुर रेल लाइन को दोहरा बनाने के बारे में क्या स्थिति है;

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) किउल-जमालपुर-भागलपुर खंड पर कहीं-कहीं पर दोहरी लाइन बिछाने के अनुमादित कार्यों की वर्तमान प्रगति 25 प्रतिशत है ।

(ख) इस कार्य का पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) अनुमोदित परियोजना की मौजूदा स्वीकृत लागत 16.80 करोड़ रुपए है ।

[अनुवाद]

निरन्तर रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

698. श्री डी० पी० यादव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या निरन्तर रूप से बादग्रस्त क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने पिछड़े क्षेत्रों के बारे में पता लगाने के किन्हीं मानदंडों के बारे में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) बिहार के मुंगेर जिले जैसे निरंतर रूप में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनसंख्या को प्रकृति की सीधी तबाही से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्रीय समिति ने अपनी रिपोर्ट (नवम्बर, 1981) में चिरकालिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की है :—

(1) तीन वर्ष में कम से कम एक बार बाढ़ की बारम्बारता,

(2) एक ही बार कम से कम निरंतर 7 दिन की बाढ़;

(3) उस समय खड़ी धान से अधिक बाढ़ की गहराई, तथा

(4) तेज गति से आने वाली आकस्मिक बाढ़ें जो पौधों को उखाड़ सकती हैं चाहे इनकी अवधि 7 दिन से कम ही हो।

(ग) बाढ़ों से गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार तटबन्धों तथा कटाव-रोधी कार्यों के निर्माण को हाथ में ले रही है। राज्य द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति जिसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1985 में प्रस्तुत कर दी थी, की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने मुंगेर जिले की दियारा भूमि के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण आरम्भ कर दिये है।

एयर इण्डिया द्वारा "एयर बस" प्राप्त किया जाना

699. श्री शरद दिघे :

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया छह एयरबसों की प्राप्ति के लिये वित्तीय प्रबंधों को अंतिम रूप दे रहा है और कुछ वायुयानों को "लीज" पर लेने अथवा उन्हें किश्तों पर खरीदने तथा वायुयान की खरीद करने के अपने पूर्व-निर्णय पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वायुयानों की खरीद के लिये की गई वित्तीय व्यवस्थाओं का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एयर इण्डिया को पट्टे/किस्त बिक्री द्वारा होने वाले वित्तीय लाभ, परम्परागत ऋण खरीद प्रक्रिया की तुलना में बेहतर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, पट्टा/किस्त बिक्री को पेशकश करने वाले पक्ष एकमुश्त वित्त-व्यवस्था की एक स्वीकार्य कार्य-विधि बनाने में सफल नहीं रहे हैं।

(ग) 4430 लाख अमरीकी डालरों की कुल वित्त व्यवस्था में (i) बर्कले बैंक लंदन द्वारा प्रयोजित आफ बैंकों के संघ से 2200 लाख अमरीकी डालर के बराबर निर्यात ऋण (ii) बर्कले बैंक, लंदन द्वारा प्रयोजित बैंकों के संघ से 1730 लाख अमरीकी डालर का यूरो डालर ऋण, और (iii) फ्यूजी, टोकाई और डैचिकांग्यों बैंक आफ जापान द्वारा प्रयोजित बैंक संघ से 10 बिलियन येन (500 लाख अमरीकी डालर के बराबर) शामिल है।

दक्षिण रेलवे द्वारा आरक्षण रद्द कराने के फार्मों का कन्नड़ भाषा में मुद्रण

700. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने आरक्षण रद्द कराने के फार्मों को कन्नड़ भाषा में भी मुद्रित करवाया है क्योंकि कन्नड़, कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उनको कन्नड़ भाषा में मुद्रित करवाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। तथापि कन्नड़ में छपे फार्मों का स्टाक समाप्त हो गया था। अतः इनका पुनः मुद्रण करने और कर्नाटक राज्य में स्थित आरक्षण कार्यालयों को शीघ्र इनकी सप्लाई करने के आदेश दिये हैं।

बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित डिब्बों के लिए लाइन लगाने की व्यवस्था

701. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों में कुछ लोग वास्तविक यात्रियों को बाहर निकाल देते हैं और अनारक्षित डिब्बों में प्रवेश करके सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और उनको खाली करने के लिए धनराशि वसूल करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर सिटी रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों के लिए लाइन लगाने की व्यवस्था आरम्भ करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय बैंगलूर सिटी में बड़ी लाइन की तीन गाड़ियों के अनारक्षित डिब्बों में प्रवेश सुव्यस्थित करने के लिए लाइन प्रणाली लागू की गयी है। इन गाड़ियों के नाम 40 वृन्दावन एक्सप्रेस, 127 कर्नाटक एक्सप्रेस और 130 उद्यन एक्सप्रेस हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा पेनल योजना

702. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कई करोड़ रुपए के चिकित्सा बिल घोटाले के बारे में कोई जांच की गई है, और उसमें अन्तर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उक्त चिकित्सा पेनल को समाप्त कर दिया गया है और उसके कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम को दुरुपयोग के जिन मामलों की जानकारी मिली, उसके आधार पर 352 डाक्टरों और 117 कैमिस्टों को नामिका से हटा दिया गया और एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। एक समिति अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच करने के लिए गठित की गई है कि क्या सुविधा के दुरुपयोग पर पर्याप्त नजर रखी गई थी। दिल्ली परिवहन निगम से चिकित्सा स्कीम के लाभ के संभावित दुरुपयोग के सभी मामलों का पता लगाने और यह काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए भी कहा गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ऐसे सभी मामलों की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संशोधित स्कीम निम्नलिखित है :—

(i) मौजूदा स्कीम में "परिवार" की परिभाषा को अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय (सिविल) सेवा चिकित्सा उपचार नियम की परिभाषा के अनुरूप संशोधित कर दिया गया है।

(ii) चिकित्सा खर्च के भुगतान की अधिकतम सीमा एक माह का वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता सहित) होगी जो प्रतिवर्ष 1200/- रुपए से अधिक न हो।

(iii) पुरानी स्कीम के अनुसार तैयार की गई डाक्टरों/विशेषज्ञों/कैमिस्टों की नामिका 1.2 1986 से समाप्त कर दी गई है।

(iv) कर्मचारी परामर्श शुल्क और दवाई का खर्च का भुगतान डाक्टरों और कैमिस्टों को करेंगे और ऊपर (ii) में दर्शाई गई सीमा तक दिल्ली परिवहन निगम से भुगतान प्राप्त करेंगे।

(v) यदि सरकारों/नगर निगम के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो उनको जितना

शुल्क दिया जाता है, उतनी राशि का ही भुगतान होगा। इनमें भोजन का शुल्क शामिल नहीं होगा।

(vi) तपेदिक, कैंसर, पोलिवोमाइलेटिस और मानसिक रोग के विशेषज्ञ उपचार और जांच के लिए पूरी राशि के भुगतान की अनुमति है बशर्ते ऐसे रोगों का उपचार मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में हुआ है। इस मामले में जितने भुगतान की अनुमति होगी, वह राशि साधारण मामलों में चिकित्सा खर्च के भुगतान के लिए निर्धारित सीमा के अलावा होगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की हड़ताल

703. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
डा० बी० एल० शैलेश :
श्री राभय्यारे पनिका :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री संयद शाहबुद्दीन :
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने सम्बन्धित प्राधिकारियों को अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सम्बे अर्से से हड़ताल पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ 10 दिसम्बर, 1985 से अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए हड़ताल पर चला गया। उनकी मुख्य मांगें थीं :–

(i) योग्यता पदोन्नति योजना को समाप्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों को वापस लेना; (ii) आवास सुविधाओं में सुधार; (iii) कालेजों में प्रवण ग्रेड लेक्चररों के लिए निश्चलता निवारक वेतनवृद्धि की मंजूरी; और (iv) कालेजों में प्रोफेसर ग्रेड प्रारम्भ करना। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई है और विश्वविद्यालय तथा कालेजों में अध्यापन 23 फरवरी, 1986 से पुनः आरम्भ हो गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ ने भी अन्य बातों के साथ-साथ कुछ पुस्तकालय और प्रयोगशाला कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन की मांग करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस अभ्यावेदन पर ध्यान दे रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनायें

704. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित कुछ परियोजनाएं मंजूर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) जी, हां।

(ख) 431.00 करोड़ रु० की लागत पर हाल ही में मंजूर की गई 8 मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 95.00 करोड़ रु० की लागत के सैकड़ों मध्यम और छोटे कार्यों को 1985-86 में मंजूरी दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्यवार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	लागत (करोड़ रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 7 के हैदराबद-नागपुर खंड तथा हैदराबाद-बंगलौर खंडों को मजबूत करना।	29.3
2.	गुजरात में अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे	128.4
3.	हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के मुरथल-करनाल खंड को चार लेनों में चौड़ा करना।	42.5
4.	पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 के सरहिंदजलंधा खंड को चार लेनों में चौड़ा करना।	66.0
5.	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 के थाणे-नासिक खंड को मजबूत करना।	29.0
6.	तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45 के मद्रास विल्लुपुरम खंड को चार लेनों में चौड़ा/दो लेनों में मजबूत करना	45.6

1	2	3
7.	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर बनारस बाई-पास और गंगा उपरि पुल ।	41.6
8.	पश्चिम बंगाल में (ग्रेड मार्ग पर दो लेन) दुर्गापुर एक्सप्रेस वे का कलकत्ता-पलसिट खंड ।	48.6
	कुल	431.0

विवरण-II

1985-86 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (ओ०) कार्यों के लिए राज्यों को धनराशि के संशोधित आबंटन का विवरण । (लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ प्रशासनों का नाम	1985-86 के लिए आबंटन
1.	आंध्र प्रदेश	1600.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.00
3.	असम	850.00
4.	बिहार	1300.00
5.	चंडीगढ़	5.00
6.	दिल्ली	200.00
7.	गोवा, दमन दीव	360.00
8.	गुजरात	1200.00
9.	हरियाणा	620.00
10.	हिमाचल प्रदेश	420.00
11.	जम्मू व कश्मीर	600.00
12.	कर्नाटक	1200.00
13.	केरल	980.00
14.	मध्य प्रदेश	1250.00
15.	महाराष्ट्र	1225.00

1	2	3
16.	मणिपुर	185.00
17.	मेघालय	450.00
18.	नागालैंड	50.00
19.	उड़ीसा	820.00
20.	पांडिचेरी	50.00
21.	पंजाब	850.00
22.	राजस्थान	800.00
23.	तमिलनाडु	1100.00
24.	उत्तर प्रदेश	1950.00
25.	पश्चिम बंगाल	830.00
26.	सी० आर० आर० आई०	5.00
27.	सीमा सड़क विकास मंडल	1450.00
	कुल	20400.00

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा अनुसंधान पत्रों का हिन्दी में स्वीकार न किया जाना

705. **श्री सरफराज अहमद :**
श्री विलास मुत्तेमवर :
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री तारिक अनवर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, ने हिन्दी में लिखे परियोजना पत्रों जैसे अनुसंधान पत्रों, आदि को स्वीकार करने से मना कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समय होने वाले अथवा भविष्य में इस प्रकार के किसी भेदभाव को दूर करने के लिए संस्थान को स्पष्ट दिशा निर्देश देने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एक छात्र द्वारा हिन्दी में लिखित शोध प्रबन्ध को, एम० टेक डिग्री प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं के एक भाग के रूप में भा० प्रो० स० के प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

[अनुवाद]

कैंसर के इलाज के लिए नई औषधि

706. श्री सरफराज अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिवेन्द्रम क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के कुछ जीव-रसायन वैज्ञानिकों द्वारा कटहल के बीज से "लैक्टिन" अलग करके कैंसर के इलाज के लिए नई औषधि के सम्बन्ध में कथित अनुसंधान कार्य की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कैंसर का पता लगाने और उसके इलाज की संभावनाएं क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई आगे कदम उठाने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से मिली रिपोर्ट में यह बतलाया गया है कि यह केन्द्र अनेक पौधों से लेक्टिनस का पृथकीकरण और स्क्रीनिंग कर रहा है तथा टिशु के सम्बन्ध में उनकी विशिष्टता की जांच कर रहा है। अब तक केवल कटहल के बीजों से अलग किए गये लेक्टिन्स से यह सिद्ध हुआ है कि इसमें ट्यूमर सैलों के इलाज की क्षमता है।

(ग) यह कार्य अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों और डाक्टरों का अनुपात

707. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय मरीजों और डाक्टरों के बीच क्या अनुपात है;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मरीजों और डाक्टरों के बीच का अनुपात बराबरी पर लाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) देश में पर्याप्त अर्हताप्राप्त डाक्टरों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सातवीं योजना अवधि के दौरान सरकार का विचार मरीजों और डाक्टरों के बीच के अनुपात को कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मरीजों

और डाक्टरों के अनुपात सम्बन्धी जानकारी एकत्र नहीं की जाती। वैसे, उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सारे देश में कुल मिलाकर 2500 लोगों के लिए एक डाक्टर हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1945 अस्पताल तथा 69,000 पलंग हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में 5,424 अस्पताल तथा 4,46,000 पलंग हैं। आंकड़ों से यह पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बजाए शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 12,0000 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा लगभग 1500 ग्रामीण अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

देश में 106 मेडिकल कालेज हैं और उनकी प्रतिवर्ष वार्षिक प्रवेश क्षमता 12,000 है। यह समझा जाता है कि इस समय मेडिकल कालेजों से जो डाक्टर पढ़कर निकल रहें हैं वे देश में चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। वैसे, सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को अनेक प्रोत्साहन दें। जहां तक प्राइवेट प्रेक्टीशनरों का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करते हैं तथा राज्य सरकारों की अपनी प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं।

मेडिकल कालेज खोलने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुमति

708. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने और विभिन्न राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुमति देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और ऐसे स्वयं सेवी संस्थाओं का विवरण क्या है, जिन्होंने विभिन्न राज्यों में, ये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव रखा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश) में उप-सांस्कृतिक केन्द्र

709. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में एक उप-सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार है और उप-सांस्कृतिक केन्द्र के संभावित क्रिया कलापों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख)

चूंकि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र संघ के ज्ञापन में उप-केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है, इसलिए श्री शैलम में उप-केन्द्र की स्थापना पर दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा विचार किया जाना है। शासी निकाय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके ब्यौरे तैयार किए जाने हैं।

इन्दिरा गांधी नहर

710. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और राजस्थान में झुनझुनू क्षेत्र में जहां लोगों को ऊंटों पर 8-10 किलो मीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। पानी उपलब्ध हो जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : परियोजना रिपोर्ट, 1984 के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को 1994-95 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने झुनझुनू शहर को पीने का पानी सप्लाई करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

झुनझुनू (राजस्थान) में सवारी गाड़ी के डिब्बों की मरम्मत का कारखाना

711. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार राजस्थान के झुनझुनू क्षेत्र में, जहां पर्याप्त खाली भूमि और मजदूर उपलब्ध हैं, सवारी गाड़ी के डिब्बों की मरम्मत के लिए एक फैक्ट्री स्थापित करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : राजस्थान क्षेत्र में चलने वाले सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है। अतः झुनझुनू में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान क्षेत्र में इस समय ये सुविधाएं अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन के संबंध में उड़ीसा सरकार की कार्यनिष्पति

712. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य सरकार की कार्य-निष्पति संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र मे खराब कार्यनिष्पति के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) छठी योजना के अन्त में उड़ीसा राज्य में दम्पत्ति सुरक्षा दर 31.0 प्रतिशत थी जबकि अखिल भारतीय

स्तर पर यह दर 32.3 प्रतिशत थी। राज्यों को उन्नत संचार साधनों के माध्यम से गर्भ निरोधन की मांग बढ़ाकर दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सेवाओं को बढ़ाकर और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाकर, अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके, जन शिक्षा में तेजी लाकर बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ाकर, कार्यक्रम के ढांचे का पुनर्गठन करके और इसके प्रबन्ध में सुधार लाकर इस कार्यक्रम में गति लाने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर खान-पान व्यवस्था का ठेका

713. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर असैनिक हवाई अड्डे पर खान-पान व्यवस्था के ठेके के लिए निविदाएं सितम्बर, 1985 में मांगी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ठेका अधिकतम बोली देने वाले को दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) ठेकेदार से प्रतिमास कितनी धन राशि प्राप्त हुई और कब से प्राप्त हो रही है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सितम्बर, 1982 में आमन्त्रित निविदाओं में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ठेका दिया गया था लेकिन रेस्टोरेंट परिसर वास्तव में ठेकेदार के सुपुर्द नहीं किया जा सका क्योंकि भूतपूर्व ठेकेदार ने परिसर खाली नहीं किया था और इसके बजाय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किये गए मुकदमे में "स्थगन आदेश" प्राप्त कर लिया था। चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए भूतपूर्व ठेकेदार से कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जा रही है और वह श्रीनगर हवाई अड्डे पर खान-पान सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

सांसर्गिक संक्रामक और संचारी रोगों के मामलों के समाचार

714. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश में किसी भी स्थान पर विभिन्न सांसर्गिक संक्रामक और संचारी रोगों का पता लगाने की कोई सही प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या सरकार दिल्ली में और अन्य स्थानों पर पंजीकृत गैर सरकारी और सरकारी डाक्टरों द्वारा सभी रोगों की सूचना देने की एक आसान प्रणाली शुरू करेगी;

(ग) क्या सरकार से इस तरह की सूचना एकत्रित करने के लिए स्वास्थ्य सांख्यिकी सेवा गठित करेगी ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार किया जाएगा जिसके अंतर्गत सभी डाक्टरों को सूचना देना अनिवार्य हो जाए ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कम्प्यूटर एयरलाइनर के लए स्वीडन की पेशकश

715. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्वीडिस विमान फर्म ने वायुदूत तट रक्षक और अन्य संगठनों में प्रयोग के लिए कम्प्यूटर एयरलाइनर बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विमान का कोई और मूल्यांकन किया गया है;

(ग) विमान की उड़ान तथा ईन्धन क्षमता, आरोही और अवरोही क्षमता क्या है तथा विमान का संभावित मूल्य क्या है;

(घ) भारत द्वारा ऐसे कितने विमान खरीदे जायेंगे और कब;

(ङ) ये विमान विशेष रूप से तट रक्षकों की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा करेंगे ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) जनवरी, 1986 के अन्तिम सप्ताह में एक स्वीडिस कम्पनी ने अपने कम्प्यूटर विमान साब एस० एफ० 340 द्वारा प्रदर्शन उड़ान की थी। चूंकि यह मात्र एक प्रदर्शन उड़ान थी, इसलिए विमान की परिचालन क्षमता, लागत का कोई विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया गया।

(घ) इस समय इस विमान को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रदर्शित विमान केवल कम्प्यूटर का ही रूपांकन है और यह समुद्र तटीय रक्षक संगठन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। समुद्र तटीय रक्षक संगठन ने विमान के निर्माताओं के को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता दिया है और फर्म से सूचना प्राप्त होने पर वे इसका मूल्यांकन करेंगे।

लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता

716. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लघु सिंचाई प्रणालियों/परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्यों में राज्य-वार ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त धनराशि मंजूर किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी भूमि पर सिंचाई किये जाने की आशा है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लघु सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस योजना में लघु सिंचाई के लिए 2805 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) लघु सिंचाई स्कीमों के सम्बन्ध में ब्यौरे केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) लघु सिंचाई के अन्तर्गत वार्षिक योजना 1986-87 के लिए 37·02 करोड़ रुपए का परिव्यय तथा सातवीं योजना के लिए 147·40 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है तथा इससे क्रमशः 1·17 लाख हैक्टेयर और 5·15 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने का अनुमान है। राज्य को लघु सिंचाई के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय/प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे पर खर्च की गई धनराशि

717. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 में पुणे में स्थापित किये गये राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को कितनी भूमि दी गई है तथा उसे इस समय अस्पताल, कालेज तथा तकनीकी कर्मचारी जैसी अन्य सुविधाएं किस हद तक उपलब्ध हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थान को 40 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ग) इसकी स्थापना से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे की सोसायटी को सोसायटीज पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत नई दिल्ली में 27-9-84 को पंजीकृत किया गया है। प्रस्तावित संस्थान ने कार्य करना शुरू नहीं किया है।

सरकार ने इस प्रयोजन के लिए पुणे में बनी-बनाई भवन सम्पत्ति अर्जित की है। इस संस्थान के लिए अभी स्टाफ नियुक्त किया जाना है।

(ख) और (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिए निम्नलिखित सांकेकित बजट व्यवस्था की गयी है—

1983-84	—3·00 लाल रुपए
1984-85	—3·00 लाख रुपए
1985-86	—10·00 लाख रुपए

इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इस संस्थान ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है।

दिल्ली और नागपुर के बीच गाड़ियों में घटिया भोजन दिया जाना

718. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो महीनों के दौरान विशेष रूप से दिल्ली और नागपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों में रेलवे कैटरिंग द्वारा गाड़ियों में यात्रियों को घटिया और बासी भोजन देने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) रेल गाड़ियों में कैटरिंग सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) सप्लाई किये गये भोजन की किस्म के बारे में पिछले दो महीनों के दौरान कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि इसी अवधि में दिल्ली और नागपुर के बीच गाड़ियों में भोजन की किस्म और सेवा के बारे में एक बड़ी संख्या में प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) भोजन की किस्म को सुधारने के लिए जो कार्रवाई की गई है/कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उनमें खान-पान स्थापना का गहन निरीक्षण, घटिया सेवा के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई, ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई, आधुनिक रसोई उपस्कर की व्यवस्था, आधार रसोई घर का आधुनिकीकरण और खान-पान विभाग में प्रशिक्षित रसोइयों की भर्ती शामिल है।

नागपुर के लिए दैनिक बोइंग विमान सेवाएं

719. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर-दिल्ली-नागपुर दैनिक बोइंग विमान सेवाएं शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस आवेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) नागपुर और दिल्ली के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवाएं कब तक शुरू हो जाएंगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इण्डियन एयरलाइन्स इस समय नागपुर और दिल्ली के बीच प्रति सप्ताह तीन "एवरो" और चार "बोइंग" उड़ानों का प्रचालन कर रही है। जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान प्रति उड़ान में ले जाए गए यात्रियों की संख्या कभी भी 44 से अधिक नहीं हुई। इस प्रकार उपलब्ध की गई क्षमता वर्तमान यातायात मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

महिला शक्ति का उपयोग करने के लिए योजना

720. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने के लिए सरकार की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के लिये सरकार की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की सहायता करना तथा विकास के लिए महिला शक्ति का उपयोग करना है। सातवीं योजना में, सरकार का महिलाओं के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करने, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में महिला विकास निगमों की स्थापना करने, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करते हुए महिलाओं और लड़कियों की शक्ति का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

माण्डोवी सिंचाई परियोजना

721. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा, दमन और दीव सरकार ने केन्द्रीय सरकार से माण्डोवी सिंचाई परियोजना के मामले पर पुनर्विचार करने और इसे मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। गोवा, दमन और दीव की सरकार ने इस परियोजना के मामले पर पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया है। यह मामला पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन मन्त्रालय के विचाराधीन है।

सभी रेल फाटकों पर ऊपरि पुल अथवा भूमिगत सुरंग बनाना

722. **डा० डी० एम० रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में रेल फाटकों जैसे दिल्ली में ओखला औद्योगिक क्षेत्र में है, से जनता को भारी असुविधा हो रही है तथा उनके कारण यातायात के आवागमन में विलम्ब होता है और यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी नयी रेल लाइनों पर सभी रेल फाटकों पर ऊपरी पुल अथवा भूमिगत सुरंगें बनाना सुनिश्चित करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां। रेलवे की यह नीति है कि राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरणों के संयुक्त रूप से भागीदारी के आधार पर व्यस्त समपारों

के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था की जाये। ओखला औद्योगिक क्षेत्र के समीप समपार हटाने का एक प्रस्ताव पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

महानगरों के लिए भूमिगत (मेट्रो) रेल व्यवस्था

723. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री ओहरि राव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन महानगरों में जहां यातायात की अधिक भीड़-भाड़ रहती है, भूमिगत रेल प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा बम्बई में भूमिगत (मेट्रो) रेल प्रणाली कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वर्णरेखा परियोजना से प्रभावित होने वाले जनजातियों का पुनर्वास

724. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार स्वर्णरेखा परियोजना के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होने वाले लगभग एक लाख जनजातीय लोगों के पुनर्वास के लिए एक वृहद योजना तैयार कर रही है तथा उन्हें परियोजना के निर्माण कार्यों और सामाजिक, वानिकी तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु भी योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है तथा प्रभावित जनजातीय लोगों को उपर्युक्त सुविधाएं कब तक प्राप्त हो जाएंगी; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं और क्या सरकार इसके कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी हां। बिहार सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं तैयार की हैं जिसमें स्वत: रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना तथा परियोजना कार्यों पर रोजगार पर लगाना शामिल है। पुनर्वास उपायों पर व्यय परियोजना लागत पर प्रभारित होता है और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। 1980 के परियोजना अनुमान में भूमि अधिग्रहण तथा जलमग्न क्षेत्र में आने वाले भवनों के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त, 1·98 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विस्थापितों के पुनर्वास के कार्यक्रम को जून, 1988 तक पूरा किया जाना है।

(ग) वार्षिक योजनाओं में सम्बन्धित राज्यों द्वारा निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण तथा वन भूमि का हस्तांतरण कुछ ऐसी कठिनाईयां हैं जिनके कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है।

परियोजना के निष्पादन की राज्य स्तर पर तथा केन्द्रीय जल आयोग में मानीटरी की जा रही है। अवरोधों का पता लगाया जाता है तथा समय-समय पर उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

खुर्दा किले का ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण

725. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें यह जानकारी है कि खुर्दा का ऐतिहासिक किला, जहां पर 1804 में अंग्रेजों के विरुद्ध अन्तिम स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया था, अब खंडहर हो गया है तथा इसका ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण करने और इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित खुर्दा किला, राज्य सरकार द्वारा संरक्षित एक स्मारक है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण और सर्वेक्षण किया गया है जिससे खुदाई कार्य करने तथा इस क्षेत्र का विकास करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

बांकुरा-दामोदर रेल लाइन पर खर्च की गई धनराशि

726. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के दौरान रेल पटरियों और सवारी डिब्बों को बेहतर बनाने के लिए बांकुरा-दामोदर रेल लाइन पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : वर्ष 1984-85 के दौरान, सवारी डिब्बों को बेहतर बनाने के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए गए थे। रेल पथ में सुधार लाने के लिए कोई खर्च नहीं किया गया लेकिन रेल-पथों का उचित रूप से अनुरक्षण किया गया।

कंसावती परियोजना का आधुनिकीकरण

727. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कंसावती परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 311·38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कंसवती आधुनिकीकरण परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। परियोजना में निम्न बातें शामिल हैं—

(1) परियोजना के कमान क्षेत्र में सतही जल संसाधनों के सम्वर्धन के लिए वहां की नदियों पर चार छोटे बांधों का निर्माण;

(2) कमान में 3400 नलकूपों की व्यवस्था करके भू-जल का संयोजनशील प्रयोग;

(3) मौजूदा नहर प्रणाली को जल-मार्गों तक पक्का करके रिसन के कारण हो रही क्षति को कम करना; और

(4) 5 से 8 हैक्टेयर ब्लाकों तक जल-मार्गों और खेत-नालियों का निर्माण।

यह आधुनिकीकरण स्कीम 1·09 लाख हैक्टेयर की क्षमता के सृजन के अलावा 2·58 लाख हैक्टेयर की मौजूदा सिंचाई क्षमता को टिकाऊ बनाएगी।

[हिन्दी]

गाजीपुर को विमान सेवा से जोड़ना

728. **श्री राजकुमार राय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर उत्तर प्रदेश के लिए शीघ्र विमान सेवा शुरू करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाजीपुर में वायु पट्टी के लिए जमीन को समतल किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो विमान सेवा कब तक शुरू हो जायेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) गाजीपुर उन स्टेशनों में से एक स्टेशन है जिन्हें सरकार ने वायुदूत विमान सेवा से जोड़ने के लिए अनुमोदित किया है। गाजीपुर में कंक्रीट की हवाई पट्टी उत्तर प्रदेश सरकार की है। विमान क्षमता और आधार-भूत सिंचाई के उपलब्ध होने पर, वायुदूत का वर्ष 1987-88 के दौरान गाजीपुर को विमान सेवा से जोड़ने का विचार है।

प्रत्येक राज्य में चिकित्सा अनुदान आयोग और स्वास्थ्य-विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना

729. **श्री राजकुमार राय** :

श्री चित्त महाता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की आरक्षण नीति को समाप्त किया जाये;

(ख) क्या यह भी सच कि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में चिकित्सा अनुदान आयोग और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत सरकार ने यह आग्रह किया है कि आरक्षण नीति पर फिर से विचार किया जाए और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अगले 10 से 12 वर्षों के अन्दर धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाये जिससे कि इन मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने का एकमात्र मापदण्ड योग्यता बन जाए । एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि प्रत्येक राज्य/क्षेत्र में एक स्वास्थ्य विज्ञानों का विश्वविद्यालय खोला जाए जिसके साथ सभी मेडिकल कालेज सम्बद्ध हों तथा विश्वविद्यालयों और मेडिकल कालेजों को धन देने के प्रयोजनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैटर्न पर आयुर्विज्ञान अनुदान आयोग की स्थापना की जाए ।

सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता की भावना इस बात की अपेक्षा करती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक और स्वैच्छिक स्तरों को ऊपर उठाने के लिए विशेष उपाय किए जाएं ताकि उन्हें समाज के अन्य लोगों के बराबर लाया जा सके । मुख्यतः इन्हीं आधारों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए संविधान में विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की गई है । अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षरण करना एक सांविधिक अपेक्षा है । पिछड़े और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ अन्य सांविधिक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखती है ।

जहां तक स्वास्थ्य विज्ञानों का विश्वविद्यालय खोलने तथा आयुर्विज्ञान अनुदान आयोग की स्थापना करने का सम्बन्ध है, भारत सरकार द्वारा गठित आयुर्विज्ञान शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने भी यही सिफारिशें की है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी तथा गोरखपुर के लिए दैनिक विमान सेवा

730. श्री राज कुमार राय : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर के लिए कोई दैनिक उड़ान नहीं है;

(ख) क्या सरकार वाराणसी और गोरखपुर के लिए दैनिक विमान सेवा आरम्भ करने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जबकि वाराणसी में पहले से ही प्रति सप्ताह 25 बोइंग-737, 3 फोकर तथा 3 एवरो सेवाएं हैं, तथापि गोरखपुर के लिए और गोरखपुर से यातायात की मांग इतनी अधिक नहीं है कि विद्यमान सेवाओं में प्रति सप्ताह कोई वृद्धि की जा सके।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन के विकास के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य का प्रस्ताव

731. श्री सोमनाथ रथ : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के विकास के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य ने कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) केन्द्रीय सरकार को पारादीप पोर्ट के विकास के लिए जर्मन जनवादी गणतन्त्र से किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कच्छ के रन में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

732. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री सुभाष यादव : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कच्छ के रन में पुरातत्वीय सर्वेक्षण के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने शुतुरमुर्ग की खोपड़ियों (शेल) का पता लगाया है;

(ख) क्या इसी तरह की खोपड़ियां राजस्थान में नागदा, चन्द्रासल और पुणे में भी प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) नागदा (मध्य प्रदेश), चन्द्रासल (राजस्थान) और पाटने (महाराष्ट्र) में इसी प्रकार की वस्तुएं मिली हैं।

(ग) डा० वी०एस० वकानकर ने नागदा, चन्द्रासल और पाटने में 1982 के दौरान इन शुतुरमुर्ग खोपड़ियों की खोज की रिपोर्ट दी है। राजस्थान में चन्द्रासल से इन शुतुरमुर्ग खोपड़ियों के

दो नमूनों से रेडियोकार्बन तारीखों का पता लगा है जो वर्तमान समय से 38,900+750 से लेकर 36,550+600 के बीच की लगती हैं। इन तिथियों से राजस्थान में उत्तर पूर्व पाषाण युग के कालक्रम को निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

थौबल सिंचाई परियोजना

733. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि मणिपुर में थौबल सिंचाई परियोजना के पूरा न होने का कारण धन की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आवश्यक धनराशि प्रदान न किये जाने के लिए क्या कारण हैं और क्या कुछ पहलुओं पर फिर से सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्ष 1984 के दौरान मणिपुर सरकार ने थौबल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने अथवा इसे केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत हाथ में लेने के लिए केन्द्र सरकार को अनुरोध किया था। बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का वित्त-पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है। राज्य सरकार ने परियोजना कार्यों के किसी नूतन सर्वेक्षण की सूचना नहीं दी है।

पारादीप बन्दरगाह में भूमिगत ड्रेजरों के अवशेषों को निकालना

734. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री बृज मोहन महन्ती : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूमिगत ड्रेजर "कोनार्क" और एम० ओ० टी०-3 पारादीप बन्दरगाह में निर्बाध नौवहन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और यहां तक कि मध्यम आकार के पोत भी बन्दरगाह तक नहीं पहुंच पाते जिसके कारण भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो भूमिगत ड्रेजरों के अवशेषों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) पोर्ट की बाह्य एप्रोच चैनल में एम० ओ० टी० ड्रेजर-III के मलबे से चैनल में डुबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि मलबे के कारण पोर्ट पर पहुंचने वाले जहाजों के एल० ओ० ए० पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस समय स्वीकृत 259 मीटर एल० ओ० ए० को प्रतिबन्धित करके 230 मीटर एल० ओ० ए० कर दिया गया है।

(ख) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने दोनों ड्रेजरों के मलबे को हटाने के लिए विश्व भर से टेंडर

आमंत्रित किए थे और 14-11-85 को सिंगापुर की एक फर्म को काम करने का आदेश दिया था। तथापि, फर्म ने काम शुरू नहीं किया जिससे पोर्ट ट्रस्ट को काम करने का आदेश रद्द करना पड़ा और फर्म की सिक्यूरिटी डिपाजिट को जब्त करना पड़ा। चूंकि चालू सीजन की अच्छे मौसम की अवधि लगभग समाप्त हो गई है, अतः काम को नवम्बर, 1986 से शुरू होने वाले अगले सीजन में ही शुरू किया जा सकता है। मलवा हटाने के अन्य वैकल्पिक प्रस्तावों को तैयार किया जा रहा है।

वंसधारा-चरण-II परियोजना

735. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकारों के अधिकारियों की बैठक में जिसमें केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने भी भाग लिया था, वंसधारा चरण-II परियोजना से सम्बन्धित सभी तकनीकी विषयों पर व्यापक समझौता हुआ है;

(ख) क्या केन्द्र ने इस बीच उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया है; और

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत इन दोनों राज्यों में कुल कितनी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अगस्त, 1985 में हुई राज्यों की अधिकारी स्तर की बैठक में तकनीकी पहलुओं पर मोटे तौर पर सहमति हो चुकी है, अतः आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश में परियोजना के चरण-एक के अन्तर्गत मौजूदा अयाकट को टिकाऊ बनाने के साथ-साथ 43410 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करेगी।

तेलुगू गंगा परियोजना

736. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम :**
डा० सुधीर कुमार राय : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगू गंगा परियोजना के सम्बन्ध में महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर अपने विचार अथवा टिप्पणियां केन्द्र को भेज दी हैं;

(ख) क्या केन्द्र की पर्यावरण मूल्यांकन समिति को उक्त परियोजना के पर्यावरण तथा परिस्थिति सम्बन्धी पहलुओं के बारे में निर्धारित प्रपत्र में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इसे उस दृष्टि से मंजूर किया जा सकता है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों द्वारा

उठाई गई कुछ आपत्तियों पर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं।

(ख) पर्यावरण मूल्यांकन समिति को आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक संयुक्त नक्शा (कम्पोजिट मैप) जिसमें नहर प्रणाली के संरक्षण और वन-सीमाओं के विनिर्देशन सहित प्रस्तावित तीन जलाशयों को दिखाया गया हो तथा तमिलनाडु सरकार से पोण्डी जलाशय की परिधि में बनाए जाने के लिए प्रस्तावित बूचड़खाने के पुनर्स्थापन सम्बन्धी सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) मांगी गई सूचना प्राप्त होने के बाद ही पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति तथा वन-क्षेत्र रिलीज किए जाने सम्बन्धी बातों पर विचार किया जा सकता है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि वे मार्च, 1985 तक 51·79 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं और परियोजना निष्पादन के आरम्भिक चरण में है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी रेल लाइनें बिछाने, लाइनों को दोहरा बनाने और लाइन को बदलने सम्बन्धी परियोजनायें

737. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने लगभग 10 करोड़ रुपए की चालू परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीघ्र पूरा करने के लिए कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) उन नई रेल लाइनों और लाइनों को बदलने और मौजूदा लाइनों को दोहरा बनाने सम्बन्धी परियोजनाओं के जोन-वार नाम क्या हैं, जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई थी और निर्माणाधीन है तथा उनकी अनुमानित लागत, किलो मीटर में लम्बाई और पूरा होने की निर्धारित तारीख सहित अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और रेलवे बोर्ड ने प्रत्येक मामले में चालू परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति अपनाई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) राष्ट्रीय महत्व की अथवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और शीघ्र पूरी होने वाली परियोजनाओं से संबंधित यातायात के संचलन के लिए आवश्यक नयी लाइनों और आमान परिवर्तन की लाइनों पर विचार करते हुए कुछेक विशिष्ट चालू परियोजनाओं तथा यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर दोहरी लाइन बिछाने की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है, ताकि किये गये निवेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गयी और अभी चल रही 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नयी लाइनों, आमान परिवर्तनों और दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण संलग्न है। कुछ ही परियोजनाओं की लक्ष्य तिथि दी गई है, जबकि अन्य मामलों में उनका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

प्रत्येक 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गयी नयी लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	परियोजना	लम्बाई (कि०मी०)	लागत (करोड़ रुपयों में)	लक्ष्य तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
	मध्य रेलवे				
	नयी लाइन				
1.	मथुरा—अलवर	120	34·75	—	
	दोहरीकरण				
2.	मानिकपुर बाईपास लाइन सहित जुकेही सतना मानिकपुर (चरण-II)	29	12·32	3/86	बाई पास लाइन सहित 16 कि.मी. लाइन खोल दी गयी।
3.	इटारसी— आमला—नागपुर (चरण-II)	39	21·00	—	
4.	शाहबाद—गुलबर्गा	26	13·66	—	
	पूर्व रेलवे				
	नयी लाइन				
5.	बजबज—नामखाना, लक्ष्मीकांतपुर—कुलपी सहित	100	40·00	—	
	दोहरीकरण				
6.	किउल—जमालपुर—भागलपुर(पैंच)	75	16·80	—	
	उत्तर रेलवे				
	नयी लाइन				
7.	नंगल डैम—तलवाड़ा और मकेरियां—तलवाड़ा साइडिंग का अधिग्रहण	113	37·68	—	7 किमी. यातायात के लिए तैयार है।
8.	जम्मूतवी—ऊधमपुर	53	68·68	—	

1	2	3	4	5	6
	आमान परिवर्तन				
9.	सूरतगढ़—सरूपसर—अनूपगढ़	78	28·57		खोल दी गयी है।
10.	सूरतगढ़—बीकानेर	182	46·63	3/87	
	दोहरीकरण				
11.	पानीपत—अम्बाला (चरण-I)	61	26·00	12/86	54 कि. मी. खोल दी गई है।
12.	रोहतक—जाखल(चरण-I)	76	24·49	—	
15.	पानीपत—अम्बाला (चरण-II)	48	20·50	—	
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे				
	नयी लाइनें				
14.	जोगीघोपा से गुवाहटी तक एक बड़ी लाइन सहित जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल का निर्माण	143	87·73	—	
15.	एकलाखी—वालरघाट	110	48·85	—	
	आमान परिवर्तन				
16.	गुवाहाटी—डिब्रूगढ़ के बीच आमान परिवर्तन	580	232·00	—	
	दोहरीकरण				
17.	मालदा—कुमेदपुर (पैंच)	42	17.00	—	
	दक्षिण रेलवे				
	नयी लाइनें				
18.	अलेप्पी—कायमकुलम	43	16.00	—	
19.	करूर—डिंडिगुल—मनियाच्ची—तूत्तीकोरिन/तिरूनेलवेली	324	95·90	—	53 कि. मी. माल यातायात के लिए खोल दी गई है।
20.	चित्रदुर्ग—रायदुर्ग	100	20·20	—	
	दक्षिण—मध्य रेलवे				
	नयी लाइन				
21.	मोटूमारी—जग्गयापेट्टा	32	18·36	3/87	

1	2	3	4	5	6
22.	आदिलाबाद—पिंपलकुट्टी	21	15·65	—	
	आमान परिवर्तन				
23.	परभनी—पूर्णा और मुदखेड़—आदिलाबाद मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव और पूर्णा—मुदखेड़ के बीच समानान्तर बड़ी लाइन की व्यवस्था	246	80·49	—	
	दोहरीकरण				
24.	पेम्बर्ती—पिडियाल	45	15·00	—	5 कि. मी. खोल दी गयी है।
25.	मानिकगढ़—बिरूर सिरपुर टाउन—रेचनी रोड	64	26·83	पूर्ण	
26.	तेलापुर—गुल्लागुडा	29	12·00	—	
27.	वाडी—थानगुंडी—चेंगुंटा—कृष्णा	39	12·96	—	
	दक्षिण पूर्व रेलवे				
	नयी लाइन				
28.	कोरापुट—रायगडा	174	265.00	—	20 कि. मी. यातायात के लिए तैयार है
29.	तेलापुर—संबलपुर	172	57.97	—	
30.	तामलुक—दीघा	87	43.72	—	
	पश्चिम रेलवे				
	नयी लाइन				
31.	भुज—नलिया	107	35.92	—	
32.	कोटा—चित्तौड़गढ़—नीमच	222	97.87	—	
	दोहरीकरण				
33.	फुलेरा—किशनगढ़	51	12.00	3/87	22 कि. मी. खोल दी गयी है।

टिप्पणी :— परियोजनाओं, की विशिष्ट लक्ष्य तिथि नहीं दर्शायी गयी है, उनका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नौवहन सम्बन्धी नई नीति

738. डा० गौरी शंकर राजहंस :
डा० टी० कल्पना देवी :
डा० चिन्ता मोहन : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में नौवहन के सम्बन्ध में कोई नई नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस नई नीति से भारतीय नौवहन को कितना लाभ होगा ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (ग) देश में नौवहन के बारे में नई नीति लागू करने का सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, योजना आयोग ने, समन्वित आधार पर परिवहन क्षेत्र के लिए लम्बी भावी योजना तैयार करने के सम्बन्ध में भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नौवहन के बारे में योजना दल का गठन किया है। योजना दल का मुख्य कार्य 2000 ई० तक तकनीकी और आर्थिक महत्व के आधार पर विदेशी तथा तटीय व्यापार के लिए नौवहन के बारे में दीर्घावधि योजना बनाना है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में राज्यों को मार्ग निर्देश जारी करना

739. डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री संतोष मोहन देव :
प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में कतिपय राज्य परिवार नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत पीछे हैं तथा उनका कार्य-निष्पादन बहुत ही असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। कार्यक्रम में गति लाने के लिए एक सुस्पष्ट कार्य नीति तैयार की गई है। इस कार्य नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :— उन्नत संचार साधनों के माध्यम से गर्भ निरोधन की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सेवाओं को बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, अधिक से अधिक लोगों को इसमें

भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जनशिक्षा का विस्तार, बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ाना, कार्यक्रम के ढांचे का पुनर्गठन करना और कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार करना। इस कार्यक्रम को और कारगर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को उपयुक्त दिशा—निर्देश जारी किए गए थे और इन दिशा-निर्देशों के अनुसार त्रैमासिक कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए उन्हें कहा गया था।

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल सेवाओं का अस्त-व्यस्त होना

740. **श्री नारायण चौबे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1985 और जनवरी 1986 के महीनों में दक्षिण पूर्व रेलवे में कितनी बार रेल सेवाएं अस्त-व्यस्त हुयीं;

(ख) ऐसी अस्त व्यस्तता का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दिसम्बर 1984 और जनवरी 1985 के महीनों में कितनी बार ऐसी अस्त व्यस्तता हुई;

(घ) हाल की अवधि में रेलों के पटरी से उतरने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इसके लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) दिसम्बर, 1985 में एक बार और जनवरी, 1986 में दो बार गाड़ी सेवाएं अस्त व्यस्त हुई थीं।

(ख) दिसम्बर, 1985 में एक माल गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण और जनवरी, 1986 में एक बार गाड़ी टक्कर के कारण और दूसरी बार जन अनुरोध के कारण।

(ग) दिसम्बर, 1984 में— दो बार

जनवरी, 1985 में— एक बार।

(घ) पिछले तीन महीनों के दौरान गाड़ी के पटरी से उतरने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :—

(i) चल स्टाक में खराबी।

(ii) रेलपथ में दोष।

(ङ) इस बारे में उठाये गये कुछ निवारक उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) मानव दोष की घटनाओं की रोक थाम के लिए, एक 10 सूत्री कार्य योजना पिछले वर्ष चलाई गई थी जिसका उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्तरों पर गहराई से क्षेत्रीय निरीक्षण और महत्वपूर्ण संरक्षण पहलुओं की विशेष जांच करना है।

(ii) मानव सतर्कता को बढ़ाने के लिए रूट रिले अन्तर्पाशन रेल पथ परिपथन, गाड़ी गुजरने के बाद सिगनल का स्वतः पूर्ववत स्थिति में आ जाना, पैनल अन्तर्पाशन धुरा काउन्टर आदि, जैसे अधिक प्रौद्योगिकी साधनों की विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर व्यवस्था की जा रही है।

(iii) गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(iv) उपकरण की खराबियों में कमी लाने के लिए टर्मिनलों और मार्गवर्ती स्थलों पर गहन गाड़ी जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(v) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के भीतर चल स्टाक, रेलपथ, सिगनल गियर, पुलों और अन्य परिसम्पत्तियों का कार्यक्रमबद्ध आधार पर पुनर्स्थापन किया जा रहा है।

(vi) तोड़फोड़ निवारक उपाय जैसे :—

(एक) वोल्ट के ऊपर नट कस देने के बाद फिश वोल्ट के किनारे को तोड़ देन जिससे उसे छेनी का प्रयोग किए बिना न हटाया जा सके।

(दो) पटरी के जोड़ों को वेल्डिंग करके फिश-प्लेट जोड़ों की संख्या कम करना।

(vii) रेलपथ की टूट-फूट, कसन, दरारों आदि का पता लगाने के लिए रेल पथ पर गश्त लगाना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष पौष्टिक कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

741. **श्री अजय विश्वास** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष पौष्टिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) एकीकृत बाल विकास योजना कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के पौष्टिक अव्यव के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन कार्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) छठी योजना के दौरान पोषाहार कार्यक्रम (विशेष पोषाहार कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम) एक राज्य क्षेत्र कार्यक्रम था। समेकित बाल विकास सेवा योजना के पौष्टिक अव्यव सम्बन्धी खर्च भी छठी योजना पोषाहार कार्यक्रम के परिव्यय में से राज्यों द्वारा पूरा किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय नीचे दर्शाए गए हैं :—

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छठी योजना	(रुपए लाखों में) सातवीं योजना
असम	270	2000

1	2	3
मणिपुर	110	220
मेघालय	125	500
नागालैंड	130	450
त्रिपुरा	580	3000
अरुणाचल प्रदेश	50	200
मिजोरम	50	150

महानगरों में अस्पतालों में बिस्तरों और मरीजों का अनुपात

742. **श्री अजय विश्वास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महानगरों के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) महानगरों में अस्पतालों में बिस्तरों और मरीजों का अनुपात क्या है; और

(ग) सरकार वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) चार महानगरीय शहरों के विभिन्न अस्पतालों में 70831 पलंग हैं।

(ख) चार महानगरीय शहरों में प्रत्येक एक हजार की आबादी के लिए पलंगों की संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली — 2.08
ग्रेटर बम्बई — 3.33
मद्रास — 3.21
कलकत्ता — 4.06

(ग) स्वास्थ्य राज्य क्षेत्र का विषय है, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने महानगरीय शहरों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाती रही है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली के आस-पास परिधीय स्तर पर अस्पताल स्थापित करके और मौजूदा सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण में प्रभावी सुधार के माध्यम से मौजूदा अस्पतालों में अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

क्रियान्वयनाधीन बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

743. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी और तिस्ता नदियों के बीच के क्षेत्र तथा महानदी और इसकी सहायक नदियों

के क्षेत्र सम्बन्धी उन नियंत्रण योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो कार्यान्वित की जा रही है/स्वीकृत हो गई है किन्तु अभी कार्यान्वित की जानी हैं और जिनकी जांच हो रही है/विचाराधीन हैं;

(ख) स्वीकृत की गई योजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन योजनाओं के पूरा होने की निर्धारित अवधि क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बहुत सी छोटी स्कीमों के अलावा महानन्दा बाढ़ नियंत्रण तटबन्ध (अद्यतन अनुमानित लागत--22.35 करोड़ रुपये) और महानन्दा तटबन्ध में कटाव रोधी निर्माण कार्य (अद्यतन अनुमानित लागत 20.0 करोड़ रुपये) कार्यान्वित किये जा रहे हैं। अपर महानन्दा तटबन्ध स्कीम और फरमान नदी तटबन्ध स्कीम विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) राज्य ने इन स्कीमों के लिए सातवीं योजना में 1.00 करोड़ रुपये तथा 10.0 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इन स्कीमों को आठवीं योजना में पूरा किए जाने की संभावना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या एक उपकेन्द्र में दवाओं के लिए वार्षिक आबंटन

744. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा एक केन्द्र के अन्तर्गत उप केन्द्र में दवाओं के लिए कितना वार्षिक आबंटन किया जाता है,

(ख) क्या यह आबंटन प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं; और

(घ) क्या एक केन्द्र या उप-केन्द्र के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान आबंटन पर्याप्त समझा अथवा पाया गया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दवाइयां खरीदने के लिए हर वर्ष निम्नलिखित राशि उपलब्ध की जाती है :—

सामान्य दवाइयां :

राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष 12.000 रुपये।

स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत 6000/-रुपये (केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि उपलब्ध की जाती है।

इसमें कुष्ठ रोग, क्षयरोग, मलेरिया, अरक्तता, विटामिन "ए" की कमी, जैसी बीमारियों की विशेष दवाइयों और डिप्थीरिया, काली खासी, टेटनस, तथा पोलिया वैक्सीनों की लागत

शामिल नहीं है। भारत सरकार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इन बीमारियों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराती है। इसमें नसबन्दी आपरेशन कराने वालों और आई० यू० डी० लगवाने वालों को जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है उसकी लागत शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उप-केन्द्र को 2000/-रुपये उपलब्ध किए जाते हैं।

(ख) जी, हां। केरल और तमिलनाडु राज्य, जो स्वास्थ्य गाइड योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, को राशियों में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त, राज्य न्यूनतम निर्धारित राशि से अधिक राशि उपलब्ध कर सकते हैं।

(ग) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के लिए दवाइयों की उपर्युक्त व्यवस्था निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है।

(घ) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने सम्बन्धी तन्त्र के लिए धन की पर्याप्तता विषय पर एक कार्यदल ने विचार किया था। इस दल ने सिफारिश की कि ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयां उपलब्ध करने सम्बन्धी मौजूदा मानदण्डों में संशोधन किया जाए लेकिन धन की कमी के कारण इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए केमिस्टों को किया गया भुगतान

745. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कितने केमिस्ट हैं और उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा सप्लाई की गई औषधियों के लिए भुगतान प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया है; और

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्रत्येक केमिस्ट को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना भुगतान किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) और (ख) प्रायोगिक आधार पर 1-5-84 से चालू की गई चिकित्सा स्कीम 31-1-1986 तक लागू रही। इस अवधि में अनेक कैमिस्ट नामिका में थे। इन कैमिस्टों की सूची जिसमें प्रत्येक कैमिस्ट को जितनी राशि का भुगतान किया गया, उसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2082/86]

हावड़ा स्टेशन के निकट रेलवे कार शैड पर रेल दुर्घटना

746. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री मानिक रेड्डी :
श्री सरफराज अहमद :
श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जनवरी, 1986 को पूर्व रेलवे के हावड़ा स्टेशन के निकट रेलवे कार शैड पर हुई एक रेल दुर्घटना में एक स्थानीय रेलगाड़ी के मोटरमैन सहित पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और कम से कम 55 व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी हां, हावड़ा-तारकेश्वर स्थानीय बिजली गाड़ी टी 79 अप के मोटरमैन सहित पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी और 44 व्यक्ति घायल हुये थे, जिनमें से 20 को गम्भीर चोटें आयी थीं और 24 को मामूली चोटें आयीं।

(ख) जब हावड़ा कार शेड से आने वाला बिजली लाइट इन्जन हावड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन पर प्रतीक्षा कर रहा था तब टी-79 स्थानीय ईएमयू गाड़ी मोटरमैन ने खतरे का संकेत दे रहे अर्ध-स्वचल सिगनल की अवहेलना की और लाइट इंजन से टकरा गया।

(ग) और (घ) पूर्व क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की है और इनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना टी-79 अप स्थानीय ई० एम० यू० गाड़ी के मोटरमैन द्वारा अर्ध-स्वचल सिगनल की, जो खतरे का संकेत दे रहा था, अवहेलना करने के कारण हुई थी।

बिहार को कुष्ठ रोग विरोधी औषधियां उपलब्ध कराने के उपाय

747. **श्री एम० रघुना रेड्डी :**

श्री सरफराज अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान बिहार राज्य में कुष्ठ रोग के मामलों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य को कुष्ठरोग विरोधी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे यह पता चलता हो कि पिछले वर्ष बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) बिहार को कुष्ठ रोग-रोधी औषधियां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं।

(ग) कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 में बिहार सरकार को निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई :—

सामग्री	38.00 लाख
नकद	26.00 लाख
	64.00 लाख

रेलवे का आधुनिकीकरण करने और अनुसंधान अभिकल्प तथा मानक संगठन का विकास करने के लिये जापानी प्रौद्योगिकी का आयात

748. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार का विचार जापानी प्रौद्योगिकी का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में भारत-जापान सहयोग के क्षेत्रों को बताते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, यदि कोई हैं, जिनमें भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का प्रस्ताव है, और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी का सुधार करने का प्रस्ताव है, और अभिकल्प और मानक संगठनों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) भारतीय रेलों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में कुछ विकसित देशों से कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का आयात करने की योजना है। अन्य विकसित देशों की प्रौद्योगिकी के साथ-साथ जापानी प्रौद्योगिकी के बारे में भ विचार किया जायेगा।

(ख) इस सम्बन्ध में जापान के साथ "सहयोग" के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) हमारे देश में जहां कहीं पर्याप्त आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, वहां भारतीय रेलों को आधुनिकीकरण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है। उदाहरण के लिए, यात्री—आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण के लिए सापट बेयर तैयार करने में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है।

(घ) कम्प्यूटरों, रेलपथ-जांच, इलेक्ट्रानिक उपकरणों आदि का उपयोग करके प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं निरन्तर मुहैया की जा रही हैं। भारत तथा विदेशों में विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पति

749. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दम्पत्तियों द्वारा परिवार नियोजन किये जाने की दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं और पिछले वर्ष के दौरान इसकी दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के योग्य 12 करोड़ दम्पत्तियों में से केवल 4 करोड़ दम्पत्तियों ने परिवार नियोजन कराया है; और

(ग) परिवार नियोजन की इस दर को 8 करोड़ दम्पत्ति तक बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) परिवार नियोजन तरीकों से अखिल भारतीय दम्पति सुरक्षा दर जो 31 मार्च, 1984 को 29.6 प्रतिशत थी वह 31 मार्च, 1985 को बढ़कर 32.3 प्रतिशत हो गई। 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार देश में परिवार नियोजन के सभी तरीकों द्वारा अनुमानित 1261 लाख दम्पत्तियों में से 407 लाख दम्पतियों को सुरक्षित कर लिए जाने का अनुमान है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य सन् 2000 ईसवी तक 60 प्रतिशत दम्पति सुरक्षा दर प्राप्त करना है जिसका मतलब 1000 लाख दम्पतियों को सुरक्षित करना है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक सुस्पष्ट कार्य-नीति तैयार की है। इस कार्य-नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :— उन्नत संचार साधनों के माध्यम से गर्भ-निरोधन की मांग बढ़ाना, दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सेवाओं को बढ़ाना तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाना, अधिक से अधिक लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, जनशिक्षा में तेजी लाना, बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ाना, कार्यक्रम ढांचे का पुनर्गठन करना और इसके प्रबन्ध में सुधार लाना।

एक बच्चे का मानदण्ड अपनाने वालों को प्रोत्साहन

750. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जन्म दर को कम करने के लिये एक बच्चे का मानदण्ड आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार ने एक बच्चे के मानदण्ड को अपनाने और परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले लोगों को चिकित्सा, स्कूल, रोजगार और आवास सुविधाओं के रूप में और अधिक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है; और

(ग) क्या समस्त देश में एक बच्चे से अधिक बच्चों वाले परिवारों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में प्रचार करने के लिए काफी संख्या में मध्यस्थों को नियुक्त करना आवश्यक है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस समय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक बच्चे के परिवार के सिद्धान्त को अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) छोटे परिवार के सिद्धान्त को अपनाने के लिए पात्र दम्पत्तियों को प्रोत्साहित करने का इस कार्यक्रम में लगे चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों एवं स्वैच्छिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

तेलुगु गंगा परियोजना के लिये समझौता सूत्र

751. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने तेलुगु गंगा मामले में प्रस्तावित किसी भी पक्षीय बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा इस मुद्दे पर कोई समझौता सूत्र तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अन्य क्या उपाय करने का है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित मुख्य मन्त्री कोई ऐसा हल ढूंढ सकते हैं जो अन्योन्य स्वीकार्य हो ।

सड़क निर्माण के लिए कार्यक्रम

752. श्री बी० वी० देसाई : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा सड़कों राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण में सहायता देने के लिए व्यापक प्रोत्साहनों का पता लगाने की तुरंत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में सड़कों के निर्माण के लिए व्यापक कार्य-क्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है, और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितनी सड़कों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्यमंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (घ) जी हां, महोदय, इस उद्देश्य के लिए सीमित साधन और निरन्तर बढ़ते हुए यातायात की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ योजनाओं के लिए चुनींदा कुछ गैर सरकारी क्षेत्रों का सहयोग लेना चाहती है । इस उद्देश्य के लिए गैर सरकारी क्षेत्र से उचित प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे ।

कुछ गैर सरकारी पार्टियां राजमार्ग परियोजना की वित्त व्यवस्था के लिए अपने-अपने प्रस्ताव लेकर आई हैं । हालांकि, इन्होंने रियायत, ऋण और गारण्टी जैसे कुछ प्रश्न उठाए हैं, जिनके लिए अन्य मंत्रालयों के विचार-विमर्श व निरीक्षण करने की आवश्यकता है । इसके बाद ही इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य उठाया जा सकता है ।

राज्य सरकारों से भी निवेदन किया गया है कि वे अपने-अपने राजमार्गों के लिए गैर सरकारी क्षेत्रों से वित्त व्यवस्था प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाएं ।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

753. श्री बी० वी० देसाई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों से अपने जल संबंधी विवाद हल करने का आग्रह किया है क्योंकि इनसे राष्ट्रीय प्रगति में बाधा पड़ती है;

(ख) उन्होंने केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड के 21 जनवरी, 1986 को हुये 55वें वार्षिक सत्र में क्या अन्य मुद्दे उठाये; और

(ग) बोर्ड ने आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उठाये जाने वाले कदमों को किस सीमा तक अन्तिम रूप दिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) मैंने जिन मुख्य बातों का उल्लेख किया था उनमें से कुछ हैं :—

(i) जल संसाधनों का बेहतर प्रबन्ध ।

(ii) सूखा-प्रवण तथा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल प्रबन्ध की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।

(ग) केन्द्रीय सिंचाई एवं शक्ति मण्डल ने अपने अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन के क्षेत्रों और नहरों को पक्का करने तथा छिड़काव एवम् ड्रिप सिंचाई तरीकों संबंधी परियोजनाओं का पता लगाया है ।

राज्यों द्वारा प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्यधिक ऊंचे लक्ष्य

754. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्यधिक ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने के विरूद चेतावनी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या राज्यों के प्राधिकारियों से प्राथमिकता क्रम में जिलों के नाम भेजने का अनुरोध किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केवल कुछ ही राज्यों ने केन्द्र को इस बारे में जानकारी भेजी है;

(ङ) क्या प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जिलों में सभी बड़े राज्यों से केवल एक या दो जिले शामिल किए गए हैं; और

(च) इन जिलों की कुल जनसंख्या कितनी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985-86 में 30 जिलों में शुरू किया गया था जिनमें प्रत्येक बड़े राज्य का कम से कम एक जिला शामिल था और 665.66 लाख लोगों को इसके अन्तर्गत लाया गया। 1986-87 के दौरान 60 और जिलों में यह कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है राज्यों से

अनुरोध किया गया था कि वे उन जिलों का नाम बतायें जहां यह कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना है। वैसे, उन्हें सलाह दी गई थी कि जिलों को चुनते समय वे अधिक से अधिक लोगों को रोग प्रतिरक्षण प्रदान करने का ऊंचा स्तर कायम करने की कार्यक्रम व्यवहार्यता को और बाद में उक्त स्तर को बनाये रखने की बात को ध्यान में रखें। सभी राज्यों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो चुकी है।

[हिन्दी]

ईन्धन मूल्यों में वृद्धि के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को घाटा

755. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :
प्रो० निर्मला कुमार शक्तावत :
श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ईन्धन के मूल्यों में वृद्धि के कारण इण्डियन एयरलाइन्स को भारी घाटा उठाना पड़ेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस घाटे को पूरा करने हेतु कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 29 मई, 1985 से पूर्व विद्यमान मूल किराए पर 10% और अधिक ईन्धन अधिभार लगाने के बारे में इण्डियन एयरलाइन्स का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सस्ती दरों पर खेल का सामान

756. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खेल का सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो खेल का सामान किस एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और किन दरों पर;

(ग) क्या यह सामान देश भर में समान दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ने सारे देश भर में विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग और प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को 50% की लागत से खेल उपस्कर की सप्लाई करने की एक योजना तैयार की है।

(ग) उपरोक्त खेल उपस्करों की दरें देश भर में वैसी ही होगी। तथापि, माल भाड़े प्रभार और लागू स्थानीय करों में भिन्नता के कारण उपयोगिताओं के लिए कीमत थोड़ी बहुत भिन्न-भिन्न होगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रशिक्षित समुद्री अधिकारियों को खपाना

757. **श्री के० राममूर्ति** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बेरोजगार समुद्री कार्मिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने नौ संचालन अधिकारी (नैवेगेटिंग आफिसर) के रूप में टी० एस०, राजेन्द्र पाठ्यक्रम पास कर लिया है और भारतीय नौवहन निगम या अन्य किसी नौवहन कम्पनी द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इन बेरोजगार समुद्री अधिकारियों को खपाने के लिए कोई "पैकेजडील" तैयार किया है, और क्या जहाज मालिकों ने इस "डील" को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो नौवहन उद्योग में इन प्रशिक्षित कार्मिकों को खपाने के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) भारतीय जहाजरानी कारपोरेशन अथवा अन्य जहाजरानी कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षित और टी० एस० राजेन्द्र-कारियों की संख्या महानिदेशक, नौवहन के रिकार्ड के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण लेकिन बेरोजगार अधि-अनुसार लगभग 226 है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में जहाज मालिकों के साथ एक योजना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों के लिए भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और पोर्ट ट्रस्ट में वैकल्पिक रोजगार ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोचीन पोत कारखाने में क्रयादेशों की कमी के कारण संकट

758. **श्री के० राममूर्ति :**
प्रो० के० वी० थामस : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पोत कारखाने को एक तरफ पर्याप्त क्रयादेशों की कमी और दूसरी तरफ धन के अभाव के कारण गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कारखाने का पनामा टाइप बल्क पोतों के स्थान पर तेल टैंकरों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा हुआ है जिसके कारण कारखाने में कर्मचारी बिना काम बैठे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा 86000 डी० डब्ल्यू० टी० तेल टैंकरों के निर्माण हेतु किसी जापानी कम्पनी के साथ तकनीकी सहयोग के लिए दी गई मंजूरी और नौवहन निगम हेतु तीन तेल

टैंकरों के निर्माण के लिए दिए गए आशय पत्रों से कोचीन पोत कारखाने का संकट दूर नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो पोत कारखाने को बन्द होने के खतरे से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) कोचीन शिपयार्ड को, पर्याप्त आर्डर न मिलने और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) नौवहन कम्पनियों ने कोचीन शिपयार्ड को बल्क कैरियरों का निर्माण करने के जो आशय पत्र भेजे थे, उन्होंने वे रद्द कर दिए थे। बाद में भारतीय नौवहन निगम ने प्रत्येक 86000 डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता के तीन टैंकरों के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौवहन निगम के खरीद प्रस्ताव पर खर्च होने वाली राशि तय नहीं की गई है।

(ग) तीन टैंकरों के आर्डर मिलने पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का आर्डर बुक स्थिति में पर्याप्त सुधार आ जाएगा और शिपयार्ड के पास 1989 तक के लिए कार्य होगा।

(घ) शिपयार्ड के पास दो जहाजों का निर्माण पूरा करने का कार्य है, जिनका आउटफिटिंग कार्य किया जा रहा है और यह कार्य चल रहा है। शिपयार्ड ने जहाजों की मरम्मत करने के कार्य भी बन्द कर दिए हैं और विभिन्न संगठनों के लिए विविध कार्य शुरू किए हैं यार्ड ट्रावलरों का निर्माण करने और अन्य इन्जीनियरी कार्यों के लिए भी बोली लगा रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षण देना

759. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने आगामी शैक्षिक वर्ष से प्रारम्भ होने वाली शिक्षा प्रणाली में अध्यापन के परिवर्तित तरीकों के अनुरूप अध्यापकों को ढालने के लिए उन्हें इस वर्ष के मध्य से पुनः प्रशिक्षण दिये जाने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों को भी शामिल किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में वर्ष 1986 के ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों की अवस्थापना का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थानों को वायुयान सेवा से जोड़ना

760. **श्री हरीश रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थानों को वायुयान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में डाक्टरों के रिक्त पद

761. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में डाक्टरों के मंजूर पदों के बारे में 28 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों के 12 रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ अन्य डाक्टरों को पत्र भेजे गये थे;

(ख) क्या पत्र संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भेजे गये थे; और

(ग) क्या कोई प्रोत्साहन योजना बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि पदों के लिए चुने गए डाक्टर लक्षद्वीप ड्यूटी पर आने के लिए इंकार न करें ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) नेत्र विशेषज्ञ और जनरल सर्जन के दो पदों के नियुक्ति प्रस्ताव भेजे गए थे । लेकिन उनमें से किसी ने भी अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है । अन्य पदों के सम्बन्ध में भर्ती की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है ।

(ख) ये प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भेजे गए हैं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गया स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं

762. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना का प्रारूप कब तैयार किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) डारमिट्री किस्म के विश्राम कक्ष और आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने की स्वीकृति दे दी गयी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125वीं जयन्ती मनाना

763. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125वीं जयन्ती मनाने के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सभी केन्द्रीय एजेंसियों को चुस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार टैगोर की रचनाओं को सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में बढ़ावा देने और उनकी कृतियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का है ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में समारोह का एक कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें विविध कार्यक्रम शामिल हैं उदाहरणार्थ—सेमिनार साहित्यिक सम्मेलन, प्रदर्शनियां, नृत्य-नाटकों का मंचन, विश्वभारती तथा अन्य एजेंसियों द्वारा संगीत सम्मेलन।

(ग) साहित्य अकादमी टैगोर की चुनिन्दा पुस्तकों का पुनर्मुद्रण तथा उनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करेगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एक विख्यात लेखक द्वारा टैगोर की "शिक्षा और कला" पर एक पुस्तक प्रकाशित कर रही है। न्यास का, श्री के० कृपलानी द्वारा लिखित टैगोर की जीवनी का पुनर्मुद्रण अंग्रेजी में और उसका अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

प्रोटोटाइप इलैक्ट्रिक इंजनों का आयात

764. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलवे में परीक्षण के लिए 6000 अश्व शक्ति के कुछ प्रोटोटाइप इलैक्ट्रिक इंजनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रोटोटाइप इंजनों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है; और

(ग) क्या हमारे लोकोमोटिव कारखाने में इसी प्रकार के इन्जनों का निर्माण किया जा सकता है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) रेलों पर परीक्षण करने के

लिए 6000 अश्व शक्ति के तीन किस्म के प्रोटोटाइप माल वाहक बिजली रेल इन्जनों के 18 अवद का आयात करने के लिए दो अलग-अलग फर्मों को क्रयादेश दिये गये हैं।

(ख) लागत वृद्धि सहित प्रति इन्जन की केवल जहाज पर्यन्त निःशुल्क औसत लागत लगभग 2.18 करोड़ रुपए है और आरम्भिक अनुरक्षण तथा यूनिट एक्सचेंज पुर्जे आदि सहित प्रति इन्जन की वृद्धि लागत सहित जहाज पर्यन्त निःशुल्क औसत लागत लगभग 2.64 करोड़ रुपए है। विदेशी मुद्रा के रूप में कुल वित्तीय परिव्यय लगभग 52.19 करोड़ रुपए है।

(ग) इन किस्मों के रेल इन्जन फिलहाल हमारे रेल इन्जन कारखाने में तैयार नहीं किए जा सकते हैं। दरअसल में, इन तीनों किस्म के प्रोटोटाइप रेल इन्जनों का आयात, उक्त अश्व शक्ति के रेल इन्जनों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत में सहयोग करने तथा सीरीज निर्माण के लिए अति उपयुक्त किस्म के रेल इंजनों का पता लगाने और प्रवरण करने के लिए गहन सेवा परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है।

कोंकण क्षेत्र में रोहा और दासगांव के बीच रेल सम्पर्क

765. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रोहा और दासगांव के बीच रेल सम्पर्क कब तक स्थापित हो जायेगा;

(ख) क्या इस रेल सम्पर्क को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इस रेल सम्पर्क कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) वर्तमान में मंगलौर से मडगांव तक नई रेल लाइन के लिए स्थान के अंतिम सर्वेक्षण और मडगांव से रोहा खंड के लिए किए गए पहले सर्वेक्षणों को अद्यतन करने का काम किया जा रहा है। रोहा दासगांव लाइन इस परियोजना का भाग है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1982-83 में इसकी लागत 15.09 करोड़ रुपए आकलित की गयी थी। अंतिम अद्यतन लागत सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर और इस परियोजना के पूरा होने की अवधि परियोजना के स्वीकृत हो जाने के बाद के वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नये रेल सम्पर्क कार्य

766. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से नए रेल सम्पर्क कार्यों को शामिल किया गया है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य में कौन से नए रेल सम्पर्क कार्यों को शामिल किया गया; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इन सम्पर्क कार्यों को अपने हाथ में लेने के लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित की है, यदि हां, तो प्राथमिकता का क्रम क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) चालू नयी लाइन परियोजना के अलावा नयी लाइन के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं 1985-86 के रेलवे बजट में शामिल की गयी हैं :—

(क) सतना—रीवा

(ख) गुना—इटावा

(ख) और (ग) सातवीं योजना में महाराष्ट्र राज्य में कोई नयी परियोजना शामिल नहीं की गई है। यद्यपि राज्य में निम्नलिखित नयी लाइन चालू परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है :—

क्रमांक	नयी लाइन	टिप्पणी
(1)	बसाई रोड—दिवा	4/83 को यातायात के लिए खोली गयी।
(2)	वाणी—पिंपलकोटी	6/84 को यातायात के लिए खोली गयी।
(3)	मानिकगढ़—चन्दूर	3/85 को यातायात के लिए खोली गयी।
(4)	आप्ता—रोहा	आप्ता-नामोथाना यातायात के लिए खोल दिया गया है। नामोथाना-रोहा यातायात के लिए शीघ्र ही खोल दिया जायेगा।
(5)	आदिलाबाद—पिंपलकोटी—अंशतः आंध्र प्रदेश में।	

क्रमांक 1 और 3 के लिए अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं। क्रमांक 4 लगभग पूरा होने वाला है। क्रमांक 5 धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलवे कर्मचारियों को जारी किए गए समापन नोटिस

767. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में रेलवे कर्मचारियों को सेवा समापन के नोटिस जारी किए गए हैं जैसा कि ए० आई० आर० 1985, उच्चतम न्यायालय 1416 में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मंडल-वार कितने कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना क्षेत्रीय रेलों से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की स्थिति

768. **श्री तारिक अनवर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की दयनीय स्थिति के बारे में प्रतिवेदन दिया है जिससे यह पता लगता है कि स्थिति चरम सीमा तक खराब हो गई है और रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस महत्वपूर्ण अस्पताल की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) अन्तरंग और बाह्य रोगियों को अपेक्षित स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने में अस्पतालों को जिन अनेक प्रतिबन्धों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में इस रिपोर्ट में विशेष रूप से जिक्र किया गया है। सरकार द्वारा इस अस्पताल की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। दिल्ली के मौजूदा अस्पतालों में भीड़-भाड़ दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के आस-पास नौ परिधीय अस्पताल बनाये जाएं और प्रशासन तथा सेवा प्रदान करने संबंधी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं।

वर्ष 2000 तक नेत्रहीनों की संख्या

769. **डा० चिन्ता मोहन :**

डा० बी० एल० शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000 तक नेत्रहीनों की संख्या दोगुनी हो जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1971-73 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में दृष्टिहीन लोगों की अनुमानित संख्या 90 लाख है। यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका पता लगाने के लिए एक नए सर्वेक्षण की योजना बनाई जा रही है। इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर वर्ष 2000 ईसवी तक देश में दृष्टिहीनों की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव हो सकेगा।

(ख) देश में दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1976-77 से राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर

स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाओं के चरणबद्ध विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा उपायों और संबंधित कार्मिक बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त नेत्र शिविरों में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमन्द लोगों को तत्काल नेत्र-चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अन्ततः उद्देश्य यह है कि दृष्टिहीनता जो 1975 में 1.4 प्रतिशत थी, उसे घटाकर सन् 2000 ईसवी तक 0.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

दरवाह से भोकर तक नया रेल सम्पर्क

770. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में दरवाह से नन्देह जिले के भोकर तक नये रेल संपर्क के बारे में सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के बारे में क्या प्रगति है;

(ग) क्या इसके साथ-साथ यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण भी किया गया है; और

(घ) वर्ष 1983 से आज तक इस परियोजना पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (**श्री माधव राव सिन्धिया**) : (क) से (ग) दरवाह, मोतीबाग और भोकर के बीच बड़ी आमान लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की समग्र प्रगति लगभग 35 प्रतिशत है।

(घ) 31-12-1985 तक सर्वेक्षण पर कुल 6.31 लाख रुपए खर्च आया है।

टोरंटो के लिए एयर इंडिया की उड़ान

771. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया ने "कनिष्क" दुर्घटना के पश्चात् समाप्त की गई टोरंटों (कनाडा) के लिए अपनी उड़ान को अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसके परिणामस्वरूप एयर इण्डिया को प्रति सप्ताह कितनी हानि हो रही है तथा सरकार को खाली बैठे हुए कर्मचारियों पर कितना व्यय करना पड़ रहा है; और

(ग) टोरंटों के लिए एयर इण्डिया की उड़ान कब तक पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) कनाडा के लिए पुनः प्रचालन शुरू न होने के कारण विमान क्षमता की मौजूदा कमी है। प्रति सप्ताह कोई हानि नहीं हो रही है। वास्तव में, प्रचालन न होने के कारण लागत में बचत राजस्व हानि से अधिक है। कनाडा में अपना कार्यालय बनाए रख कर एयर इण्डिया न्यूयार्क, लंदन और यूरोप के विभिन्न केन्द्रों के रास्ते प्रचालित अपनी सेवाओं पर यात्री वहन करके यातायात और राजस्व में वृद्धि करने में सफल हुआ है।

(ग) वर्ष 1986 में, एयर इण्डिया के बेड़े में अतिरिक्त विमान शामिल कर लिए जाने के बाद एयर इण्डिया को उड़ानें पुनः शुरू करने के मामले की पुनरीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में भ्रष्टाचार

772. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**

श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जनवरी, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में कथित भ्रष्टाचार और धन के दुर्विनियोग के बारे में दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त संस्थान के कार्यकरण की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र के कालमों में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

773. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता उपलब्ध कराई जानी है;

(ख) विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कुल सहायता में से क्या किसी का वितरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) विश्व बैंक द्वारा सरदार सरोवर परियोजना को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है :—

(i) नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर बांध और विद्युत घर परियोजना (क्रेडिट 1552--आई०एन०/ऋण 2497--आई०एन०) : 300.00 मिलियन डालर।

(ii) नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल वितरण और निकास परियोजना (क्रेडिट--1553-आई०एन०) : 150.00 मिलियन अमरीकी डालर।

दोनों करारों पर 10 मई, 1985 को हस्ताक्षर किये गये थे और ऋण 6 जनवरी, 1986 से प्रभावी हो गया।

(ख) उपर्युक्त क्रेडिट/ऋणों में से कोई अदायगी नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में रेलवे लाइनों का नवीकरण

774. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या परिवहन मंत्री सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेलवे लाइनों के नवीकरण के बारे में 21 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 789 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1985-86 के दौरान प्रस्तावित 290 किलोमीटर में से कितने किलो मीटर रेलवे लाइनों का नवीकरण कर दिया गया है;

(ख) नवीकरण की गई रेलवे लाइनों पर कितनी लागत आई है; और

(ग) यदि नवीकरण नहीं किया गया है, तो वर्ष 1985-86 में गुजरात में रेलवे लाइनों के नवीकरण का कार्य कब शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 33 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 160 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण किया जा चुका है तथा बकाया लम्बाई का काम हाथ में है।

पत्तनों के रख-रखाव के लिए ड्रेजर

775. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पत्तनों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कितने ड्रेजर खरीदे गए हैं और केरल तट पर कितने ड्रेजर कार्य कर रहे हैं;

(ख) रख-रखाव खर्च सहित इन ड्रेजरों के लाभ/हानि का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न पत्तनों पर ड्रेजरों के रख-रखाव और कार्यचलन पर निगरानी रखने के लिए कोई निकाय नियुक्त किया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) सरकार के पास उसका अपना कोई ड्रेजर नहीं है। कोचीन पत्तन न्यास के तीन और भारतीय निकर्षण निगम का ड्रेजर केरल तट पर कोचीन पत्तन में लगाए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। पत्तन इनकी निगरानी स्वयं करता है।

दक्षिण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय की मांग

776. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के कुछ विश्वविद्यालयों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक कार्यालय दक्षिण में स्थापित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के किसी भी भाग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अतिसार रोग का नियंत्रण

777. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत में अतिसार रोग कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई कार्य आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसके परिणामस्वरूप इस रोग में कोई कमी हुई है;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय और केन्द्रीय सहायता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों में इस कार्यक्रम के बायो मेडिकल और आप्रेशन अनुसंधान घटक को आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के हाथ में कोई परियोजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत में सन् 1979 में शुरू किया गया था और तब से इस कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित तरीके से नियमित रूप से सहायता दी जा रही है :—

(i) विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों का आयोजन करने, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री तैयार करने और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन्स का वितरण करने और उनके इस्तेमाल के बारे में प्रचार करने में सहायता दी ।

(ii) नियमित रूप से बजट व्यवस्था करके और स्वैच्छिक रूप से धन देकर सहायता की । इस धन का इस्तेमाल राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यकलापों का आयोजन करने, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार करने और उसका वितरण करने, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का वितरण करने और शिक्षावृत्तियां प्रदान करने में किया जाता है । स्वैच्छिक धन का इस्तेमाल अन्तर्देशीय प्रशिक्षण कार्यकलापों में भाग लेने के लिए विदेश भेजने और अतिसार रोग नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधानों में मदद करने पर भी किया जाता है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपरेशनल और बायो-मेडिकल अनुसंधान करने के लिए निम्न लिखित संस्थाओं को सहायता दी है :—

(1) सेंट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलौर ।

(2) मेडिकल कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम ।

(3) जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी ।

(4) क्रिसचियन मेडिकल, वैलोर ।

(5) इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

(6) किंग लार्ज मेडिकल, लखनऊ ।

भारत में अतिसार रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सक्रिय रूप से कार्य कर रही है । यह अनुसंधान कार्य इस परिषद के कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान में किया जा रहा है और यह कार्य अतिसार रोगों सम्बन्धी टास्क फोर्स द्वारा संस्तुत परियोजनाओं और तदर्थ योजनाओं के माध्यम से भी किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें

778. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित कितनी पुस्तकें इस समय स्टाक में हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने मूल्य की पुस्तकें बेची गई है; और

(ग) इस समय परिषद् के स्टाक में कुल कितने मूल्य की बिना बिकी पुस्तकें हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला डोहतगी) : (क) 51-3[a] 1985 की यथा स्थिति के अनुसार भंडार (स्टाक) में, सभी श्रेणियों के रा० शै० अनु० प्र० परिषद के समूल्य प्रकाशन की 59,95,660 प्रतियां थीं ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान रा० शै० अनु० प्र० परिषद् के प्रकाशनों की बिक्री 2,51,43,999.70 रुपये की थी । विदेश की विभिन्न पार्टियों को डालर 431.23 तथा पौंड 3.00 की लागत के प्रकाशन भी बेचे गए थे ।

(ग) 31 मार्च, 1985 की यथा स्थिति के अनुसार सभी श्रेणियों की बिना बिकी पुस्तकों का कुल मूल्य 2,67,07,686.20 रु० है ।

केरल में रेलवे स्टेशनों का विकास

779. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल में किसी रेलवे स्टेशन का विकास करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) सातवीं योजना में जिस स्टेशनों का विकास किया जाना है उनकी पहचान नहीं की गयी । ऐसे निर्माण कार्यों की योजना वर्षानुवर्ष के आधार पर बनाई जाती है । 1985-86 के दौरान केरल राज्य में स्थित स्टेशनों पर निम्नलिखित विकास कार्य शामिल किये गये हैं :—

(i) तेल्लितेरी, चेरवन्तूर, परम्पनांगाडि, निलेश्वर, कुम्बला, पट्टाम्बी, कुडलण्डि पाडागारा, त्रिचूर, इरविपुरम, मुनरोपुरूत्तू और नायान्तिकारा पर स्टेशन इमारतों में सुधार अर्थात् प्रतीक्षालय में परिवर्द्धन और बदलाव, बुकिंग एवं आरक्षण की व्यवस्था, ऊपरी पैदल पुल और स्टेशन को सुन्दर बनाना ।

(ii) तेल्लिचेरी, कालीकट, कोट्टायम और पट्टाम्बी स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर सायबान की व्यवस्था करना ।

(iii) कुट्टीपुरम, कासरगोड, तिरूर, तेनमलाई अवनीश्वरम, पिरावम रोड, एर्णाकुलम टाउन और पट्टांबी पर प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाना, उनका विस्तार करना और अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था करना तथा सीमेंट कंक्रीट एप्रन की व्यवस्था करना ।

रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकाप्टकों को लगाना

780. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग का विचार रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकाप्टरों को लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) विद्युतीकरण परियोजनाओं के संबन्ध में परीक्षण के तौर पर मस्तूलों का निर्माण करने के लिए हेलीकाप्टर इस्तेमाल करने का प्रश्न रेल विभाग के विचाराधीन है ।

हैदराबाद में प्राकृतिक चिकित्सा कालेज का दर्जा बढ़ाना

781. **श्री श्री राममूर्ति भट्टम्** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में अमीरपेट स्थित प्राकृतिक चिकित्सा कालेज एक मात्र ऐसा कालेज है जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या इसके साथ 150 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी संलग्न है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1981 में इस संस्था का दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार तथा संस्था के प्रबन्ध न्यास बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की थी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले दो प्राकृतिक चिकित्सा कालेजों में से एक मात्र प्राकृतिक चिकित्सा कालेज, हैदराबाद ही विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1977 में 125 पलंग थे।

(ग) सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, हैदराबाद में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने पर अवश्य विचार किया था और इस मामले में संस्थान के ट्रस्ट और राज्य सरकार के विचार मांगे गए थे। विधिवत् विचार करने के बाद, पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

एयर इंडिया द्वारा ए-310 एयर बसों की प्राप्ति

783. डा० सुधीर राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया शीघ्र ही एयर बस ए-310 विमान शामिल करेगा जिसका कोई फ्लाइट इंजिनियर स्टेशन नहीं है;

(ख) क्या ये बोइंग 707 विमानों के स्थान पर जाएंगे जिनका फ्लाइट इंजीनियर स्टेशन है;

(ग) यदि हां, तो इसके एयर इण्डिया में कितने फ्लाइट इंजीनियर अतिरिक्त/फालतू हो जाएंगे; और

(घ) एयर इण्डिया द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां। एयर इण्डिया का इस वर्ष एयरबस ए-310-300 विमान सेवा में लगाने का प्रस्ताव है। इस विमान में फ्लाइट इंजीनियर की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) वास्तव में एयरबस विमानों के आने से बोइंग-707 विमानों को हटा लिया जाएगा। बोइंग-707 विमान में फ्लाइट इंजीनियर होता है।

(ग) लगभग 30।

(घ) उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा और बाद में विस्तार और सेवा निवृत्ति के कारण खाली होने वाले पदों पर उन्हें फ्लाइट इंजीनियर के पदों पर पुनः ले लिये जाने की संभावना है।

भारतीय नाविकों के बीच कार्यों के वितरण के बारे में त्रिपक्षीय समझौता

784. **डा० सुधीर राय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नाविकों के बीच अर्थात् बम्बई के नाविकों के लिए 70 प्रतिशत कार्य और कलकत्ता के नाविकों के लिए 30 प्रतिशत कार्य वितरण करने के बारे में दिनांक 27 मार्च, 1973 के त्रिपक्षीय समझौते के मुख्य पहलु को स्वीकार करने का है; और

(ख) कलकत्ता के नाविकों के लिए कितने प्रतिशत कार्य दिए जा रहे हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) बम्बई और कलकत्ता में नाविक संघों को यहां के नाविकों के बीच नौकरियों के प्रतिशत बंटवारे की सहमति के लिए प्रयास किए गए, जिससे कलकत्ता की बेरोजगारी समस्या का समाधान हो सके। बम्बई/कलकत्ता के जहाज मालिकों और नाविक संघों के प्रतिनिधियों, महानिदेशक, जहाजरानी के बीच 27-3-1973 को एक बैठक हुई। इस बैठक में यह विचार किया गया कि भविष्य में प्रत्येक नए जहाज के विषय में, यह प्रयास किया जाए कि कलकत्ता से जितना अधिक से अधिक संभव हो कर्मीदल ले जाया जाए ताकि बम्बई और कलकत्ता के बीच 70 30 का अनुपात कायम रखा जा सके। हालांकि बम्बई संघ इस फार्मूले से सहमत नहीं हैं।

(ख) इस समय में कलकत्ता में प्राप्त नौकरियों की संख्या 2369 है जबकि बम्बई में 1005।

केरल में जनजाति के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

785. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने केरल में दूर-दराज के क्षेत्रों में जनजाति के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : राज्य सरकार ने जनजातिय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना की है ताकि उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक और इलाज की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस समय केरल के जनजातीय क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 37 उप-केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

एकीकृत क्षेत्र विकास पर विचार गोष्ठी

786. **श्री के० राममूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा दिसम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में बंगलौर में एकीकृत शहरी विकास पर उद्घाटित विचार गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले; और

(ख) क्या 1 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र के लिए 17 राज्यों में गठित 102

कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को पुनर्जीवित करने का कोई कार्यक्रम है, क्योंकि ये प्राधिकरण भूमि और जल प्रबन्ध के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण लाने में असफल रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार को संगोष्ठी के निष्कर्षों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि भूमि और जल प्रबन्ध के प्रति समाकल दृष्टिकोण लाने में कमान क्षेत्र विकास प्राधिकारी असफल रहे हैं यद्यपि सभी राज्यों में उनका निष्पादन एक समान नहीं है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में लगभग 18 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र सहित अब 133 परियोजनाएं शामिल हैं । कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सातवीं योजना के दौरान वितरण प्रणाली में बेहतर जल प्रबन्ध, आननफानमें जल प्रयोग में अधिक कुशलता, माईनर स्तर के नीचे जल के प्रबन्ध और वितरण में कृषकों को शामिल करना, कृषकों और फील्ड स्टाफ सहित कमान क्षेत्र विकास प्रबन्ध के सभी स्तरों के लिए प्रशिक्षण, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि की मानीटरी पर अधिक बल दिया जाएगा ।

तेनाली (आंध्र प्रदेश) में एक फर्जी "फर्म" द्वारा उर्वरकों का उतरना

787. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तेनाली स्थान पर फर्जी "फर्म" द्वारा 17 लाख रुपये मूल्य का एक हजार मीटरिक टन से भी अधिक उर्वरकों के 27 डिब्बे खाली किए गए जो कुछ समय पहले नांगल से भरे गए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यदि मामले की कोई जांच की गयी है तो उसका परिणाम बताते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, जो इस मामले में माल का प्रेषक था, को 17 लाख रुपए के दावे का भुगतान कर दिया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) तेनाली में एक पार्टी को क्षति-पूर्ति बन्धपत्रों पर 17.80 लाख रुपये मूल्य के उर्वरक के 27 माल डिब्बों की सुपुर्दगी दे दी गयी थी जिनके जाली होने का संदेह है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा दावा अस्वीकार कर दिया गया है ।

विवरण

28-9-1984 को मैसर्स नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड द्वारा नंगल डैम से आंध्र प्रदेश में तेनाली के लिए सत्ताइस बीजकों के अंतर्गत उर्वरक के सत्ताइस माल डिब्बे बुक कराये गये थे ।

मुख्य माल पर्यवेक्षक, तेनाली ने रेलवे रसीदों के अभाव में मोहर लगे क्षतिपूर्ति बन्धपत्रों के आधार पर मैसर्स मूर्ति फर्टीलाइजर ट्रेडर्स, तेनाली को इन माल डिब्बों की सुपुर्दगी दे दी थी। 9-11-1984 को मैसर्स नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड द्वारा भेजी गयी इस आशय की सूचना प्राप्त होने पर, कि परेषणों की सुपुर्दगी में धोखा-धड़ी हुई है, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा इसकी जांच की गयी जिससे पता चला कि क्षतिपूर्ति बन्धपत्रों पर हस्ताक्षर जाली थे। इस मामले की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को और बाद में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दी थी। मामले की अभी केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो द्वारा छान-बीन की जा रही है।

दिल की धमनियों में "क्लाट" को समाप्त करने के लिए औषधि

788. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल का दौरा पड़ने के तत्काल बाद ही दिल की धमनियों में "क्लाट" को समाप्त करने के लिए अन्य औषधियों से सहायक उपचार के साथ स्ट्रेपटाकिनेस या यूरोकिनेस का नस में इंजेक्सन लगाने की उपचार पद्धति सफल पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह देखने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि रोगियों के जीवन को बचाने के लिए देश के सभी अस्पतालों में यह औषधियां उपलब्ध की जाएं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विदेशों में किए गए अध्ययनों के अनुसार मीयोकार्डियल इंफ्रेक्शन के चुनिन्दा रोगियों के मामले में नस में लगाया जाने वाला स्ट्रेप्टोकिनेस का टीका इसके लगाए जाने के 90 मिनट के अन्दर-अन्दर वेस्कुलर क्लाट्स को समाप्त करने और अवरुद्ध हृदय धमनियों को खोलने में प्रभावी पाया गया है। विकसित देशों में इस उपचार की प्रभावकारिता के और प्रमाण एकत्र किए जा रहे हैं और नये थ्रोम्बर्पलिटिक एजेंटों का विकास भी किया जा रहा है। ये चिकित्सा विधियां तभी सर्वव्यापी बन सकती हैं जब इनका मानकीकरण हो जाए और ये स्वीकार्य हो जाएं। हमारे देश में अभी तक यह स्थिति नहीं आई है।

विमान सेवाओं की संचालन क्षमता

789. **श्री टी० बशीर :**

प्रो० के० वी० थामस : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान सेवाओं की संचालन क्षमता खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ानों की समय की पाबन्दी और नियमितता सहित देश की एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं की संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) वर्ष 1985

के दौरान विमान सेवाओं की प्रचालन कार्य कुशलता को बनाए रखा गया है। तथापि, प्रचालन कार्य-कुशलता में और आगे सुधार करने की दृष्टि से, एयर इण्डिया की बोइंग-707 विमान बेड़े को समाप्त करने और उनके स्थान पर आधुनिक तकनीक वाले एयरबस ए 310 विमान लगाने की योजना है। इसी प्रकार, इण्डिया एयरलाइन्स की भी अपने विमान बेड़े में एयरबस ए 320 विमान सम्मिलित करने की योजनाएं हैं। आधुनिक तकनीक के विमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्जीनियरी सुविधाओं के उन्नयन की व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम उड़ान

790. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गोआ-कोचीन-त्रिवेन्द्रम उड़ान को सभी दिवसों को चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस वर्ष दिल्ली-गोआ-कोचीन- त्रिवेन्द्रम की कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइलटर) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 17 अवसरों पर उड़ानों में विलम्ब हुआ।

विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

791. **प्रो० के० वी० थामस**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालय स्वास्थ्य योजना सफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केरल में कितने विद्यालय/कालेज तथा विद्यार्थी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस०कृष्ण कुमार): (क)और(ख) स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मार्गदर्शी परियोजना सन् 1982 में 17 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 25 खण्डों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाई गयी थी। 1984-85 में इसे 21 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 100 खण्डों में लागू किया गया था। इसका कार्यान्वयन अलग-अलग स्तर का रहा है। इस परियोजना की बारीकी से मानीटरिंग की जा रही है और इसकी सफलता अथवा असफलता के बारे में निष्कर्ष कुछ समय बाद निकाले जा सकते हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी मार्गदर्शी परियोजना में केरल का कोई खण्ड शामिल नहीं है। इस राज्य सरकार की अपनी स्कूल स्वास्थ्य योजना है जो केन्द्रीय प्रायोजित मार्ग-दर्शी परियोजना का अंग नहीं है।

सीमा सड़क कार्य बल के अधिकारियों को रियायती रेल यात्रा सुविधाएं

792. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क कार्य बल के अधिकारियों और कर्मचारियों को रेलवे की तरह रियायती रेल यात्रा सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) रेल विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों/कृमिनाशकों की सहय सीमा निर्धारित करने के लिए पी० एफ० ए० अधिनियम को संशोधित करना

793. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों/कृमिनाशकों की सहय सीमा निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों में सीसे की मात्रा कम करने के लिए कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ने पी० एफ० ए० अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुमित खाद्य रंगों का अधाधुंध इस्तेमाल जारी है;

(ग) क्या अन-अनुमित खाद्य रंगों का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है;

(घ) क्या लेबलों पर अंकन करने सम्बन्धी नियम अपर्याप्त हैं जैसा कि पनीर और जिलटिन आदि के मामले में हैं; और

(ङ) क्या विरोधी दवाइयां (काउन्टर ड्रग्स) बिना किसी आवश्यक साहित्य के बेची जा रही हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों/कृमिकनाशकों की सहय-सीमा निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों में सीसे की मात्रा कम करने के बारे में एक सुझाव उपभोक्ता शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद से प्राप्त हुआ है, न कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ इण्डिया से जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

(ख) और (ग) अनुमित खाद्य रंगों की सूची, वे खाद्य पदार्थ जिनमें इन रगों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इन रंगों की अधिकतम मात्रा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली,

1955 के उपबन्धों में दी गयी है। ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना जिनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को बार बार सलाह दी गयी है कि वे ऐसे रंगों के अन्धा-धुन्ध इस्तेमाल पर चौकसी रखें।

(घ) इन रंगों के इस्तेमाल सम्बन्धी जो घोषणा खाद्य पदार्थों के पैकटों के लेबलों पर अंकित है वह बिल्कुल पर्याप्त है।

(ङ) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अन्तर्गत ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है जिसमें निर्माताओं से यह अपेक्षा की जाए कि उनके द्वारा बेची जाने वाली दवाइयों के पैकटों में वे ऐसी पर्चियां डालें जिनमें इन दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में बरते जाने वाले तरीकों, खतरों, सावधानियों आदि का उल्लेख हो। वैसे, ये औषधियां आमतौर पर ऐसे पैकटों में बेची जाती हैं जिनमें आवश्यक सूचना सम्बन्धी पर्चियां होती हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं ऐसी बात उठाना चाहता हूं जो पूरी तरह आपके क्षेत्राधिकार के भीतर है। 21 तारीख को सम्पन्न वर्ग को रियायतों की तथा ऐश्वर्य की वस्तुओं पर छूट की घोषणा करने वाली 42 अधिसूचनाएं सभा पटल पर रखी गयीं। मारुति संयन्त्र को 12 करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। बजट 28 को प्रस्तुत किया जा रहा है और कुछ ही दिन पूर्व ये अधिसूचनाएं सभा पटल पर रखी गयी हैं। आपको इस सरकार को किसी प्रकार का नोटिस तो देना चाहिए कि बजट की पूर्व संध्या पर वे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले उन्होंने जन सामान्य पर प्रभाव डालने वाला कार्य किया और अब वे सम्पन्न वर्गों के लिए कर रहे हैं ताकि बजट में वे यह दिखा सकें कि वे सम्पन्न वर्ग की तरफदारी नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप क्या देखेंगे ? कल ही तो बजट आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे बता दिया है और मैं इस विषय में देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : शाम को बजट को प्रस्तुत करने से पहले मैं आशा करूंगा कि सुबह कोई विनिर्णय दिया जाना चाहिए अन्यथा इस सरकार ने तो बजट के अवसर पर अधिसूचनाएं जारी करने की आदत बना ली है। इसे सहन नहीं किया जा सकता। फिर बजट की क्या गरिमा रह जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा ।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, एक आरोप है कि केरल के मुख्य मंत्री···(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी । श्री कुरुप आप ऐसा नहीं कर सकते । क्योंकि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, और किस नियम के अन्तर्गत ? मैं, इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री तिवारी, मैंने किसी चीज की अनुमति नहीं दी है । मैं किसी बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं । यही मैंने कहा है ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपने प्रो० दण्डवते को अनुमति दी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने नोटिस दिया था और फिर आपकी अनुमति से मैंने निवेदन किया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं श्री कुरुप के बारे में कह रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री तिवारी मेरे बारे में कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपका नोटिस विचाराधीन है । प्रो० दण्डवते ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं भी नोटिस देता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि उनका नोटिस विचाराधीन है । बस इतनी ही बात है । यही मैंने आपसे भी कहा है ।

प्रो० के० के० तिवारी : केरल वाला मामला नहीं उठाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है और यह कार्यवाही में दर्ज नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं बिना नियम के आपको अनुमति क्यों दूं । मामला उठाने के लिए कोई नोटिस अनुमतिपत्र नहीं हो सकता ।

श्री सुरेश कुरुप : मैं केरल के मामले के विषय में नहीं कह रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दे सकते हैं । आप मुझसे मिल सकते हैं । यहां नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अनुमति नहीं दी जायेगी । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप आकर मुझसे मिल सकते हैं ।

श्री रेड्डी आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है, और किस धारा तथा किस नियम के अन्तर्गत है ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने नियम 193 के अन्तर्गत देश में गुप्तचर गतिविधियों पर बहस के लिए नोटिस दिया है। राज्य सभा ने भी बहस की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने आपको यह भी बताया कि जो भी इस सदन का सदस्य है, वह अपना स्पष्टीकरण दे सकता है, लेकिन बहस नहीं होगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : राज्य सभा ने बहस की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहस की अनुमति दी है। उन्होंने स्पष्टीकरण की अनुमति दी है और मैं भी ऐसा ही करूंगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : राज्य सभा के सभापति ने बहस की अनुमति दी है, और आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं ...

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है। उन्होंने स्पष्टीकरण की अनुमति दी है और मैं भी वैसा ही करूंगा।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम्) : राज्य सभा के सभापति ने बहस की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न ही नहीं है, अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैंने आपको बता दिया है कि हम इस पर बहस करेंगे। जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई तो आप वहां नहीं थे।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप अगले दिन के लिए अनुमति दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे, । आप कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में आइये। आपने ही निर्णय लेना है। आप क्यों व्यर्थ में लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं ? श्री कुरुप, ऐसा मत कीजिये। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या सदन को यह मालूम नहीं होना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या सदन को मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या मंत्री हैं या नहीं ? महोदय, हम यह मालूम करना चाहेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक सर्वविदित बात है। यह सब समाचार पत्रों में आया है। लेकिन यह मेरा कुतर्क नहीं है कि मैं किसी से भी वक्तव्य देने को कहूं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इसे जानने का हमारा अधिकार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप क्यों बेकार में सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : *इसकी पुष्टि करना या इसका खण्डन करना सरकार का काम है।* **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय क्यों ले रहे हैं ? आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसु देव आचार्य : महोदय, मंत्री जी को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए कि उन्होंने क्यों त्याग पत्र दिया है। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, क्या यह जानने का हमारा कोई अधिकार नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, क्या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या नहीं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप बेकार ही ताव खा जाते हैं। मुझे आपके स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य की भी बड़ी चिन्ता है। जब मैं आपकी सेवा में सदैव तैयार हूं तो आप ऐसा क्यों करते हैं ? ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत यह किया जाए। नियम 199 ही केवल ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत कोई सदस्य वक्तव्य दे सकता है :

> "199. (1) कोई सदस्य जिसने मंत्रीपद से त्यागपत्र दे दिया है, अध्यक्ष की अनुमति से, अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण हेतु एक व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकता है।"

अतः यह सर्वविदित है कि राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और सम्बन्धित महोदय वक्तव्य देने के इच्छुक है या नहीं हैं यह तो उनका अपना विकल्प है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें विवश करने के लिये कोई भी नियम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बताइये मुझे किस नियम के अधीन···बताइये मुझे क्या कोई और नियम है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (व्यवधान)

महोदय, कृपया उन्हें बताइये कि मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे किसी को भी वक्तव्य देने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है तो मामला खत्म हो गया । अब और क्या रह गया ? मैं कुछ नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी : नहीं···नहीं···

अध्यक्ष महोदय : वे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । मैंने उन्हें अनुमित दे दी है । मैं उनसे पूछ रहा हूं कि उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है । मैं उनकी बात सुनूंगा, श्री तिवारी, मैं आपको भी सुनूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, कृपया मेरी बात भी सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को भी सुनूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि आप शोर मचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं । कृपया बैठ जाइये । आप उनसे कहीं ज्यादा शोर मचा रहे हैं । आप इस बात को स्वयमेव अनुभव नहीं करते हैं । भैंस अपना रंग तो देख नहीं पा रही है दूसरे का छाता देखकर बिदक रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है ? आप इसको ढंग से क्यों नहीं करते हैं । मैंने प्रो० मधु दण्डवते को अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी है, मैं आपकी बात भी सुनूंगा । कोई दिक्कत नहीं है । प्रो० तिवारी, यदि आपकी ओर से कोई व्यवस्था का प्रश्न हो तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुझे आशा है कि मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये केवल आप की ही अनुमति लेनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : हां, यह ठीक है।

एक माननीय सदस्य : नियम को उद्धृत कीजिये।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में से नियम 376 देखिये जो कि व्यवस्था के प्रश्नों के सम्बन्ध में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आप सदन का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों उनके सामने बाधा उपस्थित कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, सदस्य का व्यवहार स्तब्ध कर देने वाला है। वह मुझे फटकारने की कोशिश कर रहे हैं। वे मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं उनकी बात सुनूं। महोदय, यह ठीक नहीं है।

यह ठीक नहीं है, आखिर आप अध्यक्ष हैं। महोदय, उन्हें आपके माध्यम से मुझसे कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यही बात आपके विषय में वे मुझसे कह रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे खेद है यदि मेरी बातों से ऐसा लगा कि मैं पण्डित तिवारी को फटकार रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न बहुत सरल है। पहली बात यह है कि वक्तव्य के बारे में नियमों की स्थिति का आपने सही उल्लेख किया है, वह चाहें तो दे सकते हैं, यह उन पर निर्भर करता है, मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या जब प्रेस से संसद सदस्यों को यह सूचना मिलती है कि मन्त्री परिषद के अमुक-अमुक सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या प्रेस में जो कुछ छपता है उस पर हम हमेशा भरोसा कर सकते हैं? उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के अतिरिक्त भी, सरकार में से किसी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिये कि क्या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है अथवा नहीं। हम मन्त्री परिषद की नियति के बारे में अत्यन्त चिन्तित हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हम इस बात की पुष्टि या खण्डन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारी अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। मैंने कभी किसी को

सभा में इस बात की पुष्टि करते हुए या खण्डन करते हुए अब तक नहीं देखा। मैं पता करूंगा कि क्या घोषणा के सम्बन्ध में कोई पूर्व उदाहरण भी हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर की जो स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : बता दिया मैंने, दोबारा क्यों कहलवा रहे हो ? अगर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप नहीं हैं तो आपका कोई और मेम्बर होगा।

श्री वी० तुलसीराम : स्थिति बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात आप क्यों नहीं सुनते ? इल्तिजा है कि अगर आप सुन लें तो आपको भी कष्ट नहीं होगा और मुझे भी नहीं होगा।

श्री वी० तुलसीराम : जो सरकार फेल हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय : अगर भगवान जागते को नहीं जगायें तो मैं क्या करूं ?

श्री वी० तुलसी राम : नहीं, अध्यक्ष जी, जी० एम० शाह की सरकार फेल हो गई है। वहां पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मिलिटरी बुलाई जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अब मत बोलिये, जयपाल जी। आगे भी आप अतिक्रमण करते रहते हैं, आप जैसे सज्जन से यह अच्छा नहीं लगता है।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : आप उस ओर से प्रो० मधु दण्डवते तथा अन्य सदस्यों को सुन चुके हैं और उसके बाद आपने अपना निर्णय दिया। यह मामला समाप्त हो गया है। परन्तु प्रो० दण्डवते किसी न किसी बहाने सदा अडंगे बाजी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं केवल यही कह रहा हूं कि प्रो० दण्डवते जैसे सदस्यों द्वारा अनावश्यक मामले उठा कर सभा का समय नष्ट करना, उचित नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, देश की रक्षा को चुनौती देने वाली गुप्तचरी की अनेक घटनाएं घटी हैं। राज्य सभा इस पर चर्चा कर रही है, राज्य सभा के सभापति ने इसकी अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर ध्यान देंगे। मैं विचार करूंगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

---

12 12 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2020/86]

(3) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2021/86]

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसन्धान संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के

कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए, संख्या एल० टी० 2022/86]

(2) (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिदेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर अध्यापन एवं अनुसंस्थान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2023/86]

(4) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2024/86]

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् और केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, धनबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् धनबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2025/86]

(1) (एक) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2028/86]

भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अधीन अधिसूचनाएं

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) रेल यात्री सेवा अभिकर्ताओं का प्राधिकरण नियम, 1985 जो 5 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 881 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल यात्री (टिकटों का रद्द किया जाना तथा किराये का प्रतिदाय) नियम, 1986, जो 18 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 900 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) रेल यात्री (टिकटों का रद्द किया जाना तथा किराये का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 1986, जो 30 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 32 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2027/86]

केन्द्रीय सरकार (लोक संस्थापन सर्वेक्षण) के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण का वर्ष 1984-85 की वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं केन्द्रीय सरकार (लोक संस्थापन सर्वेक्षण) के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण, वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1 से 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० 2028/86]

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई आदि के वर्ष 1984-85 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2029/85]

(ख) (एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2030/86]

(ग) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त मद (1) (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2031/86]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 856(अ), जो 20 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (शताब्दी स्मरणोत्सव निधि) विनियम, 1985 का अनुमोदन किया गया है ।

(दो) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (जहाजी कुलियों का अनुज्ञापन) विनियम, 1985, जो 18 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 907(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) तूतीकोरन पत्तन न्यास (जहाजी कुलियों का अनुज्ञापन) विनियम, 1985, जो 20 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 923(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) न्यू मंगलौर पत्तन न्यास परीक्षणालय विनियम, 1986, जो 15 जनवरी,

1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 22(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सा० का० नि० 53, जो 7 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु मोरमुगाव पत्तन, न्यास विनियमों का अनुमोदन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2032/86]

(4) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (2ख) के अन्तर्गत मोरमुगाव बन्दरगाह यान (संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 898(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2033/36]

दिल्ली विश्वविद्यालय की घोषित संस्थाओं आदि, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली की पोषित संस्थाओं के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2034/86]

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2035/86]

(5) हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2036/86]

(7) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2037/86]

(9) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2038/86]

(11) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2039/86]

(13) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा 4 के अन्तर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2040/86]

(15) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (पश्चिमी क्षेत्र), भोपाल के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2041/86]

(17) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2042/86]

(19) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2043/86]

(21) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2044/86]

(23) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2045/86]

12.14 म० प०

प्राक्कलन समिति

26वां तथा 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) कृषि मंत्रालय—उर्वरक के बारे में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 74वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में उक्त समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्व निर्माण और आवास मंत्रालय—डी०डी०ए०—भाग—दो के बारे में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 87वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में उक्त समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कार्य मंत्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1986 को सभा में पेश किये गये कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1986 को सभा में पेश किये गये कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

12.15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में सिद्धमुख और नोहर नहर परियोजनाओं को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख व नोहर केनाल राजस्थान प्रान्त की महत्वपूर्ण कैनाल हैं जो गंगानगर जिले के तहसील भादरा, तहसील नोहर एवं चुरु जिले की तहसील राजगढ़ व तारानगर के करीब 8 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करेगी।

इन दोनों नई कैनाल के बारे में सर्वेक्षण होकर कागजात केन्द्र सरकार के सेन्ट्रल वाटर कमीशन को भेजे जा चुके हैं। सेन्ट्रल वाटर कमीशन काफी समय से कैनाल योजनाओं को क्लीयरेंस करने में लगा रहा है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि सिद्धमुख और नोहर कैनाल की स्वीकृति अविलम्ब प्रदान की जाये ताकि उक्त कैनाल से सम्बन्धित किसान लाभ उठाकर अपने पिछड़ेपन और गरीबी को दूर कर सकें और साथ-साथ राष्ट्र की पैदावार भी बढ़ सके। इन दोनों कैनाल का कार्य शुरू हो जाने से एक तरफ तो श्री गंगानगर जिले के 150 ग्रामों को लाभ पहुंचेगा जो अकाल की चपेट में आ गये हैं और दूसरी ओर चुरु जिले के लोगों को भी काम मिल सकता है जो इसके साथ लगता है।

मुझे आशा और विश्वास है कि आप उक्त क्षेत्र के पिछड़ेपन एवं गरीबी दूर करने एवं

अकाल से राहत दिलाने के लिये दोनों नहरों का कार्य अविलम्ब शुरू करने हेतु निर्देश एवं आदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे जिसके लिए मैं गत 6 वर्षों से बराबर पत्र व्यवहार कर रहा हूं ।

[अनुवाद]

(दो) बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रचार करने, अपराधियों के नाम और उनको दिया गया दंड प्रकाशित करने की आवश्यकता

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा : काफी समय से राष्ट्रीयकृत बैंकों में बढ़ती हुई करोड़ों रुपए की अनियमितताओं के मामले का सरकार पता लगाती रही है । जो कि प्रायः बड़े अधिकारियों की मिली-भगत से होती है । उनसे सम्बद्ध राशियों तथा सम्बद्ध अधिकारियों, विस्तृत जांच के परिणामों तथा की गई कार्यवाही के बारे से प्रायः विस्तार से नहीं बताया जाता और न ही जनता को ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई कार्यवाही बताई जाती है । सरकार को ऐसे मामलों की जांच के बाद प्रचार करना चाहिए, अपराधियों की सूची घोषित करनी चाहिए तथा उन्हें दण्ड देना चाहिए और हर मामले में वसूली करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मुरैना (म० प्र०) में तारीख 13-2-1986 को ओलावृष्टि से किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है जिसमें अम्बाह तहसील के 22 ग्राम तथा केतारस तहसील के सात ग्राम तथा श्योपुर तहसील के तीन ग्राम प्रभावित हुए हैं । किसानों की गेहूं, सरसों, तअर, चना, जौ शामिल हैं । किसानों की परेशानी को देखते हुए किसान और मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त सहायता देकर किसानों की जीवन-यापन की व्यवस्था करें ।

[अनुवाद]

(चार) बकरी पालन पर अनुसंधान करने के लिए केरल में कासरगौड़ में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री आर० रामा राय (कासरगौड़) : बकरी पालन से गरीब लोगों को कम कीमत पर पोषाहार मिल सकता है । देश में तरह-तरह की बकरियों की किस्में विद्यमान है । बकरी पालन के बारे में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । केरल के तटीय क्षेत्र में एक स्थान तेल्लीचेरी है, जहां पर बकरियों की विशेष नसल तेल्लीचेरी नसल है । इस नसल की विशिष्टता है कि ये पोषाहार युक्त दूध काफी मात्रा में देती है । यदि किसी पिछड़े क्षेत्र में जैसे केरल में, कासरगौड़ में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करके इस नसल का विकास किया जाये तो अप्रयुक्त पर्वतीय क्षेत्रों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है तथा इससे दूर-दूर के गांवों में रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी ।

[हिन्दी]

(पांच) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन उठाऊ नहर सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

12.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री मोहन लाल शिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह देखने में आया है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में कोई उन्नति नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां सिंचाई, बांध आदि की सुविधा नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा उद्वहन-सिंचाई योजना है जो प्राथमिकता के आधार पर चालू की जानी चाहिए। साथ ही जो योजना हाथ में ली जाये, वे निश्चित तिथि में पूर्ण की जावे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में ऐसी ही नर्मदा उद्वहन सिंचाई योजना स्वीकृत है जो सन् 78 से लम्बित पड़ी है। लम्बित होने से उसकी निर्माण राशि जो पहले 11 लाख थी अब दिनोदिन बढ़ती जायेगी। इससे शासन को आर्थिक क्षति होगी, साथ ही उस क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि ऐसे उद्वहन सिंचाई योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाये। जनहित एवं विकास की दृष्टि से यह आवश्यक है।

(छः) देश में सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क रेल पास और अन्य सुविधाएं देने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : दिनांक 19 नवम्बर, 1985 को इलाहाबाद में अखिल भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानी सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 1 दिसम्बर, 1985 से देश भर के सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास दिए जाएंगे।

किन्तु, 19 नवम्बर, 1985 को ही केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा में जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें केन्द्रीय राजस्व से सम्मान निधि प्राप्त करने वालों को ही सम्मिलित किया गया है। इस वक्तव्य से राज्य सरकारों द्वारा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले सेनानियों को रेलवे पास की सुविधा से वंचित रखा गया है। इस नियम से 15 अगस्त, 1985 को गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लेने वाले सत्याग्रही भी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर का आन्दोलन था, इस सुविधा से वंचित कर दिए गए हैं।

मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनः विचार कर सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को रेलवे पास की तथा अन्य सभी सुविधाएं समान रूप से प्रदान करे।

[अनुवाद]

(सात) जम्मू और काश्मीर राज्य में भारी हिमपात के शिकार हुए लोगों को राहत देने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन वक्तव्य देता हूं :

काश्मीर के लोगों ने दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के दौरान भारी हिमपात के कारण अवर्णनीय कष्ट उठाये हैं, यह तथ्य सभी को भली प्रकार विदित है। देशवासियों को यह नहीं पता कि पीड़ितों को अभी तक कोई राहत नहीं दी गई। मैंने जनवरी, 1986 में गृह मंत्री को एक ज्ञापन दिया था तथा केन्द्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप तथा पीड़ितों की शीघ्र सहायता की मांग की थी। मेरे ज्ञापन पर ही सरकार ने राज्य सरकार से तथ्यों की मांग की। उसके उत्तर में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्षति सम्बन्धी आंकड़े पेश किये। अब जबकि सरकार ने राहत देने को निर्णय लिया है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र व्यक्तियों को ही सहायता मिले। केन्द्र सरकार को या तो राहत का वितरण स्वयं करना चाहिये या पीड़ितों को राहत की राशि के वितरण के लिए प्रशासनिक मशीनरी के पर्यवेक्षण के लिए समिति नियुक्त करनी चाहिये।

12.2[illegible] म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा 25 फरवरी, 1986 के रखे गये तथा श्री जैनुल बशर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात :

कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये —

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 20 फरवरी, 1986 को एक-साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है।"

श्री विनेश गोस्वामी (गौहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिये, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए गौरव तथा प्रसन्नता है। मुझे प्रसन्नता इसलिए है कि सात वर्षों के पश्चात् असम को वास्तविक एवं पर्याप्त रूप से सभा में प्रतिनिधित्व मिला है। पिछले सात वर्षों से लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, लोगों का रोष इस सभा में पहुंच नहीं पाता था क्योंकि हम लोक सभा में उपस्थित नहीं थे। मुझे इस बात पर भी प्रसन्नता है कि असम गण परिषद ने वास्तविक रूप में राजनीतिक रिकार्ड कायम किया है। हमारी पार्टी के, जो कि दो

महीने पहले ही स्थापित हुई थी, आज सभा में सात प्रतिनिधि हैं। महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि असम की स्थिति सामान्य हो गई है तथा असम के लोगों को समुचित ढंग से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया है तथा युवा व्यक्तियों से बनी हमारी पार्टी राज्य में सत्ता में आ गई है। महोदय, हमारे विधायकों तथा मन्त्रियों के बारे में गलत धारणा मत रखें। लोक सभा में आने वाले हम सभी सदस्य प्रौढ़ व्यक्ति हैं। परन्तु राज्य विधान सभा के विधायक तथा मन्त्री सभी युवा हैं तथा वचनबद्ध हैं। वे इस सभा से इस सरकार से तथा देश से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मार्ग दर्शन चाहते हैं।

महोदय, अंततः पिछले वर्ष 15 अगस्त को सम्पन्न किये गये समझौते के लिए मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

मुझे खुशी है कि इस समझौते द्वारा असम में विदेशी नागरिकों सम्बन्धी मामले तथा अन्य मामलों का समाधान हुआ है। परन्तु हम इस बारे में सजग हैं कि यह समझौता केवल पहला कदम है। अभी तक भी यह समझौता केवल कागज पर ही है। समझौते की सफलता उसके कार्यान्वयन पर है तथा हमें याद है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पंजाब के हालात को बिगड़ने दिया गया है। हमें खेद है कि इस समझौते के बहुत से उपबन्धों को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर समझौते में असम के लोगों का आश्वासन दिया गया था कि संघर्ष के दौरान जो व्यक्ति पीड़ित हुए थे, उन्हें उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया जायेगा। परन्तु इस बात को अगस्त से फरवरी तक सात मास हो गये हैं पिछले सात मास वर्षों में केन्द्रीय क्षेत्र में अथवा केन्द्रीय शासन में जो व्यक्ति पीड़ित हुए थे उनको अभी तक कोई राहत नहीं दी गई।

मैं मामलों का विवरण एवं उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु रेलवे आकाशवाणी तथा तेल क्षेत्रों की यही स्थिति है कि जो लोग पीड़ित हुए थे उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। हमने यह भी देखा है कि कई मामलों में समझौते के गलत अर्थ लगाये गये हैं उदाहरण के तौर पर समझौते में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि चूंकि असम के युवकों ने सात वर्षों के संघर्ष के दौरान भारी कष्ट उठाये हैं, अतः उन्हें रोजगार के मामले आयु-सीमा में छूट दी जायेगी। इस तरह की आयु सीमा में छूट का वायदा केवल असम में ही नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि भोपाल त्रासदी के मामले में भी इस प्रकार की आयु सीमा में छूट दी गई है। परन्तु जहां भी भारत सरकार के विभागों ने इस तरह की छूट दी है बदकिस्मती से वहां निगमों, केन्द्रीय सरकार के निगमों ने निर्णय किया है कि इस आयु सीमा की छूट न दी जाए।

मैं आपको बताता हूं कि बैंकिंग सेवा आयोग ने भारत सरकार को लिखा था कि बैंकिंग सेवा आयोग के अन्तर्गत रोजगार के मामले में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए? लेकिन बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा विशेष अनुरोध करने के बावजूद और इस आयोग द्वारा इस मामले में केन्द्रीय सरकार के साथ 5 या 6 महीने के लम्बे समय तक बातचीत करने बाद भी केन्द्रीय के सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

मैं आशा करता हूं कि शोषण को रोकने, सीमा पर बाढ़ लगाने, लोगों को वापस भेजने, नामों को हटाने के बारे में सरकार यह देखने के लिए तुरन्त कदम उठायगी कि असम समझौता

केवल कागज तक ही न रह जाए बल्कि समझौते को पूरी तरह और सच्चाई के साथ कार्यान्वित किया जाये ।

कल सदन के इस ओर तथा उस ओर के बहुत से वक्ताओं ने क्षेत्रीय दलों के उभरने पर टिप्पणियां की थीं । क्या मैं उन्हें यह बताने के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकता हूं कि हम किसी की दया से सत्ता में नहीं आए हैं परन्तु लोग हमें मतदान द्वारा सत्ता में लाये है ? एक लोकतांत्रिक देश में यदि आप कहते हैं कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय विरोधी होते हैं तो आप के कहने का अर्थ यह भी होगा कि वे लोग जो क्षेत्रीय दलों का समर्थन करते हैं वे भी राष्ट्रीय विरोधी हैं, या वे जो उसका समर्थन करते हैं वे अस्थिरता की ताकतों का समर्थन करते हैं ।

आज इस देश को देखिए । एक क्षेत्रीय दल द्वारा असम में शासन किया जा रहा है । सिक्किम में भी एक क्षेत्रीय दल द्वारा शासन किया जा रहा है । और यह कहते हुए मुझे संकोच नहीं होता है कि एक या दो वर्षों के भीतर पूरा पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय दलों के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा । जम्मू और काश्मीर में एक क्षेत्रीय दल है; आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दल है; तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल है । क्या मैं यह मान लूं कि इन क्षेत्रों के लोग इस देश की एकता और अखण्डता के बारे में वास्तविक रूप में महसूस नहीं करते हैं ? क्या मैं यह समझूं कि केवल हिन्दी बोलने वाले क्षेत्र के लोग ही देश की एकता और अखण्डता की बात सोचते हैं ? क्या मैं समझूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को अपनी मातृभूमि के बारे में कोई ध्यान नहीं है ? वस्तुतः हमें दूसरे ढग से महसूस करना चाहिए । ऐसा क्यों है कि समीवर्ती क्षेत्र के लोग जो दिल्ली से बहुत दूर क्षेत्रों में रहते हैं, वे क्षेत्रीय दलों के बारे में सोचते हैं ? क्योंकि उन लोगों को यह महसूस होने लगा है कि इस ससद सहित शक्ति का केन्द्र दिल्ली उनकी अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता । वे वास्तव में यह समझने की परवाह ही नहीं करते कि इन लोगों के विचार क्या हैं ।

फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में विविधता में एकता है, हमारी एकता विविधता पर आधारित है । प्रत्येक क्षेत्र की अपनी संस्कृति, भाषा और अपना आत्म सम्मान होता है । जब उस आत्म सम्मान को चोट पहुंचती है, संस्कृति और भाषायी आकांक्षाओं को ठेस लगती है, तब लोगों का एक विशेष वर्ग अपना अस्तित्व जताता है ।

असम मे जब हमने गत वर्ष में तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए कहा था, जब हमने अपने राष्ट्रीय संसाधनों के विकास के लिए कहा था, जब हमने आर्थिक विकास के लिए कहा था तब हमें बताया गया था कि हम उग्र-राष्ट्रवादी हैं । हम साम्प्रदायिक हैं । और यह कि हमारी मांगें स्थिति की वास्तविकता के अनुरूप नहीं । लेकिन हमने पिछले 3–4 वर्षों में देखा कि इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति, सभी वर्ग, सभी दल कह रहे हैं कि असम उपेक्षा वाला क्षेत्र है । यदि स्वतन्त्रता के बाद ही असम के आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता तो आज जो कई समस्याएं असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में हैं वे नहीं होती । लेकिन वहां गलती से पूरी तरह सूचना का अभाव रहा अन्यथा देश के शेष भागों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र पिछले सात वर्षों से आग की लपटों में घिरा रहा ।

जम्मू और काश्मीर के साथ यही स्थिति है । जम्मू और काश्मीर में आपने इस आधार पर लोक-

तंत्रसरकार को उलट दिया कि इनकी सरकार राष्ट्रीय विरोधियों को आश्रय दे रही थी, लेकिन आज क्या हो रहा है ? जम्मू और काश्मीर की स्थिति पहले की अपेक्षा जब फारूक अब्दुल्ला का शासन था इससे और बदतर हो गई है । इसलिए क्षेत्रीयवाद की बुराई मत करिए । फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां तक कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध है कई राष्ट्रीय दल आज केवल राष्ट्रीय दल हैं । परन्तु कई क्षेत्रीय दलों की अपेक्षा उनका दृष्टिकोण अधिक क्षेत्रीय होते हुए भी उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है हमने असम गण परिषद वालों ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम केन्द्रीय सरकार के साथ संघर्ष करना चाहते हैं । सात वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद हमने एक समझौता किया है और हम इसको कार्यान्वित करना चाहेंगे । हमें इस तथ्य की जानकारी है कि इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार की भूमिका कहीं ज्यादा अधिक होगी । हम संघर्ष के दौर से गुजर चुके हैं । हम कोई लड़ाई करना नहीं चाहते हैं और इसलिए हमने अपना हाथ भारत सरकार और सभी राजनैतिक दलों के साथ मित्रता के लिए बढ़ाया है तथा हमें आशा है कि भारत सरकार तथा अन्य राजनैनिक दलें इसे स्वीकार करेंगे ।

हम प्रधानमंत्री जी को प्राप्त जनादेश की इज्जत करते हैं जो उन्हें इस देश से मिला है और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी उस जनादेश को बहुत महत्व देंगे जिसको हमारे युवा लोगों ने असम के लोगों से राज्य को चलाने के लिए प्राप्त किया है । हमें इस तथ्य की भी जानकारी है कि असम अलगाव में नहीं रह सकता । हम पृथक द्वीप के रूप में नहीं रख सकते हैं । हम भारतीय मुख्यधारा के भाग हैं । हम राष्ट्रीय मुख्यधारा के भाग हैं और हालांकि हमारा क्षेत्रीय दल है पर यदि इस देश के किसी भाग में कोई समस्या होती है तो इस पर हम अपनी समस्या के रूप में विचार करते हैं । हम पंजाब की समस्याओं के बारे में अपनी आखें बन्द नहीं करेंगे, हम शेष विषयों के बारे में भी समान रूप से चिंतित हैं । पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम अपनी आखें बन्द नहीं करेंगे ? श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम अपनी आखें बन्द नहीं करेंगे । प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर हम अपनी समस्या के रूप में बिचार करते हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के बाद और आजादी से पहले असम ने इस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । 1971 की लड़ाई में कौन टकराया ? हमें सीधे ही टकराना पड़ा था । हमें 1962 के संघर्ष को सहना पड़ा, हमें 1965 के संघर्ष को सहना पड़ा ।

इस देश के आर्थिक विकास में असम योगदान देता है । यह योगदान पैट्रोलियम, पटसन और चाय द्वारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करके करता है । इस देश के आर्थिक विकास के लिए असम ने गत समय में योगदान किया है और इस देश की एकता तथा अखण्डता के लिए खड़ा हुआ । हम इस सदन को आश्वासन देते हैं कि हम भविष्य में भी इस देश की एकता और अखण्डता के लिए निरन्तर साथ देते रहेंगे । परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय अखण्डता की प्रक्रिया एक तरफ नहीं है । आप केवल यही नहीं कह सकते हैं कि आपको इस देश की एकता और अखण्डता के बारे में सोचना चाहिए परन्तु अन्य लोग आपके बारे में नहीं सोचेंगे । अखण्डता दो तरह की प्रक्रिया है । असम के लोगों तथा युवाओं को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि जैसा हम उनसे इस देश की एकता और अखण्डता के बारे में विचार करने के लिए कहते हैं उसी तरह इस देश को भी असम की समस्याओं से पूरी तरह से परिचित होना है और जब भी असम पर कोई मुसीबत आयेगी लोग उसके साथ उठ खड़े होंगे । हमने कई बार संकट के क्षण में महसूस किया है जैसे कि हमने केवल अपने आप को अपनी सुरक्षा पर छोड़ा है और मैं आशा करता हूं कि

हमारे युवाओं, असम के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि देश आज असम की बराबर चिन्ता इस प्रकार करेगा जैसा कि राज्य के लोग देश की चिन्ता करते हैं।

महोदय, मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। वास्तव में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैंने जो गम्भीर रूप से आपत्ति की है कि इसमें सरकार किस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या से जूझना चाहती है उस बारे में उल्लेख नहीं किया है। आज, यदि आप क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या का हल करना चाहते हैं तो कुछ अतिरिक्त धन देने से काम नहीं होगा। आपको प्रौद्योगिकीय साधन लगाने चाहिए। आपको उन क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी देनी चाहिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण में, मैं इसमें से किसी का भी उल्लेख नहीं पाता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण लोगों के काम करने की क्षमता को सुधारने के बारे में बताता है। लेकिन निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुप्पी रखी गई है। महोदय हमें भूलना नहीं चाहिए कि यदि हम अपने हाथों से अपने दिलों को छुएं तो हमें पता चलेगा कि हममें से अधिकतर लोग झूठ बोल कर या संविधान के साथ धोखा करके विधान मण्डल में प्रवेश कर पाये हैं उदाहरण के लिए असम में चुनाव पर 30,000 रुपए का खर्चा आया है। आज 30,000 रुपए के साथ चुनाव लड़ना सम्भव नहीं है क्योंकि चुनावों के दौरान दो कारों को चलाने का खर्च 30,000 रुपए से अधिक बैठता है। दण्ड कानून को न मानना अपराध है लेकिन ऐसा कानून बनाना अधिक अपराध है जिसका पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब आप एक कानून बनाते हैं जिसका पालन नहीं किया जा सकता है। तब आप एक व्यक्ति को कानून की अवज्ञा करने पर जोर देते हैं और इसलिए यह घोर अपराध है और मेरा विश्वास है कि हमें इस स्थिति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जिसकी आज तुरन्त आवश्यकता है वह निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों की है।

गत वर्ष 1985 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिए सुझाव और संकेत दिए गए थे परन्तु पिछले एक वर्ष में प्रभावशाली ढंग से इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कानून को लागू करने की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन करने की बात कही गई थी। आज ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि इस तथ्य के बावजूद कि हम कानून के शासन के बारे में बात करते हैं। लोग अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध असहाय है। जब हम कानून को लागू करने की दिशा में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो एक बात यह है कि न्याय देने में होने वाले विलम्ब को दूर करना चाहिए लेकिन यह समाधान नहीं है। आज देश में जो लाखों मामले कार्रवाई के लिए रोज होते हैं पर उनमें से शायद ही कोई अदालत में जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं।

पिछले दो दिन की अवधि के दौरान दिल्ली में दो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। दो लड़कों की मृत्यु हुई क्योंकि वे गटर में गिर गए थे। कल दो लड़कों की नाले में गिर कर मृत्यु हुई। हमारे अपने संसद सदस्य श्री चालिया भी कुछ दिन पहले एक गटर में गिरे थे और उन्हें गम्भीर रूप से चोटें आई थी। परन्तु जब यह होता है तो कोई राहत नहीं दी जाती है। यदि आप निगम

के पास जाते हैं तो वे कुछ नहीं करेंगे। यदि आप जांच पड़ताल एजेंसी के पास जाते हैं तो वे कुछ नहीं करेंगे। यदि लोग न्यायालय में जाते हैं तो दावे को सुलझाने में वर्षों लगेंगे। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि भोपाल त्रासदी के दौरान राहत और उपचार के उपायों के अभाव के कारण हमें अमरीका जाना पड़ा और उनकी सहायता लेनी पड़ी क्योंकि हमारा न्याय प्रशासन भोपाल त्रासदी के पीड़ितों को राहत नहीं दे सका। यह हमारे न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता को बताता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन कुछ अच्छी बातें कहने के अलावा कि सरकार परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध है, मैं कुछ और ठोस नहीं पाता हूं। महोदय, सरकार 21वीं शताब्दी के बारे में बात करती है, प्रौद्योगिकीय जानकारी को सुधारने के बारे में बात करती है। यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार आवश्यक है। राष्ट्र मशीनों द्वारा नहीं चलता है। मशीनों में सुधार की अपेक्षा लोगों में सुधार अधिक महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकीय जानकारी आवश्यक है परन्तु व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र चलाता है, उसमें अधिक क्षमता होनी चाहिए और उस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। फिर भी वे सदस्य ने, जो दूसरी तरफ से बोले थे पिछले वर्षों के दौरान इस देश की उपलब्धियों के बारे में निपुणता से बोले थे। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने प्रगति की है। परन्तु अभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथ्य वही रहता है यदि आप पैरा 45 को देखें। तब यह स्पष्ट हो जायेगा मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"समय की मांग है कि गरीबों को अपना रहन-सहन ऊंचा उठाने के लिए सहायता दी जाए। इस बुनियादी उद्देश्य की प्राप्ति में विज्ञान तथा टेक्नॉलोजी को सहायता देनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करेगी :—

"(एक) सभी गांव में पीने का पानी।"

आजादी के 38 वर्षों के बाद जब हम पीने के पानी की व्यवस्था करने या निरक्षरता के उन्मूलन के लिए बढ़ती हुई प्रौद्योगिकीय मिशनों की बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारी उपलब्धियां कितनी अपर्याप्त हैं। और जब मैं सत्ताधारी सदस्यों को सुन रहा था मैंने पाया कि उस समय आलस्य की भावना थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के लोग राजनैतिक ढांचे की स्थापना के सम्बन्ध में बार-बार प्रयोग कर रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ था। लेकिन तीन चार साल के बाद इस देश में इतना अधिक उपद्रव हुआ कि आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत कर सत्ता में आई। लेकिन तीन सालों 1980 में ही उन्हें आपस में लड़ने-झगड़ने के कारण गद्दी छोड़नी पड़ी और एक बार फिर श्रीमती गांधी सत्ता में आ गयीं। वह सत्ता में भारी बहुमत से आयीं। लेकिन हमने देखा कि 3 साल में सारे देश में असंतोष की लहर छा गई। 1984 में एक नए प्रधानमंत्री आए। लेकिन मैंने पहले ही देखता हूं कि कीमतों में वृद्धि के कारण असंतोष की लहर छा गयी है। आज पंजाब जल रहा है। आज जम्मू एवं कश्मीर में स्थिरता नहीं है। कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों में गुस्सा है। एक साल पहले प्रधानमन्त्री जितने आकर्षक राजकुमार प्रतीत होते थे उतना अब प्रतीत नहीं होते। देश में अशांति और मोह भंग की स्थिति है। इस मोह भंग और असंतोष से राजनैतिक परिवर्तन ही नहीं होंगे बल्कि मैं इस बात

से चिंतित हूं कि इस अशांति और मोह भंग तथा लोगों की शिकायतें दूर होने में असफलता से उनका इस प्रणाली में विश्वास नहीं रहा है। जब तक हम प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास की भावना दोबारा से नहीं ले आते तब तक इस देश की एकता और अखण्डता खतरे में रहेगी। इसलिए इस सदन से मेरा अनुरोध है कि वह ऐसा न कहे कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के विरुद्ध हैं, हमें क्षेत्रीय दलों के उभरने के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए तथा देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए तथा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों, उप राष्ट्रीयता की जागरूकता और उसके लिए व्यक्त किए विचारों के प्रति चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यदि देश की एकता और अखण्डता को खतरा है तो इसका कारण यह है कि कुछ लोग अन्य लोगों की कठिनाइयां समझ नहीं पाते और किसी समय भारतीयों के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है। इसलिए सात सालों की उथल-पुथल के बाद असम राज्य की बागडोर सम्भालने वाली नई पार्टी असम गण परिषद् की ओर से मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि असम समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाए। मुझे खुशी है कि कम से कम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में उल्लेख किया गया है। मेरा भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीव्र आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में विकास किया जाए, ताकि हम पिछले कुछ सालों के दौरान से कहीं अधिक खुशहाल हो सकें।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी-अभी हमने अपने पुराने मित्र को सुना है जो कांग्रेस में हमारे साथ बहुत समय तक रह चुके हैं। अब वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले एक क्षेत्रीय दल के सदस्य बन गए है। असम से चुने गए एक सदस्य के रूप में मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि केन्द्र और राज्य सरकार को तेजगति से राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन के मामले को उठाना चाहिए क्योंकि युवकों में बहुत अधिक असंतोष है और उन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों में नौकरियां दी जानी चाहिए। असम समझौता असम गण परिषद और केन्द्र सरकार के बीच हुआ समझौता ही नहीं है बल्कि यह एक ऐसा समझौता है जिस पर कांग्रेस (आई) प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं और हम पूरी तरह से इस समझौते के साथ हैं। परन्तु जब वह यह कहते हैं कि वहां जो सरकार आई है वह चुनाव में एक सही मतदाता सूची, वास्तविक सूची के आधार पर सामान्य तौर पर आई है तो मेरे विचार उनसे भिन्न हैं। लेकिन इस समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल पांच मिनट और लें।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, यह मेरा पहला भाषण है यद्यपि मैं दूसरी बार आया हूं। मैं कह रहा था कि असम की जनता की उच्च आशाओं के अनुरूप वहां विधायकों का एक नया दल आया है और यह सच है कि असम की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया है और इस समझौते को लागू करने में वे केन्द्र सरकार के सहायक पक्ष बन गए हैं। लेकिन जब इस समझौते का कार्यान्वयन किया जाये तो मैं असम गण परिषद के सांसदों के माध्यम से असम गण परिषद की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समझौते की प्रस्तावना में कहा गया है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय मानवीय और राष्ट्रीय बचनवद्धता को हमेशा ध्यान में रखा गया था जिसका अर्थ है कि वहां समस्या अर्थात विदेशियों की समस्या केवल पूर्वी

पाकिस्तान के कुछेक लाख विस्थापित लोग हैं। मैं मौजूदा असम सरकार और केन्द्र सरकार से पूरी तरह से सहमत हूं कि समझौते को लागू करते समय समझौते के प्रत्येक खण्ड को भली-भांति लागू किया जाना चाहिए। लेकिन जब सरकारी भूमि से भले ही इस पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया गया हो, निकाला जा रहा है तो यदि वे इस देश के नागरिक हैं तो असम गण परिषद की सरकार तथा केन्द्र सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सड़कों पर न फेंक दिया जाए। उन्हें एक विशेष योजना के माध्यम से पुनः बसाया जाए। यह मेरी विनम्र अपील है। असम गण परिषद और केन्द्र सरकार से मेरी यह भी अपील है कि नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने सम्बन्धी खण्ड को इस तरह से लागू किया जाए कि नागरिकता प्रमाणपत्र पाने के हकदार व्यक्तियों के पास अगर वैध शरणार्थी प्रमाणपत्र न हो तो उसे नागरिकता प्रमाणपत्र से वंचित न किया जाए। इस खण्ड को लागू करने के लिए सहवर्ती वक्तव्यों और साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। श्री गोस्वामी और उनके दल ने आर्थिक विकास के लिए जो चिंता व्यक्त की है उससे मैं, असम में कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्णतया सहमत हूं और हम उन्हें सहयोग का पूरा आश्वासन देते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि यह सरकार, जिसे बने अभी दो महीने ही हुए हैं, भाषा, सेवा··· के बारे में कुछ नीतियां लागू कर रही है ···(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार से असम सरकार के कार्यों की यहां संसद में चर्चा करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे विद्वान मित्र उनके हितों के बारे में बोल सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि हम किसी सरकार की चर्चा कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे तो ऐसी स्थिति में वादविवाद का क्षेत्र और विस्तृत हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप असम सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मत कहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं असम सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो कुछ नीतियों के बारे में कह रहा हूं ···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : असम की सरकार के बारे में।

श्री सन्तोष मोहन देव : असम के प्रति सरकार की नीतियां जिनसे असम सरकार पर प्रभाव पड़ता है। बहरहाल मेरा मकसद पूरा हो गया। गोस्वामी जी ने सुन लिया तो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूं। महोदय···(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वमी : इसकी चर्चा हम बाहर कर सकते हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव : ऐसे सम्बन्ध हमारे हैं। श्री गोस्वामी जी ने पंजाब समस्या के मुकाबले में समझौते के कार्यान्वयन का मामला को उठाया है और उन्होंने पंजाब सरकार से चर्चा की है। तो मैं ए० एल० एफ० ए० नामक संगठन द्वारा असम में शुरू की गई वर्तमान आतंकवादी गतिविधियों के मुकाबले में इस समझौते की चर्चा करना चाहता हूं। पिछले अगस्त को हमारे एक भूतपूर्व मंत्री टी० सिंघिया की शिवसागर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उक्त संगठन ने असम

गण परिषद सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के बहुत से सदस्यों को धमकी दी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि पंजाब जैसी स्थिति धीरे-धीरे असम में भी उत्पन्न होती जा रही है। यह वास्तविक स्थिति है। यह दल असम गण परिषद से पृथक हुआ दल या कोई नया दल हो सकता है। मैं वास्तविक स्थिति नहीं जनता वास्तविक स्थिति को जानना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का काम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गोस्वामी ने असम के आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में सदन का ध्यान दिलाया है। सदन में असम पर बोलने वाला हर व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम के आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में जरूर बोलता है। लेकिन हमें केवल कोरी सहानुभूति ही मिली है। कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। कांग्रेस आई सरकार के समय तेल के लिए 165 रुपए की रायल्टी निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी तक रायल्टी की घोषणा नहीं की गई है। इसकी तत्काल घोषणा की जाए ताकि मौजूदा सरकार को आय के पर्याप्त संसाधन मिल सकें और वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक कार्य कर सके। श्री गोस्वामी ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय दल सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेंगे। लेकिन मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि नागालैंड और मिजोरम में क्षेत्रीय दल हैं किन्तु वे उस क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर शायद एक निश्चित अवधि भी पूरी नहीं कर सके। केवल एक निश्चित अवधि अर्थात् 5 वर्ष के लिए वे वहां रहे। उसके बाद कांग्रेस आई सत्ता में आ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं कामना करता हूं कि आप भी पांच साल तक रहें। लेकिन आपकी शुरूआत इतनी अच्छी नहीं है। आपको राज्य में अल्प संख्यकों के प्रति उदार रवैया अपनाना चाहिए। असम के मुख्य मंत्री ने आरम्भ में ही कहा था, "हमारा दल क्षेत्रीय दल है और इसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है ठीक है मैं इसकी सराहना करता हूं। जब आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी अपने कार्यों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनायेंगे। कछार में अल्पसंख्यकों का ही सवाल है। अभी तक आपका रवैया बहुत सहायक नहीं रहा है। भाषा और सेवाओं के मामले में आपका दृष्टिकोण जरा भी राष्ट्रीय नहीं है। यह असम गण परिषद के लिए अच्छा हो सकता है अल्पसंख्यकों के लिए नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि असम सरकार को मालूम होना चाहिए कि असम में अल्पसंख्यकों को परेशान करने का साधन बनाए बिना इस समझौते को किस तरह से लागू किया जाए। यह समझौता हमारा समझौता है। हम इसे पूरा समर्थन देने का वचन देते हैं। राज्य सरकार को राज्य के बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर इसे लागू करना चाहिए। हमारा विश्वास है कि भारी जनादेश प्राप्त करके सत्ता में आई यह सरकार समयानुकूल इस तरह से कार्य करेगी कि अल्पसंख्यकों को यह महसूस न हो कि उन्हें बहुसंख्यकों द्वारा परेशान किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि इस समझौते को अगर ठीक ढंग से लागू किया जाएगा तो एक ऐसा मंच बन सकता है जहां कांग्रेस आई, असम गण परिषद और अन्य राष्ट्रीय दलों सहित असम की जनता इस पिछड़े राज्य के विकास के लिए एक जुट हो सकती है और इसे राष्ट्र की मुख्य धारा में खुशहाली की राह पर ला सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। यह अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपने मित्र श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : महोदय, मेरे मित्र श्री एडुआर्डो फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद से सरकार को उसकी गत वर्ष की उपलब्धियों और आगामी वर्ष की नीतियों को बताने का अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रपति ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों और साम्प्रदायिक गड़बड़ी के कारण देश की एकता और अखण्डता को बढ़ते हुए खतरे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पंजाब राज्य पिछले पांच वर्षों से संकट में है। समझौते पर कुछ महीने पूर्व हस्ताक्षर किए गए हैं और आशा की जाती है कि इसे लागू किया जाएगा। भारत सरकार इसे पूरी तरह लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प है। लेकिन दुर्भाग्य से आतंकवादी स्वतन्त्र हैं। वे अकारण औरतों, आदमियों और बच्चों की हत्या कर रहे हैं और राज्य नरक बना हुआ है। यह देखना राज्य सरकार का काम है कि आतंकवाद समाप्त हो शांति और समृद्धि चाहने वाले पंजाब की जनता की अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा हो ताकि राज्य में खुशहाली आए। पंजाब आज देश के सबसे सम्पन्न राज्यों में से है। इसका खाद्यान्न उत्पादन दुगना तिगुना हो गया है और यह सारे भारत के लिए अन्न भण्डार बन गया है। इसी तरह हरियाणा भी। इसी तरह हर राजनैतिक दल और नागरिक का कर्त्तव्य है कि उग्रवादी और आतंकवादी कार्यवाही समाप्त की जाए। निसन्देह कट्टर पंथी और धर्मान्ध व्यक्ति वहाँ हैं। आतंकवादियों की सहायता लेते समय वे एक क्षण स्वयं को भूल गए और उनके हाथ का खिलौना बन गए। वास्तव में आतंकवादियों की स्थिति मजबूत है और अकालियों की नहीं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हममें से हर एक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए।

राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के प्रति चिन्ता व्यक्त की है। भारत में शताब्दियों से बहुत से धर्मों के लोग शांति पूर्वक रह रहे हैं। किसी को कोई चिन्ता नहीं थी पर अब साम्प्रदायिक गड़बड़ियों से पता चलता है कि उनमें से कोई चुपके से भारत को अस्थिर करना चाहता है। इन खतरों के बारे में हमें जागरुक रहना चाहिए और जैसा कि राष्ट्रपति ने हमें चेतावनी दी है, हमें यह देखने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए कि साम्प्रदायिक दंगे न फैलें और हम इस देश में अधिक मैत्रीपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें जहां धर्म का अधिक प्रभाव है। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन एक धर्म का दूसरे से कोई विरोधाभास नहीं है। हर नागरिक को यह पहलू ध्यान में रखना चाहिए।

महोदय, हम पिछले 30 सालों से जिन विभिन्न विकास कार्यों को लागू कर रहे हैं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिर, आत्म निर्भर और स्वतः उत्पादनशील हो गई है। हमारा कृषि उत्पादन बहुत बढ़ गया है। मुझे 1966 का वह दिन याद है जब देश में हर वस्तु की कमी थी। लेकिन अब हम फालतू खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं और रक्षित भंडार बना रहे हैं, ताकि देश के कुछ हिस्सों में अगर सूखा और तूफान आदि आएं तो हमारे पास फालतू खाद्यान्न हो। सरकार अब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके एक अंश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को मजदूरी के रूप में देना चाहती है। यह बहुत अच्छा विचार है। अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बन गई है और हम अपनी योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में समर्थ हैं। लेकिन हाल ही में हमारे संसाधनों में कुछ कमी आई है। इसलिए अपने संसाधनों को जुटाना सरकार का कर्त्तव्य है। सरकार को कीमतों में वृद्धि करनी होगी और यह बात हमें सरकार का समर्थन करने से रोक नहीं सकती। इस प्रकार के बन्द से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने संसाधन नहीं जुटायेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता और हम विकास के लिए आगे बढ़कर वापस नहीं लौट सकते। हम इस

गति को मंद नहीं कर सकते । अतः हमें इसे बढ़ाना होगा ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था और मजबूत बने और हम अपनी इच्छाओं तथा आशाओं को पूरा कर सकें । हम लाखों लोगों की आंखों से आंसूओं को पौंछ पाये हैं । अभी भी लाखों लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है । अतः इसमें समय लगेगा । इसलिए सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं उनमें गति लाना हमारा कर्त्तव्य है और सरकार ने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु करोड़ों रुपये का आबंटन किया है । कृषि उत्पादन केवल पंजाब और हरियाणा में ही बढ़ा है और वह भी केवल गेहूं व चावल का ।

परन्तु इसी अनुपात में अन्य राज्यों में जो परम्परागत रूप से चावल उत्पादन राज्य हैं, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है । अतः कुछ करना पड़ेगा । पंजाब और हरियाणा ही अपना उत्पादन दुगना और तिगुना करने में सफल हो सके जबकि अन्य राज्य ऐसा नहीं कर पाये हैं ? उन राज्यों में क्या परेशानी है ? इन दो राज्यों ने कौन-सी युक्ति प्रयुक्त की है ? अतः जब तक हम प्रत्येक राज्य का उत्पादन नहीं बढ़ाते तो बहुत मुश्किल होगी । एक समय आ सकता है जब उर्वरकों के प्रयोग के परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाये । ह्रासमान प्रतिलाभ नियम के सिद्धान्त की स्थिति आ सकती है और इसलिए अन्य राज्यों को भी आगे आना चाहिए । हमें फसल उगाने का तरीका बदलना होगा ताकि भूमि की उर्वरकता में कमी न आये । जल प्रबन्ध भी महत्वपूर्ण है । जल तथा उर्वरकों के प्रयोग में हमें विवेक का इस्तेमाल करना होगा । अन्यथा अन्धाधुन्ध उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरकता कम हो जायेगी और हो सकता है कुछ समय के पश्चात् भूमि से इतनी पैदावार न मिले जितनी मिलनी चाहिए ।

गरीबी दूर करने का कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा है । उन्हें क्रियान्वित करना होगा । जहां कहीं भी विकास के लिए उत्तरदायी अधिकारी तथा पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधि गम्भीर तथा कर्त्तव्यनिष्ठ थे वहां हमें सफलता मिली है । जहां ऐसे अधिकारी नहीं थे वहां पर कार्यक्रमों के परिणाम अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं । अतः यह देखना होगा कि इन कार्यक्रमों को ठीक तरह से, गम्भीरता के साथ तथा निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाये ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मध्याह्न भोजन काल नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मध्याह्न भोजन कर सकते हैं परन्तु सभा चलती रहेगी । हो सकता है कि कोई अवकाश न हो ।

श्री नारायण चौबे : आप संसदीय कार्य मंत्री से क्यों पूछते है ? वह हमेशा ही मध्याह्न भोजन के खिलाफ रहते हैं ।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मेरे विचार से, हमें भोजन अवकाश नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रधानमन्त्री को मध्याह्न पश्चात उत्तर देना है । उससे पहले कई सदस्य बोलना चाहेंगे ।

श्री नारायण चौबे : मध्याह्न भोजन अवकाश होना चाहिए ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपूर्ण राष्ट्र को निर्देश जारी किए हैं कि अगर आय मध्याह्न भोजन को छोड़ सकें तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, सदस्य मध्याह्न भोजन अवकाश न करने के लिए मुझसे सहमत होंगे।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आपने कुछ किया भी नहीं, हमको बोला भी नहीं।

श्री गुलाम नबी आजाद : जिस वक्त पूछा था, आप उस वक्त नहीं थे।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ राव : गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है और उन्हें जोश के साथ जारी रखा जाना चाहिए। सरकार ने औरतों तथा युवकों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये हैं।

मानव संसाधन विकास एक नया मंत्रालय बनाया गया है ताकि युवकों को अपना विकास करने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं और संपूर्ण देश के विकास में भी जिम्मेदारी उठाने के अवसर प्राप्त हों।

जब हमें आजादी मिली तब हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत खस्ता हालत में थी और वह एक दिशाहीन सफुद्री जहाज की तरह थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू की कल्पना और प्रतिभा के प्रयासों से हमने योजनाबद्ध आर्थिक विकास शुरू किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत, स्थिर तथा आत्म-निर्भर हो गयी है। वह आधुनिक भारत के महान् निर्माता थे। वह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित एक आधुनिक तथा प्रगतिशील भारत का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने नींव डाली। उस नींव पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। परन्तु इससे पहले कि वह कार्य पूरा करतीं वह हत्यारों की गोलियों का शिकार हो गयीं। अब जिम्मेदारी युवा प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी के कंधों पर डाली गयी है और वह विकास करके राष्ट्र को वांछित उद्देश्य तक ले जायेंगे।

अब, हमारी विदेश नीति को समय की कसौटी पर परखा गया है। हमारी गुटनिरपेक्ष नीति एक विश्व आन्दोलन बन गयी है और बहुत से देश इस आन्दोलन के सदस्य हैं। वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन के लिए भारत की तरफ देखते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि श्रीलंका तथा अन्य देशों हमारी सलाह लेते हैं। अब प्रधानमन्त्री एक विश्व राजनेता तथा विश्व नेता के रूप में उभर कर आए हैं और संपूर्ण विश्व में उनका आदर किया जाता है तथा राष्ट्र की महत्ता तथा राष्ट्र की प्रतिष्ठा इसके नेता की महत्ता पर निर्भर करती है। सौभाग्य से हमारे पास है और एक युवा नेता है जो विश्व को प्रभावित कर सकता है और विश्व मंच पर वह एक परिपक्व बुद्धिमान नेता के रूप में उभर कर आया है। हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा देश आगे बढ़ेगा और जिन उद्देश्यों के लिए हम वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें प्राप्त करेगा।

अतः यह गरीबी धीरे-धीरे समाप्त कर दी जायेगी। अब छठी योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 150 लाख लोगों को समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 160 लाख लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं। अब उन्होंने राशि का अधिक आबंटन किया है ताकि सातवीं योजना में अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके ताकि सातवीं योजना के अंत तक हम इन गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर उन्हें आर्थिक रूप से अच्छा जीवन जीने योग्य बना सकें तथा उन्हें यह एहसास करा सकें कि वे भी स्वतन्त्र भारत के नागरिक हैं और देश की आजादी का उनके लिए कुछ अर्थ है। वे भी एक स्वतन्त्र और आर्थिक रूप से सक्षम जीवन जीयें और उन्हें भी दिन में दो बार भोजन मिले तथा अपने को छिपाने के लिए एक झोंपड़ी मिल सके तथा समृद्धि की तरफ अग्रेसर हो सकें। धन्यवाद।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में हमारे राष्ट्रपति जी (व्यवधान) ने निश्चित ही यह दर्शाया है कि हमारे देश के समक्ष कुछ खतरे, जो बाहरी तथा आंतरिक दोनों ही रूप में, विद्यमान हैं। परन्तु जो मैं कहना चाहता हूं। वह यह है कि राष्ट्रपति जी ने वास्तव में खतरा कहां से है इसका उल्लेख नहीं किया है। तात्त्विक तथ्य यह है कि विश्व का सर्वोच्च लोकतन्त्र, अर्थात् संयुक्त राष्ट्र अमरीका, विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र अर्थात् भारत को समाप्त करने के लिए तत्पर है। यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका ही है जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, जो श्रीलंका में तमिलों की हत्या के लिए षडयन्त्र कर रहा है, जो भारत को लक्ष्य करके दियागो गर्सिया में अपने सैनिक अड्डे को मजबूत कर रहा है, जो भारतीय समुद्र को शांति क्षेत्र घोषित करने की बैठक करने की मनाही कर रहा है, जो भारत-विरोधी उग्रवादियों को अपने देश में शरण दे रहा है, जो भारत-विरोधी उपवादियों को भारतीय राजनैतिक नेताओं की हत्या करने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। हमारे राष्ट्रपति ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र अमरीका को इन बातों के लिए दोषी ठहराया है।

इस देश के भीतर, हमने उन्हीं शक्तियों को, पाकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका को देखा है जो पंजाब में राष्ट्र-विरोधी और विभाजनकारी शक्तियों को सहायता दे रहे हैं तथा देश में हिन्दू और मुसलमान दोनों के साम्प्रदायिक तत्वों को सहायता पहुंचा रहे है। हम देख रहे है कि पंजाब में क्या हो रहा है और राम जन्म मुक्ति मोर्चा के महान रथ के नाम पर संपूर्ण भारत में क्या हो रहा है, जिसके पीछे हम काश्मीर तथा जम्मू में जो हालत हुए वे भी देख रहे है।

ये बातें हमारे देश की स्वतन्त्रता को खतरे में डालती हैं। इसी प्रकार से नयी आर्थिक नीतियां जो हमारी नयी सरकार अपना रही है हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को खतरे में डाल रही हैं। सत्ता पक्ष में कई व्यक्ति तथा कई मित्र हैं जो सरकारी क्षेत्र के समर्थक रहे है और अभी भी हैं। परन्तु हम देख कर चिंतित हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नयी आर्थिक नीतियों में धीरे-धीरे सरकारी क्षेत्र को धीरे-धीरे, एक-एक करके उसमें कमी की जा रही है और अब वे प्रयत्न में हैं कि सरकारी क्षेत्र की पूर्णतया गैर-सरकारी क्षेत्र में बदल दिया जावे और यह सब विश्व बैंक तथा अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर किया जा रहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह बिल्कुल गलत है।

श्री नारायण चौबे : जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रश्न पर नौवें दशक में विचार किया

गया था तो यह कहा गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज अपने विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए लिया गया है ताकि हम विदेशी संसाधनों की वजह से जिन कठिनाइयों में फंसे हैं उनसे बाहर निकल सकें। परन्तु वास्तव में हम आज क्या देख रहे है ? यह कहा गया है कि हम वास्तव में विदेशी संसाधनों के मामलों में एक बहुत बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं। यही हमारी नयी सरकार द्वारा किया जा रहा है और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था को खतरा हो गया है और हमारी राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा को भी खतरा हो गया है।

संसद का सत्र शुरू होने से कुछ दिन पूर्व ही अचानक की गयी मूल्य वृद्धि—सरकारी कथन के अनुसार— वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे क्योंकि उनके पास अपनी अर्थ-व्यवस्था तथा योजना को चलाने के लिए पर्याप्त ससाधन नहीं हैं। क्या किया गया है ? यहां तक कि मिट्टी के तेल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करेगी कि मिट्टी का तेल ऐसी वस्तु नहीं है जिसका प्रयोग अमीर लोगों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग भारत के गांवों में गरीब से गरीब लोगों द्वारा किया जाता है। अतः सरकार ससाधनो के संकट से गुजर रही है ? आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। परन्तु यदि आप संसाधनों के संकट से गुजर रहे हैं तो बजट में गत वर्ष भारत के अमीर लोगों को 1000 करोड़ की इतनी बड़ी रियायतें देन के पीछे क्या कारण था। इसलिए मैं यहां पर सरकार से कहना चाहता हूं कि अमीर लोगों तथा बड़े घरानों को गत वर्ष के बजट में दी गयी सभी रियायतें तुरन्त वापिस ली जाएं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें परामर्श दिया है कि हम अपना निर्यात बढ़ायें और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमे अपन आयात को उदार बनाने की सलाह दी। हमने उनकी सलाह मानकर अपने आयात में ढील दे दी। उसकी वजह से हमारे उद्योग सकट से गुजर रहे हैं। उनमे से बहुत से तो बन्द हो रहे है। इसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। परन्तु जब हम निर्यात की तरफ नजर डालते हैं तो देखते है कि वे ही राष्ट्र जिन्होने हमें आयात में छूट देने के लिए कहा था अपने द्वारा बन्द कर रहे है। वह सभी ऐसे नियम-विनियम बनाते हैं जिनके द्वारा भारतीय वस्तुएं और उत्पाद उनके देश के अन्दर नहीं आ सकती हैं। मेरा मतलब अमेरिका, इंगलैंड और संघीय जर्मन गणराज्य से है। यह स्वाभाविक है कि हम आपसे इस बात का अनुरोध करें कि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीति से बाहर आ जाइये और आप आत्म-निर्भर बनिए।

आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरम्भ में हमारा स्वतन्त्रता संग्राम आत्म-निर्भरता के नारे से आरम्भ हुआ। आप जानते हैं कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय टगोर और सुरेन्द्र बेनर्जी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1921 में महात्मा गांधी ने आन्दोलन का नेतृत्व किया और उस समय हमने ब्रिटेन के वस्त्र और चीजें जलां डालीं और अपने उद्योगों की रक्षा की। उस समय टैगोर ने एक गीत लिखा :

"मायेर देओआ मोटा कपर माथाई तुले ने रे भाई"

अर्थात "ओ ! मेरे भाइयो, अपने सिर पर अपनी माता का बनाया हुआ मोटा कपड़ा रखो।" आजकल चमकीली विदेशी वस्तुओं की धुन सवार है जिससे मेरा देश तथा हमारे उद्योग नुकसान उठा रहे हैं।

अब जो औद्योगिक नीति अपनाई गई है वह मुख्यतः कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के

लिए है। आप केवल कुछ सामान इधर-उधर से—जापान, अमरीका, जर्मनी, ब्रिटेन से ला रहे है और इसे कच्चा माल कहते हैं। आप केवल एक पेचकश लेकर उसे कस देते हैं और इस पर लिख देते हैं कि "भारत में निर्मित" किन्तु, हर चीज जापान की, जर्मनी की, अमरीका की है किन्तु केवल मुहर "भारत में निर्मित" की है। अतः कृपा करके पुरानी नीति पर ही आ जाइये। यदि आप इस देश की रक्षा करना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों की आत्म-निर्भरता की नीति अपनाइये। पेच-कस प्रौद्योगिकी को छोड़िये। इस प्रकार की राजनीति से हम विश्व में कुछ मामलों में प्रथम हैं। हम अच्छी बातों में प्रथम नहीं हैं अपितु बुरी बातों में हम प्रथम हैं। हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या विश्व में सबसे अधिक संख्या है। यह है भारत। विश्व में सबसे अधिक अशिक्षित लोग—भारत में हैं। बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या—भारत में है। कारखानों में हड़ताल और तालाबन्दी की सबसे अधिक संख्या भारत में है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या भारत में है। हम अपराध तथा भ्रष्टाचार में प्रथम हैं। ...

उपाध्यक्ष महोदय : अधिक जनसंख्या।

श्री नारायण चौबे : क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? आपकी नीति से हमारी यह स्थिति हुई है...

एक माननीय सदस्य : आप जनसंख्या की बात क्यों नहीं करते?

श्री नारायण चौबे : क्या भारत में सर्वाधिक निरक्षरता के समर्थन में केवल यही तर्क दिया जा सकता है? वास्तव में यह बहुत बुरा है। यह 60 प्रतिशत से अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अधिक समय तक बोलने में भी हम प्रथम हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान दे।

अब हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर उन्नीसवीं शताब्दी में सती प्रथा की बुराई के विरुद्ध बोले थे। विधवाओं को 18वीं और 19वीं शताब्दी में उनके मृत पतियों के संग जलाया जाता था। राजा राम मोहन राय लार्ड बेन्टिंग की सहायता से आगे बढ़े और इस प्रथा को समाप्त किया। उन दिनों हिन्दुओं में विधवा-विवाह की प्रथा नहीं थी। ईश्वर चन्द विद्यासागर ने हिन्दुओं की इच्छा के विरुद्ध विधवाओं के पुनः विवाह की प्रथा आरम्भ की। किन्तु, अब 20वीं शताब्दी के अन्त में जब हम इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं हमारे प्रधान मंत्री द्वारा, जो इक्कीसवीं शताब्दी में जाने के उत्सुक हैं एक कानून लाया जा रहा है जिसके अनुसार तलाक-शुदा मुसलमान महिलाओं को न्यायालय में सहायता प्राप्त करने से वंचित करता है। यदि हम इस प्रकार काम करते रहे, तो हम सभी प्रकार के रूढिवाद, मुल्लाओं, पादरियों और पण्डितों के समेत दसवीं शताब्दी में चले जाएंगे—इक्कीसवीं में नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात की ओर ध्यान दे।

विश्व में हमारा सबसे बड़ा लोक तन्त्र है और हम सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार

देते हैं। यह सच है। यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के कथित हत्यारे भी अदालत में जाकर मुकदमे की मांग कर सकते हैं। निम्न न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें फांसी दी जानी थी और अब उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई है। यह अच्छी बात है। किन्तु, अनुच्छेद 311 (2) (ख) और (ग) के अन्तर्गत लाखों सरकारी कर्मचारी न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना किसी कारण के नौकरी से हटाया जा सकता है और सरकारी कर्मचारी को निवारण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारा विशाल लोकतन्त्र हमारे कर्मचारियों को यही कुछ दे रहा है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि दो राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों, "ब्रिज एण्ड रूफ" और "एन० बी० सी० सी०" के कर्मचारियों ने मजदूर संघ बनाए और उन्हें तुरन्त नौकरी से निकाल दिया गया। वह गत सात-आठ महीने से बोट क्लब में बैठे हुए हैं और फिर भी सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने केवल यह अपराध किया था कि उन्होंने संघ की स्थापना की थी। उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने एक संघ बनाया और मांग-पत्र प्रस्तुत किया। दूसरे ही दिन उन्हें बरखास्त किया गया। यही हमारे देश के परिश्रमी लोगों को हमारे विशाल लोकतन्त्र से मिल रहा है।

जिस ढंग से हम चल रहे हैं वह देश के लिए और विशेषकर मजदूरों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सब विकास के पूंजीवादी ढंग के कारण है जो हमारी सरकार सख्ती से अपना रही है। सरकार समाजवाद की बात करती है, किन्तु, मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार का समाजवाद है। समाजवाद आयुर्विज्ञान अथवा जीव-विज्ञान की भांति एक विज्ञान है। इस शब्द का केवल एक अर्थ है। कोई भारतीय आयुर्विज्ञान अथवा ब्रिटिश आयुर्विज्ञान नहीं है। कोई भारतीय इलेक्ट्रानिकी अथवा ब्रिटिश इलेक्ट्रानिकी नहीं है। आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान है और इलेक्ट्रानिकी, इलेक्ट्रानिकी है। इसी प्रकार समाजवाद का केवल एक ही अर्थ है। (व्यवधान) समाजवाद विज्ञान है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय समाजवाद अलग है, रूसी समाजवाद कुछ और है और चीन का समाजवाद अलग है। समाजवाद का अर्थ उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण। किन्तु हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहां तक कि हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैरसरकारी पार्टियों को दिए जा रहे हैं।

फिर भी, एक आशा है। कृपया फरवरी 1986 की ओर ध्यान दीजिए। आशा तो जनता और उनके संघर्ष में है। हिन्दी में एक मुहावरा है :

[हिन्दी]

देर है अंधेर नहीं है।

[अनुवाद]

इसमें देर हो सकती है, किन्तु होगा अवश्य। स्वयं सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता मूल्यों में वृद्धि पर बहुत चिन्तित हैं और वह इसका विरोध कर रहे हैं। यह अच्छा लक्षण है। हमारे श्री कमलापति त्रिपाठी मूल्य वृद्धि के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस-इ का एक-एक अध्यक्ष है : वे सभी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने 10 फरवरी को दिल्ली बंद और इस महीने की 11 तारीख को पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा बंद देखा। हमने देश में 20 फरवरी को

जब संसद का अधिवेशन आरम्भ हुआ विशाल प्रदर्शन देखे। हमने 26 को भारत बन्द देखा और 26 को राज्य सरकार के 60 हजार कर्मचारियों को हड़ताल पर देखा। गत दस सालों में एक ही महीने इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई।

श्री बिपिन पाल दास : इस कारण से भी मूल्यों में वृद्धि हुई।

श्री नारायण चौबे : वे जिम्मेदार नहीं हैं। आप उनकी लड़ाई के जिम्मेदार हैं।

श्री बिपिन पाल दास : यदि आप इन सब बातों को रोक दें, तो इससे सुधार हो जायेगा।

श्री नारायण चौबे : इस महीने के आरम्भ में मूल्य-वृद्धि का क्या कारण था जब कोई हड़ताल नहीं हुई ? इसका क्या कारण था कि आपने यूं ही संसद अधिवेशन से पूर्व मूल्य बढ़ा दिए ? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। (व्यवधान) उसके पास कोई दलील नहीं है। उन्हें वही कहना है जो उनका स्वामी उनसे कहलवाता है।

श्री बिपिन पाल दास : मुझे खेद है। मैं इस टिप्पणी पर आपत्ति करता हूं। मेरी अपनी राय है, अपने विचार हैं और अपना मत है।

श्री नारायण चौबे : आपके विचार हमारे मित्र श्री आरिफ ने पूरी तरह स्पष्ट किए हैं आपने देखा है कि इनकी स्थिति अब क्या है।

श्री राजेश पाइलट : यह उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है।

श्री नारायण चौबे : हां, उनके अपने विचार हैं आपके नहीं।

मैं इस बात का अनुरोध करता हूं कि अभी आशा की एक किरण है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार नीति बदलने के लिए मजबूर हो जायेगी। मैं सरकार से कहता हूं कि उनका बजट कल आ रहा है। आप यह सुनिश्चित कीजिए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकार वाले घरानों को जो रियायतें आपने दी हैं वह वापस ली जाए। और यह भी सुनिश्चित कीजिए कि आप विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आयोग पर काम करना बन्द कर दें। और यह भी सुनिश्चित कीजिए कि आप उनसे परामर्श लेना बन्द कर दें और अर्थ व्यवस्था को आत्म निर्भरता के पथ पर लाए, आत्म-निर्भरता और आत्म विकास के उचित मार्ग पर लाएं। यही एक समाधान है। नही तो जनता आपको देख लेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान एक प्राण-वान दस्तावेज है। यह एक ऐसा अस्त्र है, जिससे हम अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं। कसौटी इस बात की है कि क्या हम अपने संविधान के प्रति, जो हम कटिबद्ध हैं, उसके अनुसार हम कहां तक पहुंच गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या आज भी देश में दो तरह की शिक्षा चलेगी। क्या हम यह

बर्दाश्त कर पायेंगे कि एक बच्चा विद्या पाने वाला कलैक्टर या डिप्टी कमिश्नर बन जाए और एक बच्चा चपरासी या क्लर्क ही बन पाए। जबकि हमारा लोकतन्त्र युवावस्था में पहुंच गया है, हमारे देश की सरकार ने आज भी वेतन नीति नहीं बनाई है। क्या यह बात सही है कि एक सा काम करने वाले व्यक्ति, एक समय काम करने वाले लोग अलग-अगल वेतन पाते हैं ? बैंक में काम करने वाला बाबू या दूसरी तरह काम करने वाले बाबू, दोनों की तनख्वाहों में अन्तर है। एल० आई० सी० में काम करने वाले चपरासी या ड्राइवर की तनख्वाहों में फर्क है। मैं कहना चाहता हूं कि हम आज तक एक वेतन नीति नहीं बना सके हैं। देश के अन्दर हमने इरादा किया था कि हम इस आर्थिक विषमता को घटायेंगे, एक तरफ धन का अम्बार नहीं होगा और दूसरी तरफ गरीबी नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं क्या हमने इस बारे में निर्णय कर लिया है ? आगे आने वाला समय क्या यह नहीं बतला रहा है कि यदि हमने इस विषमता को नहीं घटाया तो एक दिन क्रान्ति हो सकती है एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या हमने इसको दूर करने का प्रयत्न किया है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश में देख रहा हूं, वह यह है कि हमने हिन्दी को अपनी राष्ट्र भाषा मान लिया है लेकिन हम इस दिशा में कहां तक पहुंचे हैं। भाषा के बारे में विद्वान लेखक ने लिखा है कि जो राष्ट्र अपनी भाषा नहीं रखता है, वह गूंगा देश है। हम दूसरी भाषा में बात करने में अपना गौरव समझते हैं और यह अनुभव करते हैं कि हम एक अच्छी भाषा बोल रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जब तेमीलियन्स आपस में मिलते हैं, तो वे तमिल में बात करते हैं, मल्यालम भाषा के लोग जब आपस में मिलते हैं, तो अपनी भाषा में बोलते हैं। इससे आत्मीयता की भावना जागती है लेकिन अपनी भाषा को छोड़ कर कुछ लोग दूसरी भाषा को अपना रहे हैं, इसलिए एक विद्वान लेखक ने कहा है; "हमने राष्ट्रीयता तो प्राप्त कर ली है, हमने एक राष्ट्रीय पताका भी अपनाली है, परन्तु हम देश के लिए एक सम्पर्क भाषा, संघ की राजभाषा अपनाने के अपने अभिलक्षित लक्ष्य पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं।,,यह एक बहुत बड़ा सवाल है। देश को एक रखने के लिए आज राष्ट्र के अन्दर एक भाषा होनी चाहिए लेकिन हम अभी तक एक भाषा नहीं बना सके हैं आप यह देखें कि हमारे संविधान का हिन्दी में अनुवाद कितने सालों के बाद हुआ है। हमारे जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनका ज्यादा समय ज्ञान प्राप्ति में नहीं लगता है बल्कि एक विदेशी भाषा के सीखने में और उस पर कमांड हासिल करने में ज्यादा समय लगता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मल्यालम जानने वाले लोग और मि० चार्ल्स, जब आपस में बात करते हैं, तो अपनी भाषा में बात करते हैं और जो भाषा का सवाल है, यह बहुत बड़ा सवाल है। हमने निर्णय लिया है और संविधान के अन्तर्गत कानून बन चुका है लेकिन फिर भी हम अपनी भाषा में बात करना पसन्द नहीं करते और हम दूसरी भाषा में बोलना ठीक समझते है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

आज हमने बहुत कुछ कर लिया है और मैं यह नहीं कहता कि हमने कुछ नहीं किया है लेकिन आप आंकड़ों को देखें। 1951 में जो हमारा प्रशासनिक खर्चा था, वह 914 करोड़ रुपये था। इसमें और खर्चा शामिल है लेकिन आज वह खर्चा बढ़कर 68,916 करोड़ रुपये हो गया है।

[अनुवाद]

"कुल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में सरकार ने 1951 में 9.6 प्रतिशत का दावा किया जो

1984-85 में बढ़कर 31.8 प्रतिशत हो गया है।"

[हिन्दी]

इस तरह से हम लोगों ने अपना खर्चा कितना बढ़ा दिया है और बढ़ाते बढ़ाते उसका क्या परिणाम निकला है :

[अनुवाद]

अब मैं फाइनेन्शल ऐक्सप्रेस से उद्धरण देता हूं और इसका शीर्षक है "सरकारी व्यय", "केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों को मिलाकर दस वर्ष की अवधि मे अर्थात् 1974-75 से 1984-85 तक कुल व्यय में पांच गुना वृद्धि हुई है जबकि वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में तीन गुना से भी कम वृद्धि हुई है।

]हिन्दी]

हमारी आमदनी कम और खर्चा बेतहाशा बढ़ रहा है। यह हमारी हालत है लेकिन हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। अब गवर्नमेंट ने इस बारे में निर्णय लिया है और इससे 8 अरब रुपया खर्च कम हुआ। वित्त मंत्री जी ने यह कदम उठाया। हमारा कहना यह है कि इस तरह का खर्चा और कम करो। आज गाड़ियों में बड़े-बड़े अफसर सैर-सपाटे करते हैं। क्या आज तक कभी यह सोचा गया कि कितने पांच तारे होटल हैं और उसमें जो खर्च होता है, तो "मिसलेनियस" खर्च लिख दिया जाता है। आज आप यह देखें कि एक आफिस में दो-दो लाख, पचास-पचास हजार और सत्तर-सत्तर हजार रुपये का फर्नीचर है। इसके लिए स्ट्रांग विल की आवश्यकता है। क्या यह गरीब और बढ़ते हुए भारत की तस्वीर है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? आप लोग समझ रहे हैं कि खर्चा कम हो गया है, वैसे 8 अरब रुपया खर्चा कम हो गया? सारा पैसा अफसरों के सैर-सपाटे में खर्च होता है, खर्चा कम कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

अगर कोई चाहे सादगी से रहना तो रह सकता है। गांधीजी ने कैसे सादगी में काम किया, राजगोपालाचारी गवर्नर थे, उनका खर्चा क्या था। खर्चा कम करने का हमारा इरादा होना चाहिए उसके बिना हम कैसे खर्चा कम कर सकते हैं। यह कोई हमारे कहने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट मांग रहे हैं, तो क्या बैलगाड़ी मांगेंगे।

[अनुवाद]

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट): जनता की मांग बढ़ती जा रही है। उन्हें वहां एक हवाई अड्डा चाहिए। खैर उन दिनों यह वहां पर नहीं था।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : युवा मन्त्री हैं और इस तरह से साइट-ट्रैक कर रहे हैं, कितना माकूल

जवाब दिया है, यह आपकी बात लिखी गई है जो आपने कहा है। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं कि खर्चा कम करना चाहिए, भारत के प्रधान मंत्री जो आज हैं वे कह रहे हैं कि प्रशासनिक खर्चा, जो वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है, वह कम होना चाहिए। (व्यवधान)

आपके कमरे की सजावट चार लाख में होनी चाहिए, एक बैंक आफिसर के कमरे की सजावट तीन लाख में होनी चाहिए, उनका आफिस 5 सितारा होटल में होना चाहिए, इसके बारे में कहिए। आपने तो 400 करोड़ का घाटा डाल दिया डी० टी० सी० में। (व्यवधान)

जहां भी वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है उसका करटेल करना होगा। अगर आप इसके लिए सख्त कदम नहीं उठा सकते तो यह कमजोरी है, इसके बगैर आपका खर्चा कम नहीं हो सकता। जब इनकम से ज्यादा खर्चा है तो कैसे काम हो सकता है। आपकी आमदनी घटती जा रही है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि उनके कर्मचारी 8 घंटे के समय में कितने घण्टे काम करते हैं, कभी आपने इसका मूल्यांकन करवाया है। 8 घण्टे में 2 घण्टे भी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम नहीं करते हैं और तनख्वाहें बराबर लेते हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, आप सोचिए कि कितना समय जनता के कामों के लिए देते हैं, इसके बारे में सोचना होगा, अन्दर झांकना होगा। यह देश का सवाल है, क्रिटिसिज्म का सवाल नहीं है। जजेज को दो महीने के लिए छुट्टी दे दी जाती है, अंग्रेजों के राज में अंग्रेज शिमला में चले जाते थे समर वेशन पर लेकिन यहां मुकदमों का ढेर लगा हुआ है अदालतों में, लोग न्याय मांग रहे हैं और जजेज दो महीने के समर वेकेशन पर जाएंगे। क्या आप यहां अंग्रेजों का रिवाज चलाएंगे? सरकारी कार्यालयों में दो दिन का अवकाश कर दिया गया, उसका परिणाम आप बताइए कि 5 दिन का सप्ताह करने के बाद आपने क्या इसका मूल्यांकन किया, लोगों में कितनी तरक्की हो गई या काम करने की क्षमता कितनी बढ़ गई, मेहरबानी करके बताइए। उत्तर देते समय यह बताइए कि हमने यह काम कर लिया है। इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनमें हमें अपना खर्चा कम करना होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को करटेल करना होगा। देश के लिए जो सबसे बड़ा अभिशाप है, वह है भ्रष्टाचार। ···(व्यवधान) गल्ती को गल्ती मानना इंसान का काम है और गल्ती का समर्थन करना शैतान का काम है। देश में भ्रष्टाचार है, यह अभिशाप है। इसने देश को काट खाया है। मैंने बम्बई के बारे में एक पेपर में फाइव स्टार फैसीलिटीज के बारे में पढ़ा था।

[अनुवाद]

> "बम्बई के जेलों में पांच तारा सुविधाएं (फाइव स्टार फैसीलिटीज) इन कोठरियों में रहने वाले अपने न्यायालय स्थापित करते हैं, अपराधियों को बुलाते हैं और उन्हें इनाम और दण्ड देते हैं।"

व्यावहारिक तौर पर उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है यहां तक कि उनके महिला मित्र भी उनके पास अक्सर आती हैं और जब तक उनकी इच्छा होती है उनके पास रहती हैं।

मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही ठीक है, कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान में रेड-क्रास को आप 35 लाख रुपये देते हैं। सन् 74 से उसका अकाउन्ट आडिट नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण, इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ पाता और हमारी योजनाएं सफल नहीं होती। एक बात जरूर है कि फाइलें भूखी नहीं रहती, उनका पेट भर जाता है, वे मोटी हो जाती हैं लेकिन आदमी दुबला हो जाता है। सरकारी कर्मचारी बराबर फाईल का पेट भर देता है। इस देश में क्या खूबी है कि फाईलें मोटी होती जाती हैं और आदमी छोटा होता जाता है। अगर हमने रेड-टेपिज्म को और करप्शन को नहीं मिटाया तो जो हमारी तरक्की का सुनहरा सपना है, वह समाप्त हो जायेगा। परसों के पेपर में एक आर्टिकल आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम के बारे में, छपा था। उसको पढ़कर आप निर्णय करेंगे कि इसका पैसा कहां जाता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए यदि आप और समय लेंगे तो बैठक देर तक चलेगी और इससे अधिक खर्चा होगा।

श्री बिरिन पाल दास : यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, डागाजी कि आप और लोगों का समय ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : एक आर्टिकल निकला है कि करप्शन और भी माडरेनाइजर कर दिया है। उन्होंने यह कहा है कि करप्शन कैसा है। पहले अन्डर दी टेबुल लेते थे, अब ओवर दी टेबुल लेते हैं। सवाल यह है कि बड़े-बड़े लोगों ने शपथ ली है लेकिन क्या आप इकोनामिक डिसपेरिटी कम कर सके हैं। देश में कुछ घरानों में तो धन बहुत है और बहुत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, इसका क्या कारण है। क्या हमारी लिबरल पालिसी है या क्या हमारी गलत नितियां हैं। कुछ लोग सारी पूंजी का लाभ उठातें हैं। और कुछ लोग आंसू बहायेंगे। श्रीमान् यह भी विचारणीय विषय है। इसलिए अगर हमें देश को बचाना है तो हमें एक वेज-पोलिसी बनानी होगी, हमें भ्रष्टाचार को मिटाना होगा और कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पायेगा और हमने अपने सामने जो लक्ष्य रखे हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पायेंगे, मेरा यही निवेदन है।

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस सदन में जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसकी पुरजोर ताईद करता हूं। राष्ट्रपति जी ने मुल्क की दुश्मन ताकतों से मुकाबला करने के लिए, सियासी जमातों से अवाम से जो अपील की है, मैं उसकी भी ताईद करता हूं। आज मुल्क में जो हालात हैं, फिरकापरस्ती, तशद्दुद, हिंसा और टैररिज्म के नाम से कुछ ताकतें हमारी एकता, नेशनल इंटीग्रेशन को धक्का पहुंचाने और देश के टुकड़े टुकड़े करने पर तुला हुई हैं। ऐसे मौके पर अपोजीशन पार्टियों ने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के वक्त जो बायकाट किया, मैं उसे मुनासिब नहीं समझता क्योंकि अगर कीमतों में इजाफे के

कारण यदि उनको गुस्सा हुआ है तो उस गुस्से को, उस नाराजगी को इजहार करने के उनके पास कई मौके थे, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर भी, अवसर थे। उन्होंने राष्ट्रपति जी से, एक दिन पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हमारे मुल्क की तरक्की को देखकर दुनिया की कई ताकतें हमसे खुश नहीं हैं और वे तरह-तरह से हमारी तरक्की में रोड़े अटकाना चाहती है। ऐसी कुव्वतों को डैमोक्रेसी और जम्हूरियत पर विश्वास नहीं है। ऐसी कुछ कुव्वतें हमारे देश में मौजूद हैं और वे हमारे देश की तरक्की और जगत में, दुनिया में, भारत के फैलते हुए नाम को, बर्दाश्त नही कर पा रही हैं। वे तमाम ताकतें हमारे विकास के कामों में रोड़ा अटकाने में लगी हुई हैं।

सियासी पार्टियों में अक्सर इक्तलाफ होता है, चाहे वह इकानामिक पौलिसीज में हो या किसी दूसरे मामले में। लेकिन जब देश की एकता का सवाल आये तो हमें उन इक्तलाफात को छोड़ कर देश के दुश्मनों से, देश की एकता और अखण्डता को नुकसान पहुचाने वाली ताकतों से मुत्तहदा लड़ने की जरुरत है और उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारी अपोजीशन पार्टियां राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का बायकाट नहीं करती तो हमें देश के हालात ठीक करने में काफी मदद मिलती।

मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम आइन्दा ऐसी बातें न होने दें और देश की दुश्मन शक्तियों का डटकर मुकाबला करने में तमाम लोग मिलकर, सरकार का साथ दें।

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमारी हकूमत ने गुजिश्ता साल में अवाम से जो वायदे किए थे, आपने देखा होगा कि उन्हें हमारी पार्टी ने कैसे पूरा किया, हालांकि देश में कई तरह की कठिनाइयां थीं। पंजाब का एकार्ड होने के बाद भी, उसको इम्पलीमैंट करन में हमारे सामने कितने मुश्किलात आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हिम्मत के साथ उसे आगे ले जा रहे हैं, अमल कर रहे हैं। उन्होंने पजाब और आसाम मे इलैक्शन्स कराये और इन राज्यों के अवाम ने अपनी पसन्द की हकूमत को चुन लिया। अब उन हकूमतों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। चाहे पजाब गवर्नमैंट हो अथवा आसाम गवर्नमैंट हो, अब उन्हें अवाम ने चुनकर सत्ता में लाया है अब वे कदम-कदम पर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को दोष न दें। हमें मालूम है कि कई राज्य सरकारें हमारे प्रोग्राम्स को इम्पलीमैंट करने में ईमादारी से काम नहीं कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब यही है जिस तरीके से टैरसिस्टों का एटीट्यूड बना हुआ है, वह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। वह और सारे देश को बरबादी की ओर ले जाना चाहते हैं

हमारे देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इलेक्टेड होने के बाद एक जिम्मेदार गवर्नमेंट का इस नम्र रवेय्ये को लेना बहुत दुख की बात है। डेमोक्रेसी में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार का यह फर्ज है कि वह अमन कायम करे और टेररिज्म कंट्रोल को अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया की यह जिम्मेदारी है कि उस अवार्ड को अमल में लाते हुए, अमन को कायम करने में, डेमोक्रेसी को कायम क ने में जो टैरेरिस्ट हैं, उनको खत्म करने में, उनको कुचलने में कोई हटकर सोचने की बात नहीं है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। इस काम में भारत के लोग पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। खासकर ये जो मजहब के नाम से और कम्युनल के नाम से जो लोग देश में अशान्ति पैदा करना

चाह रहे हैं, ऐसे सब्जों की कमर तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें अगर अपोजीशन पार्टियां साथ न दें, तो इन शक्तियों को कन्ट्रोल करने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए उनको हुकूमत को सहायता देनी चाहिए जिससे हम ऐसी टैररिस्ट ताकतों का मुकाबला कर सकें।

समाज में, आवाम में, समाजसेवक चाहे किसी पार्टी का भी हो; वह किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सब शान्ति प्रिय लोग यही चाहते हैं कि भारत में अमन हो, शान्ति हो और भारत की एकता कायम रहे और इसके लिए देश के सब लोग हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार है। मैं गुजारिश करता हूं कि गवर्नमैंट को देश में अमन कायम करने के लिए इन टैरिस्टों को जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कुचलने में थोड़ासा भी सबर के साथ काम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अटल के साथ, यानी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यह होकर रहेगा इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सेवंथ प्लान का जो मैन मकसद है वह गरीबी रेखा से, दरिद्र रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने और अनएम्पलॉयमेंट को दूर करने और इस प्लान के अन्दर जो भी हमारे मकसद हैं, उनको प्राप्त करने में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, हमें रुकने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और रिसोर्सेस के बारे में भी सेवंथ प्लान में टारगेट हर साल का रखा है कि इतना हमें प्राप्त करना है, उसके प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसके साथ-साथ अगर हमें उसको प्राप्त करने में कुछ टैक्स भी डालने पड़े, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आवाम देश की तरक्की के लिए टैक्स भी देने को तैयार है यदि यह उनके कल्याण पर खर्च हो।

गरीबी रेखा, दरिद्री रेखा से ऊपर लाने के लिए गरीब लोगों के लिए काफी काम सिक्स्थ प्लान में हुआ और हमारे जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए भी तमाम काम सिक्स्थ प्लान में हुआ, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं पहुचा। इसके कारण आज हालत यह हो गई है कि सिक्स्थ प्लान में हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आज गरीब वहीं है, वह दरिद्री रेखा से ऊपर उठ नहीं पाया है। इसका कारण यह है कि जो पैसा खर्च हुआ वह बैनिफिश्यरीज तक पहुंच नहीं पाया है, उनके हाथों में नहीं पहुंच पाता है, लीकेज हो रहा है। इसलिए जब तक हम इस लीकेज को नहीं रोकेंगे तब तक प्लान में एलोकेशन करने का कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कमिटेड लोग नहीं हैं, वे कम होते जा रहे हैं। सियासी पार्टियों में भी यही हो रहा है। हर पार्टी की यही हालत है। मैंने देहातों में जाकर देखा है। जहां अपोजीशन की गवर्नमेंट भी है, वहां भी काम ठीक नहीं चल रहा है। पोलिटिकल वर्कर्स कमिटेड नहीं हैं जिसके कारण बैनिफिश्यरीज को बेनिफिड नहीं हो पा रहा है और न ही इस बुराई के खिलाफ माहौल बना पा रहे हैं। अगर हमारे समाज में इस तरह के कमिटेड लोग नहीं होंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा और देश को आगे ले जाने में दिक्कतें आएंगी। यही बात हमारे प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस सेंटेनरी में साफ-साफ कही थी और जो आजकल पोलिटिकल हालत है, वे बातें हैं। इस कमी को दूर करने के लिए अपनी पार्टी में भी कुछ मकसद रखे हैं। यह केवल उद्देश्य रखने से नहीं होगा, इसको इम्पलीसैंट करना है। कमिटेड लोगों को, पार्टी में हो या और किसी तरह से हो, हमको आगे इनको एनकरेज करने से ही यह होगा। जब तक हम यह नहीं करेंगे, देहात की हालत बहुत बुरी है।

मैं जिस कांस्टीट्युएन्सी से आता हूं वहां किसान मजदूर और वीवर की हालत बुरी है। आज जो टैक्सटाइल पालिसी हमारे पास है, क्या वजह है कि उसमें वीवर्स को काम नहीं मिल रहा है? पहले एग्रीकल्चर लेबर से बेहतर थी, लेकिन आज हालत यह है कि वह एग्रीकल्चर लेबर्स से भी बदतर होते जा रहे हैं। पहले लोग कमाई रोजी के लिए जाते थे, लेकिन वहां से वह निकाले जा रहे हैं। वे कहां जायें? मेरी कांस्टीट्युएन्सी की ही बात नहीं है, आप दूसरे सूबों में भी देखिए, आज वीवर के लिए, जो कि नार्मल जुलाहे का काम करता है, उसके लिए भी काम नहीं है। आज वह हजबैंड-वाइफ मिलकर काम करने के बाद भी 10, 11 रुपये से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। आप मास्टर वीवर को छोड़िये, आज सामान्य वीवर मार खा रहा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने रखा है कि जनता वस्त्र स्कीम में कपड़ा सामान्य जुलाहों को देना चाहिए, कहां दिया जा रहा है? उससे फायदा नहीं हो रहा है।

ईवन आन्ध्रप्रदेश में मास्टर वीवर को ही नहीं, गुजिश्ता साल में दूसरे स्टेट्स से भी उन्होंने बाहर से कपड़ा मंगाया, तो यहां के लोगों को काम नहीं मिल सकता है।

मेरे एक बुजुर्ग दोस्त ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा को वेस्टेज कम करो। खर्चा कम नहीं करें तो क्या करें? मैं इसीलिये कहना चाहता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नौजवान मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है अभी यह अवाम बिल्कुल आपके साथ है, आप जितना भी टैक्स चाहें, डालिए, मगर वह जो पैसा आ रहा है, उसमें जो लीकेज कर रहे हैं, उनको हमको रोकना चाहिए। वह पैसा गरीबी हटाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैंडीचर को कम नहीं करेंगे जब तक हम सैवन्थ प्लान के मकसद को पूरा नहीं करते हैं।

आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० भण्डारी (सिक्किम) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए, मैं सदन का ध्यान सिक्किम राज्य, जो कि देशका सबसे नया राज्य है, की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगी। यद्यपि 10 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम एक पूर्ण राज्य बन चुका था फिर भी इसको उससे कहीं कधिक ध्यान और देखभाल की जरूरत है जितनी कि इस समय इसे दी जा रही है ताकि यह शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

इस अवसर पर मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सिक्किम को उदारतापूर्वक केन्द्रीय सहायता दी है। साथ ही मैं केन्द्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि चूंकि हम पिछले नियोजित विकास के लाभों से वंचित रह गये थे अतः प्रगति करने के जिस अवसर को हमने खो दिया उसे पूरा करने के लिये राज्य को विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। साथ ही हमारी कुछ विकट समस्याएँ भी हैं जिनके विषय में हमने माननीय प्रधानमन्त्री को तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों को भी बता दिया है, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल कर लिया जायेगा और इससे सिक्किम के लोगों को तीव्र गति से राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी।

सिक्किम मुख्यतः एक कृषि-प्रधान राज्य है और इसके विकास हेतु ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुधार में जोर देना होगा जिसमें केवल कृषि, बागवानी, पशुपालन, लघु सिंचाई ही सम्मिलित नहीं हैं बल्कि ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक विद्यालयों, चिकित्सा सुविधा के विस्तार तथा जल आपूर्ति योजनाओं को भी शामिल करना होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कुल जन संख्या का 86 प्रतिशत अपने निर्वाह के लिए इस पर आश्रित है अतः सिक्किम में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग से और वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग द्वारा विशेषकर धान, मक्का, गेहूं तथा अन्य मौसमी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की काफी साधन क्षमता है। सिक्किम की शेष देश से विशिष्ट जलवायु का उपयोग किये जाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए बागान फसलें जैसे बड़ी इलायची, औषधीय जड़ी-बूटियों, आलू आदि के बीजों उत्पादन के अतिरिक्त बागबानी, फूलों की खेती का विकास तथा उत्तम श्रेणी के फूलों का तथा सब्जियों के बीजों के उत्पादन की जो साधन क्षमताएं हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

1.56 म० प०

श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए

ये कृषि उत्पाद, जो कि थोड़ी मात्रा में भी अच्छी कीमत देते हैं, आर्थिक विकास में भी मदद करेंगे। राज्य में चल रही विभिन्न भू-संरक्षण योजनाओं के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये, 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर उनको नहीं चलाया जाना चाहिये, क्योंकि स्पष्ट है कि भूमि का अच्छा इस्तेमाल पूरे क्षेत्र को ही लाभ पहुंचाता है केवल राज्य को ही नहीं।

सिक्किम के पूरे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि योजना और आर्थिक विकास की प्रक्रियाएं वहां हाल ही में प्रारम्भ की गई हैं। अतः इन परिस्थितियों में केन्द्र को सिक्किम में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भौगोलिक कठिनाइयों के कारण तथा रेलवे स्टेशन से बहुत दूर होने के कारण और कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण उद्योगपति सिक्किम में कोई उद्योग लगाने के इच्छुक नहीं हैं। विभिन्न विद्यालयों तथा महा-विद्यालयों में लगभग 80,000 छात्र पढ़ रहे है जो अध्ययन पूर्ण होने के बाद रोजगार की मांग करेंगे। यदि उद्यमियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो राज्य में औद्योगिक विकास कैसे सम्भव हो सकता है?

प्रकृति ने राज्य में बहुत अधिक जल-विद्युत उत्पादन क्षमता दी है और राज्य से बहने वाली मुख्य नदियों तीस्ता और पोंगित से बहुत बड़ी संख्या में दरियायें निकलती हैं। एक अनन्तिम सर्वेक्षण से पहले पता चला था कि यद्यपि राज्य में जल-विद्युत क्षमता, मानसून के दौरान 8000 मेगावाट से अधिक तथा कम वर्षों के दौरान 3000 मेगावाट है लेकिन इस बहुत संसाधन का दोहन करने के लिए कोई बड़ा प्रयत्न नहीं किया गया है। सातवीं योजना के अन्त तक स्थापित क्षमता 20.26 मेगावाट तक हो सकती है। राज्य योजना आबंटन में समाहित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के संसाधनों का अच्छा उपयोग कर रहा है। चूंकि कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की गुंजाइश बहुत कम है अतः राज्य पर इतना अधिक ऋण का भार नहीं डालना चाहिए।

आन्तरिक हिमालय में स्थित होने के कारण सिक्किम पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर करता है। राज्य में रेल तथा वायु सेवाएं नहीं हैं हालांकि इस बात की सम्भावना है कि सातवीं योजना अवधि के प्रारम्भिक भाग में गंगटोक को वायु सेवा से जोड़े जाने की सम्भावना है। हालांकि सिलीगुड़ी से गंगतोक तक 114 किमी० के राज मार्ग की ठीक ढंग से देखभाल की जाती है फिर भी बहुत से भू-स्खलन वाले क्षेत्र हैं जिन पर इस समय जितना दिया जा रहा है उससे कहीं बेहतर और शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सदन का इस ओर ध्यान खींचना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में तीस्ता के निकट लिखुभीर में एक अकेपा स्थान ही पिछले तीन वर्ष से प्रत्येक मानसून के दौरान संचार व्यवस्था में व्यवधान पैदा कर देता है, इससे चूंकि परिवहन लागत बढ़ जाती है, अतः अर्थव्यवस्था और राज्य का विकास चौपट हो गया है।

दूरसंचार के क्षेत्र में आज हमारे अपने जिला मुख्यालयों तथा सबडिविजनों के साथ संपर्क करने की बजाय दिल्ली से सम्पर्क करना अधिक आसान है। लगातार सड़कों के टूटने के कारण टेलीफोन की ऊपरी लाइनों का रख-रखाव कठिन हो जाता है। इस समय की बिल्कुल अवांछित प्रणाली को हटाकर उसके स्थान पर माइक्रोवेव तथा दूसरी श्रेष्ठतर तकनीक को अपनाने की तत्कालिक आवश्यकता है, ताकि कम से कम जिला मुख्यालय माइक्रोवेव सम्पर्क से जुड़े रहें।

वर्तमान रेडियो तथा दूरदर्शन सुविधायें भी कुछ सीमित ही हैं इस समय सिक्किम के अधिकांश भाग बंगला देश दूरदर्शन के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं।
2.00 म० प०

सीधे प्रसारण पकड़ने वाले सेटों तथा अन्य सहायक प्रौद्योगिकों को अपनाकर दूरदर्शन का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

राज्य में ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है जो देशभर में अद्वितीय है, इसकी वनस्पति तथा जीव सम्पदा, पर्वत-शिखर, नदियां और हिम-नदियां, गर्म सोते, प्राचीन मठ, परम्पराएं और संस्कृति सभी प्रकार के पर्यटनों—सांस्कृतिक, अवकाश और तीर्थयात्रा सम्बन्धी, प्राकृति और दुस्साहस कार्य के लिए बहुत क्षमता रखती हैं। राज्य में इस समय पर्यटकों के आवागमन पर जो प्रतिबन्ध है उससे राज्य में पर्यटन और विकास बहुत मन्द पड़ गया है। यह अच्छा होगा कि केन्द्र एक गहन अध्ययन करें और वर्तमान प्रतिबन्धों को हटाया जाये तथा एक अधिक युक्ति संगत और तर्क संगत तरीका अपनाये, हमारी समझ में नहीं आता है कि तासनगोन जैसे स्थान स्वदेशी पर्यटक समूहों के लिए तथा साथ ही पेनायास्त्रे और गंगतोक विदेशी पर्यटक समूहों के लिए क्यों यहीं खोल दिये जाते जिस प्रकार लद्दाख और दार्जिलिंग खोल दिए गये हैं।

केन्द्र के इस निर्णय का कि पर्यटन को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के एक साधन के रूप में किया जाय, हम स्वागत करते हैं और इस संदर्भ में तथा राज्य में बहुत अधिक बढ़ती हुई बेरोजगारी के संदर्भ में पर्यटन विकास को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

सरकार की साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चिन्ता की हम कद्र करते हैं। इस अवसर पर मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि सिक्किम एक अनोखा शान्तिपूर्ण

राज्य है जहां लोग साम्प्रदायिक मेलजोल से रहते हैं तथा राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते हैं। कुछ असन्तुष्ट असामाजिक तत्व एक-दूसरे देश में भी गये और उन्होंने कुछ विदेशी दूतावासों से आर्थिक सहायता के लिए सम्पर्क भी किया, राज्य सरकार उनसे सख्ती से पेश आयी।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं सरकार को पंजाब तथा असम समझौतों के लिए बधाई देना चाहूंगी।।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : (गया) सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर फैलेरिओ जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विगत वर्ष की जो हमारी सरकार की उपलब्धि रही है उसके लिए मैं अपने प्रधान मन्त्री को भी बधाई देना चाहता हूं।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण . दो बिन्दुओं पर विशेष तौर से प्रकाश डाला गया है। उन्होंने अपने देश के सामने, राष्ट्र के समक्ष जो मौजूदा साम्प्रदायिक ताकतें एवं अलगाववादी शक्तियां है उनके ऊपर देश के जनमानस को स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की है और दूसरे, गरीबों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया है। मैं देखता हूं कि आज देश के समक्ष जो स्थिति है वह कैसी है और हम इक्कीसवीं सदी के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, इस पर एक इकनौमिस्ट मिस्टर एन० के० पालखीवाला ने लिखा है—

जिसमें उन्होंने कहा है कि—

[अनुवाद]

सात स्तम्भों में सर्वप्रथम है एक राष्ट्रीय स्वरूप की भावना, हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्षों बाद भी इसे प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमारे यहां करोड़ों बंगाली हैं, करोड़ों महाराष्ट्री हैं, करोड़ों तमिल हैं—लेकिन बहुत कम भारतीय हैं। संकीर्ण निष्ठायें और साम्प्रदायिक कट्टरता आम बात हो गई है। राष्ट्र के विघटन के ये निश्चित उपाय हैं।

[हिन्दी]

अभी हम 38 वर्ष की आजादी में एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में अपने को डेवलप नहीं कर पाए हैं कि बी०आर० इंडियन्स। रीजनल ताकतें भाषा के नाम से कहीं पर अपने को भारतीय न कह कर बंगाली कहती हैं, आप मद्रास चले जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि लोग अपने को भारतीय न कहकर तमीलियन कहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 38 साल की आजादी के बाद भी हम अपने में वह कान्शेन्स पैदा नहीं कर पाए कि हम भारतीय हैं तथा हमारी साम्प्रदायिकता, हमारा मजहब और हमारी भाषा—वह सब हमारी प्राईवेट प्रापर्टी है न कि राष्ट्रीय। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान को खतरा चीन से नहीं है, हिन्दुस्तान को खतरा पाकिस्तान से नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान को खतरा हिन्दुस्तानियों से है, इण्डियन्स से है। कारण वही है कि हम अपने को उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से

लेकर पंजाब तक हम भारतीय हैं। यही कारण है कि आज देश में अलगाववादी शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस देश का हर नागरिक चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो—जब भी राष्ट्र की मुख्य धारा की बात आए तो सभी एक होकर भारतीय के रूप में खड़े हो जायें तभी आगे इस देश को बढ़ाने का जो हमारा स्वप्न है उसको हम पूरा कर सकेंगे।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण मे मैंने बड़ी उम्मीद की थी कि लैण्ड- रिफार्म्स की बातआयेगी। भूमि सुधार के कानून तो हमने बना दिए, अरबन सीलिंग ऐक्ट भी पास करके अलमारी में बन्द करके रख दिया परन्तु अरबन सीलिंग ऐक्ट का एन्फोर्समेंट नहीं हो रहा हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम गरीबी हटाने की बात करते हैं, एक नया···भारत बनाने का सपना हमारे प्रधान मन्त्री जी हमने देखा है लेकिन भूमि का एक ऐसा सवाल है जिसका यदि समुचित ढंग बंटवारा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि यह जो हमारा सपना है भूमि सुधार के सम्बन्ध में, कि हर गरीब को जमीन दी जायेगी, वह पूरा नही हो सकेगा। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि देश में जिसको खेती से ज्यादा प्रेम है उसके पास खेती नही है और जिसको खेती से कोई मोहब्बत नहीं है उसी के पास खेती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूगा कि 1972 में देश के सामने लैण्ड रिफार्म सम्बन्धी 11 सूत्री प्रोग्राम रखा गया था जिसमें कहा गया था कि सरप्लस लैण्ड को बांटा जायेगा और भूमि का कंसालिडेशन होगा लेकिन वह सारी चीजें हम देखते हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उभर कर सामने नहीं आई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब माननीय प्रधानमन्त्री जी जवाब देंगे तो लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में भी चर्चा करेंगे। वैसे तो हम देखते हैं कि लैण्ड रिफार्म्स के जो 1985 के टार्गेट्स थे उसमें हमारी कांग्रेस-रूल्ड स्टेट्स जो है वहां पर तो इसकी मानिटरिंग हुई लेकिन जो नान-कांग्रेस रुल्ड स्टेट्स हैं वह लैण्ड रिफार्म्स के सम्बन्ध में उदासीन रही हैं। मैं आपके सामने आंध्र की तस्वीर रखना चाहता हूं, वहां पर 24 हजार एकड़ सरप्लस लैंड को गरीबों में बाटने का टार्गेट रखा गया था परन्तु 5784 एकड़ भूमि का ही बटवारा किया गया। इसी प्रकार की स्थिति कर्नाटक की भी है। वहा पर जनता पार्टी पोगेसिव में ज़र्स की बात कहती है लेकिन जब आपकी पैदायश की रिएकशनरी ताकतों से हुई है फिर पोगेसिव कैसे हो सकते हैं? वहां कर्नाटक में भी 1985-86 मे 25 हजार एकड़ भूमि को बाटने का टार्गेट रखा गया था। कर्नाटक में आपने 2500 एकड़ भूमि में से सिर्फ 56 एकड़ भूमि ही गरीबों को बांटी है। वहां गरीबो के प्रति कितना अन्याय हो रहा है। वैस्ट बंगाल में जहां पर कि लैफ्ट-गवर्नमैंट है, वहां पर नारा दिया जाता है कि धन और धरती बंट कर रहेगी, लेकिन जब उनकी तस्वीर को देखा जाता है, तो उनकी तस्वीर काली नज़र आती है। वैस्ट बंगाल में 20 हजार एकड़ भूमि को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन बांटी सिर्फ 6 हजार एकड़ भूमि। आप वहां पर नारे को खेती कर सकते है लेकिन फसल नहीं काट सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वह भी आपस में बांट ली है।

श्री रामस्वरूप राम : लेकिन फसल नहीं काट सकते हैं क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। आपकी नापाक इरादे हैं। आप चाहते है जाति के नाम पर इस देश को चलाना, भाषा के नाम पर इस देश को चलाना। संकीर्णवाद के नाम पर इस देश को चलाना। जब भी नापाक इरादों से कोई देश को चलाने की कोशिश करता है, तो हिन्दुस्तान का नागरिक चाहे वह खेत में काम करता है या आफिस में काम करता है, चाहे स्कूल में पढ़ता है या पढ़ाता है, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी

तक हर व्यक्ति एक साथ होकर ऐसी ताकतों को मुंह-तोड़ जवाब देते हैं और कहते हैं कि इस देश को महात्मा गांधी के उसूलों पर चलना चाहिए। उसी को ध्यान में रखकर हमारे युवा प्रधान मन्त्री इकोनोमिक इंडिपेन्डेन्स की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि लैंड रिफार्म और अर्बन- सीलिंग ये दोनों बहुत अहम सवाल है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि जब वे जवाब दें तो कम से कम लैण्ड रिफार्मस और अर्बन सीलिंग की बात के बारे में ज़रूर जवाब दें, ताकि देश के जो भूमिहीन हैं, जो गरीब हैं; जो हरिजन हैं, जो गिरिजन हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनको कम से कम एक एकड़ ज़मीन तो दे दी जाए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हू कि शहरी हदबन्दी भी लागू कीजिए। यदि आप यह लागू करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ा कदम उठायेंगे।

दूसरी बात मैं एम्पलायमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। हर गांव में आज पचास-साठ चाहे मैट्रिक हो, चाहे बी. ए. या एम. ए. हो, लोग बेकार बैठे हुए हैं। खाली बैठा हुए मन शैतान हो सकता है, जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेकारी एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। आंकड़ों के जाल में न फसते हुए, मैं बताना चाहता हूं कि भारत में चौदह करोड़ परिवार है और हर परिवार मे एक व्यक्ति बेकार बैठा हुआ है। इसके लिए यहां मामूली सी बहस कर देने से या यहां से डायरेक्टिव भेज देने से कुछ नहीं होता है, जब कि इस पर गम्भीरता से विचार न किया जाए। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी समस्या आसानी से नहीं सुलझायी जा सकती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा वर्ग पनप गया है, जिसका खेती पर अधिकार, जिसका बुद्धि पर अधिकार, जिसका धन पर अधिकार, जिसका बीजनैस पर अधिकार। एक व्यक्ति के पास बीजनैस भी है और खेती भी है। 90 प्रतिशत गांवों मे रहने वाले लोगो के ऊपर इस देश की इकोनोमी निर्भर करती है, लेकिन उन्हीं के साथ अन्याय होता है। हमारी कांग्रेस का प्रोग्राम है कि एक व्यक्ति को एक काम मिलना चाहिए। जो व्यक्ति खेतों में है, उसको खेती मे लगाओ। जो व्यक्ति नौकरी करता हो उसको नौकरी में लगाओ। यदि एक ही व्यक्ति के पास खेती भी होगी और इन्डस्ट्री भी होगी, तो इससे समाज में एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है। इसलिए सरकार को वन मैन-वन जाब के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

हरिजनों की स्थिति के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हम बिहार में देख रहे हैं, वहां पर आए दिन अखबारों में यह देखने को मिलता है कि 4 आदमी मारे गए, गरीबों की झोपड़ियां जला दी गई। इस माननीय सदन में, सम्मानित हाउस में भी कई बार चर्चा हुई है, हमने भी इस सवाल को उठाया है, लेकिन मर्ज कुछ और है और दवा कुछ और दी जा रही है। आज वहां का प्रशासन, वहां के पुलिस प्रशासन का ध्रुवीकरण हो गया है, आज वह कास्टलाइन पर चल रहा है। जब भी वहां पर मिनिमम वेजेज की बात होती है तो लोगों पर अत्याचार होता है। माननीय गफूर साहब ने कहा है कि हिन्दुस्तान के गरीबों मैं तुम्हें जमीन दूंगा, हिन्दुस्तान के हरिजनो मैं तुम्हें मिनिमम वेजेज दूंगा हिन्दुस्तान के गरीबो मैं तुम्हें घर बनाकर दूंगा, लेकिन जब वही गरीब आदमी कलेक्टर के यहां जाकर पिटीशन देता है कि मुझे घर चाहिए, मुझे जमीन चाहिए मुझे बदोबस्त का पर्चा दीजिए, पर्चा लेकर भी घूम रहे हैं तो उनको जगह नहीं बताई जा रही है और जब वह जाता है तो वही सामंतवादी व्यवस्था जो शुरु से गरीबों का शोषण करती आ रही है

वहां पर उसको कहा जाता है कि ये नक्सलाइट हैं और नक्सलाइट के नाम पर उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है। जातीयता के पर नाम सेनाएं, भूमि सेनाएं बनाकर उनकी झोपड़ियां जलाई जाती है और जब वह पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस उनको कहती है कि तुम तो नक्सलाइट हो, चलो जेल में। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए एक मानेटरिंग कराइए, कम से कम गया में, जहानाबाद में, पटना के उन इलाकों में जहां पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, ताकि उनको रिलीफ मिले। सरकार को इस बात की मानेटरिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितने ही असहाय लोग गरीब आदमी जेलों में बन्द पड़े हुए हैं।

कल माननीय सदस्य शहाबुद्दीन साहब बोल रहे थे जो कि गया के हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर।

(व्यवधान)

वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि बिहार में एक कहावत है कि "अंधे के सामने रोना, अपनी आखें खोना" वे बोल रहे थे और कह रहे थे कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। उनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि 49 परसेंट जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग थे वो 37 परसेंट पर कैसे आ गए, क्या यह सरकार का एचीवमेंट नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, मैं उनके एक एक शब्द का जवाब देता। आपके सोचने का ढंग ठीक नहीं है, इसको बदलना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण सदन के सम्मुख दिया, उसके धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। मान्यवर हमारा यह वित्तीय वर्ष कई कठिनाइयों से होकर गुजरा है। हमारे सामने पंजाब की समस्या थी, आसाम की समस्या थी, गुजरात की समस्या थी, परन्तु हमारी पार्टी की सरकार ने इन समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर एक महत्वपूर्ण हल निकाला है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारा प्रतिपक्ष रचनात्मक सुझाव देने के बजाए हड़तालों की तरफ जा रहा है। कभी वे भारत बन्द की बात करते हैं, कभी वे दिल्ली बन्द की बात करते हैं और इस प्रकार से इन हड़तालों से और इन बंदों से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। जनसाधारण को तो इससे और अधिक नुकसान होता है तथा उत्पादन कम होता है और उत्पादकता के साथ ही साथ मुद्रा-स्फीति बढ़ती है और देश में फिर से महंगाई होती है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि आज हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सामने आई है। विरोधी पक्ष के सामने भी वह उपलब्धियां हैं। राजीव जी, जिनको एक बहुत ही विशाल बहुमत मिला है, उसको उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के जो सबसे पिछड़े हुए और गरीब लोग हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए। हमारी पार्टी का सिद्धान्त शुरू से यही है कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं और उस गरीबी को हटाने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी के जमाने में, और आज

माननीय राजीव जी, विज्ञान व टैक्नोलाजी के आधार पर किस प्रकार से देश को आगे ले जाया जाए इसके बारे में सोच रहे हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर सबका ध्यान जाता है और वह है अणु-शक्ति जिसमें हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। हमने महाराष्ट्र में ध्रुव तथा तमिलनाडु में कलपक्कम में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चालू किया। वह पूर्णतया हमारी भारतीय टैक्नोलाजी पर आधारित है। इसको देखकर कई विदेशी लोग यह सोचने लगे कि शायद हम अणु-बम बना रहे हैं। हमने इसके उद्घाटन के अवसर पर पाकिस्तान के जनरल जिया को आमंत्रित करके यह सिद्ध कर दिया कि हम लोग इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण कामों के लिए करते हैं और करते रहेंगे। इसी प्रकार से आज हमारा देश गुट-निरपेक्ष राष्ट्र का सदस्य है। उसमें भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है और यह साबित कर दिया है कि जो विरासत उन्हें पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी से मिली है, उसको तह लेकर ही नहीं चलते हैं बल्कि उनमें इस बोझ को उठाने की भी क्षमता है। आज इस सत्तर करोड़ के देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, खासतौर से हमारे सामने जातिवाद, क्षेत्रवाद और आर्थिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं की नब्ज को गहराई से उन्होंने पहचाना है, यहां तक कि हर प्रान्त में गरीब की झोंपड़ी में वह गए हैं। जो विकास हम करना चाहते हैं; उसके लिए हमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारी साख बनी हुई है, उसको बनाए रखना है। विकास के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति सातवीं पंचवर्षीय योजना की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। उसके लिए आर्थिक साधन हमें जुटाने होंगे। गरीब लोगों को हमने चावल और गेहूं सब्सिडी के आधार पर दिया है। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० और बीस सूत्रीय कार्यक्रमों ने गांवों की काया पलट कर रख दी है। गरीबी और बेरोजगारी की जो हमारी मुख्य समस्या है, इसको हम नारों और हड़तालों से दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। श्रम शक्ति और नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ना होगा। आप जापान का उदाहरण ले लीजिए। किस प्रकार से नैतिकता और अनुशासन के आधार पर उन्होंने तरक्की की है। हमारे देश को भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना होगा जिसके लिए राजीव जी कृतसंकल्प हैं। हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले 36 परसेंट लोग हैं। उनको इस शताब्दी तक हमें दस प्रतिशत लाना है। इस ओर हम आगे बढ़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमने खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त की है लेकिन तिलहन और दालों में उतनी तरक्की नहीं की है। आज हमें खाद्य तेलों के लिए 300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करनी पड़ती है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि इस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को इस ओर विशेषतौर से राज्य सरकारों को निर्देश देने चाहिए।

मान्यवर, यदि आज हम अपने पब्लिक सैक्टर, सार्वजनिक उद्योगों की ओर दृष्टि दौड़ायें तो हमें पता लगेगा कि उनमें से अधिकांश नुकसान में चल रहे हैं। जिस समय हमें आजादी मिली उस समय कल्पना की गई थी कि सार्वजनिक उद्योगों के माध्यम से हमने तीव्र गति से आर्थिक विकास करना है और देश में समाजवाद लाना है। देश में अधिक से अधिक सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करनी है। इसी के परिणामस्वरूप आज हमारे देश में कुल 172 सार्वजनिक उद्योग लगे हुए हैं और उनमें हमारी 36,118 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। परन्तु उनमें से सिर्फ चार यूनिटों क्रमशः ओ०एन०जी०सी०, ऑयल इण्डिया, इण्डियन ऑयल तथा एस०टी०सी० को छोड़ कर शेष 168 यूनिट्स लगातार घाटे में चल रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमने सोचा

था कि इन सार्वजनिक उद्योगों से हमें 6753 करोड़ रुपए की आय होगी परन्तु इस वर्ष केवल 4835 करोड़ रुपए की आय हुई है। जिस तरह से हमारे सार्वजनिक उद्योग नुकसान में चल रहे हैं, हमें डर है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने इनसे जो कल्पना की है, क्या हम इनसे 180 हजार करोड़ रुपये की आय अर्जित कर पायेंगे या नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें सार्वजनिक उद्योगों को रिजल्ट-ओरियेन्टेड बनाना होगा, उनको प्रैशराइज करना होगा कि वे रिजल्ट-ओरियेन्टेड बनें। आपने इनमें जो प्रशासक लगा रखे हैं, उनके लिए आपने एक मापदन्ड बना दिया है लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगी कि जो व्यक्ति व्यापार में कुशलता रखता हो, उन्हीं व्यक्तियों को इन उद्योगों में प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। एक सुझाव मैं यह भी देना चाहूंगी कि यदि आप मोटे तौर पर देखें तो प्राइवेट सैक्टर की तुलना में सार्वजनिक उद्योगों में बहुत अधिक हड़तालें होती हैं, श्रमिक अनुशासनहीनता है, झगड़े हैं। इन सब को हमें स्ट्रिक्टली बैन करना होगा। इन सब कारणों से ही ये सार्वजनिक उद्योग घाटे में जाते हैं।

इसके अतिरिक्त निजी उद्योगों की जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं है। आपने पिछले बजट में 25 उद्योगों का लाइसेंस-फ्री किया है। अब उन उद्योगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने आप को रुग्ण न होने दें। यदि वे अपने आप को रुग्ण घोषित कर देते हैं तो सरकार को उन्हें अपने अन्दर में लेना पड़ता है और ऐसी स्थिति में हमारे सार्वजनिक उद्योगों का घाटा और अधिक बढ़ता जाता है।

आपको गैर-योजना खर्च में भी कटौती करनी पड़ेगी। आज हमारा गैर-योजना खर्च बहुत अधिक फालतू होता है। कर्मचारियों की फौज बराबर इक्ट्ठी होती जा रही है और भाई-भतीजावाद के आधार पर नई नियुक्तियां होती रहती हैं। हमें इस भी बन्द करना होगा और हमें सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यकता से अधिक भर्ती न हो।

आपने राज्यों को मिलने वाले ओवर-ड्राफ्ट पर नियंत्रण लगाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मान्यवर, हमारा देश गांवों का देश है और यहां 5 लाख गांव हैं। हमें उनको विकास का केन्द्र बिन्दु बनाना होगा। गांवों के विकास के दो ही रास्ते हैं : एक तो हम कृषि के आधार पर उनका विकास कर सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो हमारे देश में है, वह है सिंचाई के साधनों का अभाव, बिजली का अभाव। यदि सिंचाई साधनों के बारे में हम देखें तो आज तक हम धरती के 25 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर पाये हैं। इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 40 प्रतिशत भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत ला पायेंगे। यानी फिर भी देश की 60 प्रतिशत भूमि सिंचाई के बिना रह जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर सकें। महोदय, राजस्थान में सिंचाई के अभाव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और 27 जिलों में से 26 जिले अकाल की चपेट में हैं। वहां लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहां पर राजस्थान कैनाल···मैंने तो अभी बोलना है, मुझे 5 मिनट और दीजिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान कैनाल जिसका नाम "इंदिरा गांधी कैनाल" है और वह कैनाल श्रीमती इंदिरा गांधी की यादों को संजोये हुए हैं, उसके लिए रावी व्यास का

पानी उचित मात्रा में सन् 1985 के समझौते के अनुसार नहीं देंगे तो यह राजस्थान की शान्ति-प्रिय जनता और वहां की प्यासी धरती के नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, समाप्त कीजिए, और भी बहुत से लोगों ने बोलना है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज हमारे यहां उद्योगों में 100 परसेंट पावरकट हो रहा है। पावरकट सारे राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहा है। उद्योगों में तो है ही साथ ही हमारे जो किसान हैं उनको भी चार-पांच घण्टे से अधिक बिजली नहीं मिलती है। इसलिए बिजली की जो भी योजनाएं हमारे यहां की हैं और जिनके लिए हमने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है, उनकी स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए। आपने एटोमिक प्लांट के लिए स्वीकृति दी है, यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु अन्य योजनाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाये ताकि इस बिजली की कमी से निपटा जा सके।

मान्यवर, मैं एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि आप जाइंट सैक्टर की बात करते हैं और ऐसी स्थिति में जाइंट सैक्टर में मेरे चुनाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के लिए एक थर्मल पावर के लिए प्रस्ताव भेजा है, मैं चाहती हूं कि उसको तुरन्त स्वीकृति दी जाए। ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये, मैं कैसे आपको अनुमति दे सकता हूं, नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं एक-दो मिनट में समाप्त करती हूं। मान्यवर राजस्थान की जो समस्याएं हैं, उनमें से आप खासतौर से रावी-व्यास के पानी की समस्या की ओर ध्यान दें और वहां पर जो जिंक निकलता है और हमारे जिंक के लिए आपने विशेष प्रकार का प्रावधान सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है इससे वहां के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की कमी है, वह भी पूरी हो सकेगी। इसलिए इसको ज्यादा लम्बे समय तक न ले जाकर, तुरन्त स्वीकृति दें, ···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये। मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है। आप अगले बजट में फिर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जो

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो आलोचनात्मक रुख अपनाया है, अगर वे अपने इस आलोचनात्मक रुख को छोड़कर रचनात्मक रुख अपनायेंगे, तो देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम अपने देश को इक्कीसवीं शताब्दी की ओर एक विकसित राष्ट्र के रूप में ले जा सकेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आज मैं कोरम के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। किन्तु माननीय मंत्रीगण माननीय प्रधान मंत्री को यह बता सकते हैं जो मैं सरकार से कहने जा रहा हूं।

श्री एड्आर्डो फैलीरो ने एक प्रस्ताव रखा है.....

सभापति महोदय : मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप समय के बारे में विशेष ध्यान रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। श्री एड्आर्डो फैलीरो ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा था। इसके बारे में मेरा विचार विवाद में पड़ने का नहीं है। किसी सीमा तक मैं श्री एड्आर्डो फैलीरो और सत्तारूढ़ दल के कुछ अन्य माननीय सदस्यों से सहमत हूं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि इस देश में कोई उपलब्धि नहीं हुई है और चूंकि श्री एड्आर्डो फैलीरो ने इस चर्चा का श्री गणेश किया है, अतः सबसे पहले मैं अनेक मामलों में उनके साथ सहमति व्यक्त करता हूं। उदाहरण के तौर पर, यह सच है कि इस देश में खाद्यान्न में वृद्धि हुई है जिसका उत्पादन 1950-51 में 158 लाख टन था वह अब बढ़कर 1460 लाख टन हो गया है। यह भी सच है कि सिंचाई सुविधायें 1951 से अब तक तीन गुणी बढ़ गई हैं। मैं सहमत हूं। विद्युत के उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, यद्यपि अनेक राज्यों में पानी व्यर्थ ही बह रहा है। ग्रामीण विकास योजनाओं में आपका समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रशंसनीय योजनायें हैं यद्यपि इनमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार और गोलमाल है। मैं कहता हूं कि इस देश में बहुत अधिक प्रगति हुई है। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है और मैं इस बात से सहमत हूं किन्तु श्री फैलीरो ने यह चर्चा आरम्भ की थी किन्तु आज वह यहां उपस्थित नहीं हैं। किन्तु अन्य सदस्यों ने इस वादविवाद को आगे बढ़ाया है और इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। किन्तु कुछ बातों से मैं असहमत हूं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुझे बहुत ही संक्षेप में कहना है क्योंकि जो और लोग बोल चुके हैं; मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं श्री फैलीरो को और श्री जैनुल बशर को, जिन्होंने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था तथा सत्तारूढ़ दल के अन्य सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, यह याद दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में जो मूल्य वृद्धि की गई है, उससे आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे चला गया है। हमारे वित्त मन्त्री जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे यह बात पता है। किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया है। जिस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यहां उपस्थित थे; उस समय मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता था। मैं एक अर्थशास्त्र का अध्यापक रहा हूं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और आगे भी रहूंगा। मैंने 500 रु० की आय वाले तीन बच्चों वाले परिवार के लिये बजट तैयार किया है। पहले उनका कहना था कि परिवार में तीन बच्चे होने चाहिये और अब वे कहते हैं कि दो बच्चे होने चाहिए तथा वे कल कहेंगे कि एक बच्चा होना चाहिए। किन्तु

बात यह है कि जब उन्होंने कहा था कि तीन बच्चे होने चाहिये; तो उसी बात के अनुसार सामान्य परिवार का आकार यही हो गया। इस समय जिस परिवार में पांच सदस्य हैं और यदि उस परिवार की आय 500 रुपए है; तो वह परिवार गरीब है। मेरा अनुमान है कि ऐसा परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा है। आप कहते हैं कि इस देश के निर्धन लोगों के लिए आप बहुत कार्य कर रहे हैं। किन्तु इसके विपरीत आपने इतनी अधिक मूल्य वृद्धि की है तथा जिसे आपने पर्याप्त रूप से कम नहीं किया है। आपके पास इस समय पर्याप्त समय है क्योंकि बजट कल रखा जा रहा है। आपको अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए और यह उत्तरदायित्व सत्तारूढ़ दल का है। आपने खाना पकाने की गैस, डीजल, पेट्रोल, परिवहन प्रभार, चावल और गेहूं के मूल्य में वृद्धि की है जिसने निर्धन लोगों को पंगु बना दिया है। ये आम व्यक्ति के इस्तेमाल की चीजें हैं और किसी बात का सर्वेक्षण नहीं कराते हैं तथा सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह नये सिरे से सर्वेक्षण कराये तथा यह बताये कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। एक अस्पष्ट कथन है कि 50 या 51 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मेरा अनुमान है कि उनकी संख्या अधिक है। परन्तु चलो मान लेते हैं कि ये 50 प्रतिशत हैं। किन्तु हाल ही में की गई मूल्य वृद्धि से न केवल निर्धन व्यक्तियों का अपितु मध्यम वर्ग के लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। इससे उनका पारिवारिक बजट गड़बड़ा गया है किन्तु आपके पास उनकी चिंता करने के लिए समय ही नहीं है। आपने न तो शांतिपूर्वक और न गहराई से इसके बारे में सलाह ली और न विचार-विमर्श ही किया। हो सकता है कि प्रधान मन्त्री महोदय का दावा सही हो और इसके बारे में मुझे कोई चिन्ता भी नहीं है; क्योंकि प्रधान मन्त्री के इरादों के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है और मुझे सरकार के इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं है। किन्तु हाल ही में जो मूल्य वृद्धि की गई है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपने सही ढंग से सलाह नहीं ली है और यह जो तदर्थ निर्णय लिया गया था वह संसद की अवहेलना तो है ही। इससे भारत की गरीब जनता की क्रय शक्ति कम हो गई है।

अब दूसरा मुद्दा लिया जाये। मैंने यह वायदा किया है कि मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जिसका वायकाट करने के कारण मैं स्वयं नहीं सुन सका किन्तु इसे मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा है। साम्प्रदायिकता के बारे में बहुत अधिक चिंता व्यक्त की गई है। साम्प्रदायिकता का चर्चा करते समय आज मैं अयोध्या का मामला नहीं उठाऊंगा क्योंकि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है और मैं किसी सम्प्रदाय का समर्थन नहीं करना चाहता हूं। किन्तु मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। यदि आप साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए वास्तव में गम्भीर हैं; तो आप जम्मू और कश्मीर के गुलाम मोहम्मद शाह पर नियन्त्रण रखिये** मुख्य मन्त्री गुलाम मोहम्मद शाह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे हराने के लिए जमाते—इस्लामी नेता को रिहा कर दिया था जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत में विलय का विरोध किया था और इससे पूर्व डा० फारूख अब्दुल्ला ने इन्हें हिरासत में रखा था कि या तो अन्तिम और निश्चित रूप से भारत में विलय को स्वीकार करो या कानून के अधीन उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। "हम लोग जेल चले।" बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से मुझे हराने के लिए, श्री गुलाम मोहम्मद शाह ने उन्हें रिहा कर दिया और सार्वजनिक सभा में इसकी घोषणा की। किसी व्यक्ति ने यह नाटक किया

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि श्री सैयद अली जिलानी जेल में हैं। हमारा देश लोक तान्त्रिक देश है। इसलिये जिलानी को रिहा किया जाना चाहिए। चुनाव अभियान के दौरान मुख्यमन्त्री जनता के सम्मुख खड़े हो गए हैं और सैयद अली जिलानी की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। उन्हें रिहायी का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह कोई मजिस्ट्रेट नहीं हैं। इसके बाद बारामूला, सपोर, हांडगा और कूपवाड़ा में दिए गए अपने प्रथम भाषणों में सैयद जिलानी ने राज्य को भारत में मिलाय जाने को चुनौती दी। उस समय राज्यपाल श्री जगमोहन ने केन्द्र को लिखा तथा गृह मंत्रालय द्वारा बराबर यह मांग करने पर श्री शाह ने तदनुरूप कार्य किया और श्री जिलानी को पुनः जेल भेज दिया गया। मैं उनका शत्रु नहीं हूं। हो सकता है वह यह सब विश्वास में कर रहे हों किन्तु दोष श्री जी०एम० शाह का है। किन्तु मैं एक प्रश्न उठाता हूं। यह श्री गुलाम मुहम्मद शाह ही हैं; जिन्होंने कश्मीर में जमाते इ-इस्लामी को प्रोत्साहन दिया था। श्री डी०डी० ठाकुर द्वारा समर्थित श्री गुलाम मुहम्मद शाह ने ही जम्मू मे शिव सेना को प्रोत्साहित किया। यह शिव सेना महाराष्ट्र से चलकर पंजाब हरियाणा होती हुई जम्मू पहुंची। यह शक्तिशाली सगठन बन गया है जो खुराफात करता है। हमारे राष्ट्रपति जो साम्प्रदायिकता की बात करते हैं, उसका क्या लाभ है यदि सरकार श्री जी० एम० शाह के कृत्यों पर ध्यान नहीं देती। श्री शाह ने गत वर्ष श्री नगर में सचिवालय में एक मस्जिद का निर्माण कराया।

मैं राज्यपाल के पास गया और श्री जगमोहन से मिला और उनसे कहा कि सचिवालय एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान है; आप वहां कोई मस्जिद अथवा मंदिर नहीं बना सकते हैं; क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया जम्मू में होगी और जो कुछ मैंने राज्यपाल से उस समय कहा था वही घटना इस वर्ष के आरम्भ में घटी। जब दरबार जम्मू आया तो हिन्दू कर्मचारी आगे आए और उन्होंने वहां, सचिवालय में एक मंदिर बनवाया और जम्मू-कश्मीर साम्प्रदायिकता को राजनीति का अखाड़ा बन गया है और आप निस्सहाय होकर यह सब देख रहे हैं। हमें जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर ध्यान देना होगा तथा राज्य में जहां 1947,48 में महात्मा गांधी को आशा की एक किरण दिखाई दी थी बढ़ती हुई साप्रदायिकता की भावना पर काबू पाना होगा। श्री महात्मा गांधी ने कहा था "कि अंधकार में केवल काश्मीर में मुझे आशा की किरण दिखाई देती हैं। यह काश्मीर ही है; जहां शेख अबदुल्ला ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के लिये महान कुर्बानी दी है"

महोदय, श्री शाह सरकार के मुखिया हैं। श्री जी० एम० शाह के माध्यम से राज्य का शासन चलाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह अनुदार हैं तथा उन्हें भारत की धर्म-निरपेक्ष नीति की भावना का पता नहीं है।**

हाल ही में वहां भारी हिमपात हुआ, और उनके मंत्रीगण श्रीनगर गये थे। वे अतिथिगृह गये थे और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक-ठाक है भारत सरकार उलझन में पड़ गई। मैं एक मंत्री के पास गया था और मैंने उन्हें एक ज्ञापन दिया तथा कहा कि वे लोग सत्यता को छिपा रहे हैं क्योंकि इसके कारण उन्हें कानून और व्यवस्था बनाये रखने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। वे लोग जनता से डरे हुए हैं तथा वे लोग जनता के समक्ष जाना नहीं चाहते हैं। मेरे ज्ञापन दिये जाने पर गृह मन्त्री ने कृषि मंत्रालय को सचेत किया और भारत सरकार ने राज्य सर-

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कार को सचेत किया कि वह राहत मांगे। महोदय, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राहत की मांग नहीं की। भारत सरकार ने उनसे कहा कि उन्होंने राहत देने की मांग क्यों नहीं की। अब राहत के रूप में 18 करोड़ रुपये की राशि मांगी जा रही है। यह राशि उन भ्रष्ट व्यक्तियों के हाथों में नहीं दी जा सकती जो भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं। नियम 377 के अन्तर्गत एक वक्तव्य के माध्यम से मैंने आज ही सरकार से यह अनुरोध किया है कि यह राहत या तो सीधे वितरित की जाये अथवा किसी भरोसेमंद तंत्र के जरिये बांटी जाये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक और बात है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राहत भारत सरकार द्वारा वितरित की जानी चाहिये। आप जम्मू-काश्मीर सरकार के बारे में पहले ही कुछ बातें सुन चुके हैं। आपने जम्मू-काश्मीर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी ही दिलचस्प कहानियां सुनी होंगी। श्री भजन लाल और अन्य लोगों के विरुद्ध हमें कुछ शिकायतें थीं। किन्तु श्री शाह उन सभी से बढ़कर निकले हैं। हाल में ही जो कुछ हुआ है, ऐसा देश में कभी नहीं हुआ—मंत्रीमण्डल की बैठक में मुख्य मंत्री कृषि मंत्री से पूछते हैं कि "आप 6 लाख रुपये का हिसाब क्यों नही देते और कृषि मत्री मुख्य मंत्री से पूछते हैं कि "आप 28 लाख रुपये का हिसाब क्यों नहीं देते ?" यह बात हिन्दुस्तान टाइम्स, और टाइम्स आफ इंडिया तथा अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस सरकार को जो इतनी भ्रष्ट है हटाना ही होगा···

प्रो० एन० जी० रंगा (गूंटूर) : क्या हम लोग राज्य सरकार के मंत्रिमण्डल में घटी घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं सभा को यह बता रहा था कि देश में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : मंत्रिमण्डल में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में आपको कैसे पता चला ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और वह सच है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात की जोरदार सिफारिश करता हूं कि उस सरकार को, उस कथित सरकार को, जिसको जन-प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, निश्चित ही बर्खास्त किया जाये, थोड़े समय के लिये वहां राज्यपाल का शासन लागू किया जाये और चुनाव कराये जायें।

अन्तिम मुद्दा नई शिक्षा नीति के बारे में है। मैंने यह निर्णय किया है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिन मुद्दों को उठाया मैं उन सभी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा···

सभापति महोदय : आपके पास समय भी तो नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय हित में प्रधान मंत्री नई शिक्षा नीति निर्धारित करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहां बहुत प्राचीन काल से मैकाले की नीति चली आ रही है जिससे बाबुओं की उत्पत्ति हुई है और देश में बहुत अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। बात यह है कि इस पर सही रूप से चर्चा नहीं हुई है। सर्वप्रथम, शिक्षा की सार्वभौमिकता के बारे में कोई प्राथमिकता नहीं दी हुई है। आप संवैधानिक तौर पर वचनबद्ध हैं कि 1960 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जायगा। किन्तु 1986 तक भी ऐसा नहीं हो पाया है और आपने इस बात का भी कोई विश्वास नहीं किया है कि इस शताब्दी के अन्त तक यह सम्भव हो सकेगा अथवा नहीं क्योंकि मंत्रालय द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करने में हेरा-फेरी किये जाने के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि 68 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और 54 प्रतिशत बच्चों का ही नाम दर्ज हो पाता है और मैं यह महसूस करता हूं कि मंत्रालय शिक्षा शास्त्रियों का स्थान नहीं ले सकता। मुद्दा यह है कि इसके संबन्ध में कोई सारगर्भित चर्चा नहीं हो पाई है। दाखिले का तरीका दोषपूर्ण है तथा 68 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। विश्व बैंक ने भी भारत को चेतावनी दी है और विशेषज्ञों ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया है। आपने योजना पर अवश्य ही ध्यान दिया होगा। आपकी अफसरशाही सच बोलने के लिये श्री ठकुराल को बर्खास्त करना चाहते थे।

श्री भार्गव इसे सही मानते हैं। विश्व बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि इस शताब्दी के अन्त तक विश्व के कुल निरक्षरों की जनसंख्या का 50 प्रतिशत हमारे देश में होगा। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते समय विश्व के कुल निरक्षरों का 50 प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश में होगा। सलाहकार समिति में मंत्रीजी ने वादा किया था कि वे मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करेंगे। मंत्रालय में बैठे हुए नौकरशाहों के विरुद्ध मुझे कोई वैमनस्य नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इससे सत्ता दल, कांग्रेस पार्टी को जोकि सुधार लाना चाहती है (जैसे कि कहा गया है), धोखा दिया गया है। इससे प्रधानमंत्री को धोखे में रखा गया है, क्योंकि जब तक शिक्षाविदों द्वारा इस पर चर्चा नहीं होती, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं मिलेगी। उन्हें उस पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए उसके बाद ही इस नीति को अपनाया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने माडल स्कूलों के बारे में हमें नये प्रस्ताव भेजे हैं। इससे शिक्षा में कोई सुधार नहीं आयेगा। इसमें 1500 करोड़ रुपये खर्च हो जायेंगे। जबकि हमारे शिक्षाविदों ने देश में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा-सुधार के लिए 800 करोड़ की ही मांग रखी है। सरकारी स्कूलों में देश के 97 प्रतिशत छात्र पढ़ते हैं जबकि निजी और पब्लिक स्कूलों में केवल 3 प्रतिशत छात्र ही पढ़ते हैं। अगर हम समाज को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाना है और अगर मंत्री सही अर्थों में यह कहते हैं कि वे शिक्षा में लोकतन्त्र लाना चाहते हैं वे शिक्षा में समानता लाना चाहते हैं, तब उन्हें उन 97 प्रतिशत छात्रों के हितों की रक्षा करना होगी, जो सरकारी स्कूलों में अस्त-व्यस्त स्थिति में हैं। सरकारी स्कूलों में कोई उपस्कर नहीं हैं, सांइस-किट नहीं है, ब्लैक-बोर्ड नहीं हैं और कई दफा तो उनमें अध्यापक भी नहीं होते। और आप केवल 3 प्रतिशत छात्रों का ही ध्यान रखते हैं इसीलिए मैंने पहले भी निजी स्कूलों और पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने की जोरदार अपील की थी।

सभापति महोदय : प्रधान मन्त्री 5 बजे सभा को सम्बोधित करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में अपना भाषण दें। विपक्षी सदस्यों समेत कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री बिपिन पाल दास।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सभा में कोई पहली दफा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इस सभा के सदस्य के नाते, मैं बताना चाहता हूं कि यह मेरा पहला भाषण है।

पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने जो दो समझौते—पंजाब और असम समझौते—किए थे सबसे पहले मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। इन दो समझौतों पर हस्ताक्षर करके, प्रधान मंत्री ने न केवल अपना वायदा ही निभाया है, बल्कि राष्ट्रीय हित को दल के हित से ऊपर रखा है। इससे प्रधान मंत्री की राजनीति-सत्ता और उनके नेतृत्व के गुणों की झलक मिलती है। वह देश के बल के लिए अपना आज अर्पित करने को तैयार हैं।

अदूरदर्शी लोग, जो केवल वर्तमान में जीवन व्यतीत करते हैं, भविष्य के बारे में न सोच सकते हैं और न ही उसका अन्दाजा लगा सकते हैं और न ही कल्पना कर सकते हैं। पहले भी कई पण्डितों ने कई दफा कांग्रेस दल के खतम हो जाने की घोषणा की थी, लेकिन इतिहास ने उन्हें मूर्ख साबित किया है—मुझे यह शब्द प्रयोग करते हुए खेद हो रहा है—और भविष्य में भी वे ऐसे ही साबित होंगे।

मैं पंजाब समझौते की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वहां की स्थिति के बारे में अधिक नहीं जानता। असम समझौते पर हस्ताक्षर करके और वहां चुनाव कराकर प्रधान मंत्री ने राज्य के राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन और शान्ति स्थापित की है। असम समझौते में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं हुआ है। यह एक सन्तुलित दस्तावेज है और शिकायत का किसी के भी पास उचित आधार नहीं है।

असम समझौते का सार यह है कि सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए 1971 वर्ष ही वास्तविक और प्रभावी आधार वर्ष माना गया है। 1980 में श्रीमती गांधी ने यही सुझाव दिया था। सभी राष्ट्रीय दलों ने इसका समर्थन किया था और कांग्रेस ने हमेशा ही इस बात का समर्थन किया है।

हाल ही में, दिसम्बर में सम्पन्न हुए चुनावों की मुख्य बात यह थी कि बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए मतदान केन्द्रों पर आये। असम चुनावों के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। मेरी राय में यह एक अच्छा चिन्ह है। मैं आशा करता हूं कि असम के लोगों ने महसूस किया है कि लोकतन्त्र प्रणाली में गोलो से भी अधिक शक्तिशाली हथियार मतदान पत्र है, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक नई पीढ़ी ने प्रशासन की बागडोर सम्हाली है। यह राज्य के भविष्य के लिए भी अच्छा है। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वे किस दल के हैं।

असम गण परिषद् निस्सन्देह, एक क्षेत्रीय दल है क्योंकि इसका अखिल भारतीय आधार नहीं है। खुद मुख्य मंत्री ने कहा है कि अ० ग० प० एक क्षेत्रीय दल है, जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है। लेकिन अ० ग० प० चाहे जो कुछ कहे या न कहे, मेरा केवल लोगों से सम्बन्ध है। मैं केवल

एक बात जानता हूं कि चुनाव अभियान के दौरान, जिन लोगों ने अ० ग० प० के पक्ष में मतदान दिया, वे सभी राष्ट्रीय मुख्य धारा के अभिन्न अंग हैं। जहां तक लोगों का सम्बन्ध है उनके लिए संकीर्णता अतिराष्ट्रीयता, अलगाववाद में सभी बाहरी शब्द हैं। देश के अन्य भागों की तरह, कुछ एक उग्रवादी तत्व यहां भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग राष्ट्रवादी हैं। असम के इतिहास संस्कृति और परम्परा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हमारी भाषा भारतीय है, हमारी संस्कृति भारतीय है, हमारा धर्म भारतीय है, और हमारी परम्परा भारतीय है। अधिकांश लोग इन सबसे जुड़े हुए हैं, उनको इनसे अलग नहीं रखा जा सकता।

असम के लोगों ने न केवल गांधीजी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और कुर्बानियां दी बल्कि 1957 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बड़ा योगदान दिया। इस दफा, लोगों ने एक विशेष प्रयोजन के लिए संघर्ष किया और चुनावों द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। उनके संघर्ष का एक ही उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना था ताकि उनकी अनदेखी न की जा सके। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। अतः पिछले चुनावों के परिणामों की गलत-व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। सभी को यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि असमवासियों के जनजीवन की मुख्य धारा और उनके भावों पर आघात या अनदेखी करके असम में कोई भी राष्ट्रीय राजनीति सम्भव नहीं है।

लेकिन इसके अलावा कुछ अनुचित बातें भी हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं कह रहा हूं। वे चुनाव आयोग से सम्बन्धित हैं। इसके बारे में, मैं आयोग को लिखने की सोच रहा हूं। मतदाता सूचियों के बारे में एक बात करना चाहता हूं। बड़ी संख्या में, बिना किसी वैध कारण से हजारों नाम हटा दिये गये हैं। और 20 वर्ष से कम युवकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिये गये हैं। जब तक चुनाव प्रणाली निष्पक्ष तथा त्रुटिरहित नहीं होती, हमारा लोकतन्त्र खतरे में रहेगा। अतः मैं विधि मंत्रालय और उनके माध्यम से चुनाव आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप इस देश में लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, तब चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और त्रुटिरहित होनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता।

इस सबके बावजूद, हमने खुशी से इस आशा के साथ चुनाव परिणामों को स्वीकार किया कि वहां शांति स्थापित होगी और भिन्न-भिन्न वर्गों के मध्य सद्भावना का वातावरण पैदा होगा और वहां सामाजिक-आर्थिक विकास होगा। श्री दिनेश गोस्वामी या उनके दल का कोई सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। मैं अ० ग० प० की सरकार की आलोचना नहीं कर रहा। उसे बने अभी दो माह ही हुए हैं और मूल्यांकन करने के लिये यह समय बहुत कम है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अ० ग० प० सरकार अभी परीक्षण के दौर में है और उसे ठोस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका प्रथम कार्य असम में कानून और व्यवस्था बनाये रखना और विभिन्न वर्गों के बीच शांति और सद्भावना स्थापित करना है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इन दो माह के दौरान, लोगों को तंग करने, मार-पीट, सम्पत्ति को नुकसान और यहां तक की हत्याओं की कई घटनाएं हुई हैं। अ० ग० प० सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि उन्हें इन तत्वों के विरुद्ध सख्त होना चाहिए, और उन्हें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे कानून और व्यवस्था बनाये रखेंगे। उन्होंने बार-बार कहा है कि वे हर कीमत पर कानून और व्यवस्था बनाये रखेंगे, लेकिन फिर भी

ऐसी वारदातें हो रही हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था नहीं बनाये रख सकती और विभिन्न वर्गों में सद्भाव नहीं बनाये रख सकती तो अंततः उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्हें इन सबको समाप्त करना होगा। राज्य में शांति स्थापित किये बिना, आप समझौते को भी लागू नहीं कर सकते।

3.00 म० प०

जहां तक मेरा या मेरे दल का सम्बन्ध है, हम असम की अ० ग० प० सरकार के सभी प्रगतिशील उपायों में विकासशील गतिविधियों में कानून और व्यवस्था तथा शांति बनाये रखने में सहयोग देंगे। इस बारे में उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा कि उन्हें राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करने और असम में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शांति और सद्भावना स्थापित करने के कार्य को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रीमन्, अगले रविवार को, हमारे राज्य में दो उप-चुनाव होने जा रहे हैं। अ० ग० प० की सरकार के सार्वजनिक वायदों और चुनाव आयोग के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी। अगले रविवार को ये उप-चुनाव होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये उप-चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में पूर्ण होंगे। कानूनी और पूर्ण चुनाव प्रक्रिया, शांति बनाये रखते हुए सम्पन्न होंगे। यही महत्वपूर्ण है। किसी को भी डराने, धमकाने, तंग करने, मारने या ऐसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे स्वतन्त्रता से मतदान करने के अधिकार का हनन होता हो। मैं आशा करता हूं कि आगामी उप-चुनावों में अ० ग० प० की सरकार वहां कानून और व्यवस्था, और विभिन्न वर्गों के बीच सद्भावना बनाये रखेगी और लोकतान्त्रिक प्रणाली को सही ढंग से चलने देगी।

3.02 म० प०

(श्री शरद दिघे—पीठासीन हुए)

श्री विपिन पाल दास : श्रीमन् जैसा कि मैंने कहा था कि यह मेरा पहला भाषण है। मैं केवल 10 मिनट ही बोला हूं।

सभापति महोदय : मैं वहां बैठा हुआ, सुन रहा हूं।

श्री विपिन पाल दास : कृपया मुझे अधिक समय दीजिए। श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह एक गम्भीर समस्या है। देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। विघटनकारी ताकतें, विशेषकर साम्प्रदायिक शक्तियां काफी सक्रीय हो रही हैं। विघटनकारी और अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। देश को इनसे सावधान रहना चाहिए। श्रीमन् हम धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध हैं। इसका क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी धर्म विशेष के प्रति लगाव भी नहीं है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं। धर्मनिरपेक्षता, एक पक्षीय बात नहीं है, यह दो-पक्षीय बात है जब तक हम धर्म-निरपेक्षता के इन महत्वपूर्ण मुद्दों को समझेंगे नहीं, इसके विपरीत हो सकता है और देश को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों, और सभी भाषाओं के प्रति आदर। जैसा कि मैंने कहा यह दो-पक्षीय है। मैं किसी भी किस्म के रूढ़िवाद के विरुद्ध हूं। रूढ़ि-

वाद एक प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत है और दकियानूसी का दूसरा नाम है। भारतीयों के रूप में हम केवल 4 मूल सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं ये हैं : लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और हमारे राजनैतिक जीवन में राष्ट्रीय एकता। भारतीयों के रूप में हम केवल इन्हीं चार सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं। किसी व्यक्ति के अपने निजी और व्यक्तिक जीवन में कोई और सिद्धांत हो सकते हैं। जहां तक सामाजिक और राजनैतिक जिन्दगी का सम्बन्ध है लिसके लिए हम इन चार महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत के प्रति वचनबद्ध हैं।

महोदय, हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में भी बात करते हैं। यह बात भी है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में कौन बहुसंख्यक हैं और कौन अल्पसंख्यक है। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं जानता कि मैं बहुसंख्यक समुदाय से हूं या अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हूं। मैं केवल एक समुदाय से सम्बन्ध रखता हूं और वह भारतीय समुदाय है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की बात असंगत है। इस देश में कानून के सामने सभी बराबर हैं। सरकार को सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। सबको नौकरी, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय और सब जगह समान अवसर मिलने चाहिए। इस देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात नहीं होनी चाहिए। हमारी केवल एक यही पहचान होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और केवल यही हमारी पहचान है। मैं सभी राजनैतिक दलों, सरकार, समाचार पत्रों, लेखकों और सबसे अपील करता हूं कि उन्हें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।

यदि हमें किसी को खुश करना है, किसी की ओर विशेष ध्यान देना है तो वे हैं गरीब, दलित, घोषित सताए गए और दबे हुए वर्ग के लोग इनमें कोई लिंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेद नहीं कर सकते।

हमें प्रत्येक के लिए समान न्याय का प्रयास करना चाहिए। यह लक्ष्य है, यह उद्देश्य है, मैं नहीं कहता कि हमने इसे प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसी अन्य वर्ग को खुश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए; केवल इसी वर्ग को सन्तुष्ट करना चाहिए और हमें इस वर्ग की दशा सुधारने के लिए वह सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण अनिवार्य रूप से राष्ट्र की स्थिति का एक जायजा है जिसमें संक्षेप में सरकार के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होता है तथा राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में उनकी सलाह होती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के सभी उल्लेखनीय कार्यों का या पिछले वर्ष में सरकार की सभी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है और उनका उल्लेख मेरे सभी पूर्ववक्ताओं ने किया है। समय की कमी के कारण मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति का तथा अशांति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने चिन्ता व्यक्त

की है। उन्होंने हिंसा को और राष्ट्र की जड़ों को नष्ट करने वाली धर्मांधता की शक्तियों को अलग-अलग करने के लिए तथा उन्हें कुचलने के लिए लोगों को आह्वान करते हुए नरम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में गत वर्ष के कार्य निष्पादन का उल्लेख किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह कठिन वर्ष था; मुश्किल वर्ष था फिर भी सफलता का वर्ष था, अशान्ति का वर्ष था, फिर भी याद रखने योग्य वर्ष था। इससे एक वर्ष पूर्व हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या की गई थी। केवल परसों जो कुछ मास्को में हुआ उससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी किस प्रकार की नेता थीं। मास्को में आयोजित अपनी 27वीं कांग्रेस में सोवियत नेताओं ने अपने उन दो या तीन सोवियत नेताओं के अलावा जिनका निधन एक वर्ष पहले हुआ था, विश्व के केवल एक नेता को श्रद्धांजलि दी और वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी को। यह केवल परसों हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि भेंट की गई।

भारत के भविष्य के बारे में जब देश के अन्दर और बाहर निराश तथा अनिश्चितता का वातावरण था तब राष्ट्र ने भारी बहुमत देकर कांग्रेसी दल को जिताया और कांग्रेस दल ने श्री राजीव गांधी को अपना नेता चुना तथा कठिन स्थिति को उचित ढग से निपटने के कारण वह वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं का वर्ष रहा। मैं आर्थिक क्षेत्र में, प्राप्त सफलताओं तथा किए गए कार्यों का तथा जो बजट पूर्व सर्वेक्षण में उल्लिखित शानदार उपलब्धियों और कार्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं समय की कमी के कारण इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे किए गए वायदों का विवरण है। इसमें भविष्य के लिए भी उज्जवल आशाएं हैं। विरोधी पक्ष के हमारे माननीय मित्रों ने कहा कि झूठे वायदे किए गए थे और वायदों को पूरा नहीं किया गया। मैं उनका ध्यान अमरीकी नेता द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर लाना चाहता हूं जो उनको सही स्थिति बताएगा। ऐसे कौन से वायदे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया है? असम समझौता और पंजाब समझौता किया गया था। पूरे किए गए वायदों की गवाह यह सभा है। कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से इस सभा में पूरे सदस्य नहीं थे और 1980 से पूरे देश में एक ही समय चुनाव नहीं कराए जा सके। 1980 में असम को छोड़ दिया गया था और पिछले चुनाव में पंजाब को छोड़ दिया गया था। लेकिन आज इस सभा में पूरे सदस्य हैं और सब जगह चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अखण्डता को बनाए रखने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के लिए इस जनादेश को लोगों से प्राप्त किया है। और इन सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है।

मैं अमरीका के विदेश मंत्री श्री जार्ज शुल्टज द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ता हूं। इस महीने की 19 तारीख को अर्थात केवल सात दिन पहले सीनेट के सामने बजट समिति में, कहीं बाहर नहीं, साक्ष्य देते हुए अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामाजिक महत्व की है तथा इसने एक प्रमुख क्षेत्रीय और विश्व शक्ति के रूप में अपना स्थान बना लिया है। उन्होंने यह कहा था और मैं 'विश्व शक्ति' शब्दों को महत्व देता हूं।

एक वर्ष की अवधि में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शक्तियों सहित, विभिन्न देशों का सफलतापूर्वक दौरा किया है। वह सोवियत रूस गए, वह अमरीका गए, वह अन्य देशों के अलावा फ्रांस गए। इन दौरों से भारत की शान बढ़ती है। मैं श्री चौबे जी को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि सोवियत रूस भारत के प्रति कितना सम्मान दिखाता है। शायद वह इससे अनभिज्ञ नहीं हैं। आज सोवियत रूस और अमरीका दोनों भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

मैं नहीं जानता हूं कि यहां विरोधी विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध क्यों कर रहा है। विरोधी पक्ष के हमारे मित्रों को आलोचना करने का अधिकार है और उन्हें सरकार के कार्यों की आलोचना करनी चाहिए तथा उन्हें रचनात्मक रूप से अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन यह विरोधी पक्ष क्या केवल विरोध करने के लिए ही है? मुझे एक बात की जानकारी है और सी० पी० एम० नेताओं, अकाली नेताओं तथा अन्यों के भाषणों को सुनते समय मुझे एक प्रसिद्ध उक्ति याद आ रही थी कि 'अपराध एक अच्छी सुरक्षा है' शायद, वे शीशे के मकानों के अन्दर बैठे हुए हैं और दूसरों अर्थात केन्द्रीय सरकार पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आज पंजाब में क्या हो रहा है? अन्य राज्यों में, जहां विरोधी दल सत्ता में हैं, क्या हो रहा है? आम मतदाताओं को समझाना उनकी जिम्मेदारी है। वास्तव में पंजाब में चुनावों से केवल सफलता पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार की सहायता और समर्थन उन्हें निसन्देह हमेशा प्राप्त है। आज वहां जो घटनाएं हो रही हैं इससे प्रत्येक व्यक्ति दुःखी है। अतः उन्हें स्थिति से दृढ़तापूर्वक निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारी से भूलना नहीं चाहिए।

महोदय, मैं केवल दो या तीन मिनट और लूंगा और फिर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उड़ीसा और कालाहान्डी के बारे में कुछ कहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं श्री चौबे जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उड़ीसा के बारे में याद दिलाया है। मुझे उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ कहना है और वे मेरी सूची में हैं। उड़ीसा एक पिछड़ा और गरीब राज्य है। एक ओर यह कुछ करने की कोशिश कर रहा है, औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने का प्रयास कर रहा है तो दूसरी ओर यह विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक भारत सरकार से उड़ीसा की सहायता के लिए अपील करता हूं। जहां विद्युत की 50% तक की कमी है। राज्य से बाहर लगभग 300 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है जबकि मध्य प्रदेश से केवल 45 मेगावाट बिजली आती है। उड़ीसा को न्यूनतम अपेक्षित बिजली की सप्लाई के लिए तुरन्त कुछ न कुछ करना चाहिए और गरीब राज्य की प्रगति के लिए सहायता करनी चाहिए।

स्थायी रूप से कुछ किया जाना चाहिए। इस बेली थर्मल पावर प्लांट और तालचेर सुपर थर्मल पावर प्लांट के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साधनों की कमी के कारण उन्हें सातवीं योजना के दस्तावेज में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन, महोदय, संभाव्यता के कारण, अच्छे पहलुओं के कारण, सुनिश्चित पहलुओं के कारण जापान और इटली जैसे देश इन दोनों परियोजनाओं के स्थापित करने में सहायता देने के लिए आगे आ रहे हैं। इसका पता लगाया जाना चाहिये। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं।

गरीबी हटाओ योजना जो अब चल रही है केवल वही गरीबी को कम करने का रास्ता है और गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेने का तरीका है। उस पर उचित रूप से नजर डालनी चाहिये।

सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्य कर रही है। स्वच्छ जन जीवन का वायदा किया गया है जिसे अब किया जा रहा है। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं कुछ उदाहरण भी देता। वे कितने निष्ठावान हैं। श्री राजीव गांधी की सरकार स्वच्छ जन जीवन के बारे में, विभिन्न भागों से गरीबी मिटाने के बारे में कितनी निष्ठावान है। जब तक इस भ्रष्टाचार को उचित ढंग से नहीं लिया जाता तब तक गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

दूसरी बात नशाबन्दी के बारे में है। यह बहुत गम्भीर समस्या है। जो कुछ पैसा गरीब को दिया जाता है उसमें से थोड़ा सा शराब वालों के पास चला जाता है, शराब की दुकानों में जाता है और यह उद्देश्य को विफल करता है।

इसलिए मैं भारत सरकार को सही सलाह देना चाहता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे तथा कुछ कार्रवाई करे ताकि शराब की खपत कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, न बढ़े।

व्यय के बारे में मेरा सुझाव है कि व्यर्थ व्यय से बचना चाहिए। इसको रोकना चाहिए। यदि इसे उचित रूप से किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि पेट्रोलियम उत्पाद में मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता थी। राज्य सरकारों और सरकारी उपक्रमों द्वारा पचास से साठ प्रतिशत पेट्रोलियम का उपयोग किया जा रहा है। हम सरकारी उपक्रमों पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। जहां कहीं उनका कार्य निष्पादन कुछ असंतोषजनक तथा निराशपूर्ण हैं उसमें वही सुधार करना होगा अन्यथा पूरी अर्थ व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इसलिए हमें कार्य करने का नया ढंग अपनाना होगा। अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा तथा अच्छे लोगों, अर्थात जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए और बुरे लोगों, भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उन कुछ माननीय सदस्यों के साथ सहमत हूं जिन्होंने सुझाव दिया। जिन्होंने महसूस किया कि यह क्षेत्रीय असंतुलन है जो लोगों के बीच असंतोष पैदा कर रहा है।

जो लोग क्षेत्रीय दल बना रहे हैं, वे इसका लाभ उठा रहे हैं। अतः विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने और देश के सभी भागों के संतुलित विकास की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारे राष्ट्रपति महोदय ने हिंसा को समाप्त करने, हिंसा को पैदा करने वाली बुराइयों, भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए जन आन्दोलन चलाने का आवाह्न किया है। मात्र विरोध के लिए, सरकार का विरोध न करते हुए विपक्ष को इस दिशा में सरकार का साथ देना चाहिए। यह सरकार काफी यथार्थवादी है और इसका रवैया काफी उदार है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने पिछले वर्ष कई दफा विपक्ष के लोगों से विचार-विमर्श किया है। हालांकि उनकी

संख्या कम है, लेकिन विभिन्न मामलों पर उनसे नियमित रूप से सलाह की जाती रही है। उन्हें आगे आना चाहिए और हम सबको मिलकर एक खुशहाल और मजबूत भारत के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता को अधिक मजबूत बनाना चाहिए। हमें हिंसा के विरुद्ध जोरदार ढंग से लड़ना चाहिए और जहां कहीं भी समाज में विखण्डन कारी प्रवृत्तियां हैं। उन्हें समाप्त करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला पौन्नानी) : राष्ट्रपति महोदय ने 20 फरवरी को संसद में अभिभाषण दिया। हालांकि हम, मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें उपस्थित नहीं थे। हमने राष्ट्रपति महोदय का अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि हम फैजाबाद, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को लेकर उठाए जा रहे बेवजह विवाद और हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में उपस्थित नहीं हुए।

जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का संबंध है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। इस पर पुनः विचार करें। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि करने का बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत इतनी अधिक बढ़ गई है कि उस पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है, यह एक जाना-माना तथ्य है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में ऊर्जा के भिन्न-भिन्न तरीकों की खपत बहुत ही कम है।

विश्व के बाजारों में इनकी कीमत में गिरावट आ रही है। वास्तव में, इनके दामों में वृद्धि करने का बिल्कुल ही औचित्य नहीं है। हालांकि इसके लिए सरकार द्वारा कई विकल्प निकाले जा सकते थे। मैं इनके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं सरकार के आम आदमी पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त बोझ के बारे में आगह अवश्य करना चाहता हूं और उससे अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार किया जाए।

राष्ट्रपति महोदय ने सामाजिक न्याय के साथ विकास दर बढ़ाने के बारे में कहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हुई है। इस दावे को मानना मुश्किल है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश ने काफी प्रगति की है। और इसका श्रेय इस देश की सरकार को जाता है। लेकिन जहां तक विकास दर का सम्बन्ध है, कई क्षेत्रों में स्थिति निराशाजनक है। जैसा कि सभी जानते हैं, कि विकास दर को 1985 में, 21वीं सदी के के आरम्भ में 5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। 1985 से 2000 ई० तक किस 5 प्रतिशत विकास दर की कल्पना की गई है, वह ज्यादातर वही है जो पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारी योजनाओं में थी। अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी विकास-दर बढ़ रही है। पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर 2.1 प्रतिशत थी; दूसरी योजना में 4.5 प्रतिशत; तीसरी में 5.6 प्रतिशत चौथी में 5.7 प्रतिशत और पांचवीं में 4.4 प्रतिशत थी। छठी योजना में 5.2 प्रतिशत की विकास-दर का प्रस्ताव है। अतः यह कहना मुश्किल है कि विकास-दर के मामले में हम आगे बढ़े हैं। वास्तव में हम एक प्रतिशत भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं।

अपनी विकास-दर की दूसरे देशों की विकास दर से तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था में हमें मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के दूसरे देशों की विकास-दर की तुलना में, 1950-80 के दौरान भारत में यह बहुत निम्न स्तर पर थी। यहां तक कि तीसरे विश्व की तुलना में भी यह बहुत कम थी। इसके परिणाम-स्वरूप काफी कमी आई, और राष्ट्र के हित में हमें इस बात को देखना चाहिए कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के हिस्से में तेजी से कमी आई। यह कमी विकसित देशों और तीसरे विश्व की तुलना में बहुत कम थी और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसमें और कमी आती जा रही है। 1950 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद में भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत था जोकि 1980 में कम होकर 1.4 प्रतिशत ही रह गया है। जब हम इस विकास दर को तीसरे विश्व के घरेलू उत्पाद से इसकी तुलना करते हैं तो इसमें और अधिक कमी पाते हैं। दर में कमी हुई है; 1950 में विकास दर 10 प्रतिशत थी जो 1980 में कम होकर 5.4 प्रतिशत ही रह गई। हालांकि इससे, हमारे यहां हुई प्रगति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

मैं इसे मात्र विरोध की भावना से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आर्थिक स्थिति की दृष्टि से निराशाजनक क्षेत्रों की सरकार को जानकारी देने के लिए कह रहा हूं। केवल विकास दर ही नहीं, बल्कि भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था में असमानता में भी वृद्धि हुई है। यह दुःख की बात है कि व्यक्तिगत आय में जितनी वृद्धि हुई है, उसका दो-तिहाई केवल 10 प्रतिशत लोगों को ही मिल पाया, है अतः हम शायद ही कह सकते हैं कि कोई प्रगति हुई है या न्याय मिला है। न्याय के साथ प्रगति की तो बात ही रहने दीजिये। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि न तो प्रगति हुई है न ही न्याय प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश में पैदा हुई साम्प्रदायिक स्थिति का जिक्र किया है। हमें उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा है :

> "जिन लोगों को जनादेश मिला है उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। उनका सबसे गुरुत्तर काम यह है कि वे ऐसे लोगों को अलग-थलग कर दें जो साम्प्रदायिक सद्भावना और शांति को भंग करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं।"

देश के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा व्यक्त नीति का, मैं पूरी तरह से समर्थन कर सकता हूं। लेकिन मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्हें जनादेश मिला है, वे इस समय सत्ता पक्ष में हैं। क्या वे इस नीति को अपनाने के सच्चे मन से इच्छुक हैं।

लेकिन साम्प्रदायिकता का विष बढ़ता जा रहा है और विडम्बना यह है कि राष्ट्रपति ने जो कुछ अपने अभिभाषण में कहा है, उसके विपरीत सरकारी तंत्र खुद साम्प्रदायिकता फैलाने में भागीदार है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि सरकारी प्रकाशनों में भी साम्प्रदायिकता की झलक मिलती है, सभा में मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना और प्रकाशन निदेशक के पर्यवेक्षण में प्रकाशित हिन्दी प्रकाशन, साकेत अंक, की ओर दिलाना चाहता हूं यह अप्रैल, 1984 का अंक है। पृष्ठ 21 से मैं उद्धृत कर रहा हूं। मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं, यह एक सरकारी प्रकाशन से है। मैं उद्धृत करता हूं :

"हमारी सामाजिक फूट का लाभ उठाते हुए, मुस्लिम हमलावर सारे देश में फैल गये। मन्दिर तोड़े गये, मूर्तियां तोड़ी गई, धर्म-परिवर्तन के लिए मुस्लिम शासकों और मुस्लिमों ने आतंक फैलाने और प्रलोभन देने की नीति अपनाई। ऐसा सामाजिक संकट भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था।"

जब सूचना निदेशक द्वारा ऐसे लेख प्रकाशित किये जाते हैं। और फिर आज जो अयोध्या में स्थिति है, हमें उसका भी सामना करना पड़ता है। अत : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस नीति की वह घोषणा करती है, क्या उसका पालन भी करती है, जो उदाहरण मैंने अभी दिये हैं, उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सही ही कहा गया है :

"सरकार उन सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जिनकी देश के विभिन्न भागों में हुई हिंसात्मक घटनाओं मे जानें गयीं या जो लोग घायल हुए या जिनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।"

ये काफी अच्छे शब्द हैं, लेकिन कार्यवाही में सहानुभूति कहां है ? हिंसात्मक घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधी साफ बच जाते हैं। वे बच जाते हैं औरंगाबाद में, खुद पुलिस ने विभिन्न प्रकार की ज्यादतियों में भाग लिया।

दिल्ली में एक थानाध्यक्ष ने, बिना वजह बिना कारण, जान बूझकर और बदला लेने की भावना से, नजदीक से कनपटियों पर गोलियां चलाई जिसके फलस्वरूप दो लोगों की मृत्यु हो गई। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है। ठीक है यह अच्छी बात है। न तो उस थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है, न ही उसका तबादला किया गया है। ऐसा हो रहा है। गहराई में नहीं जाना चाहता।

औरंगाबाद में, वहां के पुलिस अधीक्षक ने एक बहुत ही विवादास्पद जलूस निकालने की अनुमति दी। जिस दिन वह जलूस निकाला जाना था, उस दिन वह वहां अनुपस्थित था। इसके बाद वहां दुर्भाग्यपूर्ण झगड़े हुए। ढाई घन्टे के लिए पुलिस अध्यक्ष शहर से बाहर था। वह वहां नहीं था-मैं कहना चाहता हू इसमे उनके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार और निर्दयता की झलक नजर आती है।

आपने अपनी सहानुभूति प्रकट की है। इन हिंसक घटनाओं के बारे में आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे यह यहां दिल्ली में हो या औरंगाबाद में या महाराष्ट्र के संगम मेहर में हो, जो लोग प्रभावित हुए हैं या जो लोग जख्मी हुए हैं या मर गए हैं, उनके ब उनके परिवार के लिए सरकार ने अभी तक मुआवजा या सहायता नहीं दी है।

स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मई, 1983 में एक निदेश जारी किया था, जिसमें कई बातें सम्मिलित थीं। इनमें एक थी कि राज्यों को मुआवजे के लिए सांविधिक योजना अवश्य बनानी चाहिए। इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? मई, 1983 में स्व० प्रधान मन्त्री,

श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जारी किए गए निदेश में 15 बातों का उल्लेख था—अल्पसंख्यकों की प्रगति के लिए 15 बातों का उल्लेख था। उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यहां तक कि राष्ट्रपति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके कार्यान्वियन का क्या हुआ।

श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि हम साम्प्रदायिकता की घटनाओं में तीव्र वृद्धि होते देखते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि 'राष्ट्रीय एकता को साम्प्रदायिकता से लगातार गहरा खतरा बना हुआ है', लेकिन मात्र ऐसा कह देने से ही कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को आगे बढ़ कर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और इस खतरे को समाप्त करना चाहिए।

बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जिससे आन्दोलन हुए और बेगुनाह लोगों की जानें गयीं। दिल्ली और अन्य कई स्थानों पर आन्दोलन हुए। मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप घण्टी बजा रहे हैं। लेकिन सरकार यह कहकर कि यह कानूनी मामला है इनसे अपना दामन नहीं छुड़ा सकती। एक जिम्मेदार सरकार को आगे आकर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों की भावनाओं को शान्त करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें न्याय मिले। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 'कुरान' सम्बन्धी मामले में हस्तक्षेप किया था, उसी प्रकार वह इस मामले में भी हस्तक्षेप करे। यह एक बात है कि मात्र यह कहना कि साम्प्रदायिकता से देश की एकता को गहरा खतरा है और इस विशेष स्थिति से निपटने के लिए आगे आना तथा कार्यवाही करना, दूसरी बात है।

अन्त में, मैं संक्षेप में असम का जिक्र करना चाहता हूं। वहां विभिन्न जमीनों पर बसे लोगों से जमीनें खाली कराने की समस्या एक महत्वपूर्ण बात है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि लोगों को बेरहमी से निकाल बाहर नहीं किया जा सकता। खुद सरकार ने वहां रह रहे कई भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार दिया है। उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता।

उन्हें पट्टे दिए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, उसके रहने की और कोई योजना बनाए बिना उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर वह काफी अर्से से रह रहा हो।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि समाज भी सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन भली-भांति करें। यह तभी सम्भव है जब सरकारी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने निर्णय में अनुशासनात्मक अधिकारी को सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अपने पक्ष में कुछ दलीलें पेश करने का मौका दिए बिना अथवा बिना किसी जांच के उन्हें बर्खास्त करने या उनका ओहदा कम करने के दण्ड देने की विवेकपूर्ण शक्ति का जो समर्थन किया है वह निश्चय ही अत्यधिक चिन्ता का विषय है। अभी तक हमारे पास अनुच्छेद 211 (2) (ख) के अंतर्गत मार्गनिर्देश और सरकारी अनुदेश थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अब इन्हें अवैध करार कर दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में उचित संशोधन करना चाहिए, जो कि कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : मैं श्री फैलीरो द्वारा पेश किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हम गत वर्ष की स्थिति को याद करते हैं जब नई सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति जी ने संसद के पहले सत्र को सम्बोधित किया। पंजाब की स्थिति से देश की एकता और अखंडता को गम्भीर खतरा बना हुआ था। असम की स्थिति भी उन लोगों के लिए चिंता का विषय बनी रही जिनके मन में इस देश के लिए प्रेम की भावना है। जैसा कि राष्ट्रपति जी ने पिछले वर्ष दिए गए अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा था कि बातचीत की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। पिछले एक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री और सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने की पहल की और उन्हें सफलता भी मिली। यह सच है और इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पिछले एक वर्ष के दौरान पंजाब समझौता और असम समझौता सरकार की दो बड़ी उपलब्धियां हैं। आज और कल भी विपक्षी सदस्यों ने सरकार की आलोचना की और कहा कि पंजाब समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि पिछले वर्ष किए गए पंजाब और असम समझौते सरकार की दो बड़ी उपलब्धियां हैं ? कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता।

कल श्री शाहबुद्दीन ने बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से भाषण दिया। उन्होंने कहा कि वहां पानी नहीं है, स्कूल नहीं हैं, बिजली नहीं है, काम नहीं है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम सोए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं लेकिन जो सोने का बहाना किए हो उसे नहीं जगा सकते। मैं इन लोगों को उस समय की याद दिलाना चाहता हूं जब वे दो-तीन वर्ष तक सत्ता में रहे। हम इन लोगों की तथा इनके दल की क्षमता को जानते हैं। उन दिनों में क्या हुआ ? और श्री शाहबुद्दीन कहते हैं कि क्या 21वीं शताब्दी में जाने का यही तरीका है। मैं नहीं जानता कि जब हम 21वीं शताब्दी की ओर जाने की बात करते हैं तो उन्हें क्यों कष्ट होता है। मैं जानता हूं कि जब वे सत्ता में थे तो वे प्रगति नहीं कर रहे थे, अपितु वे देश को पीछे की ओर धकेल रहे थे। अतः जब हम 21वीं शताब्दी में जाने की बात करते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का जिक्र किया। मैं विपक्ष के सदस्यों को यह भी याद दिला रहा हूं कि पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, एक दुःखद घटना हुई और संत लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। उस समय विपक्षी दलों, जिनमें मार्क्सवादी पार्टी भी शामिल थी, ने चुनावों को स्थगित किए जाने के लिए बहुत शोर मचाया। वे इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते। यह सरकार अपनी दृढ़ इच्छा निर्णय पर अडिग रही और वहां चुनाव कराए। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए और वहां लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। यह विपक्षी दलों का दोहरा स्तर है। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक सदस्य, मेरे विचार में श्री सोमनाथ चटर्जी ने सरकार के दोहरे स्तर की बात की थी किन्तु विपक्ष का दोहरा स्तर है। असम समझौते के बारे में मार्क्सवादी पार्टी की क्या स्थिति थी, इसकी जानकारी हमें है। जब उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे—मैं समय के अभाव के कारण उन समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने नहीं जा रहा हूं···(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : आप हेलिकाप्टर की बात कीजिए, करुणाकरण की बात कीजिए।

श्री टी० बशीर : मैं ज्योति बसु के बारे भी कह सकता हूं, जब उन्होंने एकाधिकार गृहों को निमंत्रण दिया। मैं मार्क्सवादी दल को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे उनकी सारी बातों के बारे में पता है। आप इस बारे में कुछ नहीं कहते। हमें मार्क्सवादी दल के बारे में बहुत सी जानकारी है···(व्यवधान) कर-अपवंचको तस्करों और काला बाजारी करने वालों के विरुद्ध अनेक छापे मारे गए हैं और बहुत से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। ऐसे कामों के लिये सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दल-बदल विरोधी विधेयक के बारे में उल्लेख किया है। हमें सचमुच यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि अब यह हमारी सांविधिक पुस्तक में है। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि पिछले एक वर्ष से दौरान इस सरकार को बहुत सी ठोस उपलब्धियां प्राप्त हुई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह बात व्यक्त की है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का महत्व गरीबी दूर करना और एक आत्म-निर्भर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है। तीसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के विकास का कार्यक्रम है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कल कहा कि इस सरकार में किसी भी विषय को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। (व्यवधान) यदि यह प्राथमिकता नहीं है, तो प्राथमिकता क्या है ?

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आरिफ की तारीफ करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर : शाह बानो के मामले के सम्बन्ध में आप शहाबुद्दीन से पूछिए वह आपको बता देंगे।

सभापति महोदय : कृपया विपक्ष को सम्बोधित न करें कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री टी० बशीर : मधु दण्डवते श्री शहाबुद्दीन से इसके बारे में पूछ सकते हैं, वह इसी दल में हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरिफ मोहम्मद खां के बारे में आपका क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर : हम जानते हैं कि केरल में एम० वी० राघवन के साथ क्या हुआ। (व्यवधान) हम जानते हैं कि चथुन्नी मास्टर के साथ क्या हुआ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री टी० बशीर : केवल एक मिनट। मैं अन्त में केवल तीन बातें कहना चाहता हूं।

बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने गम्भीर रूप धारण किया है। अगस्त, 1985 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार केन्द्रों में रोजगार पाने वालों के नाम जो पंजीकृत हुए उनकी संख्या 253 7 लाख है। ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे भी कुछ लाख तो होंगे ही यह एक गम्भीर समस्या है। सरकार को एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की योजना बनानी चाहिए। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो स्थिति विस्फोटक बन जाएगी और किसी दिन भी इसका विस्फोट हो जाएगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मैं किसानों की समस्याओं के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मैं विस्तार से इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूं, किन्तु, हर कोई जानता है कि यह एक लम्बे समय से चली आ रही समस्या है क्योंकि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे है। मैं केरल के नारियल उत्पादकों के बारे में कह सकता हूं किन्तु, मैं समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। अतः इन कृषकों अथवा किसानों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाये जाएं। मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यापक कृषि नीति होनी चाहिए।

अन्त में, मैं भूमि सुधारों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। जनवरी में योजना आयोग ने भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति न होने के सम्बन्ध में चिन्ता की। गरीबी दूर करने और कृषि के आधुनिकीकरण में भूमि सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महोदय, फरवरी, 1984 तक के आंकड़ों के अनुसार 4,250 हजार एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया, 2,937 हजार एकड़ अधिग्रहीत किए गए और केवल 2,071 हजार एकड़ का वितरण किया गया। इन आंकड़ों से लगता है कि भूमि सुधार में धीरे-धीरे प्रगति हो रही है। अतः मैं सरकार पर इस बात के लिए बल देता हूं कि देश में भूमि सुधारों को तेज करे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जो अभी मेरे मित्र श्री फैलीरो ने प्रस्तुत किया है, यह एक परम्परागत किन्तु अर्थपूर्ण रीति है। किन्तु, इस वर्ष इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के उच्च संवैधानिक पद और व्यक्तित्व के प्रति प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्री मण्डल द्वारा गत एक वर्ष के दौरान किये गये लज्जाजनक व्यवहार का साहस के साथ सामना करने के लिये विशेष धन्यवाद देता हूं। हमारी संवैधानिक प्रणाली में राष्ट्रपति संसद का एक अंग है और संवैधानिक लोकतन्त्र का कार्यकारी अध्यक्ष है। इस उच्च संवैधानिक पद के प्रति प्रधान मंत्री ने अनादर व्यक्त किया है यह एक ऐसा विषय है जिस पर चिन्ता करने का संसद को पूरा अधिकार है। महोदय, मैं यह बात क्रोध में नहीं किन्तु दुःख से कह रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में बनी इस सरकार को हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के कार्यकरण की जटिलताओं की बहुत कम समझ है। और सबसे बुरी बात यह है कि प्रधान मंत्री ने लिखित रूप में अपनी स्थिति इस प्रकार व्यक्त की है कि उन्होंने बहुत सी परम्पराएं तोड़ दी हैं। यह एक ऐसी सरकार है जो न केवल राजनीतिक और आर्थिक ढांचे से ही वंचित है, किन्तु उसे संवैधानिक और संसदीय जरूरतों और परम्पराओं का ज्ञान नहीं और जिसकी नीतियां उस समय के भावावेग पर आधारित हैं जो हमारी राष्ट्रीय तथा उप-महाद्वीपीय

राज्यतन्त्र तथा समाज के अनुरूप न होकर केवल दिखावे और चालबाजी पर आधारित है। प्रधान मंत्री की उस उत्कटता, सत्तावादी और असंवैधानिक प्रथा की इस सदन द्वारा निन्दा की जानी चाहिए।

ऐसी विरली सरकारें है जिनके आविर्भाव से जनता में इतनी आशाएं पैदा हुई हों। जब श्री राजीव गांधी और उनके दल को एतिहासिक समर्थन मिला, इसकी पृष्ठ भूमि कुछ भी रही हो उसकी मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता हूं, तब जनता को यह आशा थी कि भारतीय राजनीति में जो बड़ी दरारें आ गई थी और राष्ट्र के सामने चुनौती के रूप में खड़ी हो गई थीं वे समाप्त हो जाएंगी और राजनीति को जो हानि पहुंची थी वह पूरी हो जाएंगी। लोगों का यह अनुमान था कि एक नई व्यवस्था देश में उत्पन्न होगी। यह सच है कि कुछ व्यक्तियों को जो यहां बैठे हैं उन्हें इसमें शंका थी और वह यह समझते हैं कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती हैं। आज वह स्थिति कहां है। उसका आकर्षण समाप्त हो गया है। उसकी चमक-दमक समाप्त हो गई है। टेलीविजन के कार्यक्रमों के बावजूद अब वह नहीं है। राष्ट्र में आज गहरी निराशा है। इस सभा की मनोदशा और आपके दल की प्रतिक्रिया इसी प्रवृत्ति की द्योतक है। छवि बनाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी स्थिति को छिपा नहीं सकते हैं। पृथक विचार धारा के लोगों को पुनः एक साथ लाना पुनः सम्भव नहीं है।

यह 'दोस्को' का वर्ष है और 'दोस्को' विचार धारा काम कर रही है। मेरे मित्र श्री माधव राज यहां उपस्थिति नहीं हैं। 'दोस्को' और उसकी विचार धारा क्या है? प्रधान मन्त्री और दूसरे 'दोस्कोस्' उन्हें घेरे रहते हैं वे इसे भली प्रकार समझ सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि उस धनी वातावरण से मेरा सम्बन्ध नहीं है। हम तो केवल उन परिस्थितियों से परिचित हैं—हम कुछ यहां उपस्थित हैं—जो देश में स्वतन्त्रता संग्राम से उत्पन्न हुई नीतियां, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो आन्दोलन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्रमिक वर्ग, दलितों ने पिछले कई वर्षों में जो प्रगतिशील सामाजिक आन्दोलन देश में शुरू किए उनसे ही हम परिचित हैं। विगत एक वर्ष में 'दोस्को' विचार धारा से यह सर्वथा अलग हैं। दोस्को विचार धारा और दृष्टिकोण प्रधान मंत्री द्वारा भारत को 21वीं सदी में ले जाने के खोखले नारे और वायदे की भांति हैं। वर्ष 1985 में उन्होंने यह वचन दिया था कि वह हमें 21वीं सदी में ले जाएंगे। उन्होंने जो भी वायदा किया हो, 14 वर्ष बाद हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे, उस समय किसकी सत्ता रहती है; लेकिन हमारा देश किस परिस्थिति में 21वीं सदी में प्रवेश करेगा और इसमें से लाखों निर्धन व्यक्ति इस सदी में प्रवेश करेंगे हमें इस पर विचार करना है। जो नीतियां इस समय अपनाई जा रही हैं वह देश को टुकड़ों में बांट देगी। इसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। वर्तमान नीति उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो धनी हैं, जिनका आर्थिक स्तर ऊंचा है और जो कुशल हैं। पिछले वर्षों में हमारी नीति की कसौटी यह रही है कि भले ही कांग्रेस हो अथवा जनता—कि गरीब आदमियों का हित किस प्रकार हो।

गांधी जी ने मेरा अभिप्राय वास्तविक महात्मा गांधी से है—नकली से नहीं; क्योंकि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने फायदे के लिए गांधी और नेहरू का नाम इस्तेमाल करते हैं। जब 1947 में कांग्रेस का पहला मंत्री मंडल बना तो गांधी जी ने कहा था :

"जब भी आपको शंका हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ताबीज देता हूं; सबसे गरीब आदमी के चेहरे की कल्पना करो, निर्धन और असहाय व्यक्ति के बारे में कल्पना करो और यह विचार करो कि किस प्रकार तुम उसकी सहायता कर सकते हो और इसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करो।"

आज यह नीति बिल्कुल उलट गई है। चाहे आप बजट लीजिए अथवा राज कोषीय नीति और गरीब आदमियों पर डाला गया बोझा, उद्योग के प्रति अपनाई जाने वाली नीति अथवा रोजगार या विज्ञान और टेक्नालाजी और आत्मनिर्भता के लिए तैयार किया गया मसौदा जिसके बारे में इतनी बातें कहीं जाती हैं अथवा विदेशी पूंजी, बहू राष्ट्रीय उद्योग और एकाधिकारी उद्योगों के प्रति दृष्टिकोण का प्रश्न हो। यह नीति धनी वर्ग के लिए है। देश की प्रतिभा और देश के ससाधनो को बेचने की नीति है। वर्तमान नीति आत्मनिर्भरता के बजाय टेक्नालाजी को उन्नत करने के नाम पर और उपभोक्ता समाज की स्थापना के लिए उस विदेशी प्रौद्योगिकी को देश में लाने का प्रयास है जो हमारी जनसख्या के केवल दस प्रतिशत लोगों के लिए ही महत्व रखती है। इसका अर्थ हुआ लाखों लोगों के लिए गरीबी और मजबूरी, असहाय और धिनोनी जिन्दगी। दोस्को ने जो रूप रेखा हमारे सामने रखी है वह इन्हीं कठिनाइयों की ओर संकेत करती है।

शिक्षा नीति लीजिए। मेरे मित्र चौबे जी मुस्कराइए नहीं। यह गम्भीर विषय है। शिक्षा नीति का उद्देश्य निरक्षरता दूर करना नहीं है लेकिन नई शिक्षा नीति के प्रारूप में इने-गिने लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है इस प्रकार 21वीं सदी में प्रवेश करते समय 45 करोड़ आदमी निरक्षर ही बने रहेंगे।

पिछले वर्ष प्रधान मंत्री ने अनेक जन-जाति, बस्तियां और गाँव देखे। इन बस्तियों में क्या स्थिति है? इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में सामाजिक यथार्थ स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन बस्तियों को देखने लिए जाना प्रधान मंत्री की कृपा ही थी।

4.00 म० प०

प्रबल लोकतांत्रिक समर्थन प्राप्त प्रधान मंत्री अपने ही देश में लोगों की दशा जानने के लिए रवाना हुआ। यह विरोधाभाष है। इन आदिवासियों और हरिजनों की बस्तियों में क्या स्थिति है? उनका दमन किया जा रहा है। आज यहां वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं हैं। उस दिन उन्होंने 105 करोड़ रुपये अथवा ऐसी ही कुछ रकम की चर्चा की थी जो उन्होंने जनजाति क्षेत्र और जनजाति कल्याण के लिए निर्धारित की है। लेकिन इस रकम को वह 1200 करोड़ रुपयों से तुलना करना भूल गए जो उन्होंने हमारे समाज के 10 प्रतिशत लोगों के लिए, अर्थात निगम एकाधिकार और अधिक आय वाले लोगों के लिए दी थी।

यह नीतियां क्या हैं? इनका लाभ किनको मिलता है? दमन करने वाले ही इनका लाभ उठाते हैं। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं है कि प्रधान मंत्री ने जनजाति बस्तियों में किन लोगों से भेंट की?

हमने इस नीति का अर्थात् राजनीति में जो घाव रह गए थे उन्हें भरने की नीति का जोर-

दार समर्थन किया । हमने यह भी कहा कि पंजाब में संत लोंगो वाल और अकालियों के साथ समझौते का हम सतर्थन करते हैं । । लेकिन क्या आपको पिछले चुनावों में प्रयुक्त वह गन्दा शब्द, 'आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव' याद है ? प्रधान मंत्री ने हमारे विरुद्ध शर्मनाक ढंग से टेलीविजन का इस्तेमाल किया और कहा कि हम इस प्रस्ताव के समर्थक हैं और इसका संगत अर्थ यह हुआ कि हम पृथकता वादियों के समर्थक हैं और यही प्रस्ताव अब एक आयोग को अध्ययन के लिए सौंप दिया गया है । और अब यह विषय एक आयोग द्वारा बिचार करने योग्य हो गया है । हमने यह कहा था कि पंजाब में एक विस्तृत आन्दोलन शुरू करने की जरूरत है ताकि गुमराह युवकों को सही मार्ग पर लाया जा सके और चुनाव स्थगित करने की मांग की । लेकिन वहां चुनाव कराए गए और उनके दल की पराजय हुई । प्रधानमन्त्री ने राष्ट्र की विजय के रूप में इसका स्वागत किया । प्रधानमन्त्री ने इसे राष्ट्र की जीत बताया । यह तो गांव के स्कूल मास्टर की तरह बात हुई जो पराजित होने पर भी अपने तर्क पर अड़ा रहता है । लेकिन पंजाब समझौता अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और इस राज्य में विघटनकारी तत्व उभर रहे हैं और समझौते के बावजूद और संत लोंगोवाल के महान बलिदान के बाद भी वहां स्थिति अशान्त बनी हुई है ।

हमने असम समझौते की भावना का समर्थन किया । लेकिन प्रधानमन्त्री के पास असम में भाषायी और आर्थिक अल्प-संख्यकों से मिलने अथवा उन्हें समझाने का समय नहीं था क्योंकि समझौते की घोषणा का समय ऐसा था कि टेलीविजन की तेज रोशनी लालकिले पर उनका इन्तजार कर रही थी और वह समझौते को समझाने से अधिक अपनी छवि चमकाने के लिए अधिक आतुर थे । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि घाव नहीं भरते हैं तो घावों को ढक दो क्योंकि चिकित्सक के पास समय नहीं है । और अब एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है—मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं—उससे उनके दल में भी खलबली पैदा हो गई है । मुझे यह मालूम नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है अथवा इस देश में बहु विवाह प्रथा को प्रोत्साहन देना है । यह हंसने की बात नहीं है । प्रधानमन्त्री सशस्त्र सुरक्षा के घोंसले में बन्द रहते हैं वह आम दुःखी जनता की भावनाओं से सर्वथा अनजान हैं । लोगों में व्याप्त असन्तोष से उन्हें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं है । इस भवन में भी सुरक्षा हम पर अभिभूत हो गई है । मुझे यह देखकर शर्म आती है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रजातन्त्र के इस महान मन्दिर में इतने अधिक सुरक्षा कर्मचारी अपनी उपस्थिति से इसे अपवित्र कर रहे हैं और हम इसे लोकतंत्र कहते हैं । एक व्यक्ति के जीवन के इतने खतरे उनके सामने हैं उन्हें यथार्थ और काल्पनिक खतरे दिखाई देते हैं और वह उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं क्योंकि इसमें उनका निहित स्वार्थ है । जासूसी के बारे में भी यही सच है आपको याद होगा पिछले वर्ष हमने एक नाम सुना था, कुमार नारायण और हमारे देश के प्रधान मंत्री ने समय निकाल कर इसकी घोषणा की और ऐसा प्रतीत होता था कि मानों कि हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्ष को ही खतरा पैदा हो गया था और बाद में यह औद्योगिक जासूसी का अतिरंजित मामला सिद्ध हुआ ।

अब रामस्वरूप नामक एक और धोखाधड़ी करने वाला सामने आया है जांच एजेंसियों को हमारे देश के सामने पैदा खतरों की रोकथाम का काम सौंप कर उन्हें देश में आतंक और भय का वातावरण पैदा करने का काम सौंप रखा है ।

अन्य विषयों के बारे में भी यही सच है दल-बदल विरोधी विधेयक जोर-शोर के साथ पारित किया गया। इसकी शीघ्रता के बारे में हमें भी शंका हुई। उन्होंने कहा कि वह देश में शीघ्र ही स्वच्छ वातावरण बनाने और चुनाव प्रणाली में सुधार करने के इच्छुक हैं, स्वयं नेता के लिये खतरे को दूर करना ही इसका अभिप्राय सिद्ध हुआ क्योंकि हमारे विद्वान विधि मंत्री, श्री अशोक सैन ने, जिनका मैं काफी सम्मान करता हूं, संसद में कहा कि चुनाव संशोधन के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। "निर्वाचन प्रणाली में संसोधन के लिए हम रुक सकते है"। "इस पर सावधानी-पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है"। उन्होंने यह वायदे किये और फिर दल-बदल विरोधी विधेयक जो चुनाव-प्रणाली में संशोधन का ही मूल अंग है उसे पृथक रूप में नेता के हितों की रक्षा के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किया। लोगों को आप कब तक मूर्ख बना सकते हैं।

यही बात गरीबी हटाने के सम्बंध में कही जाने वाली उत्साहपूर्ण बातों के बारे में है, आप किसे फुसलाने की कोशिश कर रहें हैं ? बम्बई में विशाल शताब्दी समारोह मनाया गया यह इस शताब्दी का सबसे विशाल और शानदार प्रदर्शन था। आप तो बम्बई में रहते है 'यह प्रदर्शन काले धन से अछूता नहीं था, इसका आयोजन धारवी की झुग्गियों में रहने वाले ने किया था। उनसे रकम एकत्र कर इसे भव्य प्रदर्शन का रूप देने की कोशिश की गई। मैं इससे सचमुच सहमत हू कि यह राष्ट्रीय घटना थी। प्रधान मंत्री ने सत्ता के दलालों की निंदा करने के लिये इस मंच का इस्ते-माल किया। मेरा अनुमान था कि नई सत्ता के बाद वह सब गायब हो गये हैं क्योंकि उनमें से कइयों को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था। जो लोग हमारी आत्म निर्भरता को भावना के साथ सौदे बाजी कर रहें हैं क्या वे अभी भी हमारे ईद-गिर्द हैं ? पेट्रोलियम मंत्रालय, उर्जा के लिये पूजी-गत उपकरण का आयात, आटो मोबाइल उद्योग ,पुर्जे, एस के डी और सी के डी और प्रतिरक्षा और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं। सरकार की कार्य पद्धति पुरानी ही है केवल बातचीत का ढग बदल गया है। सुन्दर मुहावरों का प्रयोग किया जाने लगा है।

अनेक बातों की चर्चा की जा सकती है। मैं जानता हूं आप समय के बहुत पाबन्द हैं। मैं आपकी इच्छा का पालन करते हुए जल्दी भाषण समाप्त कर रहा हूं।

इतिहास और भाग्य के अद्भुद असाधरण संगम से सत्ता में बैठे 'दोस्को' और उनके नेता यह सोचते हैं कि उन्हें शासन करने, निरंकुश ढंग से सत्ता चलाने, और यह मानकर कि लोग उनकी मनमानी सहन कर लेंगे इसलिए सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए और जिनको आधार मानकर हमारे देश में राष्ट्रीय आन्दोलन पल्लवित एवं पुष्पित हुआ, हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के सब सिद्धान्तों का परित्याग कर लोगों में फूट पैदा करने का जैसे उन्हें अधिकार है। लेकिन यह पागलपन है यह स्थायी रूप से नहीं चल सकता है। भले ही इसके पीछे कोई नीति अथवा मंशा क्यों न हो। चेतावनी की घन्टी पहले ही बज चुकी है।

प्रो॰ मधु दण्डवते : उनसे यह स्पष्टी करण ले लीजिए कि 'दोस्को' क्या है क्योंकि कई सदस्यों के मन में दोस्को और डिस्को के बीच भ्रम पैदा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के

धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। एक वर्ष के अन्दर, लोक सभा का चुनाव होने के बाद, जब से हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली है, तब से निश्चय ही हमारे भारत की साख बढ़ी है।

प्रधान मंत्री जी ने रूस, अमेरिका का दौरा किया। वह यू०के०, जापान, यमन और अलजीरिया भी गये। जहां भी वे गये हैं, वहां की जनता के ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़कर आये हैं। टी० वी० पर पूरे विश्व ने देखा, अमेरिका की जनता ने पहली बार देखा कि भारत का कितना सम्मान है। अमेरिका के अन्दर जाकर पहली बार हमारे देश के नेता ने कहा कि हम आपसे कोई मदद मांगने नहीं आये, हमारे देश को कोई मदद की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रेम से कुछ देंगे तो भी स्वीकार करना गलत बात है। इतने आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास के साथ पहली बार भारत के प्रधान मंत्री ने अमेरिका से किसी चीज की अपेक्षा नहीं की। उसी तरह से अन्य देशों में भी भारत के प्रधान मंत्री का जोरदार ढंग से स्वागत हुआ जिससे देश की भी इज्जत बढ़ी है। हमारे नये प्रधान मंत्री जी ने देश की गर्दन पूरे विश्व में ऊंची उठायी है।

कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था कि हमारे देश में असम और पंजाब की समस्या हल हो जायेगी। उन समस्याओं को हमारे युवा प्रधान मंत्री ने हल किया। उनके नेतृत्व में यह समस्यायें दूर हुई। इकॉनमिक फ्रंट में भी हमारी काफी उपलब्धियां हैं। इनकम टैक्स में साढ़े 22 परसेंट से ज्यादा का कलैक्शन हुआ। कालाबाजारी और सट्टा करने वालों को भी उनका स्थान इस शासन ने बता दिया। अब कोई भी कर-चोरी या स्मगलिंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। देश को बचाने के लिये हमारे प्रधान मंत्री जी लगे हुए हैं।

पंजाब और असम की समस्या हल होने के बाद अब और नई समस्यायें खड़ी हो गई हैं। अब बाबरी मस्जिद की समस्या खड़ी हो गई है। शाहबानो केस पर भी हमारे विरोधी साथियों ने काफी हल्ला मचाया। हमें विश्वास है कि यह समस्यायें हमारे प्रधान मंत्री जी हल करेंगे।

माइनेरिटी और मैजोरटी की भी यह विरोधी पार्टी वाले बहुत बातें करते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी मैजोरटी में है और अपोजीशन माइनेरिटी है। जात-पात में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है। अगर अपोजीशन वाले यह सोचें कि एक दिन में ही पूरे देश की गरीबी दूर हो जाये तो यह सम्भव नहीं है। हम सही दिशा में कदम उठा रहे हैं।

अभी इस बात पर मजाक उड़ाया गया कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। यह साईंटिफिक रिसर्च का नतीजा है कि ड्राई फार्मिस से कॉटन की 4-5 गुना पैदावार बढ़ायी। साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से देश को नई दिशा दी गई है जिससे हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़े। हमारे देश को आजाद हुए करीब 40 साल हो गये हैं। इस बीच में हमने बहुत कुछ पाया है। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री को इस प्रगति से संतोष नहीं है, वह देश को बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें हमारी सरकार अवश्य ही सफल होगी।

अभी कुछ और बातों की तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है। आज अमीर-गरीब में जो अन्तर है, स्वतन्त्रता के बाद उस खाई को हम पाट नहीं सके हैं। आज हम देखते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं वह आज भी मजदूरों के साथ मजाक करने में लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे

नागपुर शहर में टाटा की एम्प्रेस मिल है जो कि 111 वर्ष पुरानी सबसे बड़ी मिल है। उसी के भरोसे पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ। वह मिल जिसमें 70 हजार मजदूर काम करते हैं उसको 5 मई को बन्द करने का नोटिस टाटा साहब ने दिया। इसके बन्द हो जाने से कई हजार मजदूर एफेक्टीड होंगे, मजदूरों का क्या होगा, इस पर विचार करना जरूरी है। चाहे वह कितना ही बड़ा उद्योगपति क्यों न हो, वह अपने पैसे की ताकत से दबा न सके, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सके, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें कानून में भी कोई संशोधन करना पड़े तो वह भी अवश्य करें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कई हजार मजदूर भुखमरी से मरें और मालिक अपने एयरकंडीशन चैम्बर में मजा करें। यदि इस तरह की बात वह करते हैं कि 70 हजार लोगों को सड़कों पर फेंकते हैं, उनको भुखमरी से मारने का काम करते हैं तो उनको भी जेल की हवा खानी चाहिए चाहे वह टाटा हों या बिरला हों, किसी को मांफ नहीं करना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

यदि देश की तरक्की करनी है तो कोआपरेटिव क्षेत्र मे ही तरक्की हो सकती है। आज हमारे यहां पर शक्कर की कमी होती है। परन्तु शक्कर के कारखानों को हम लोग परमीशन क्यों नहीं देते हैं ? सरकार को अड़चन क्या है कोओपरेटिव क्षेत्र में परमिशन देने में ? हमारे विदर्भ क्षेत्र में पच्चीसों अर्जियां पड़ी हुई हैं। किसान बोलते है कि आप कारखाना लगाइये, हम गन्ना उगाने को तैयार हैं। सिंचाई के साधन न होते हुए भी लोग हिम्मत करते हैं। परन्तु उन लोगों को भी कोआपरेटिव सोसाइटी लगाने की परमिशन नहीं दी जाती और किसानों की जो सोसाइटीज हैं उन को भी केन्द्र सरकार से परमिशन नहीं मिलती। इस तरह से शक्कर के कारखाने नहीं खोले जा सकते। इससे हमारे इलाके का ओद्योगीकरण नहीं हो सकता और हमारे इलाके में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अर्बन डवलपमेंट के लिए आज हमारी सबसे बड़ी समस्या शहरों की है। पूरी गांव की आबादी शहरों में चली आ रही है। शहरों में साधन बिलकुल लिमिटेड हैं। वहां पर साधन नहीं हैं। वहां वह पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली की लाइन नहीं दे पा रहे हैं। लाइफ बड़ी मिजरेबल हो गई है। गरीब लोग झोपड़ पट्टी में रहते हैं। झोपड़ पट्टी में रहने वाले गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। या तो आप एम्पलायमैंट गांवों के अन्दर जेनरेट कीजिए जिससे वहां एम्पलायमैंट मिले और लोगों को सस्ते ब्याज पर कर्जा मिले। इस पर ध्यान देना चाहिए। कुटीर उद्योग वहां पर बढ़ाए जायें। शहरों की जो जनता है, झोपड़ पट्टी में जो वहां गरीब लोग रहते हैं उनके जीवन को सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार से देकर उनकी जो दुख भरी स्थिति है उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। शहरों का समुचित ढंग से विकास हो, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है क्योंकि कारपोरेशनों के पास जिनकी जबावदारी है शहरों को डेवलप करने को उनके पास पैसे नहीं हैं। उनको फण्ड की जरूरत है। वह आज गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं। उनकी समस्या हल करने के लिए केन्द्र सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन कर के आपने जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : महोदय, प्रारम्भ में मैं प्रधान मंत्री के प्रति उचित सम्मान प्रकट करते हुए उनसे हुई निराशा व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषयों से राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए उनसे भेंट करने की स्वस्थ परम्परा की उपेक्षा की है।

उन्होंने उनसे कई महीनों से भेंट नहीं की है जबकि देश को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अब मैं विषय पर आ रहा हूं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हाल ही में हुई पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है जिससे देश की जनता के दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं हमारी वेन का किराया भी बढ़ गया है जो कि पहले एक रुपया था वह दो रुपया हो गया है। सरकार का कहना है कि ऐसा करने का कारण है देश में संसाधनों को बढ़ाना है। इस बहाने या तर्क का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि सभी सरकारी विभागों या दफ्तरों के खर्चों में कमी लाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं। उदाहरण के लिये, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़ी मात्रा में घाटा हुआ है, और ये घाटे की रकम 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के लगभग है। इन घाटों को कम करने अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मुनाफे में चलाने के लिये कोई भी प्रयास नहीं किया गया है।

मैं एक बात और बताना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। भूतपूर्व उप राष्ट्रपति के पुत्र ने अपने नेतृत्व में अप्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर एक विशेषज्ञों की परामर्शदायी समिति बनाई है जो कि सरकार की ओर से काम कर रही है और इन्हें विदेशी मुद्रा में 20 लाख रुपये के लगभग की रकम प्रति महीना दी जाती है। यह विषय सभा के समक्ष आयेगा तथा धीरे-धीरे आपको मालूम हो जायेगा। इस तरह सरकार हमारी मेहनत की कमाई को राजकोष से खर्च कर रही हैं। एक तरफ तो ज्यादा संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वे मूल्यों में वृद्धि कर रहा है तथा दूसरी ओर वे अनुत्पादक कामों पर धन खर्च कर रहे हैं।

कानून एवं व्यवस्था की व्यवस्था राजधानी में बदतर होती जा रही है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन राजधानी में किसी न किसी स्थान पर कोई कत्ल न हुआ हो। लोगों के कत्ल हो रहे हैं परन्तु कत्ल करने वालों का कोई पता नहीं चलता है। उस समय सम्पूर्ण देशों में रोष व्याप्त हो गया जब हमारे एक सम्मानित साथी को दिन-दहाड़े कत्ल कर दिया गया। हमें एक साल बाद भी यह मालूम नहीं हुआ कि अपराधी कौन हैं और ऐसा क्यों हुआ आम आदमी की जान की कोई सुरक्षा नहीं है।

चुनाव सम्बन्धी सुधार के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ष और हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग चुनाव सुधारों के बारे में सुझाव देता है। हमारे देश में बहुत से प्रतिष्ठित एवं राजनेता सदन में तथा बाहर वर्षों से चुनाव सम्बन्धी सुधार के बारे में कहते रहे हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है सिवाय प्रधान मंत्री जी द्वारा दल-बदल विरोधी विधेयक लाने के। जो चुनाव वे हर पांच वर्ष में कराते हैं उनमें कई खामियां हैं। हाल ही में, चुनावों में पैसे तथा शारीरिक बल की काफी बड़ी भूमिका रही है तथा काफी बड़ा खतरा है अगर हम देश तथा लोकतन्त्र को इसी तरह बनाये रखना चाहते हैं।

दुर्भाग्य से इस वर्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है यद्यपि पिछले वर्ष उन्होंने अपने अभिभाषण में यह वायदा किया था कि चुनाव सुधार जल्दी ही किये

जा रहे हैं। अब सरकार कहती है कि उन्हें सलाह-मशविरे एवं समय की जरूरत है, यह अविलम्बनीय काम नहीं है। वे प्रत्येक वर्ष इसमें फेर-बदल करते हैं अभी भी देखना बाकी है कि सरकार स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये चुनाव सम्बन्धी सुधार करना चाहती है।

सबसे ज्यादा दुःख की बात है कि पंजाब समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। प्रारम्भिक सफलता के बाद आतंकवादियों की स्थिति काफी मजबूत लगती है तथा उन्होंने स्वर्ण मन्दिर पर भी कब्जा कर लिया है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मेरा सुझाव है कि पंजाब में की जा रही अन्धा-धुन्ध हत्याओं को तुरन्त रोकने एवं शांति स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएं।

एक तरफ तो कश्मीर जल रहा है। कांग्रेस दल में भी कुछ लोग आ रहे हैं तथा दिल्ली में ठहरे हुए हैं। इस बारे में हम अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला है। उन्हें मुख्य मंत्री को पद से हटने के लिए कहना चाहिए। इसकी बजाए कश्मीर में सरकार चल रही है और हाल ही में वहां पर भ्रष्टाचार एवं हिंसा बढ़ी है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री डी० एन० रेड्डी : मेरे दल को 20 मिनट का समय मिला है। हमें 20 मिनट लेने का अधिकार है। हमारे दल से सिर्फ एक वक्ता कल बोला था।

सभापति महोदय : कुल मिलाकर अब तक आप 13 मिनट अधिक समय ले चुके हैं। कृपया दो या तीन मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री डी० एन० रेड्डी : एक और बड़ी खेद जनक बात यह है कि पंजाब में उग्रवादियों को पाकिस्तान से प्रोत्साहन मिल रहा है। तथा अब ब्रिटेन भी कुछ उग्रवादियों को नागरिकता देने के बारे में सोच रहा है। इससे पता चलता है कि इन दोनों देशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

सरकार का देश की सर्वोच्च न्यायाधिक प्राधिकरण के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यद्यपि शाहबानो के मामले में हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उचित करार देना चाहिए था परन्तु चर्चाओं तथा सलाह-मशविरे के नाम पर इसमें कुछ वक्त लगा परन्तु अन्त में सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करते हुए सभी विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद एक विधेयक पुनः स्थापित कर दिया। मंत्री जी के त्याग पत्र से एवं उनके इस आरोप से कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने समुदाय के सभी वर्गों से परामर्श नहीं किया पता चलता है कि यह मामला कितना गम्भीर है। यह आवश्यक है कि सरकार पुनर्विचार करें तथा सम्पूर्ण बात की जांच करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन करें ताकि सम्पूर्ण देश को पता चल सके कि सरकार के विचार क्या हैं तथा इस मामले विशेष में सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध क्यों किया है।

इसके अतिरिक्त आप भिन्न-भिन्न समुदायों में अन्तर नहीं कर सकते। कानून सभी भारतीयों के लिए एक ही होना चाहिए चाहे वे मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम।

गरीबी-हटाओ कार्यक्रम पर हम काफी समय से बोलते आये हैं। यह हटी नहीं है। गरीबी सदा के लिए यहीं पर है। ऐसा लगता है कि यह बढ़ रही है। अमीर व्यक्ति ज्यादा समृद्ध होते जा रहे है तथा निर्धन ज्यादा निर्धन। ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना की जा रही है तथा शहरी क्षेत्रों को दूर-दराज के गांवों की लागत पर लाभान्वित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किये जा रहे हैं जबकि हमारे दूर-दराज के क्षेत्रों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु गंगा तथा पोलावरम परियोजनाओं को किसी न किसी बहाने की वजह से वर्षों से स्वीकृति नहीं दी गई है। जबकि पिछले एक-दो वर्ष से काफी पत्राचार होता रहा है परन्तु छुट-पुट मुद्दों की वजह से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए 30 करोड़ रुपए दिए गए जबकि उसने 300 करोड़ रुपए की मांग की थी। बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति पर झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये थे। हम दूसरे राज्यों को मदद देने में मनाही नहीं कर रहे हैं परन्तु हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि सभी राज्यों के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। काले धन का चलन हो रहा है तथा विस्मयकारी सीमाओं पर पहुंच गया है। बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों से काला धन पकड़ने के लिये वित्त मंत्रालय ठीक कर रहा है परन्तु राजनीतिज्ञों ने जो धन इक्ट्ठा किया है उसे पकड़ने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह साधारण सी बात है कि बहुत से राजनैतिक रातों-रात करोड़ पति बन गये हैं। मेरे विचार में अभी तक किसी भी राजनीतिज्ञ के यहां छापा नहीं मारा गया है। यह सबको मालूम है कि ऐसे बहुत से भ्रष्ट राजनैतिज्ञ हैं।जन्होंने अथाह धन जमा कर लिया है। हाल ही में करोड़ों रुपया बम्बई अधिवेशन में खर्च किया गया था। यह पैसा कहां से आया ? स्वाभाविक है कि यह औद्योगिक घरानों का ही है। इसकी जांच की जानी चाहिए तथा सरकार को इसका उत्तर देना है।

राष्ट्रीय औषध नीति में खामियां हैं। आज-कल दवाइयां इतनी महंगी हैं कि साधारण आदमी उसे खरीद ही नहीं सकता। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि एक औषध नीति बनाये ताकि दवाइयों की कीमत कम रहे।

आम आदमी को बदले में कोई लाभ दिये बिना रेल भाड़े में भी वृद्धि की गई है। हम यह भी कहते आये हैं कि टी. टी.डी. के खर्चे पर तिरुपति में उच्च शक्ति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करके दूरदर्शन को सौंप दिया जाये। केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता दिये जाने का कोई वायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

जनसंख्या, आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटीकरण में वृद्धि होने की वजह से बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। हम आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटीकरण के खिलाफ नहीं है परन्तु साथ-साथ हमें बेरोजगारी की समस्या की ओर भी ध्यान देना है। विदेशों में मकान बनाने के लिये पूर्व निर्मित निर्माण सामग्री उपयोग में लाई जाती है। दिल्ली में भी हाल ही में एक सेमिनार हुआ था। खेद की बात है कि हम अभी इस तरह की सामग्री मकान बनाने में उपयोग करने की स्थिति में नहीं है इससे

समय तथा पैसे की काफी बचत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पूर्व निर्मित सामग्री की काफी आवश्यकता है।

इन कारणों को मद्दे नजर रखते हुये बड़े खेद की बात है कि हम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

4.25 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तुत किये गये राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हू। मैं इस अभिभाषण का तहे दिल से समर्थन एवं स्वागत करती हूं। राष्ट्रपति अभिभाषण में लगभग सभी बातों का उल्लेख किया गया है। जैसे शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर, महिलाओं का विकास, कृषि सम्बन्धी समस्याएं, युवकों की समस्याएं आदि आदि। मैं अपनी सरकार को अवश्य ही बधाई दूंगी जिसने निर्धन व्यक्तियों के उत्पादन के लिए ठोस कदम उठाये हैं। भारत सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधायें, उर्वरक, विद्युत तथा बीज की उन्नत किस्में उपलब्ध कराई हैं। इसीलिए हमारे देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार है। तथा हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे ग्रामीण व्यक्ति भी आगे आयें तथा 21वीं सदी में पदार्पण करने की सोचें।

हमें हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पर गर्व है। उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल विरोधी पक्षों के विचार जानकर मुझे वास्तव में दुःख हुआ। मैंने बड़ी शांति से उनको सुनने की कोशिश की ताकि मैं जान सकूं कि वास्तव में उनके विचार क्या हैं। हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कोई रचनात्मक सुझाव तथा हल सुझाया गया था? मुझे यह सुनकर धक्का लगा कि विरोधी पक्ष से इस तरह का कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया। वे हमेशा हमारी सरकार की छवि धूमिल करने तथा कांग्रेस दल को दोषी ठहराने की कोशिश करते है।

मैं इन विरोधी दल के सदस्यों से पूछना चाहूंगी : क्या वे अपने देश को तबाह नहीं कर रहे हैं? मैं नहीं जानती कि सी० पी० एम० दल का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कहां चले गये हैं। महोदय, कांग्रेस दल ही एक मात्र दल है जो अपने देश का हित देखता है और वे अपने निजी लाभ को नहीं देखते हैं। वे देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमने अपने देश की खातिर अपने महान राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को खो दिया है। हमने ही देश के लिये अपनी महान नेता तथा देश की मां, श्रीमती इंदिरा गांधी को खो दिया। वह अब नहीं हैं। हम उनकी इस आवाज को नहीं सुन पायेंगे हमें मानव जाति के लिए न्याय चाहिए। अपने अन्तिम भाषण में उन्होंने कहा था :

> "मुझे परवाह नहीं कि मैं जीऊँ या मरूं, मैं अपनी अन्तिम सांस तक जनता की सेवा करती रहूंगी। अगर मैं मरती हूं तो मेरे खून की प्रत्येक बूंद हमारे देश को शक्तिशाली बनायेगी और भारत की एकता को अमर बनायेगी।"

अब, हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी इस सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। परन्तु ये देश की

जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु क्या देश के लिए उन सदस्यों की तरफ से कोई बलिदान किया गया है ? कोई नहीं। मुझे यह सुनकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस दल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये देश को तबाह कर रहे हैं। अत: मैं इन दोस्तों से निवेदन करूंगी कि हमें देश की एकता पर विचार करना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर देश तथा लोगों की सामूहिक भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हमारी प्रार्थना जनता की आम खुशहाली के लिए हो। यह हमारी कांग्रेस दल की सरकार ही है जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर सकती है।

जुलाई, 1985 में सरकार ने पंजाब की एक बहुत विकट समस्या को हल करने के लिए बहुत बड़ा कार्य शुरू किया। हमारी मुख्य चिंता थी एकता और अखंडता की शक्तियों को मजबूत बनाना। यह नीति उत्कृष्ट राष्ट्रीय हित को पूरा करने के उद्देश्य से थी। उग्रवाद पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत हुई। आसाम समझौते के पश्चात् विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव कराये गये। एक नयी सरकार ने सत्ता संभाली है। सरकार पंजाब तथा असम समझौतों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में हमारी सरकार गरीब लोगों के उत्थान में रुचि रखती है। इस संदर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूंगी ! महोदय, सरकार ने अगस्त, 1985 में एक 'स्टेटस पेपर' "शिक्षा की चुनौती" नाम से प्रकाशित किया था। इसका उद्देश्य समस्या तथा विकल्पों पर एक विस्तृत और गहन राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिए प्रेरित करना था। परन्तु मुझे यह उल्लेख करते हुए खेद होता है कि कुछ राज्यों में कुछ वामपंथी मित्र छात्रों तथा आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने को बहुत इच्छुक है। छठी पंचवर्षीय योजना में 150 लाख परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता देने का लक्ष्य था, वास्तव में 166 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गयी जिसमें से 64 लाख अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जातियों के थे। इन कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए तथा इसके अन्तर्गत 10 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाने के लिए फालतू खाद्यान्न भण्डार का प्रयोग 1986-87 में किया जायेगा। हमारे प्रधानमंत्री इन सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया लागू करने के इच्छुक हैं।

महोदय, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ? केन्द्रीय सरकार इस राज्य में कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों के लिए बनी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता दे रही है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार जिसे मार्क्सवादी दल के लोग चला रहे हैं, उस राशि को इन गरीब लोगों पर खर्च नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार इन लोगों को ऋण के रूप में नकद राशि देने को बहुत इच्छुक हैं परन्तु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में नकद राशि की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि वह इस धन को राज्य में दलीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राज्य में लोगों की सुरक्षा कहां है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौबे जी आप मौके पर आ गए हो।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं इस अवसर पर उल्लेख करूंगी कि इस 20- सूत्री कार्यक्रम को पश्चिमी बंगाल में चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल तभी गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगों के साथ न्याय हो सकेगा। महोदय, पश्चिमी बंगाल में अब बहुत से उद्योग बन्द हो गये हैं और बहुत से उद्योग बन्द होने जा रहे हैं। इन उद्योगों के बन्द होने का कारण राज्य द्वारा अपनायी गयी नीति है। परन्तु वे केन्द्रीय सरकार दोष देते हैं। अगर कोई राज्य की इस स्थिति का कारण पूछता है तो वे कहेंगे कि मामले पर गौर किया जा रहा है और राज्य सरकार इसके लिए कुछ करेगी। परन्तु, महोदय, अन्त में हजारों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरे विचार से उन्हें बेरोजगार रखना सरकार की नीति नहीं है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को ही उद्योगों की रुग्णता और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे बन्द न हों और इन गरीब लोगों तथा श्रमिकों को सामान्य रूप से कार्य मिले और वे अपनी जीविका कमा सकें। अब पश्चिमी बंगाल की वर्तमान स्थिति क्या है? कुप्रबन्ध की वजह से, वामपंथी होने के कारण तथा मजदूर संघो के कारण ये सभी उद्योग बन्द हुए हैं। मैं जानना चाहती हूं क्या केन्द्रीय सरकार के पास पश्चिमी बंगाल में अपने दल का शासन कायम करने का कोई प्रस्ताव है ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों को, राज्य को तथा राज्य के लोगों को बचाया जा सके। हम सभी जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है मुझे अपने राज्य और वहां के लोगों की बहुत फिक्र है।

मैं बेरोजगारी समस्या का भी उल्लेख करना चाहूंगी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में भर्ती पर लम्बी अवधि के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और हजारों बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश कर रहे है। केन्द्रीय सरकार को इन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ नई परियोजनायें शुरु करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शरणार्थियों की समस्या के महत्वपूर्ण मामले को नहीं लिया गया है। मैंने इसके बारे में कई बार उल्लेख किया है। शरणार्थियों की समस्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में यह एक संवेदनशील तथा ज्वलंत समस्या है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस समस्या को देखने के लिए पुनर्वास विभाग को पुनः खोलने का निवेदन करती हूं। इन लोगों को पट्टे देने के मामले में काफी भेदभाव किया जा रहा है। वे रोजाना चिल्ला रहे हैं। सी० पी० आई० (एम०) के लोग इस मामले को राजनैतिक रूप देकर हमारी सरकार को दोषी ठहराने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए पुनर्वास विभाग को पुनः खोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय (घोसी) : अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने श्री एडुआर्डो फलीरो द्वारा प्रस्तुत तथा माननीय श्री जैनुल बशर द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। राष्ट्रपतिजी ने दोनों सदनों के सदस्यों का एक साल की उपलब्धि की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। एक साल पहले जब हम चुनाव में गए थे तो हमने एक वायदा किया था कि अगर हम शासन में आए तो सबसे पहले आसाम और पंजाब की समस्या को प्राथमिकता देकर

हल करेंगे। हमने यह भी वायदा किया था कि यदि हम सत्ता में आए तो इस बात की कोशिश करेंगे कि जो दल-बदल हो जाता है और जो दुरूपयोग उसका होता है, उसको रोकेंगे। जिस बात का हमने संकल्प किया था, उसको सत्ता में आते ही सबसे पहले हल किया। पंजाब और आसाम में किसी भी पार्टी की सरकार हो लेकिन श्री राजीव जी ने जो वायदा किया था उसे पूरा करके दिखाया। आज पंजाब समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन हमें कोई कहने वाला नहीं है कि हमने नहीं किया। जो सही सोल्यूशन हो सकता था, वह हमने किया।

[अनुवाद]

जैसा कि इब्सन ने कहा था, समस्या समस्या ही है और वह समस्या ही रहती है।

[हिन्दी]

उसे हल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इन रीयल पर्सपेक्टिव हल किया जा रहा है। कृषि विकास में हम आगे बढे हैं और उद्योगों को बढ़ावा दिया है। सबसे जरूरी बात यह है कि उन गरीबों की ओर देखें जिनको दिनभर काम करने के बाद शाम को एक रोटी के लिए दिक्कत हो और शाम को फाकाकशी करने पर उतारू होते हों। यह सरकार बहुत सोच-समझकर उनकी ओर देख रही है। ऐसा कोई नहीं है जो मशक्कत करता हो और शाम को उसे सोचना पड़ता हो कि शाम को क्या खायेंगे। इस दिशा की ओर सरकार ने देखा है और गाँवों की तरफ सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है। दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसके बारे में मैंने सभी लोगों से बात की और आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता।

माननीय इन्दिरा जी ने इस देश में एन०आर०ई०पी०, मिनिमम गारंटी प्रोग्राम, आर० एल०ई०जी०पी जैसे कार्यक्रम इसलिए चलाए कि देश के गरीब को, किसान को, बेरोजगार को, निर्धन को जिसका हम सबसे पहले मिले। हर गांव में प्रकाश जाए। श्रम की महत्ता बढ़े। ऐसा न हो कि केवल कुर्सी पर बैठने वाले ही समझें कि हम असली जिन्दगी जी रहे है बल्कि जो मशक्कत करने वाला है, वह भी समझे कि वह भी कुछ है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और संयोग से हमारे प्रधानमन्त्री भी इस सदन में मौजूद हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं और सारा सदन मुझसे सहमत होगा कि एन०आर०ई०पी० कार्यक्रम का पैसा ज्यादातर ठेकेदारी में जा रहा है। तीस-पैंतीस परसेंट से ज्यादा काम कहीं भी नहीं हो रहा है। उसमें से पच्चीस-तीस परसेंट पैसा तो अधिकारियों की झोली में चला जाता है और 25-30 परसेंट पैसा उन गुण्डों और ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है जो जबर्दस्ती इस काम को ले रहे हैं। जब एन०आर०ई०पी० योजना बनाई जा रही थी तो किसी के मन में यह बात नहीं थी, किसी की मन्शा नहीं थी कि इस काम को ठेकेदारों के जरिए कराया जाए, लेकिन आज शायद आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा, कोई अपवाद भले ही कहीं हो, कि जहां यह काम ठेकेदारों से न कराया जा रहा हो। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हमारी सरकार दृढ़ता और दृढ़-संकल्प के लिए मशहूर है, सारी दुनिया में इसका नाम हो रहा है और यही कारण है कि हिन्दुस्तान की जनता उस पर भरोसा करती है, हमारी सरकार को फैसला करना होगा कि गरीब का हक, गरीब की थाली

में जाए, उसके घर में जाए, मजदूरों को उसका काम मिले। लेकिन आज ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है, यह सही है।

दूसरी विडम्बना यह है कि हम जिस बात की कल्पना करते हैं, पता नहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी भी करती है या हम लोग जो यहां चुनकर आते हैं, वे ही करते हैं कि आज गरीब कहीं काम के बिना तो नहीं मर रहा। मैं जिस इलाके से आता हूं वह पूर्वांचल का इलाका है, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में स्थित है और बहुत गरीब है। पश्चिमी हिन्दुस्तान में गरीबी की स्थिति यह है कि वहां ठेकेदारों को मजदूर नहीं मिलते हैं। वैसी स्थिति देश के किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। इसलिए ठेकेदारों से काम करवाने की प्रथा पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए अन्यथा जब गरीब लड़ेगा तो हम उससे हिसाब मागेंगे। मैं चाहता हूं कि इसकी एक्यूट मौनीटरिंग होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। यदि काम ठेकेदारों से हो रहा है और मजदूर को उसका पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसे कामों को खत्म करना पड़ेगा और किन्हीं दूसरी अच्छी योजनाओं के जरिए गरीबों को राहत पहुंचानी होगी। मैं चाहूंगा कि इस ओर हमारी सरकार कदम उठाये।

मान्यवर, मैं यहां पूर्वांचल की बात कह रहा था जो बहुत गरीब हैं। आपको याद होगा कि इसी सदन में विश्वनाथ सिंह जी गहमरी ने एक वक्तव्य दिया था कि जिस पर हमारे राष्ट्र-नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू जैसे व्यक्ति पसीज-से गए थे। उन्होंने तुरन्त पटेल आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी। पटेल साहब की अध्यक्षता में गांव-गांव में जाकर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का अध्ययन किया गया। उन्होंने सिफारिश की कि एक अलग यूनिट बनाकर, गरीबी की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी सेवाओं को देखते हुए, यदि धन नहीं दिया गया तो पूर्वांचल में जन-असंतोष निश्चित रूप से बढ़ेगा, लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी, निर्धनता बढ़ेगी, अशिक्षा फैलेगी। वहां के पुल पुलिया, मदरसे सब इस तरह से रो रहे हैं और उनकी फटेहाली का चित्रण इस सदन में कई बार हो चुका है। राजीव जी पर हमारी पार्टी को ही नहीं, पूरे देश का इत्मिनान है, और खासकर गरीब लोगों को, गरीब इलाकों को पूरा भरोसा है। जिस तरह से वे राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान रहें हैं मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार फिर निवेदन करूंगा कि वहां के लिए जो थर्मल पावर की योजना, पुलों की योजना, इण्डस्ट्रीज की योजना, एच० ई० एल ०, बी एच० ई० एल० की योजना ले जाने का काम रुका हुआ है, लाख आश्वासन और जरुरतों के बाद वैसे ही पड़ा है, वहां का गरीब कलकत्ता, बम्बई जाकर दिन-रात रिक्षा चलाता है और कुछ उसे नहीं मिलता।

इसलिए मान्यवर, जैसे देश को भरोसा है, वैसे ही पूर्वान्चल को बहुत बड़ा भरोसा है उन पर भरोसा करके ही इस बार पूर्वान्चल की जनता ने 30-35 साल के बाद उनकी पार्टी को जिताया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय राजीव जी से निवेदन करूंगा कि वे पूर्वान्चल की इकाई बनाकर उस कार्य को पूरा करें।

चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सलीम आई० शेरवानी (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री फैलीरो द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, 1985 के वर्ष में हमने काफी रचनात्मक परिवर्तन देखे हैं। हमारे प्रधान मंत्री के प्रयत्नों से पंजाब समझौते होने से पंजाब में चुनाव का शान्तिपूर्ण वातावरण तैयार हुआ। हमने उग्रवाद पर लोकतंत्र की विजय देखी। अब कानून व्यवस्था कायम करके इस राज्य की प्रगति तथा समृद्धि के लिए कार्य करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद आसाम समझौते को सफलता पूर्वक लागू किया गया। अभिभाषण में, साम्प्रदायिकता से बड़ी कोई बुरी बात नहीं है। और हम सभी को यही प्रयत्न करना चाहिए कि जो दल अथवा लोग ऐसी भावनाओं के लिए उत्तरदायी हैउनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाये। हम युवा हैं। हम साहसी हैं। हमारे अन्दर अपने देश को आगे ले जाने की राजनैतिक इच्छा तथा इरादा है। जब मैं युवा कहता हूं, तो इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि हम स्वयं सब कार्य करना चाहते हैं। हम यह पूर्णतया महसूस करते हैं कि हमें हमारे बुजुर्गों के अनुभव तथा बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना होगा और उनकी गलतियों से पाठ सीखना होगा ताकि हम अपने 60-70 वर्षों के जीवन काल में वहाँ से कार्य शुरु करें जहाँ उन्होंने हमें लाकर खड़ा कर दिया है और अपने देश को प्रगति की तरफ ले जा सकें। हमने कोशिश की है, हम आगे बढ़ रहे हैं। समर्पण की भावना मौजूद है और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे प्रधानमत्री एक सप्ताह में दस दिन जितना कार्य कर रहे हैं। रोष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं जैसे पंजाब और आसाम समझौते, दल-बदल विरोधी विधेयक, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उठाये गये कदम, लोक अदालतें, युवा विकास के कार्यक्रम इत्यादि। अतः संक्षेप में, हम वर्ष 1985 को एक समझौतों, सन्धियों, शान्ति अर्थव्यवस्था में उदारीकरण तथा विकास के लिए ठोस उपाय के रूप में देख सकते हैं।

हमने देखा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली में काफी वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। परन्तु एक क्षेत्र जहां हमें अधिक ध्यान देना होगा, वह है शोधन-संतुलन की स्थिति। आयात में काफी वृद्धि हुई है और निर्यात में मंदी रही है। हमें पैट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग में कमी करनी होगी। हमें विदेशी संस्थाओं तथा बैंकों की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखना होगा। हम विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं कर सकते। प्रधानमन्त्री के सोवियत रूस ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, क्यूबा इत्यादि की विदेशी यात्राओं से हमारे देश की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है और यही कुछ हैं जिसे देखा जाना चाहिये तथा जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए। सभी विकास शील देशों ने हमें अपना नेता मान लिया है और महा शक्तियां हमारे विचार सम्मान-पूर्वक सुनती हैं।

इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन अंत में विपक्ष से मेरा अनुरोध है कि वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए महज विपक्षी दल होने के नाते हमारे द्वारा कही गई किसी बात या काम का विरोध न करे। महोदय, हम जो भी निर्णय लें वह व्यावसायिक तथा सुविचारित हों और हमें देखना चाहिए कि भविष्य में इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा। हम भावुकतापूर्ण या ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो हमें कुछ समय के लिए लोकप्रियता दे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : स्पीकर साहब, मुझे अभी आपका हुक्म मिला है कि टाइम कम है इसलिए उसका लिहाज रखते हुए मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं। यह जो प्रेसीडेंट का फतवा उन्होंने 20 तारीख को पेश किया है उस सिलसिले में काफी चर्चा हो चुकी है अपोजीशन की तरफ से भी और रूलिंग पार्टी की तरफ से भी। अपने-अपने ख्यालात हैं, जो जिसके दिमाग में होता है, कहते हैं।

अभी मोहतरमा बेनर्जी काफी चीख रही थीं और अपोजीशन के ऊपर हिट कर रही थीं ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्टस गंज) : यह असंसदीय है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपना फैसला तो करने दीजिए। उन्होंने जो कहा है, मैंने सुन लिया है। ... (**व्यवधान**)

महफूज अली खां साहब यह "अच्छा" शब्द नहीं है। नाट डिगनीफाइड। ... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : आवाज तेज है।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं महफूज अली भाई से यह अर्ज करना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की है "अच्छा शब्द नहीं है" उनकी जिन्दगी में अच्छी बातों से रिश्ता रहा ही नहीं है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : ये मेरे बुजुर्ग रहे हैं। मुझे साहब यह कहना था प्रेसीडेंट एड्रेस के सिलसिले में कि इन्होंने मौजूदा हालात को न देखते हुए कि मुल्क में क्या हालत हो रही है, क्या तूफान मचा हुआ है, उन चीजों को दिमाग में न रखते हुए इस चीज को पेश किया है।

जनाब स्पीकर साहब, पिछले साल प्रेसीडेंट साहब ने अपने एड्रेस में इलैक्शन लांज के बारे में कहा था। जब इलैक्शन हुए, इलैक्शन में क्या-क्या किया गया, किस तरीके से बूथ-केपचरिंग की गई, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट मशीनरी का (**व्यवधान**) यहां तो यह हिसाब है कि जिसने जो काम गलत किया, इस सरकार में उसकी पदोन्नति हुई है। आपने अखबारों में देखा, कोई साहब गवर्नर बन गए, उन्होंने इलैक्शन करवाया था। जो भी कोई साहब हों, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, कोई भी हों।

अनएम्प्लायमेंट का मसला है, आप जाकर देखिए, देश के अन्दर किस कदर इंसान परेशान हो रहा है और आप गरीबी का नारा लगाते हैं कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, इस प्रकार से गरीबी दूर होगी। जनाब स्पीकर साहब, आप कहते हैं कि डवलपमेंट हुआ है मैं कहता हूं कि

डिवेलपमेंट नहीं हुआ है, यह जितना भी पैसा गरीबों के नाम पर आप दे रहे हैं, यह उनको नहीं मिल रहा है, पैसे को सरकारी मशीनरी खा जाती है ब्रोकर्स, दलाल लोग बैंकों में होते हैं, वे बैंकों के बाहर बैठे रहते हैं, वे पैसा इन गरीबों को नहीं लेने देते हैं और खुद खा जाते हैं। यह सरकार की हालत है। चूंकि समय बहुत कम है और आपसे हुक्म हो चुका है, इसलिए ज्यादा न बोलकर अब मैं समाप्त करता हूं। वैसे मैं बहुत कुछ बोलता।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी पांच बजे बोलने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा न बोलकर सिर्फ दो-तीन बातें कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, उसे न दोहराते हुए,...

अध्यक्ष महोदय : पाइंट बनाईए।

डा० गौरीशंकर राजहंस : मान्यवर, हड़तालों और बन्द से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारे विपक्ष ने बन्द का जो आह्वान किया है, उससे शहर और देहात के मजदूरों और गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है, वे बेचारे भूखों मरते हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि अब "बन्द" और "हड़ताल" की राजनीति को खत्म कीजिए।

दूसरी बात मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि रोजगार की समस्या पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। रोज बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हजारों हजार मजदूर गाड़िया में भरकर दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद आते हैं। उनकी वहां इतनी गरीबी है, जो देखी नहीं जाती है। होना यह चाहिये कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हों।

इस देश में आजादी के 38 बरस के बाद भी पीने के पानी का पूरा इंतजाम नहीं हो पाया है। मैं जब उत्तर बिहार में जाता हूं और देखता हूं कि एक ही तालाब में लोग नहा रहे हैं, शौच आदि के लिए पानी ले रहे हैं और उसी में से पानी पी रहे हैं और खाना भी उसी पानी से बना रहे हैं तो मेरी आत्मा रो जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिये।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि रीजनल इम्बैलेन्स को खत्म करना चाहिये। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इस देश के पिछड़े हुए प्रदेश हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए।

मैं पब्लिक सैक्टर का समर्थक हूं लेकिन इसके लासेज हम कितने दिन तक रहते रहेंगे। जब एक बस प्राइवेट सैक्टर में रहती है तो फायदा होता है, और पब्लिक सैक्टर में आ जाती है तो नुकसान होता है। इस तरह से सारे लोगों को बढ़ाकर कर देना होता है, टैक्स देना होता है, क्योंकि किराये अधिक देने होते हैं। अच्छे मैनेजर यदि आपको प्राइवेट सैक्टर से मिलें तो उनको लेकर पब्लिक सैक्टर यूनिट चलाइये। यदि लगे कि पब्लिक सैक्टर यूनिट ठीक से नहीं चल सकेगा तो उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाये 1,2,4,10 हजार हजदूरों के लिये पूरे देश की टैक्स न दिया जाये।

इसके बाद एक ही बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बैंकों के बारे में बड़ी शिकायत

हैं। जहां-जहां मैं अपने क्षेत्र में गया दूसरे लोग भी अपने क्षेत्रों में गये हैं, वहां बैंकों के बारे में बड़ी शिकायतें देखने को मिलती हैं। मैंने इस बारे में श्री जनार्दन पुजारी जी से कहा है, वह इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां से रिपोर्ट मंगाकर बैंकों की स्थिति सुधारी जाये। अर्बन एरिया में भी बैंकों में जितना फ्राड हो रहा है, वह कभी नहीं हुआ, इनकी स्थिति सुधारी जाये।

4.58 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अन्त में मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में देश की हालत में और अर्थ-व्यवस्था की हालत में जितना सुधार आया है, वह पहले कभी नहीं आया था पड़ोसियों से जितने अच्छे सम्बन्ध हमारे हुए हैं, पिछले 38 साल में नहीं हुए। प्रधान मंत्री जी इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ कौशल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री फैलीरो द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक संतुलित दस्तावेज है। इसमें गत वर्ष की सरकार की उपलब्धियों और आगामी वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की जानकारी होनी चाहिए।

अभिभाषण की शुरूआत हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार द्वारा लिए गए दो महत्वपूर्ण निर्णयों से होती है। अर्थात हम पंजाब और असम की अत्यन्त दुखदायी और जटिल समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि दोनों समझौते ऐतिहासिक और राजनीतिज्ञता के कार्य हैं। मैं पजाब समझौते की ही चर्चा करूंगा।

हम सभी जानते हैं कि पंजाब समझौते के द्वारा उग्रवादियों और आतंकवादी ताकतों को अलग-अलग करने के प्रयास किए गए थे और इसके लिए एकमात्र यही रास्ता था कि पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनाई जाए।

5.00 म० प०

सबका विचार था कि यह एक कठिन निर्णय है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न नहीं होंगे लेकिन प्रधानमंत्री इस पर अटल रहे और उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी। हम सभी जानते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए और पंजाब में चुनाव से लोकप्रिय सरकार बनी। हम सबने सोचा कि संघर्ष तनाव और आतंकवाद का दौर खतम हुआ। लेकिन हमारी आशा के विपरीत ऐसा नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम सुबह अख-

बारों में हत्याओं की खबर न पढ़ें । जैसा कि मैंने कहा यह बहुत दुर्भाग्य की बात है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिक उत्तरदायित्व उन पर है जिन्हें लोगों ने चुनाव में जीता कर भेजा है ।

महोदय, बरनाला सरकार परीक्षण के दौर से गुजर रही है । निसंदेह मुख्यमंत्री जी सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कहना है कि वह कार्यवाही करेंगे लेकिन महोदय मेरे विचार से समय निकला जा रहा है ।

5.02 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है क्योंकि किसी भी सरकार की आधारभूत जिम्मेवारी जनता को कानून और व्यवस्था की स्थिति उपलब्ध कराना है । पंजाब के लोगों में असुरक्षा की भावना है । यह भावना इतनी अधिक है कि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता । उग्रवादी और आतंकवादी हत्या करके सुरक्षित भाग जाते हैं । वे लूटमार भी करते हैं । वे बैंकों को लूटते हैं । एक दिन शस्त्रागार को लूट लिया । किसी को इस बात से मतलब नहीं है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का काम है या केन्द्र सरकार का । आम आदमी को केवल एक बात की चिंता है । उसे अपनी सुरक्षा अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा की चिंता है ।

बटाला में जो कुछ हुआ वह एक बड़े खतरे की घण्टी है । एक और खतरे का संकेत अखबार में प्रकाशित यह खबर है कि लोगों की कर्फ्यू के दौरान हत्या की गई । जैसा कि मैंने कहा यह खतरे का संकेत है और खतरे का दूसरा संकेत इन हत्याओं को साम्प्रदायिक मोड़ देने के लिए किया जा रहा प्रयास है ।

अतः सदन से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करे कि यद्यपि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है, लेकिन जनता को मजबूत और स्थिर सरकार देना भारतीय संसद की जिम्मेवारी है । अगर सरकार अपनी प्रमुख जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करती तो लोग सरकार के इरादों और उसके काम करने की क्षमता में विश्वास खो देंगे ।

हाल ही में चंडीगढ़ में साम्प्रदायिक सदभाव तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई थी । उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण संकल्प भी पारित किए हैं एक तो यह कि इन विघटनकारी ताकतों को अलग-अलग किया जाए और उनका पता लगाया जाए तथा उनके साथ कड़ाई से पेश आया जाए । मेरा निवेदन है कि बरनाला सरकार को इन ताकतों को दबाने के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए अन्यथा सरकार में जनता का विश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है । पंजाब में उद्योग एकदम ठप्प हो गया है । वहां डर और असुरक्षा का माहौल है । मुझे खेद है कि भारत सरकार के यथासम्भव प्रयासों के बावजूद अकाली सरकार आशा अनुरूप नहीं कर पाई है जबकि सभी राजनैतिक दल चाहते हैं कि अकाली सरकार को सफलता मिले । सरकार को काम करना होगा । केवल यह कह देने से वह राज्य पर शासन नहीं कर सकते कि कड़ी कार्यवाही की जायेगी और कार्यवाही न की जाए ।

दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि लोग कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली ऐजेंसी अर्थात पुलिस में विश्वास क्यों खोते जा रहे हैं ? इसके अनेक कारण हैं । इन सब बातों पर सभा में अनेक बार चर्चा हो चुकी है । लेकिन आम तौर पर लोग पुलिस में विश्वास खो चुके हैं । क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि समय आ गया है कि हम केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल का गठन करें ? स्थानीय पुलिस के बजाय अगर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस होगी तो लोगों में विश्वास होगा । लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम स्थानीय पुलिस पर छोड़ दिया गया तो लोगों में विश्वास नहीं होगा । इसलिए मेरा विनय निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर विचार करें कि जहां लोगों में स्थानीय पुलिस में विश्वास नहीं है वहां राष्ट्रीय सुरक्षा बल के गठन का प्रयास किया जाए लोगों की सहायता के लिए ऐसे बल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें लोगों को विश्वास हो ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि न्यायायिक सुधार में सशक्त परिवर्तन करने का काम भारत सरकार ने विधि आयोग को सौंप दिया है । न्यायिक सुधार आयोग का गठन करने का प्रस्ताव था लेकिन लगता है कि यह काम विशेष रूप से विधि आयोग को सौंप दिया गया है । विधि आयोग से मेरा अनुरोध है कि वह इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दें । विधि आयोग के पास बहुत से मामले हो सकते हैं लेकिन आयोग को समय की जरूरत को देखते हुए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ।

एक और महत्वपूर्ण सुधार शुरू हुआ है जिसमें राज्यों को भूमिका निभानी है पर कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं । राज्यों से मेरा अनुरोध है कि वह अखिल भारतीय न्यायिक सुधार का विरोध मत करे । यह बहुत जरूरी है क्योंकि आप प्रक्रिया सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन करते रहें, आप किसी भी तरह का सुधार करते रहें परन्तु बात उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो कुर्सी पर बैठा है । देश में इन उच्च पदों पर जब तक प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भरती नहीं की जानी तब तक वह विश्वास नहीं पैदा हो सकता जो अदालतों में होना चाहिए ।

कुछ राज्यों को भय है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद संभवतः उनका नियन्त्रण इस सेवा पर नहीं रहेगा । लेकिन वे पूरी तरह गुमराह हैं । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा उच्च न्यायालय के अधीन होगी । अतः केन्द्र या राज्य के नियन्त्रण का सवाल नहीं उठता । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए भर्ती की पद्धति में परिवर्तन किया जायगा परन्तु तब उच्च न्यायालयों का नियन्त्रण होगा क्योंकि संविधान के अन्तर्गत न्यायपालिका कार्यपलिका से बिल्कुल अलग है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आज है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह अब भी उच्च न्यायालयों के अन्तर्गत है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : इसीलिए मैं कहता हूं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का विरोध नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरा मामला जिसे शायद फिर एक बार श्री अशोक सेन ने विधि मंत्रियों की पिछली बैठक

में उठाया था परन्तु जिसे बाद के लिये स्थगित कर दिया गया था न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रयास किये जाने से सम्बन्धित था। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि एक समिति थी और मैं उस समिति का संयोजक था। मैंने न्यायालय फीस को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव किया था लेकिन राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। राज्यों ने कहा कि वे न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमने पूरे भारत का दौरा किया। हमने विभिन्न राज्यों से परामर्श किया और सौभाग्य से सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें वे सभी राज्य शामिल थे जिनसे हमने परामर्श किया था। अतः उस दस्तावेज को अभी विधि मंत्रियों के सम्मेलन तथा अन्ततः मुख्य मंत्रियों द्वारा पारित किया जाना है क्योंकि न्याय को इस दृष्टि से आम लोगों को न्यायालय फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी सस्ता बनाने की दिशा में यह एक कदम होगा, हालांकि यह एक छोटा कदम है। यह एक सिद्धान्त है कि अपने नागरिकों को न्याय दिलाना, उसको बेचना नहीं, राज्य का प्राथमिक कर्त्तव्य है, इसलिये राज्य को नागरिकों को न्याय दिलाने के लिये उनसे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। ···(व्यवधान) मैं कड़े शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, अन्यथा ऐसा होता है कि जब कोई नागरिक यह कहते हुए न्यायालय में आता है कि वह मुसीबत में है तो न्यायालय को उससे यह नहीं कहना चाहिये कि "इससे पहले कि आपकी बात को सुना जाये आप राज्य के खजाने में कुछ दीजिए।" मैंने यह कहकर शुरूआत की थी कि न्यायालय फीस समाप्त की जानी चाहिए परन्तु राज्य सहमत नहीं हुए। लेकिन अब उसे युक्तिसंगत बनाने की बात की जा रही है। अतः मैं श्री अशोक सेन से अनुरोध करूंगा कि उनको उस रिपोर्ट को स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिये।

महोदय, बहुत से ऐसे अन्य मामले हैं जिन पर मुझे बोलना था परन्तु जैसा कि मैंने कहा मुझे शुरू में आपका संदेश मिला था कि मुझे अधिक समय नहीं लेना चाहिये। मैं केवल यही कहूंगा कि यह दस्तावेज केवल एक बात दर्शाता है। राष्ट्रपति जी ने कहा और उन्होंने उसे दोहराया कि राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण के दौरान जिन मामलों का उल्लेख किया गया था उनमें से अनेक मामलों को संक्षेप में दोहराया गया और मुझे यह पढ़कर खुशी हुई है : "सरकार ने उन कार्यों को काफी सीमा तक पूरा कर दिया है जिन्हें पिछले वर्ष करने का बीड़ा उठाया था।" अतः कोई भी सरकार वास्तव में गर्व महसूस कर सकती है कि उसने किये गये वायदों को काफी सीमा तक पूरा कर दिया है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई देता हूं कि पिछले वर्ष जो वायदे उन्होंने किए थे उन्हें पूरा किया गया तथा मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वर्ष में जो वायदे किए जायेंगे उन्हें भी पूरा किया जाएगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण वाक चातुर्य प्रदर्शित करने का अवसर नहीं है और मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करूंगा जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने किया है। हमने पिछले वर्ष जो कुछ कहा था जो वायदे किए थे उन वायदों को कहां तक पूरा किया गया है और भविष्य में हमें क्या करना है यह समय इस सब का जायजा लेने का समय है। पिछले वर्ष जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो देश के सामने दो बड़ी समस्यायें थीं—पंजाब में क्या होगा और असम में क्या होने जा रहा है दो आंदोलन चल रहे थे। हमने चुनावों के दौरान तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह वचन दिया था कि सबसे पहले इन दोनों समस्याओं का हल निकाला जाएगा। हमें बहुत खुशी है कि हम पिछले वर्ष इन दोनों राज्यों में समझौते पर पहुंचने

में सफल हुए। (व्यवधान) हालांकि वे इतने खुश नहीं दिखाई देते, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस सत्र में हमारे साथ उन दोनों राज्यों के नए सदस्य बैठ हुए हैं।

महोदय, असम के साथ जो समझौता हुआ है उसके पालन में संतोषजनक प्रगति हो रही है। जो मन्त्रालय इससे संबंधित है हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए है और उस पर जिस ढंग से अमल हो रहा है उससे हम संतुष्ट हैं।

लेकिन पंजाब के मामले में कुछ कठिनाईयां आई हैं। समझौते के एक खण्ड में आयोग की स्थापना का उपबन्ध है जो ऐसे गांवों का पता लगाएगा जो चड़ीगढ़ के बदले हरियाणा को दिए जायेंग। बदकिस्मती से आयोग की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की थी कि हम उस पर कोई कार्यवाई नहीं कर सके। मूल समझौते के अनुसार जिसमें आयोग को यह मामला सौंदे जाने का प्रावधान है, हमें आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करना है और हम वैसा ही कर रहे हैं।

जैसाकि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच आपसी समझौते या इसकी जांच के लिए अन्य आयोग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दूसरे आयोग के संबंध में एक छोटा प्रश्न है क्योंकि हम वही निर्देश-पद नहीं दे सकते जिससे कि हमें वही उत्तर मिले। अतः दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता है लेकिन हमें आशा है कि हम यह कर सकते है तथा हम आगे बढ़ सकेंगे। हम यह भी देख रहे हैं कि समझौते के अन्य पहलुओं, एस.वाई.एल. नहर, जल आबंटन हरियाणा की राजधानी और समझौते के अन्य खण्डों के संबंध में क्या किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश पंजाब में आतंकवादी और उग्रवादी फिर से सक्रिय हो गए है। मैं प्रत्येक को विशेष रूप से पंजाब सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने आतंकवाद के विरूद्ध मतदान किया। अधिकांश लोगों ने अकाली दल और कांग्रेसों दल के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया जिन लोगों ने बहिष्कार का आह्वान किया था मतदाताओं ने उनको फटकारा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मत डाले मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम आतंकवादियों को वैसा ही मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे जैसा कि मतदाताओं ने आतंकवादियों को दिया है तो हम मतदाताओं के साथ इन्साफ नहीं करेंगे। कड़ी धमकयियों के बावजूद मतदाता का सामना करने और इनको खदेड़ने के लिए भारी संख्या में मतदान करने आए। हमें आज यही करना है। हमने पिछले राष्ट्रपति अभिभाषण में एक वायदा यह भी किया था कि चुनाव कानून में सुधार किया जाएगा और सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाया जायेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने अनेक उपाय किये हैं। पहला उपाय दल बदल विरोधी अधिनियम था जिसकी काफी समय से बात की जा रही थी। परन्तु पिछले वर्ष हमने इस सदन में इसे पारित किया। हमने राजनीतिक दलों के लिए कम्पनियों द्वारा दिए जाने वाले चन्दे का भी समाधान किया।

यह विषय कई वर्षों से चलता आ रहा था और यह आरोप लगाया गया था कि यह चुनावों में भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण था। हमने हर वर्ग में, और देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का समाधान किया है। जहां कहीं भी सूचना उपलब्ध हुई हैं, कार्रवाई की गई है। इस मामले में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है या पूर्वग्रह से कार्यवाही नहीं की गई है मैंने बम्बई

में कांग्रेस दल को संबोधित करते हुए और आपके द्वारा दिए गए मध्याह्नभोज में जब मैं विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं से मिला था तब बताया था कि हम कुछ अन्य कदम उठाना चाहते हैं और उनमें से एक यह है कि हम अपने दल के हिसाब किताब को आम जनता के सामने लाना चाहते है। मैंने सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय दलों के कोषाध्यक्षों का एक दल बनाना चाहिए जो यह निर्णय करेगा और हमें सुझाव देगा कि हम इसको किस प्रकार से करें तथा आपकी सहमति से हम आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप क्षेत्रीय दलों को क्यों छोड़ रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : हम उनको भी शामिल करेंगे (व्यवधान)।

एक और बड़ा कदम जो हमने उठाया है वह यह है कि प्रत्येक बड़े ठेके से एजेन्टों अथवा दलालों को निकाल दिया जाये। और यह एक प्रगतिवादी उपाय है। हम ऐसा करेंगे और प्रत्येक मंत्रालय ऐसा करेगा और प्रत्येक ठेके में इसका पालन किया जाएगा।

प्रशासनिक सुधारों के बारे में जो वायदा हमने किया है उस पर हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने कई मंत्रालयों में शिकायत सुनवाई तंत्र की व्यवस्था की है। बैंकों से सराहनीय जानकारी मिल रही है प्रशासन में सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दो अलग-अलग योजनाएं हैं, पहली पुनश्चर्या किस्म का अल्पकालीन पाठ्यक्रम और दूसरी दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम जिसके द्वारा समस्याओं के बारे में अधिक ज्ञान दिया जा सके ताकि देश के एक भाग में यदि किसी के सामने कोई समस्या आई है तो देश के अन्य भागों में समस्याओं को हल करने में वह सहायक सिद्ध हो सके। वरिष्ठ और कनिष्ठ व्यक्ति मिलकर काम करेंगे और इससे प्रशासन में चुस्ती आएगी। कार्मिक नीतियों की पुनरीक्षा की जा रही है। निर्णय लेने में लगने वाले समय, कुछ कार्यवाहियों पर होने वाली लागत को दृष्टि में रखते हुए सरकार की कार्यकुशलता में काफी वृद्धि हुई है। परिणामों और उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है। सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और प्रगति संतोषजनक है और उसके लिए जो धन नियत किया गया है, वह अन्य योजनाओं पर खर्च न किया जाए।

हमने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए एक नई योजना बनाई है जिसके द्वारा ब्लाकों में वास्तविक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रगति का पता लगाया जा सके। उस ब्लाक में प्रत्येक व्यक्ति को जिसे राज्य द्वारा सूचित किया गया है बुलाया जाएगा और उससे बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। मैं आपको यहां कुछ उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, ऋण के लिए आवेदन करने से लेकर ऋण मिलने तक कितना समय लगता है, उस ऋण को प्राप्त करने के लिए यात्रा में कितना खर्च किया गया, उस ऋण का क्या परिणाम हुआ, क्या उसे उससे लाभ पहुंच रहा है ; कौन बैंक सक्रिय है और किस राज्य में। यह एक जटिल काम है। लेकिन यह बहुत साधारण है और आप इसे चार्ट पर बहुत आसानी से देख सकते हैं इससे हमें पहली रिपोर्ट मिली है और कुछ बहुत दिलचस्प जानकारी। हम इसका उपयोग न केवल इसलिए करेंगे कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अपितु जहां कहीं हमें कार्यान्वयन में कमियों का पता चलेगा, किसी विशेष

कार्यक्रम में कमियां पाई जाती हैं या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यक्रम जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, उनको ठीक करने के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। अतः जैसे ही हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, उन कमियों को ठीक करेंगे।

हमने एक नई शिक्षा नीति का वायदा किया है। हमने पिछले वर्ष अगस्त में स्टेटस पेपर तैयार किया था। राष्ट्रीय वाद विवाद आरम्भ हो गया है और बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। संजोया गया है और मानव ससांधन विकास मंत्री इस सत्र में सदन के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे हमने शिक्षा के मूल सिद्धांत का विस्तार करके मानव संसाधन विकास के व्यापक सिद्धांत को अपनाया है जो दो तरीके से कार्य करता है। पहला मानव का वास्तविक विकास जिससे उसे बेहतर मानव बनाया जा सके, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व, उसकी नैतिकता का विकास किया जा सके, दूसरा पहलू यह है कि हमें भविष्य में किस प्रकार के मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी कितने डाक्टर, कितने कृषि वैज्ञानिक, कितनी नर्सें, कितने इन्जीनियर, कितने वैज्ञानिक, किस प्रकार के वैज्ञानिक, किस प्रकार के इन्जीनियर। इस प्रकार का कार्य पहले नहीं किया गया है और जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या आवश्यकता है तब तक हम उस चीज का जिसकी हमें आवश्यकता है निर्माण नहीं कर सकेंगे। हमारे बहुत से वैज्ञानिकों के विदेश चले जाने के पीछे यह भी एक कारण है। वे ऐसें विषयों का अध्ययन करते है जो कम संगत है या जिसकी हमें आज उतनी आवश्यकता नहीं है और हम उनको रोजगार नहीं दे सकते, हम अपने लाभ के लिए उनके ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महिलाओं, बच्चों और युवकों के विकास का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। हमने कई कार्यक्रम शुरू किए है और अनेक कार्यक्रम शुरू किए जाने वाले हैं। पिछले वर्ष हमने "युवा वर्ष" मनाया था। हमने नेहान युवक केन्द्रों को पुनर्गठित किया है, उनको स्वायतता प्रदान की है यह संस्थान बहुत सक्रिय बना दिया जाएगा जिससे देश के युवकों को इससे लाभ मिल सके।

वायदे के अनुसार हमने एक नई कपड़ा नीति लागू की है। इस कपड़ा नीति के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा और लोगों को कपड़ा सस्ता उपलब्ध होगा। इस नीति पर उतनी तेजी से अमल नहीं किया जा सका है जितना कि हम चाहते थे। परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम देखेंगे कि यह तेजी से लागू है। बुनकरों अथवा हथकरघों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम अपेक्षित सुधार करेंगें।

हमने न्यायिक प्रणाली को भी नया रूप देने का वायदा किया था। इस बारे में भी हमने काफी प्रगति की है। श्रीमन, पिछले वर्ष लोक अदालतें स्थापित की गई थीं और मामलों को निपटाने की गति काफी तेज हो गई है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से न्यायालयों पर भार और कम हो जाएगा तथा विधि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि और क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

शहरीकरण की समस्या को हमने पूरी तरह से सुलझाना शुरू कर दिया है। शहरीकरण की समस्या के बारे में हमने एक ग्रुप की स्थापना की है जो अगले 15 वर्षों तक भारत के लिये

शहरी विकास की समूची संकल्पना पर विचार कर रहा है। आज हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आये दिन लोग शहर की ओर भागते हैं। वे गन्दी बस्तियां बनाकर रहने लगते हैं। हमें एक ऐसा समुचित सिद्धांत अपनाना होगा कि शहरीकरण के बारे में हमें क्या करना होगा। शहरीकरण की बातें करते समय मेरा तात्पर्य केवल दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास अथवा कुछ अन्य शहरों से नहीं है। मैं छोटे शहरों के बारे में भी बात कर रहा हूं और मेरे पास उसकी पूरी तस्वीर है कि हमें अपने शहरी ढांचे का विकास किस प्रकार करना है।

एक अन्य आश्वासन हमने गंगा की सफाई के बारे में दिया था। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। इसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। सम्भवतः पहला ठोस कार्य लोगों के समक्ष उस समय आयेगा जब हरिद्वार में अगले महीने कुम्भ मेला होगा जब वे गंगा नदी को और अधिक साफ पायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : और अधिक प्रदूषण होगा।

श्री राजीव गांधी : प्रदूषण के बारे में भी हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसमें हम केवल शोर से होने वाले प्रदूषण की बात रखना भूल गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें कोई चिंता नहीं है। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राजीव गांधी : दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें हंसी और शोर में जो अन्तर है, उसके बारे में पता नहीं है। शोर वह है जो इस सभा में विपक्ष की ओर से सुनाई पड़ता है।

श्री नारायण चौबे : हंसी में शोर नहीं होता।

श्री राजीव गांधी : बेकार भूमि को उपयोग में लाने का हमने एक और वायदा किया था। हमने इस कार्य के लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया है और कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है। इसके लिए हमने बहुत अधिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमें यह पता है। और उसे प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है यह बात भी हमें पता है। इस देश को बनाए रखने के लिए इतना करना आवश्यक है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ़ना ही होगा और बेकार भूमि विकास बोर्ड इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगा। इसका सम्बन्ध सभी लोगों से है चाहे वह युवा है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है चाहे गृहिणी अथवा किसान या भूमिहीन व्यक्ति है।

इस समय पर्यावरण की समस्या बनी हुई है। गत लोक सभा के चुनाव अभियान के दौरान भोपाल में एक बड़ी भयानक त्रासदी हुई थी। इसके बाद एक या दो जगह और भी गैस रिसाव की घटनायें हुई थीं। भाग्यवश वे भोपाल की त्रासदी के समान नहीं थीं। इसके सम्बन्ध में हम इस सत्र में एक व्यापक विधान ला रहे हैं जिसके द्वारा सभी खतरनाक पदार्थों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा और पहली बार हम एक ऐसा विधान ला रहे हैं जिसके अन्तर्गत एक औसत नागरिक कार्यवाही कर सकेगा। यह एक ऐसा विधान होगा जिस पर लोग कार्यवाही कर सकेंगे।

हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी है कि जिस पर हम सबको गर्व है और हमारा विश्वास

है कि हमारा आर्थिक विकास सही मायने में विकास नहीं होगा यदि इससे हमारी विरासत नष्ट होती है और यदि इससे हमारी सांस्कृतिक विरासत में किसी प्रकार की कमी आती है और इसी उद्देश्य से हम सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित कर रहे हैं इसका उद्देश्य प्रत्येक संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट विकास करना है तथा उसका विकास न केवल उसके अपने क्षेत्र में तथा अपने लोगों में ही अपितु देश के चारों ओर अन्य स्थानों में भी करना है। उस संस्कृति को विशिष्ट वर्गों के लिए किसी प्रेक्षागृहों और छविगृहों में बन्द करके रखने का विचार नहीं है अपितु बाजार में सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित करने का है तथा मेलों में प्रदर्शित करने का है जहां सामान्य व्यक्ति पहुंच सके। हमने यह भी निर्णय लिया है कि इन सात केन्द्रों तथा पहले से स्थापित अन्य केन्द्रों के सहयोग से हम दिल्ली में एक वार्षिक सांस्कृतिक पर्व का आयोजन करेंगे जो हर वर्ष सरदी के मौसम में आयोजित किया जायेगा और जिससे देश के हर भाग की संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा जिससे कि वे एक दूसरे के साथ सम्पर्क में आ सकें और एक दूसरे से मिल सकें···(व्यवधान) मैं क्या कर सकता हूं, महोदय ? वे लोग बिल्कुल भी सभ्य नहीं हैं···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सायंकाल का मजाक संख्या 2

श्री राजीव गांधी : कम से कम मैं आप लोग को हंसा तो सका···कम से कम आप हंसे तो सही।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं हसूंगा—उचित समय पर हसूंगा।

श्री राजीव गांधी : बहुत कठिन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम लोग चुपचाप अभी तक हंसते रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आपकी ओर हंसने वाली बहुत सारी गुड़ियां हैं।

श्री राजीव गांधी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे विकास में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। हमारा उद्देश्य अपने लोगों के विकास, गरीबी हटाओ कार्यक्रम तथा सामाजिक दृष्टि से संकल्प क्षेत्रों के लिए है। हम अनेक वैज्ञानिक मिशन स्थापित कर रहे हैं और प्राथमिकता वाले क्षेत्र बना रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी-पूरी निधि मिले और उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध किया जा सके और इन क्षेत्रों में अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हो सकें।

हमने एक और क्षेत्र को चुना है और वह है पेयजल। यह कार्य संभवतः सरल हो, किन्तु इसके लिए उच्च स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विधि को काम में लाना पड़ता है। हमें तिलहनों का विकास, बच्चों का रोगों से प्रतिरक्षण तथा निरक्षरता दूर करना। हम एक नया बायोरेक्नालाजी केन्द्र एक नया बायोटेक्नालाजी विभाग स्थापित कर रहे हैं।

सातवीं योजना श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तैयार किए गए एक ऐसे दस्तावेज पर आधारित है जिसमें खाद्यान्न, काम और उत्पादकता पर जोर दिया गया है। 1947 से जब हमें आजादी मिली थी, हमारी योजना प्रक्रिया, हमारी विकास प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमारे मौलिक विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हमारी सारी योजनाओं, हमारी सभी आकांक्षाओं और हमारे विकास

का मूल आधार वैसा ही बना हुआ है। हमारा ध्येय भारत को एक मजबूत, स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और आत्म निर्भर बनाने का रहा है···(व्यवधान) यदि आप चाहें तो मैं इस बात को दोहरा सकता हूं। किन्तु उचित तो यह होगा कि आप इसे कल लिखित रूप में प्राप्त कर लें। हम वह भारत चाहते हैं जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और जिसके लिए हम सभी वचनबद्ध हैं।

भारत क्या कर सकता है और वास्तव में क्या कर रहा है इसके बीच का अन्तर ही हमारी विकास प्रकिया की प्रमुख समस्या है। हमें इस अन्तर को दूर करना होगा। गत वर्षों में हमारी अत्यधिक उपलब्धियां रही हैं। कृषि उद्योग और हमारे लोगों के जीवन में जो मूल परिवर्तन आए हैं वे सभी के समक्ष हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम आज इससे भी अधिक गति से कार्य कर सकते हैं? हम गरीबों, पददलितों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं और बच्चों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये और अधिक कार्य कैसे कर सकते हैं? हमारी योजना इसी लक्ष्य पर आधारित है। योजना को पूरा करने के लिए सेवा और त्याग चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है—"सुनहरे कल के लिये पीढ़ितों के त्याग से राष्ट्र का निर्माण होता है।" इसीलिये कल के लिये आज हमें कुछ करना होगा।

(व्यवधान)

पंडित जी और इंदिरा जी ने इसकी आधार शिला रखी थी। यह आज भी बरकरार है और कल भी रहेगा और हम उसी आधार पर चलते रहेंगे। हमारे निदेशों और हमारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : शास्त्री जी का क्या योगदान रहा है?

श्री राजीव गांधी : मोरारजी जी का भी रहा है।

कुछ माननीय सदस्य : हमने उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

श्री राजीव गांधी : मैं योजना के बारे में कह रहा था। हमारी योजना के उत्पादन में एक प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कोई योगदान नहीं रहा है। यदि आपको न पता हो तो मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : आप विद्वान लगते हैं। हमारा विकास (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यदि आपको याद हो, तो ये 'शेलिंग' योजनायें हैं, जिन्हें आपने शुरू किया था। यदि आपको याद हो तो, इस योजना ने कुछ लोगों को धराशायी कर दिया था और हम इस बात में बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि यह देश को गर्त में नहीं ले गयी और हम जहां थे वहीं

वापस आ गए। लोग इस बात तो समझ गये हैं कि रोलिंग योजना क्या है और सत्तारूढ़ दल क्या करता रहा है और वे लोग परास्त हो गए तथा आपको बनाए रखा।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : उदाहरण के लिए हमारा विकास 13 प्रतिशत रहा है। इससे हमारी स्वतन्त्रता सुदृढ़ हुई है। यदि हम इस विकास को बनाये रखना चाहते हैं, तो हमें अपने विकास के लिए स्वयं उत्पादन करना होगा। इसके आश्वासन तरीके हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कुछ और कहना है ? कोई और सुझाव है ? महोदय, यथार्थ रूप में मुझे यही कहना था। यदि हम उनके सुझावों पर चलते रहे तो हम स्वतन्त्र नहीं रह सकेंगे। हम अपनी स्वतन्त्रता खो देंगे। संक्षेप में यही है···(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हम वास्तव में आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई कृपा तो नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री राजीव गांधी : अल्पकालिक समाधान उपलब्ध है। उनमें से कुछ तो मेरे मित्रों ने दिये थे। किन्तु वे सब अल्पकालिक सुझाव है और हम उन पर अमल नहीं करेंगे। अपने स्वतन्त्रता संग्राम में हमने अपनी प्रभुसत्ता के लिए कीमत चुकायी है। हम इसे जानते हैं।

महोदय, हमारे कुछ मित्र अपने सिर हिला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वे समझते हैं क्यों कि सभा में विपक्षी दल में बैठे लोगों में से ही अधिकांश लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : कम से कम हम दूसरे पक्ष में नहीं मिल सके। क्या उस बात को भुलाया जा सकता है ? क्या आप भूल सकते हैं ?

पिछले दिन एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया है और अब हमें अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करना होगा और मैं ऐसा महसूस करता हूं जिन लोगों ने अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष नहीं किया है वे यह नहीं जानते कि आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये किस प्रकार से संघर्ष किया जाये···

एक माननीय सदस्य : उस ओर ऐसे कितने सदस्य हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह प्रश्न किसी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सेनानी से जुड़ा हुआ नहीं है।

यह प्रश्न दल की भावना से सम्बन्धित है जिसका गठन स्वतन्त्रता संग्राम के आधार पर हुआ था··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 17 वर्ष पुराना दल ।

श्री राजीव गांधी : निःसन्देह आपको हमारी उस भावना का पता नहीं होगा जिसके आधार पर हमारा स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमने स्वतन्त्रता संग्राम के माध्यम से जो प्रभुसत्ता अर्जित की है उसका हम विकास के सस्ते और आसान तरीकों के साथ विनिमय नहीं करेंगे । हम स्वयं संसाधन पैदा करेंगे और हम देखेंगे कि भारत मजबूत, स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न बना रहे ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकता ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, कुछ दलों के मुख्य मंत्रियों ने, जो बहुत ही खर्चीली परियोजनायें लेकर मेरे पास आये थे, वामपक्षी रवैया अपना लिया है···(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : नहीं महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान सकता ।

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय···

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह प्रधानमन्त्री हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैंने किसी राजनीतिक दल या मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है । शायद, जिस मुख्य मंत्री की बात हम कर रहे हैं, उन्हें आप जानते होंगे । आप किस मुख्य मंत्री की बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं अपने माननीय मित्र से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी नहीं शामिल किया जाएगा अनुमति नहीं दी जाती है । शांति, शांति

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राजीव गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, शायद मैंने किसी दल का नाम भी नहीं लिया। शायद मेरे माननीय मित्रों को इसका निश्चित अनुमान होगा कि यह कौन हो सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी बैठिए, सोमनाथ जी बैठ जाइए आप।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह तो लोगों का अपना-अपना काम है, लोग करते हैं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों घबड़ाते हैं, आपका वक्त आयेगा तो आप कह लीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी : यह बड़ी विचित्र बात है कि बामपंथी विचारधारा वाले दल अचानक ही दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दलों के साथ मेल-जोल प्रारम्भ कर देते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शायद मूल्य वृद्धि जैसे कुछ मुद्दों पर।

श्री नारायण चौबे : केरल में मुस्लिम लोग के साथ गठबन्धन है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यह एक दुःख का दिन है जबकि हमारे बामपंथी मित्रों ने अपनी विचारधाराओं को हवा में उड़ जाने दिया और दक्षिणपंथी ताकतों, प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ मिलने लगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर पुनः थोड़ा-सा विचार करें कि वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

महोदय, विकास के लिए मुख्य शक्ति हमें सार्वजनिक क्षेत्र से मिलनी चाहिए। (व्यवधान) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पैसा तब उपलब्ध हो सकता है जब राज्यों में ऐसी स्थितियां हों कि उन्हें विद्युत मिलती रहे, तथा सार्वजनिक क्षेत्र को काम करने के लिये अन्य सुविधायें भी मिलती रहें।

श्री नारायण चौबे : हम सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

श्री राजीव गांधी : हमें एक मजबूत और सामर्थ्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है जो सार्वजनिक हित के लिए काम करता है, न कि ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र, जो हमारे लोगों का सारा पैसा खींच ले। यह एक मुद्दा है जिस पर हम अपने कुछ मित्रों से भिन्न मत रखते हैं।

श्री नारायण चौबे : यह स्थिति तो आपने ही उत्पन्न की जब आपने निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर रख दिया ।

श्री राजीव गांधी : सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे इस तरह लगातार नहीं बढ़ने दिये जा सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को जरूर बढ़ाया जाना चाहिए और इसे बढ़ाया जायेगा ।

एक अन्य क्षेत्र जो हमारी प्रगति और विकास के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आधार-भूत आदानों की लागत । एक बार फिर, यह प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार हम एक अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था से हट सकते हैं, किस प्रकार हम अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं । जिस रफ्तार से हम चल रहे है यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही कीमतों के कारण हम बाजार से बाहर हो जायेंगे । हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ेगी । इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक अच्छे प्रबन्ध की जरूरत पड़ेगी । साथ ही इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिक से और अधिक कार्य की आवश्यकता पड़ेगी । ये ऐसे निर्णय नहीं हैं जिनमें हम देर कर सकते हैं । उन निर्णयों को लिया जाना और उन्हें अभी लेना होगा । पिछले एक वर्ष में, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है, घाटे कम हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है ।

विदेशी निवेश सम्बन्धी हमने अपनी नीति नहीं बदली है । हमारे आधार-भूत सिद्धान्त और नीतियां पूर्ववत हैं । सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश रहेगा और किसी भी पिछली योजना की तुलना में यह अधिक होगा ।

साथ ही, हमें भारत में जितनी भी उत्पादक शक्तियां हैं, उन्हें जुटाना होगा । हमने ऐसी सारी उत्पादक शक्तियों को बाहर लाने और उत्पादन में लगाने के लिए कुछ निश्चित कदम उठाए हैं । परम्परा से ही हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है और हम उसे बदलना नहीं चाहते ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कुछ राज्यों में पूंजीवादी परियोजनाएं हैं, और इसीलिए वे आपके पास आते हैं । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पेट्रो-रसायन में आप हमारे साथ सहयोग करने से इन्कार कर देते हैं । क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्त ।

श्री राजीव गांधी : यह देखकर अच्छा लगता है कि अर्थव्यवस्था में मिश्रण किस तरह संतुलित है क्योंकि पूंजीपति साम्यवादियों को सन्तुलित कर रहे हैं । मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा ही हम सच्चे अर्थों में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं···

(**व्यवधान**)

श्री राजीव गांधी : मैंने कहा कि हम यह समझते हैं कि हम केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था से

ही स्वतन्त्र हो सकते हैं। यदि आपका कोई भिन्न विचार है तो आप इसे लोगों के सामने रखिए जैसे कि हमने इसे लोगों के सामने रखा और लोगों ने हमें यहां पहुंचा दिया। आपने अपने विचार लोगों के सामने रखे और लोगों ने आपको वहां रखा है। इस बात को मत भूलिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं जानता हूं कि आपका आकार ही फैल गया है। श्री उन्नीकृष्णन, आप आकार पर कुछ कहना चाहेंगे। मुझे लगा कि आप फैलाव के बारे में कुछ कह रहे थे।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, हमारा विश्वास है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से ही हम सच्चे अर्थों में एक स्वतन्त्र तथा आत्म-निर्भर भारत का निर्माण कर पायेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह मिश्रण कैसा है।

श्री राजीव गांधी : यह ऐसा है जैसा कि हम वास्तविक रूप से स्वदेशी विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ-साथ शोध और विकास के भरपूर समर्थन द्वारा अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं।

इस वर्ष हमने रक्षा क्षेत्र में भारी प्रगति की है, शोध और विकास के क्षेत्र में, अपने उत्पादन में तथा अपने स्वदेशी डिजाइनों के क्षेत्र में भी बड़ी तरक्की की है। यहां पर मैं अपने उन माननीय मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने कब एक प्रकार के "बन्द" का आयोजन करवाया था, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था यह वैसा नहीं था···

कुछ माननीय सदस्य : क्या ?

श्री राजीव गांधी : लोगों ने उसे समर्थन नहीं दिया···

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह तो वह रिपोर्ट है जो आपको मिली है।

श्री राजीव गांधी : ठीक है, इस बारे में मैं बहस नहीं करूंगा सिवाय इस बात के कि इन राज्यों में जहां सरकार ने अधिकारिक रूप से कहा कि 'बन्द' रहेगा, परन्तु अधिकांश चीजें चलीं, रेलें चलीं। (व्यवधान) खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा था। मैं यह कह रहा था कि···

प्रो० मधु दण्डवते : आसूचना रिपोर्टों में शुद्धि की जा सकती है।

श्री राजीव गांधी : मैं यह कह रहा था कृषि को निकालने के बाद हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन 450 करोड़ रु० प्रतिदिन है। अब यदि हमने चलिए एक पूरा दिन न रहकर केवल आधा दिन खो दिया हम आपको इसका श्रेय देंगे, तो आपने लोगों के कार्यक्रमों में से 225 करोड़ रु० जलाकर नष्ट कर दिए हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप 1000 करोड़ रु० भी जला दें और लोग चुप रहे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका अपना दृष्टिकोण है। आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है, कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव गांधी : महोदय, हो सकता है कि आंकड़ों की जहां तक बात है मैं थोड़ा इधर-उधर हो सकता हूं लेकिन हाल ही में जो मूल्य वृद्धि हुई है, मैं समझता हूं कि उससे वित्त मन्त्री जी ने लगभग 500 करोड़ रु० ही एकत्र किए हैं—इस संख्या में सुधार किया जा सकता है—और एक दिन में ही आपने उसकी आधी राशि जला डाली है।

6.00 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे लोगों के आक्रोश का पता चलता है।

श्री वासुदेव आचार्य : कृपया लोगों का मन समझाने का प्रयत्न कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : यदि इस देश ने तरक्की करनी है तो यह 'बन्द' आदि से तरक्की नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आंध्र प्रदेश में इन लोगों को क्या हुआ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, प्रत्येक बार जब भी किसी हड़ताल का आह्वान किया जाता है···

एक माननीय सदस्य : किसके द्वारा ?

श्री अमर राय प्रधान (कुचबिहार) : कांग्रेस दल द्वारा कराया जाता है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं यह नहीं कह रहा कि किसके द्वारा प्रत्येक बार जब भी किसी बन्द का आह्वान या हड़ताल का आह्वान किया जाता है, देश को धन गंवाना पड़ता है। यदि एक दिन के 'बन्द' का हमें 450 करोड़ रु० चुकाना पड़ता है तो इस एक दिन के कारण किसी विकास परियोजना के लिए 450 करोड़ रु० कम पड़ जाते हैं। मैं इस सदन के उस पार बैठे अपने मित्रों पर इस बात का आरोप लगाता हूं कि उन्होंने हमारे भारत के लोगों को 225 करोड़ रु० का नुकसान कराया है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आप और आपकी सरकार पर आरोप लगाता हूं कि अपने देश को 1000 करोड़ रु० का नुकसान करवा दिया।

श्री नारायण चौबे : महोदय, इन्हें पण्डित जी, महात्मा गांधी और दूसरे स्वतन्त्रता सेनानियों पर भी आरोप लगाना चाहिए :

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय क्या मेरे विद्वान मित्र कल के 'बन्द' की तुलना उससे कर रहे हैं तो गांधी जी ने कराया था ।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हां, अहमदाबाद में, सारे कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, शायद वह यह भूल रहे हैं कि गांधीजी ने हड़तालों और 'बन्द' का आयोजन अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया था ।

श्री वासुदेव आचार्य : अब, यह पूंजीवाद के विरुद्ध है ।

श्री नारायण चौबे : क्या आप जन-विरोधी हैं या हम जन-विरोधी हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, आज देश का जो नुकसान हुआ है वह ऐसा है जो नुकसान देश के सबसे निर्धन लोगों द्वारा पूरा किया जाता है । यदि हम एक दिन 100 करोड़ रु० का नुकसान उठाते हैं तो इससे देश के निर्धन वर्ग की जेबें कटती हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : आप लोगों की जेबें काट रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, यह केवल अर्थशास्त्र का ही प्रश्न नहीं है । मेरे योग्य मित्रों के लिए 200 करोड़ रुपये या 300 करोड़ रुपए की बर्बादी करना मामूली बात है जबकि यही राशि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए और विकास के कार्य में इस्तेमाल हो सकती थी । लेकिन इससे भी अधिक कहीं बड़ी बात यह है कि वे साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिल जाते हैं ।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : कौन ?

श्री वासुदेव आचार्य : आप साम्प्रदायिक ताकतों के साथ मिले हुए हैं । (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : आरिफ मोहम्मद खान ने त्याग पत्र क्यों दिया ?

श्री राजीव गांधी : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में कोई बात-चीत न करें ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : प्रधान मंत्री हमें अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर रहे है।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। मैं अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा हूं।

श्री नारायण चौबे : ऐसा ही हम कर रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : साम्प्रदायिकता बुनियादी हथियार रहा है जो कि प्राचीन काल से हमारे देश को कमजोर कर रहा है।

श्री नारायण चौबे : ठीक हैं।

श्री राजीव गांधी : आपका बहुत अधिक धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : विषय बदलने के लिए आपने ठीक कहा है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : गोविचेट्टिपालयम् दोपहर को आपने देर से एहसास किया है।

श्री राजीव गांधी : विभाजन और नष्ट करने की उपनिवेशी धारणा आज भी नहीं बदली है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : भाषण का यह हिस्सा बहुत अच्छा है।

श्री राजीव गांधी : कभी-कभी बात को समझने में अधिक समय लगता है। (**व्यवधान**) मैं देख रहा हूं कि इसने बहुत आगे तक प्रभाव डाला है।

यह प्रयत्न जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे विकास शील देशों और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी चल रहा है इन्दिरा गांधी जी के कत्ल के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब हमने पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि अब झगड़ा समाप्त हो गया और अब स्थिति एक दम बढ़िया हो जायेगी। हमने इस बात पर विश्वास नहीं किया। यह केवल आतंकवाद के विरूद्ध पहला कदम था। आतंकवाद का पूरी तरह समाप्त करने में समय लगेगा। प्रत्येक दूसरे देशों में भी आतंकवाद को समाप्त करने में समय लगा है (**व्यवधान**)। आप अपने को दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं जैसे कि आपने ही यह बात कही हो। हमारी तरफ से किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है। भगवान के लिए, आप यह क्यों महसूस करते हैं कि मैं आप पर आघात कर रहा हूं मैं आघात नही कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ने हमारी ओर से उल्लेख किया है। इन बातों के बारे आप अपने आपको इतना अधिक दोषी को महसूस करते हैं।

साम्प्रदायिक ताकतों के विरूद्ध लड़ाई का मुकाबला हमें मिलकर करना चाहिए। हम गांधी वादी परम्पराएं साम्प्रदायिक सौहार्द पंडित जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अस्थिरता पैदा करने वाले आतंकवादियों पृथकतावादियों और साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध इन्दिराजी का संघर्ष विरासत के रूप में मिला है हम उनको असफल नहीं कर सकते। साम्प्रदायिकता को राजनीतिक हथियार के

रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । अगर मैं बाबर द्वारा उसके अपने लड़के हुमायुं के लिए की गई वसीयत से एक वाक्य पढ़ूं ।

"यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सभी प्रकार के धार्मिक पक्षपात को अपने दिल से निकाल दें।"

उसे हमें आज करना है ।

स्वतन्त्र भारत का एक आधार यह भी रहा है कि अल्पसंख्यों को जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं को पूरे अधिकार दें ।

मैं आपसे महिलाओं के विषय में बात करूंगा । कुछ ही समय पहले किसी ने आपको इस बारे में बताया जो आपने नहीं पढ़ा है उच्चतम न्यायलय ने शाहबानो के मामले में अपना निर्णय दिया है जिसने अल्पसंख्यक वर्गों के मस्तिष्क में कुछ अनिश्चिताएं उत्पन्न कर दी है क्या ये अनिश्चिताएं किसी ठोस बात पर आधारित है या नहीं इसका फैसला हमें नहीं करना है किन्तु तथ्य यह कि कुछ अल्पसंख्यकों को यह आशंका है स्वतन्त्रता के समय जो गारंटी उन्हें दी गई थी उसे समाप्त किया जा रहा है ।

हमारा देश धर्म निरपेक्ष है । लेकिन क्या धर्म निरपेक्षता की परिभाषा यह है कि "कोई धर्म नहीं" हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म के साथ मिलकर चलना चाहिए दूसरे धर्मों को अपने व्यक्तिगत नियम बनाने की आज्ञा देकर हम सहास्तित्व के अधिकार का सत्यापन करते हैं इससे हमारी धर्म निरपेक्षता एक नहीं होती वास्तव में हमारी धर्म निरपेक्षता का यह मजबूत संघटक है यह भारत की बुनियादी ताकत है कि प्रत्येक धर्म को अपने ढांचे के अन्दर ही कार्य करने की स्वतन्त्रता है हम किसी धर्म को कुचलने या दबाने की कोशिश नहीं करते ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : प्रधान मंत्री महोदय हमारा समाज आपका आभारी है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं अगले मुद्दे पर आता हूं मैं आपके सभी मुद्दों का उत्तर दूंगा क्योंकि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : उनका समर्थन यह दिखाता है कि आप कितने धर्म निरपेक्ष हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : दूसरा प्रश्न जो उठाया गया था वह यह था कि क्या मंगलवार को इस सदन में एक विधेयक लाकर हमने धारा 125 और 127 के अधीन महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं । धारा 125 और 127 हमारी महिलाओं को क्या देती है और क्या नहीं देती है । (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं नहीं सोचता कि आप इस बारे में जानते हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जब इस विशेष धारा को पारित किया गया था तब आप सदन में नहीं थे और केवल यह ही अन्तर है। मैंने इसमें हिस्सा लिया था कुछ बातों के बारे में आपको जानकारी करानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सर्वप्रथम स्वीय कानून के अंतर्गत यदि तलाकशुदा को उसका पूरा भत्ता मिल चुका है तो धारा 125 लागू नहीं होती क्या मैं ठीक हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हां जी।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : अब अगर कोई तलाकशुदा अपने व्यक्तिगत कानून द्वारा कोई लाभ प्राप्त कर रहा है तो क्या हमें उस मुस्लिम तलाक को स्वीय कानून के लाभ से वंचित करना चाहिए।... **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हिन्दू कानून, ईसाई कानून, पारसी कानून ये सब कानून न्यायालयों में संहिताबद्ध रूप से उपलब्ध है। हमारे न्यायालयों में उस ढंग से मुस्लिम कानून उपलब्ध नहीं था। एक धार्मिक समुदाय को कानून बनाने के अधिकारों से वंचित क्यों करे यदि वे उस कानून को अपनाना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : देश के उस कानून का क्या होगा जिसकी उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : किसी भी ढंग से धारा 125 या 127 को इस कानून द्वारा कम नहीं किया गया है इस धाराओं में जो व्यवस्था है मुस्लिम महिलाओं को इस कानून के अन्तर्गत प्राप्त कर उस से कहीं अधिक मिल रहा है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वह महिला न्यायालय में क्यों गई। शाहबानो उच्चतम न्यायालयों में गई और उसे यह निर्णय मिला।

श्री राजीव गांधी : कई बातों को प्रभावी होने में अधिक समय लग जाता है। आप ध्यान से सुने तो आप समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम इस कानून को आगे क्यों लाये हैं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं अगर महिला स्वयं पर निर्भर है तो धारा 125 लागू नहीं होती यह लागू तभी होती है जब वह गरीब होती है। यह प्रत्येक महिला पर लागू नहीं होती धारा 125 विशेष रूप मे स्वीय कानून तक ही सीमित है एक बार आप स्वीय कानून का सहारा लेते हैं तो धारा 125 लागू नहीं होती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको पूर्वाग्रह है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : धारा 127 इस दृष्टि से धारा 125 को सीमित करती है कि अगर महिला स्वीय कानून के अधीन देय भत्ता प्राप्त कर रही है तो धारा 125 और धारा 127 उस पर लागू नहीं होती।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसलिए हमारा कहना है कि धारा 127 को वापस लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका दृष्टिकोण है यह आपका दृष्टिकोण है आपका अपना दृष्टि हो सकता है आप उन्हें सुनें।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे की ओर जा रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : हम पीछे की ओर नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके सोचने का तरीका है।

श्री राजीव गांधी : धारा 125 तथा 127 किसी भी मायने में महिलाओं के दहेज अथवा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। धारा 125 और 127 में दोबारा कहूंगा किसी भी प्रकार से सम्बन्धित महिला को दहेज या मेहर देने से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : धारा 125 और 127 महिलाओं को उसकी सम्पत्ति का अधिकार नहीं दिलाती हैं। उसकी सम्पत्ति, दहेज आदि संबंधी अधिकार उनके स्वीय विधि के अन्तर्गत आते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री राजीव गांधी : नहीं, महोदय । मैं उनकी बात नहीं मान सकता । महोदय, मेरी बात गलत नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये उनके सोचने का तरीका है । आप अपने ढंग से सोच सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब इस विधेयक पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है ।

श्री राजीव गांधी : हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा लगता है विधेयक को विचार के लिए पहले ही लिया जा चुका है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हमने हम सत्र के दौरान कुछ चीजों को सभा पटल पर रखा है तथा मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा । क्योंकि उस पर प्रश्न उठाये गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : महोदय, श्रीमती शाहबानो के मामले को ही लीजिए । उसे धारा 125 तथा 127 के तहत छः वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ा । छः वर्षों तक अदालत में मुकदमा लड़ने के बाद उसे 500 या 200 रुपए या ऐसा ही कुछ दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजरी) : मैं आपको स्थिति से अवगत कराऊंगा । उन्हें 179.25 रुपये दिए गए ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैं यह आंकड़े ठीक कर लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह तो बाटा कंपनी के जूतों के दाम जैसा लगता है ।

श्री राजीव गांधी : महोदय, छः साल तक अदालत में धारा 125 के तहत लड़ने के बाद उस महिला का 179 रुपया प्रति महीना दिया जाता है तो क्या आप यह कह सकते हैं कि धारा 125 महिलाओं को संरक्षण प्रदान कर रहा है । इससे महिलाओं को समुचित संरक्षण नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : सिर्फ एक ही प्रश्न है और वह यह है कि जो विधेयक हम लाये हैं वह मुस्लिम स्वीय विधि की परिधि में आता है या नहीं ? यह प्रश्न तकनीकी है। राजनैतिक प्रश्न, तथा यह प्रश्न क्या महिला के अपने अधिकार होने चाहिए, इन प्रश्नों को हम सुलझा सकते हैं तथा इस विधेयक पर विचार करने के बाद और यह निश्चय करने के बाद कि जो यह विधेयक लाया गया है वह धर्मनिरपेक्ष विधेयक है, जैसा कि बताया गया है···(व्यवधान) जी हां, किसी विशेष धर्म संबंधी स्वीय विधि को लाने से हमारी धर्म निरपेक्षता में किसी तरह से कमी नहीं आती है।

(व्यवधान)

जहां तक विधेयक के क्रियात्मक भाग का संबंध है, मैंने सदन में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई भी ऐसा मूल मसला उठाया जाता है जिससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं तथा जिसके बारे में हम संतुष्ट हैं कि कहे मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार नहीं है, तो हम इस पर पुनः अवलोकन करने के लिए तैयार हैं।

प्रो० मधुदंडवते : कल आपके अपने दल की बैठक है।

श्री राजीव गांधी : आज भी हमारी बैठक थी आज सुबह भी। आप परेशान मत होईए। मेरी बैठक में आपके दल के लोग भी थे। हम क्या चाहते हैं ? जब हम देश की ओर देखते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि देश का बंटवारा हो और यहां कठिनाईये पैदा हों ?

हमें बताया गया था कि विपक्ष से सलाह नहीं ली गई थी तथा इस विधेयक के बारे में दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए थे। दस महीना की अवधि में क्या आपका कर्त्तव्य नहीं था कि इस पर ध्यान आकृष्ट करवाते ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : तब आपके वायदे का कोई अर्थ नहीं होता।

श्री राजीव गांधी : आप भूल गए हैं कि हमने आपको बुलाया था और आप नहीं आये थे। आप भूल गये हैं कि आप को बुलाया गया था तथा आप पहुंचे नहीं थे।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको भी उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राजीव गांधी : मुझे कहने दीजिए कि उनके न आने का एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि ये हम विधेयक पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करना चाहते थे·····(व्यवधान)

प्रो० मधुदंडवते : यह बात कार्यवाही वृतांत में आनी चाहिए कि यह सही वक्तव्य नहीं है। अगले दिन सुबह 2 बजकर 30 मिनट पर प्रधान मन्त्री कार्यालय से हमें एक पत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि उस दिन 10 बजे हम बैठक में उपस्थित थे। अतः इस बात पर यह कहना गलत है कि हम उनके साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे। आप इसमें राजनीति को लाने की कोशिश मत करिये।

श्री राजीव गांधी : चूंकि आपको मालूम था कि किस मसले पर चर्चा की जानी थी। इस पर चर्चा होनी थी। (व्यवधान) कुछ ऐसे मसले थे जिन पर चर्चा नहीं हुई थी।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : प्रो० मधुदण्डवते ने एक वक्तव्य दिया है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पुरःस्थापना की अवस्था में जब यह मसला उठाया गया था तो उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि देश में किसी भी दल या अल्प संख्यक के मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि जो उनके मूल अधिकार हैं, वे उस समुदाय से छीने जा रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : यही बात समुदाय के लोग सोच रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : दुर्भाग्य से आज विपक्ष भी अल्पसंख्यक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में मत बोलिये (व्यवधान)। कोई चर्चा नहीं,.....

श्री राजीव गांधी : आज हमें जरुरत है राष्ट्रीय एकता की। हम यह देखने की जरुरत है कि ऐसे मसले जो हमारे देश को विभाजित करते हैं, उन्हें इतना ज्यादा न उछाल दें कि वे नियंत्रण से बाहर हो जायें। हमें देखना हैं कि इस तरह के मसलों को राजनैतिक प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाया जाए। सिर्फ सहनशीलता, मित्रभाव तथा आपसी सामंजस्य से ही हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं।

तभी हम अपने सपनों का भारत संघों सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : हम सर्वसम्मति तथा समझौते की राजनीति में विश्वास करते हैं। परन्तु सर्वसम्मति तथा मेल मिलाप को दुर्बलता अथवा अनिर्णय नहीं समझना चाहिए इस वर्ष के दौरान, दुनिया में भारत का स्थान और ऊंचा हुआ है उसका कारण है दुनिया के विभिन्न मंचों पर हमारे द्वारा भाग लिया जाना। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं, सोवियत संघ जो कि हमारा पुराना एवं विश्वसनीय मित्र है।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : वे हमारे कुछ मित्रों को पसन्द नहीं करते है। हम क्या कर सकते हैं ? किसी भी देश की मित्रता सोवियत संघ तथा भारत की मित्रता में परिवर्तन नहीं ला सकती। तालियों लिये धन्यवाद।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जब कभी भी आप समझदारी की बात करते हैं हम सभी आपके साथ सहमत होते हैं।

श्री नारायण चौबे : जब कभी भी आप उचित बात कहते हैं हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

श्री राजीव गांधी : इस वर्ष हमने अमरीका के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किया है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : ना वे ताली बजाते हैं न ही हम।

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं क्या कह सकता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के दौरान···

श्री बसुदेव आचार्य : आप यहां राष्ट्रीय विकास परिषद को क्यों ला रहे हैं ?

श्री राजीव गांधी : मैं इसलिये कह रहा था क्योंकि आपने सोवियत संघ और अमेरिका का नाम लिया था। मैं उन्हें इसके साथ जोड़ना चाहता था। आप समझ गये मैंने क्या कहा है जब मैंने ऐसा कहा तो उस समय आपने कुछ कहना शुरु किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं थे। अतः इस बारे में मैं उन्हें बता सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले ही शर्म आ रही है।

श्री राजीव गांधी : राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में एक मुख्य मंत्री सम्पूर्ण योजना के बारे में शिकायत कर रहे थे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्हें यह विचार पसन्द नहीं आया और वह थोड़ा सा असमंजस में थे तथा बैठक समाप्त होने के समय उन्होंने कहा" मैं क्या कर सकता हूं अगर आप मुझे पैसा नहीं देंगे ? क्या मैं इग्लैंड और अमरीका की ओर इस प्रयोजनार्थ देखूं ? "मैं आपको नहीं बताऊंगा वह कौन थे···(व्यवधान) हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जब पूर्व की एक मुख्य मंत्री पश्चिम की ओर आस लगाता है।

श्री नारायण चौबे : क्या मजाक है।

श्री राजीव गांधी : लेकिन महोदय हमें तकलीफ इस बात से है ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस गम्भीरता से नहीं कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें से मुख्य मंत्री शब्द को निकाल दें। यह अच्छी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे मजाक में कहा है।

प्रो० मधुदण्डवते : प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री का उल्लेख कर रहे हैं। अगर आप इस मजाक में कह रहे हैं तो ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ मजाक है।

श्री राजीव गांधी : परन्तु, महोदय ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पूर्व में खड़ा व्यक्ति पूर्व दिशा को नहीं देख सकता। उसे पश्चिम की ओर

आस लगानी पड़ती है ।

श्री राजीव गांधी : परन्तु, महोदय हमें चिन्ता तब होती है जब हमारे बामपंथी मित्र दक्षिण-पंथी लोगों की ओर देखना शुरु करते हैं । इससे हमें दुख होता है।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ हुआ, वे मित्र जो छोड़ गए हैं ।

श्री राजीव गांधी : हमारे बामपंथी मित्र ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सोचा कि आपने कहा है वे मित्र जो छोड़ कर चले गये हैं ।

श्री राजीव गांधी : वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाते हैं, न कि हर रोज ।

(व्यवधान)

महोदय, इस वर्ष भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । हमने आंदोलन को ओर अधिक सुदृढ़ किया है । हमने दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन के मसलों को उठाया, हमने नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, हमने दुनिया में हो रहे विभिन्न मसलों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, गुर-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत द्वारा भाग लेने से यह और भी सुदृढ़ हो गया है । चोगम में भी भारत ने बहुराष्ट्रीक संगठनों को और दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कार्यबाही को उचित ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाई ।

छः राष्ट्रों के सम्मेलन में·····(व्यवधान)

बहामा में जो कुछ हुआ माननीय मित्र उस बारे में नहीं में जानते हैं, तथा उसका प्रभाव इंग्लैंड तथा अमरीका में क्या हुआ था । अगर आप उस बैठक के प्रभाव को देखें, तो आप देखेंगे कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया उसकी वजह से कितने बैंक एवं संस्थायें दक्षिणी अफ्रीका में से बाहर चली गई ।

दुर्भाग्य से, छः राष्ट्रों की भूमिका की वजह से एक बार फिर से आणविक निरस्त्रीकरण के बारे में अत्यधिक जागरूकता पैदा हुई है । इस तरह के मामलों में श्रेय लेने की कोशिश करना सही नहीं हैं . परन्तु भारत में तथा दुनिया में हमारे लिए महत्वपूर्ण है पूरा आणविक निरस्त्रीकरण और हमें इसी दिशा में काम करना चाहिए । छः राष्ट्रों ने सभी देशों में इसके प्रति जागरूकता पैदा की है, विशेष रूप से उन देशों में जो कि आणविक निरस्त्रीकरण का विरोध कर रहे हैं जहां पर ऐसी समस्या है : इस जागरूकता से उनकी सरकारों के रवैये में एक प्रकार का परिवर्तन आया है । भारत ने एक भूमिक निभाई है ।

हामरे क्षेत्र में हमारे नजदीक दक्षिण एशिया में सार्क का गठन करके हमने काफी प्रगति की है । सार्क की सहायता से हमने सभी देशों को नजदीक लाने के लिये पहला कदम उठाया है ।

इस बर्ष के शुरु में पिछले वर्ष पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया ने भारत का दौरा किया । हम विभिन्न चरणों में चर्चा कर रह हैं कि जिस तरह से हम दो देशो के बीच संबंधों को सामान्य

बना सकते हैं तथा हमने एक समय-सारिणी बनाई है जिस पर कदम उठाये जा सकते हैं। दुर्भाग्य से उन वार्ताओं के परिणामों को पूरी तरह से पसन्द नहीं किया गया। गति धीमी है। मैं दोहराना चाहूंगा कि जो भी कदम उठाये जायेंगे वे मिलजुल कर ही उठाये जायेंगे। व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में शुरुआत एकसाथ की जानी चाहिये हम सीमा के मसले पर चर्चा करते आये हैं। परन्तु इसमे हमने ज्यादा प्रगति नहीं की है। हम अपनी बात पर अटल हैं। हम महसूस करते हैं कि हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल सही है और हम उससे आसानी से पीछे नहीं हटेंगे।

श्री लंका में हाल ही में अत्यधिक हिंसा की घटनाएं हुई थीं। दुर्भाग्य से, सरकार तथा तमिल व्यक्तियों के बीच युद्धविराम नहीं किया जा सका। हमने श्रीलंका सरकार के साथ संबंध बनाया हुआ है। हमें हाल ही में एक नया पत्र मिला है जो पिछले पत्र से थोड़ा सा भिन्न है जो उन्होंने दिया था। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह कदम आगे बढ़ने के लिय पर्याप्त होगा।

मेरे विचार से एक सदस्य ने कहा है कि कांग्रेस को अपने आपको निर्धारित करना चाहिये क्या आशा लगाई जा रही है।

श्री अमल दत्त : गांधी जी ने भी यही कहा था।

श्री राजीव गांधी : मैं गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस सदस्य के बारे में बोल रहा हूं जो कि केवल कांग्रेस के विघटन होने के पश्चात ही अपना दल बदल सकता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : गांधी जी की कांग्रेस समाप्त हो गई है, अब दूसरे गांधी आ गये हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आविष्कार, सभी गांधी एक जैसे नहीं सोचते।

श्री राजीव गांधी : संभवत : यह उनकी अन्तिम इच्छा है काश इच्छा करने से ही कामना पूरी हो जाती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप आशाओं पर निर्भर रहते हैं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे साथ जनमत है तथा लोगों का विश्वास है। हमारा एक इतिहास है तथा हम नये भारत का निर्माण करेंगे।

एक अन्य मित्र ने मनोहर राजकुमार के बारे कहा है

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो सुन्दरता की कदर करता है।

श्री राजीव गांधी : मैं आपको यह बात बता दूं कि यहां कोई सुन्दर राजकुमार नहीं है और ना ही कोई जादू की छड़ी है बेट्राक बाग में कुछ बेताल हों। कांग्रेस दल लोगों का दल है। केसन्ड्रास निराशवादी विचार विचलित नहीं कर सकते राष्ट्र निराश नहीं है। उसका मोहभंग नहीं हुआ है। राष्ट्र को पूरा विश्वास है। यह आशावादी है तथा राष्ट्र को भारतीय होने पर गर्व है!

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा काफी संशोधन प्रस्तुत किये हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिये एक साथ रखूं या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन अलग से रखना चाहता है ? मैं देख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये नहीं कह रहा है। अब में सभी संशोधनों को एक साथ सदन में मतदान के लिये (खूंगर)

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 20 फरवरी 1986 को एक साथ समवेत संसद को दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

6.40 म०प०

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय विद्यमान योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक किस्त की अदायगी के मामले पर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) के 12 महीनों के औसत में प्रत्येक 8 अंकों वृद्धि होने के पश्चात् विचार किया जाता है। मंहगाई भत्ते की पिछली किस्त 600 अंकों के औसत सूचकांक के संदर्भ में 1.11.1985 से 15.1.1986 को स्वीकृत की गई थी। तब से लेकर 1.1.1986 से मंहगाई भत्ते की एक और किस्त की अदायगी विचार किए जाने योग्य हो गयी है।

2. सरकार ने अब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की इस किस्त की नकद अदायगी करने का फैसला किया है। इस संबंध में आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

3. सेवारत केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी के साथ-साथ पेंशन भोगियों को, जिनमें परिवार पेंशनभोगी भी शामिल हैं, मंहगाई-राहत भी स्वीकृत की जाती है। सर-

कार ने 1.1.1986 से पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत को एक किस्त की स्वीकृति देने का भी फैसला किया है। इस संबंध में भी आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जाएंगे।

4. जबकि मंहगाई भत्ते की एक किस्त की अदायगी के परिणामस्वरूप राजकोष पर पड़ने वाला वार्षिक वित्तीय भार लगभग 70 करोड़ रुपये का होगा और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत देने के कारण लगभग 8 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस किस्त का तद्नुरूपी भार क्रमशः 11.67 करोड़ रूपये और 1.33 करोड़ रूपये होगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल सुबह 11 बजे पुन : समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.42 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986 9 फाल्गुन 1907 (शक) 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिये स्थगित हुई।

प्रिंटवैल प्रिंटर्स, 126, पटपड़ गंज, दिल्ली—92